त्रयोदश माला, खंड 20, अंक 3

बुधवार, 21 नवम्बर, 2001
30 कार्तिक, 1923 (शक)

FOR REFERENCE ONLY

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 52
Date 12/6/2002

(खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 20, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 3, बुधवार, 21 नवम्बर, 2001/30 कार्तिक, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 60	2–30
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690	30–346

लोक सभा

बुधवार, 21 नवम्बर, 2001/30 कार्तिक, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण मुझे बड़े दु:ख के साथ सभा को अपने एक अत्यन्त प्रतिष्ठित सहयोगी श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति के निधन की सूचना देनी है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति कर्नाटक के कनकपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे। इसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वे 1977 से 1996 तक छठी से दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

एक कुशल प्रशासक के रूप में श्री मूर्ति ने 1993 से 1996 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में वित्त राज्य मंत्री के रूप में काम किया।

श्री मूर्ति एक सक्रिय सांसद थे। उन्होंने 1983 से 1984 के दौरान आवास समिति और 1985 से 1986 के दौरान सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। वे विभिन्न अन्य संसदीय एवं सलाहकार समितियों के सदस्य रहे।

व्यवसाय से कृषक और अधिवक्ता, श्री मूर्ति एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने खेल-कूद के संवर्धन में भी काफी रुचि ली।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति का निधन थोड़े समय बीमार रहने के पश्चात् आज प्रात: अर्थात 21 नवम्बर, 2001 को 61 वर्ष की आयु में बंगलौर में हुआ।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करने में सभा भी मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना

***41. श्री बीर सिंह महतो:** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन दिनों कम्प्यूटर के रोजगार का मुख्य स्रोत बन जाने के कारण सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के शिक्षित और बेरोजगार लोगों को कम खर्च पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि जनहित में ऐसे कार्यक्रम देश में तत्काल शुरू किए जाएं?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) समाज के गरीब तथा कमजोर वर्ग के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार सृजन प्रशिक्षण योजना (ईजीटीएस) के अंतर्गत कम लागत पर कम्प्यूटर शिक्षण प्रदान किया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को ''रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण'' प्रदान करने में इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का प्रयोग करना है जिससे पूर्वोत्तर तथा अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी को पूरा किया जा सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कम्प्यूटर मान्यता पाठ्यक्रम (डीओईएसीसी), भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीईडीटीआई), इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ईटी एण्ड टी) नामक संगठनों में गरीब तथा कमजोर वर्ग के लोगों को कम लागत पर कम्प्यूटर शिक्षण प्रदान करने के विभिन्न प्रावधान हैं। डीओईएसीसी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को डीओईएसीसी स्तर की किसी भी परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने पर उनकी परीक्षा फीस वापस कर दी

जाती है। सीईडीटीआई ने अपने कम्प्यूटर से संबंधित पाठ्यक्रमों की फीस को व्यावसायिक संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस से काफी कम रखा है। ईटी एण्ड टी द्वारा अपनी फीस को काफी कम रखने के बावजूद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत की छूट भी दी जाती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भी कम्प्यूटर सुविधाएं आदि स्थापित करने के लिए देश में शैक्षिक संस्थानों को सहायता उपलब्ध करायी जाती है। अधिकांश सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान कम्प्यूटर शिक्षण सहित उच्चतर/तकनीकी शिक्षण के लिए नाममात्र की फीस लेते हैं। स्व: वित्तपोषित संस्थानों में भी त्रि-स्तरीय शुल्क का ढांचा है। इस त्रि-स्तरीय शुल्क ढांचे के अंतर्गत समाज के गरीब तथा कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को नाममात्र की फीस का भुगतान करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश संस्थानों में कम्प्यूटर शिक्षण सहित शिक्षा के सभी क्षेत्रों में समाज के गरीब तथा कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अध्येतावृत्ति तथा नि:शुल्क शिक्षण की योजनाएं हैं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

राजनयिकों और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किया जाना

***42. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका में आतंकवादी हमले के बाद पश्चिमी देशों और अमेरिका में राजनयिकों और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य भारतीयों को परेशान किए जाने की घटनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर उन देशों के साथ बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के पश्चात् किसी भी पश्चिमी देश अथवा अमेरिका में हमारे राजनयिक कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किये जाने की कोई घटना हमारे ध्यान में नहीं आयी है। तथापि 11 सितम्बर की आतंकवादी घटनाओं के पश्चात् अमरीका में भारतीय अमरीकी समुदाय के सदस्य अल्प समय के लिए जातीय पूर्वाग्रह के शिकार हुए जो मुख्यत: गलत पहचान के कारण हुई। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और आस्ट्रेलिया में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) प्रधानमंत्री ने भारतीयों की सुरक्षा के संबंध में अमरीकी राष्ट्रपति से गंभीर चिंता जतायी और इस संबंध में उन्हें अमरीकी राष्ट्रपति का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ।

यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और आस्ट्रेलिया में हमारे मिशनों ने इस मामले को विदेश कार्यालयों और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाया।

सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारतीय समुदाय को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए संबंधित सरकारों द्वारा अपने-अपने विधि प्रवर्त्तन प्राधिकारियों को तत्काल अनुदेश जारी किये गये। पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार करके शीघ्र ही न सिर्फ हस्तक्षेप किया बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी।

एंथ्रेक्स के मामले

***43. श्री अम्बरीश:**
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के अनेक भागों में एंथ्रेक्स के मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अस्पतालों में इस खतरे से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) एंथ्रेक्स के इलाज हेतु दवाइयां बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(च) क्या बाजार में किसी नकली दवाइयों के बिकने की सूचना मिली है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से निवारक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) प्राकृतिक एंथ्रैक्स देश के कुछ भागों में स्थानिकमारी है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के पास उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

	1999		2000		2001	
राज्य	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
कर्नाटक	8	5	शून्य	शून्य	4	2
उड़ीसा	शून्य	शून्य	43	3	शून्य	शून्य

(ग) जी, हां।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 29 अक्तूबर, 2001 को नई दिल्ली में जैव और रसायन आतंकवाद पर एक बैठक-सह-कार्यशाला आयोजित की जिसमें विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों, गृह सचिवों और स्वास्थ्य सेवा निदेशकों, देश के विभिन्न संगठनों के आयुर्विज्ञान के क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञों और दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों के अध्यक्षों ने भाग लिया और विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। राज्य सरकारों के अधिकारियों ने जैव-रसायन आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारी का एक संक्षिप्त लेखा-जोखा दिया। उन सभी ने आश्वासन दिया कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए उनके पास विशेषज्ञता है और उन्होंने औषधों का पर्याप्त स्टाक प्राप्त कर लिया है।

(ङ) एंथ्रैक्स संक्रमण से पीड़ित रोगियों की चिकित्सीय थिरेपी के लिए पेनिसिलीन, सिप्रोफ्लोक्सेसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एमॉक्सीसिलिन जैसी औषधें संस्तुत की जाती हैं। भारत में काफी बड़ी संख्या में विनिर्माता इन औषधों का विपणन कर रहे हैं। सिप्रोफ्लाक्सेसिन फार्मूलेशनों का विनिर्माण और विपणन मैसर्स निकोलस पिरामल, रैनबैक्सी, डा. रेड्डीस लैबोरेटरी, लुपिन फार्मा, सन फार्मा, बेयर्स (इंडिया), सिप्ला, बायोकेम, अरिस्टो द्वारा किया जाता है तथा डॉक्सीक्लिन प्रिपरेशनों का विनिर्माण और विपणन डा. रेड्डीस लैबोरेटरी, बायोकेम मैक्लियोड लैबोरेटरी, रैनबैक्सी आदि द्वारा किया जाता है।

(च) और (छ) ऐसी कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है। तथापि, सभी राज्य औषध नियंत्रकों को सलाह दी गई है कि वे नकली/जाली औषधों की संभावित आवाजाही पर कड़ी नजर रखें। इस सन्दर्भ में, इस क्षेत्र में संकेन्द्रित कार्यकलाप के लिए अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश भी परिचालित कर दिए गए हैं।

तत्काल एड्स परीक्षण

***44. श्री एन.टी. चणमुगम:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 सितम्बर, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "इंस्टैंट एड्स टेस्ट्स इन केरल फॉर रूपीज 10.00" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं को अन्य राज्यों में भी व्यापक स्तर पर उपलब्ध/स्वीकार्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) भारत सरकार ने देश के सभी जिलों के स्वैच्छिक परामर्श और जांच केन्द्रों में एच आई वी संक्रमण के निदान के लिए द्रुत एच आई वी जांच किटें चरणबद्ध ढंग से प्रयोग में लाने का निर्णय लिया है। द्रुत एच आई वी जांच कि किटों का लाभ यह है कि उनसे जांच 30 मिनट से भी कम समय में की जा सकती है और इनके लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संबंधित व्यक्तियों को जांच पूर्व तथा जांचोपरान्त परामर्श देने के बाद उसी दिन परिणाम बताए जा सकते हैं। इन द्रुत एच आई वी जांच किटों की प्रामाणिकता का देश में तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन किया गया है और इन्हें एन्जाइम लिंक्ड इम्यूनोबोरबेंट एस्से (एलिसा) नामक अन्य प्रकार की जांच किटों की प्रामाणिकता के सादृश्य पाया गया है। जिन व्यक्तियों की ऐसी जांच की जाती है उनसे प्रति सम्पूर्ण जांच के लिए 10.00 रुपए की राशि ली जाती है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधाएं

***45. श्री जयभान सिंह पवैया:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिविलियन पेंशनधारियों के लिए देश के सभी शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य और उनकी वृद्धावस्था को देखते हुए देश के सभी शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी नहीं । इस समय सिविल पेंशनरों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की चिकित्सीय सुविधाएं भारत भर में 18 शहरों, इलाहाबाद, अहमदाबाद, बेंगलूर, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, जबलपुर, लखनऊ, चेन्नई, मेरठ, नागपुर, पटना, पुणे, कानपुर, गुवाहाटी और तिरुवनन्तपुरम में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर और रांची शहर में एक-एक औषधालय केवल महालेखाकार के कार्यालय के कर्मचारियों के लिए ही कार्य कर रहा है जो दोनों औषधालयों के लिए सभी व्ययों का वहन कर रहे हैं।

सरकार ने चंडीगढ़, भोपाल और शिलांग शहरों में भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं को बढाने का निर्णय लिया है और इन शहरों में शीघ्र ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ख) संसाधनों और जनशक्ति की तंगी को ध्यान में रखते हुए भारत में सभी शहरों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की कवरेज बढ़ाना सम्भव नहीं होगा।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) में दी गई स्थिति को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) 18 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनर लाभार्थी उन चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सेवारत लाभार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं के समान हैं। इन सेवाओं में बहिरंग रोगी विभाग और विशेषज्ञ परामर्श सहित औषधालय स्तर को सेवाएं, रक्त परीक्षणों, एक्स-रे इत्यादि सहित नेमी प्रयोगशाला परीक्षण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी (सेवारत और पेंशनभोगी दोनों) सरकारी अस्पतालों में अन्तरंग रोगी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत 17 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता दी गई है ताकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करने के पश्चात् प्रयोगशाला जांचों सहित नैदानिक क्रियाविधियों के अतिरिक्त सामान्य प्रयोजन और विशिष्ट उपचार प्राप्त कर सकें। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत हाल ही में मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में वैध अनुमति पत्र रखने वाले अथवा विशिष्ट प्रकार की आपात स्थिति में दाखिल हुए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनर लाभार्थियों को उधार सुविधाओं की अनुमति दी जाती है ताकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल सीधे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से अस्पताल के बिल को भेज सकें।

पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने आदेश जारी किए हैं जिसके तहत गैर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्रों में रह रहे सिविलियन पेंशनभोगी बहिरंग रोगी विभाग के उपचार के लिए चिकित्सीय भत्ते के रूप में 100 रुपए प्रति मास प्राप्त कर सकते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार हेतु परियोजनाएं

***46. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:**
श्री भालचन्द्र यादव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और उन्हें 2-4-6-8 लेनों वाला बनाने, बाईपासों के निर्माण, पुल/पुलियों का पुनर्निर्माण करने आदि जैसे सुधार कार्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(घ) इसके लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है और परियोजना-वार इसके पूरा होने की संभावित अवधि क्या है;

(ङ) क्या किसी परियोजना, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और विस्तार हेतु कोई विदेशी सहायता मांगी गई है अथवा

विश्व बैंक से अथवा किसी अन्य विदेशी एजेंसी से धनराशि प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए प्रस्तावों के संबंध में राज्य-वार ब्योरे की स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होना एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए आज की स्थिति के अनुसार वर्तमान वर्ष के लिए प्राप्त और अब तक अनुमोदित प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं। अक्षम पाई गई परियोजनाओं के लिए राज्यों से स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना मांगी जाती है। आगे स्वीकृतियां संबंधित राज्यों से स्वीकृति की कुल मात्रा और प्राक्कलनों के सही रूप में होने पर निर्भर करेगी। इस तरह ऐसे मामलों के निपटान की निश्चित तारीख बता पाना अभी संभव नहीं होगा।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए धनराशि, धनराशि की आवश्यकता और समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य-वार प्रदान की जाती है न कि परियोजना-वार। चालू वर्ष के लिए उपर्युक्त कार्यों के लिए राज्य-वार बजट आबंटन, चालू कार्यों के लिए अपेक्षित धनराशि संलग्न विवरण-2 में दी गई है। परियोजनाओं के पूरे होने का समय उसके आकार, जटिलता और कार्य-स्थल की परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो सामान्यत: एक से तीन वर्ष तक है।

(ङ) और (च) कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से 1105 मिलियन अमरीकी डालर, एशियाई विकास बैंक से 665 मिलियन अमरीकी डालर और जेबीआईसी से 32060 मिलियन येन की विदेशी सहायता की व्यवस्था की गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-1

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा से संबंधित प्रस्तावों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	2
3.	असम	9	6
4.	बिहार (झारखंड सहित)	77	21
5.	दिल्ली	-	-
6.	गोवा	4	1
7.	गुजरात	21	5
8.	हरियाणा	12	6
9.	हिमाचल प्रदेश	9	4
10.	जम्मू और कश्मीर	2	2
11.	कर्नाटक	20	7
12.	केरल	8	4
13.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	39	15

1	2	3	4
14.	महाराष्ट्र	11	4
15.	मणिपुर	1	1
16.	मेघालय	1	1
17.	मिजोरम	3	3
18.	नगालैंड	2	2
19.	उड़ीसा	26	6
20.	पांडिचेरी	1	1
21.	पंजाब	18	5
22.	राजस्थान	14	6
23.	सिक्किम	-	-
24.	तमिलनाडु	35	13
25.	त्रिपुरा	3	2
26.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	72	25
27.	पश्चिम बंगाल	9	4

विवरण-2

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वर्ष 2001-02 हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की राज्य-वार स्थिति और 2001-02 के लिए बजट आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या		आबंटन (लाख रुपए)
		प्राप्त	अनुमोदित	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	37	36	9000.00
2.	असम	40	21	6826.19
3.	बिहार	23	19	5500.00
4.	चंडीगढ़	1	-	150.00
5.	छत्तीसगढ़	18	1	3000.00
6.	दिल्ली	3	2	1000.00
7.	गोवा	7	1	2000.00
8.	गुजरात	25	11	8500.00

1	2	3	4	5
9.	हरियाणा	17	14	5500.00
10.	हिमाचल प्रदेश	13	6	4700.00
11.	जम्मू और कश्मीर	3	1	400.00
12.	झारखंड	12	11	2500.00
13	कर्नाटक	30	23	7486.56
14.	केरल	24	18	7500.00
15.	मध्य प्रदेश	18	6	8000.00
16.	महाराष्ट्र	42	36	10800.00
17.	मणिपुर	7	2	1800.00
18.	मेघालय	13	4	2500.00
19.	मिजोरम	14	7	1800.00
20.	नगालैंड	11	6	1600.00
21.	उड़ीसा	25	8	7000.00
22.	पांडिचेरी	1	1	200.00
23.	पंजाब	15	10	4800.00
24.	राजस्थान	45	32	9685.00
25.	तमिलनाडु	43	32	9500.00
26.	उत्तर प्रदेश	36	23	12478.20
27.	उत्तरांचल	17	6	2000.00
28.	पश्चिम बंगाल	20	8	10538.00

विवरण-3

राष्ट्रीय राजमार्गों पर चालू परियोजनाओं के लिए अनुमोदित विदेशी सहायता के ब्यौरे

	परियोजना का नाम	ऋण राशि	राज्य
	1	2	3
	विश्व बैंक		
(1)	तीसरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	516 मिलियन अमरीकी डालर	उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड
(2)	ग्रांड ट्रंक रोड सुधार परियोजना (जी टी आर आई पी)	589 मिलियन अमरीकी डालर	उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड

1	2	3
	एशियाई विकास बैंक	
(1)	ए.वि. बैंक-3 परियोजना	245 मिलियन अमरीकी डालर	हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश
(2)	*सूरत-मनौर परियोजना*	*180 मिलियन अमरीकी डालर*	गुजरात और महाराष्ट्र
(3)	*पश्चिमी परिवहन महामार्ग परियोजना*	*240 मिलियन अमरीकी डालर*	कर्नाटक
	ओ ई सी एफ		
(1)	चार ऋण प्राप्त किए गए	32060 येन	उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश

भारत-नेपाल सीमा वार्ता

***47. श्री बी. वेंकटेस्वरलु:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय और नेपाली प्राधिकारियों की सीमा के पास सर्वेक्षण कार्य को अन्तिम रूप देने और स्थायी सीमा स्तम्भ खड़े करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए हाल ही में कोई वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी हां।

दोनों पक्षों ने मई, 2002 में समाप्त होने वाली आगामी क्षेत्रीय अवधि के लिए भारत-नेपाल सीमा के सीमांकन की भूमि की पुष्टि करने हेतु क्षेत्रीय कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है। कार्य सिक्किम क्षेत्र में सुदूर उत्तर-पूर्वी छोर से शुरू कर दिया गया है और इस समय प्रगति पर है। यह कार्यक्रम 2003 तक सीमा रेखांकन नक्शों की अन्तिम तैयारी को पूरा करने के लिए जे.टी.सी. के पूर्ववर्ती निर्णयों के अनुसार किया जा रहा है। इसकी समय-सीमा नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी.पी. कोइराला की जुलाई-अगस्त 2000 में भारत-यात्रा के दौरान सम्पन्न प्रधान मंत्रियों की बैठक में निर्धारित की गई थी।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग

***48. श्री हरिभाई चौधरी:**
प्रो. दुखा भगत:

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की जनसंख्या के साठ प्रतिशत लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1991 से 2001 तक आर्थिक सुधार की अवधि के दौरान देश में गरीबी बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार का विचार लोगों के जीवनस्तर को गरीबी रेखा से ऊपर किस प्रकार लाने का है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) संगठन द्वारा कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है। ऐसा पिछला सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 55वें दौर में कराया गया था जिसमें जुलाई, 1999 से जून, 2000 तक की अवधि शामिल है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारत में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 55वें दौर के मुख्य परिणामों में 30 दिवसीय प्रत्याह्वान सारणी के आधार पर, वर्ष 1999-2000 में पूरे देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का प्रतिशत 26.10 होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) वर्ष 1991 से, गरीबी के अनुमान वर्ष 1993-94 और 1999-2000 के लिए किए गए हैं जो क्रमशः 50वें और 55वें दौर के उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी 50वें दौर के वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षण से आंकलित गरीबी का अनुमान वर्ष 1993-94 के लिए 35.97% होने का लगाया गया था। 30 दिवस के आधार पर 55वें दौर के नवीनतम वृहत् सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े वर्ष 1999-2000 के लिए गरीबी अनुपात 26.1% दर्शाते हैं।

(ङ) देश में गरीबी के उन्मूलन और उसमें कमी लाने के लिए त्रिपक्षीय कार्रवाई की जा रही है। यह है: (1) आर्थिक विकास की गति को तेज करना (2) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने, समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को उठाने आदि के माध्यम से मानव एवं सामाजिक विकास तथा (3) रोजगार एवं आय-सृजक कार्यक्रमों तथा गरीबों के लिए परिसम्पत्ति निर्माण के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार।

[हिन्दी]

हिन्दू और सिख परिवारों का पलायन

***49. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:**
श्री रामशकल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दू और सिख परिवार अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का देश में और देश से बाहर उनके हितों की सुरक्षा किस तरह करने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) अफगानिस्तान में लम्बे गृह युद्ध के कारण भारत में इस समय बड़ी संख्या में भारतीय मूल के अफगानी राष्ट्रिक रह रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों के प्रति मित्रता की पारम्परिक नीति के अनुसार सभी अफगानी राष्ट्रिकों को, जिनमें भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं, जो वैध यात्रा दस्तावेजों/पासपोर्टों के साथ भारत आए थे, बिना रोक-टोक के रहने दिया जा रहा है; उनका वार्षिक वीजा भी बढ़ाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, हमें जानकारी मिली है कि इस समय भारत आने के इच्छुक 275 अफगानी सिख/हिन्दू परिवार पाकिस्तान में रह रहे हैं। सरकार इन सभी अनुरोधों की जांच कर रही है। वीजा देने के लिए काफी आवेदनों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। सरकार ने इन आवेदकों के लिए वीजा शुल्क भी माफ कर दिया है।

सरकार अफगानिस्तान में स्थायी शान्ति और स्थिरता की बहाली के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

पाकिस्तान में जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों को प्रशिक्षण

***50. श्रीमती जसकौर मीणा: क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) भारत में जम्मू और कश्मीर तथा अन्य भागों में सीमा-पार आतंकवाद का समर्थन करने की अपनी नीति के भाग के रूप में पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र, पाक अधिकृत कश्मीर और पूर्व में अफगानिस्तान में भी आतंकवादियों की भर्ती, उनके प्रशिक्षण और मतारोपण के लिए व्यापक बुनियादी ढांचा स्थापित किया है।

(ग) सरकार पाकिस्तान द्वारा भारत में जम्मू और कश्मीर तथा अन्य भागों में सीमा-पार आतंकवाद का समर्थन करने से संबंधित तथ्यों को समुचित और प्रभावी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाई है। विदेशी नेताओं के साथ उच्च-स्तरीय बैठकों के दौरान भी इस मसले को उठाया जाता रहा है। अब इस तथ्य को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जा रहा है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं और यह जहां भी है इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

दूरसंचार के सकल राजस्व पर कर

***51. मोहम्मद शहाबुद्दीन:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों के बेसिक सेवा प्रदाताओं के सहायतार्थ सरकार ने टैलकॉम आपरेटर्स के सकल राजस्व पर 5 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके उपयोग का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) नई दूरसंचार नीति-1999 में सार्वभौमिक सेवा दायित्वों के संबंध में कर की व्यवस्था है। सरकार ने सार्वभौमिक सेवा दायित्वों से संबंधित मामलों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) से सिफारिशें मांगी थीं। टीआरएआई अपनी सिफारिशें दे चुका है। टीआरएआई ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, वायसमेल सेवा प्रदाताओं इत्यादि जैसे पूर्णत: मूल्यवर्धित सेवा प्रदाताओं को छोड़ कर सभी दूरसंचार वाहकों या प्रचालकों से समायोजित सकल राजस्व (ए.जी.आर.) का 5 प्रतिशत हिस्सा सार्वभौमिक सेवा कर के रूप में प्रभारित करने की सिफारिश की है, जो एक सार्वभौमिक सेवा निधि में जमा किया जाना चाहिए। यह अतिरिक्त कर न होकर लाइसेंस शुल्क से ही आना चाहिए। ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन और सीधी एक्सचेंज लाइनें सभी बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाएंगी, जिन्हें उक्त निधि से प्रतिपूर्ति की जाएगी। टीआरएआई ने सार्वभौमिक सेवा समर्थन योजना के कार्यान्वयन की तारीख 1.4.2002 तय करने की सिफारिश भी की है, जिसके पश्चात् इस निधि का उपयोग शुरू होगा। सरकार द्वारा टीआरएआई की सिफारशों की जांच की जा रही है।

सॉफ्टवेयर निर्यात पर प्रभाव

***52. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार केन्द्र (डब्ल्यू.टी.सी.), न्यूयार्क पर 11 सितम्बर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले और इसके बाद छिड़े युद्ध के कारण सॉफ्टवेयर निर्यात में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रभाव को दूर करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है; और

(ग) दूसरे देशों को निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने तथा निर्यात संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) विश्व व्यापार केन्द्र (अमेरिका) पर हुए आतंकवादी हमले के कारण भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी) अपनी पूर्व निर्धारित कार्यनीति के तहत लैटिन अमरीकी देशों, यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, आस्ट्रेलिया आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण बाजारों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली में इण्डिया सॉफ्ट जैसी विश्व समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो भारत की लघु एवं मझोली कम्पनियों को विभिन्न देशों से आने वाले प्रतिनिधिमण्डलों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा।

[हिन्दी]

सभी सेवाओं के लिए अनिवार्य कोष

***53. श्री नवल किशोर राय:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक "सभी सेवाओं के लिए अनिवार्य कोष" (यूनिवर्सल सर्विसेज आबलिगेटरी फंड) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस कोष के लिए कितनी तथा किन-किन स्रोतों से धनराशि एकत्रित होने की संभावना है तथा यह धनराशि स्रोत-वार कितनी होगी;

(ग) इस कोष में प्रतिवर्ष अनुमानत: कितनी धनराशि जमा की जाएगी;

(घ) इस कोष में से धनराशि व्यय करने के क्या प्रावधान होंगे; और

(ङ) सितंबर 2001 तक इस कोष में कितनी धनराशि जमा की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) नई दूरसंचार नीति-1999 में सार्वभौमिक सेवा दायित्वों के संबंध में कर (लेवी) की व्यवस्था है। सरकार ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व से संबंधित मामलों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से सिफारिशें मांगी

थी। ट्राई ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। ट्राई ने सिफारिश की है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, वायसमेल सेवा प्रदाताओं इत्यादि जैसे पूर्णत: मूल्यवर्धित सेवा प्रदाताओं को छोड़ कर, सभी दूरसंचार वाहकों या प्रचालकों के समायोजित सकल राजस्व (ए.जी.आर.) का 5 प्रतिशत हिस्सा सार्वभौमिक सेवा कर (यूएसएल) के रूप में लिया जाना चाहिए तथा उसे एक सार्वभौमिक सेवा निधि में जमा किया जाना चाहिए। यह कर लाइसेंस शुल्क से ही आना चाहिए और अतिरिक्त कर नहीं होना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है कि 1-4-2002 से सार्वभौमिक सेवा निधि का गठन किया जाए। सरकार द्वारा ट्राई की सिफारिश की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 2002-2003 में ट्राई की सिफारिश पर आधारित अनुमानित यू एस एल प्राप्तियां स्रोत-वार निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सेवा	यू एस एल
1.	बेसिक	835.00
2.	सेल्युलर	340.00
3.	रेडियो पेजिंग	0.50
4.	वीएसएटी-सी यू जी	10.00
5.	पी एम आर टी एस	0.75
6.	जी एम पी सी एस	0.10
7.	एन एल डी ओ	400.00
8.	आई एल डी ओ	220.00
	जोड़	1806.35

(घ) ट्राई ने यह सिफारिश की है कि इस निधि से ग्रामीण/दूरवर्ती, अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एस डी सी ए) तक ही सीमित निवल उच्च लागत क्षेत्र वाले घरेलू टेलीफोन की व्यवस्था सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक दूरसंचार तथा सूचना सेवाओं को सहायता दी जाएगी।

(ङ) प्राधिकरण ने 1-4-2002 से यू एस ओ सहायता नीति के प्रचालन की सिफारिश की है इसलिए इस निधि में कोई पैसा जमा नहीं किया गया है क्योंकि इसका गठन अभी तक नहीं किया गया है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना

*54. **श्री तूफानी सरोज:** क्या विदेश मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका के विदेश विभाग ने अक्टूबर, 2001 में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें भारत के विरुद्ध की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार इन टिप्पणियों से सहमत है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारत सरकार ने इस संबंध में अमरीकी सरकार को अपना विरोध दर्ज कराया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) वहां कोई "विदेश विभाग" नहीं है। तथापि, 26 अक्तूबर, 2001 को जारी, अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से संबद्ध अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की कांग्रेस अधिदेशित वार्षिक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है। इसमें कतिपय प्रतिकूल टिप्पणियां भी हैं। इसमें इस बात पर भी गौर किया गया है कि व्यक्तिगत और संपत्ति विवाद यदा-कदा कोई न कोई धार्मिक रूप ले लेते हैं। इस रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी संवैधानिक प्रावधानों और भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका पर सकारात्मक टिप्पणी की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) संविधान और भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विधिक दायित्वों के अनुरूप, सरकार अल्पसंख्यकों के लिए पूर्ण संरक्षण प्रदान करती है और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) सरकार ऐसी किसी कवायद पर टिप्पणी नहीं करती है जो किसी विदेशी सरकार की आन्तरिक प्रक्रियाओं का अंग होती है।

[अनुवाद]

निजी आपरेटरों द्वारा ''फिक्सड टेलीफोन'' सुविधा देना

***55. डा. ए.डी.के. जयशीलन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी आपरेटरों के लिए ''फिक्सड टेलीफोनों'' का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) निजी आपरेटरों द्वारा अभी तक कितने ''फिक्सड टेलीफोन'' प्रदान किए गए हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि निजी आपरेटर अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-94 (एनटीपी 94) के अनुसार छ: निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों के साथ लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किये गये। लाइसेंस की प्रभावी तारीख से प्रथम तीन वर्षों के दौरान 20,17,809 सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल) प्रदान की जानी थीं। पांच लाइसेंसधारकों के संबंध में प्रभावी तारीख 30.9.1997 और एक लाइसेंसधारक के संबंध में 4.3.1998 थी। इसके पश्चात्, लाइसेंसधारक को प्रतिवर्ष न्यूनतम 15% की वृद्धि दर कायम रखनी होगी जब तक की मांग पर टेलीफोन उपलब्ध न हो जाएं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार छ: निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों, जिन्हें 1997/98 में लाइसेंस दिये गये थे, ने 30.9.2001 तक 3,75,605 सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान की हैं।

इन छ: बुनियादी सेवा प्रचालकों में से तीन ने अपनी सेवा वर्ष 2000 में ही शुरू की थी। प्रचालकों को अपने प्रतिबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजी कर लिया गया है। नेटवर्क का तीव्र विकास सुकर करने हेतु स्थानीय क्षेत्र के भीतर वायरलेस अभिगम्यता प्रणाली में हैंड हेल्ड टर्मिनलों के उपयोग की भी अनुमति दी गयी है जो दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) के समक्ष लम्बित याचिका के परिणाम के अध्यधीन है। इन उपायों से उपभोक्ताओं की संख्या 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार 2,65,976 से बढ़कर 30.9.2001 को 3,75,605 हो गयी है। प्रतिबद्धता पूरा होने में विलम्ब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी (एलडी) लाइसेंस करार के प्रावधानों के अनुसार इन छ: बुनियादी सेवा लाइसेंसधारकों से वसूली गयी। इन लाइसेंसधारकों से प्रतिबद्ध लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी और गारंटी विलेख प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है।

नई दूरसंचार नीति-99 (एनटीपी-99) के अनुसार बुनियादी टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए जारी किए गए नए लाइसेंसों के संबंध में, कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) में पॉइन्टस ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) की स्थापना के सन्दर्भ में रोल-आउट दायित्व निर्धारित किए गए हैं। नए लाइसेंसधारकों को पहले दो वर्षों में 15% कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों में पी ओ पी स्थापित करने होंगे। ये दो वर्ष, जुलाई से अक्तूबर, 2003 के दौरान पूरे होंगे।

सॉफ्टवेयर उद्योग में मंदी

***56. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:**
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला:

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में विश्व सॉफ्टवेयर उद्योग में मंदी की स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका और अन्य देशों में सॉफ्टवेयर उद्योगों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नियोजित भारतीय पेशेवरों को निकाला जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत सरकार इन प्रशिक्षित कम्प्यूटर कर्मियों के इस बढ़ते अन्तर्प्रवाह से निपटने की किस प्रकार तैयारी कर रही है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान मंदी के कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका की गई कम्पनियां लागतों में कमी कर रही हैं और कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। अमेरिका की कुछ कम्पनियां, जिन्होंने पहले ऑन-साइट कार्यों का विकल्प चुना था, अब इन्हें लागत के कारण ऑफ-साइट कार्यों में बदल रही हैं। किन्तु, इन कारणों से वापस आने वाले सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। नैसकॉम के अनुमानों के अनुसार, 1000 सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ वापस लौटे होंगे।

(घ) देश में रोजगार की स्थिति में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास की सुविधा प्रदान करने और विदेशी पूंजीनिवेश आकर्षित करने के लिए कुछ नीतिगत उपाए किए गए हैं। नए सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एसटीपी) की स्थापना, मीडिया लैब एशिया की स्थापना और इंटरनेट तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं का प्रसार इनमें से कुछ हैं।

भारतीयों की गतिविधियों पर निगरानी

*57. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों में जाने वाले युवकों को आतंकवादी गिरोहों के लिए काम करने हेतु प्रलोभन दिए जा रहे हैं/मजबूर किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाने वाले भारतीयों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इन देशों में स्थित अपने दूतावासों को सुदृढ़ बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। हमारी पूछताछ से पता चलता है कि यह सूचना सही नहीं है।

(ग) और (घ) हमारे मिशन कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीय महत्त्व के मसलों पर बारीकी से नजर रखते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण

*58. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम की जांच किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिकी कांग्रेस अतिरिक्त आदर्श नयाचार कानून बनाने पर विचार कर रही है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण को सभी देशों के नाभिकीय कार्यक्रमों की जांच करने का प्राधिकार मिल पाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित कानून द्वारा शासित होती है और यह कानून विश्व के सभी देशों पर बाध्यकारी होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार की जानकारी में इस प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है।

(घ) और (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आई ए ई ए) एक अन्तर-सरकारी संगठन है जो 1957 में अंगीकृत अपने स्वयं के विधान के तहत स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और उसकी कार्यक्रम-गतिविधियां तथा बजट अनन्य रूप से उसके नीति निर्धारक अंगों अर्थात गवर्नर मंडल और आम सम्मेलन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मई 1997 में आई ए ई ए के नीति निर्धारक अंगों द्वारा एक माडल अतिरिक्त प्रोतोकोल अनुमोदित किया था, जिसको इस अभिकरण और उन नाभिकीय हथियार विहीन राज्यों के बीच एक द्विपक्षीय वचनबद्धता के रूप में संपन्न किया जाना है जो इसके पूर्ण क्षेत्र सुरक्षा कवच करारों के पक्षकार हैं। ऐसा माडल प्रोतोकोल उन नाभिकीय हथियार विहीन राज्यों के लिए बाध्यकारी होगा जो परमाणु अप्रसार संधि (एन पी टी) अथवा अन्य समान अन्तर्राष्ट्रीय करारों के पक्षकार हैं, जो भारत पर लागू नहीं होते हैं।

[अनुवाद]

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र

*59. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र के मसौदे को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी इसे अनुमोदित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई सभी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी हां, दसवी पंचवर्षीय योजना के लिए

प्रारूप दृष्टिकोण पत्र का अनुमोदन दिनांक 27 और 29 जून, 2001 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई पूर्ण योजना आयोग की बैठक में किया गया था। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 17 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण पत्र को अनुमोदित किया था।

(ख) जी हां, दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रारूप दृष्टिकोण पत्र का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद ने माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 1 सितम्बर, 2001 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई अपनी 49वीं बैठक में किया था।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र का उद्देश्य योजना अवधि 2002-2007 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष 8% तक की वृद्धि करना है। इसमें मानवीय विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को शामिल करते हुए मानीटर योग्य विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इसमें गरीबी अनुपात में कमी करने, प्राथमिक शिक्षा तथा पहुंच, साक्षरता दर बढ़ाने, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी करने, रोजगार वृद्धि दर बढ़ाने, पीने योग्य पानी की पहुंच के लिए गांवों के कवरेज में सुधार करने, साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग-अंतरों को कम करने, प्रमुख प्रदूषित नदियों को साफ करने, वनाच्छादन को बढ़ाने और दसवर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करने के संबंध में लक्ष्य शामिल हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय असमानता कम करने के लिए आवश्यक नीतिगत केन्द्र बिन्दु बनाने के लिए विकास के राज्य-वार ब्यौरों और मानीटर योग्य अन्य लक्ष्यों पर बल दिया गया है। इसमें समता और सामाजिक न्याय सहित विकास को एकीकृत करने का प्रस्ताव है। इसमें कृषि विकास को योजना का एक मूल अवयव बनाना शामिल है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसरों के साथ क्षेत्रकों में तेजी से विकास करना शामिल है। इसमें लक्षित कार्यक्रमों की पुन: संरचना करने, विशेष समूहों के लिए अन्योन्य क्षेत्रकीय सहक्रिया पर जोर देने की परिकल्पना भी की गई है। योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्निहित कार्यनीति अर्थव्यवस्था में 30-32 प्रतिशत तक निवेश दर को बढ़ाने; विद्यमान पूंजीगत परिसम्पत्तियों की उत्पादकता बढ़ाने; नये निवेश को बढ़ाने की क्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से दूसरी पीढ़ी संबंधी नीतिगत सुधार कार्य करने; और राज्यों से परे सुधार के लिए गहन और वृहतर कार्यसूची को सुकर बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए साधनों की खोज करने की हमारी योग्यता पर आश्रित है।

दृष्टिकोण पत्र में उल्लिखित राजकोषीय सुधार करने सम्बन्धी कार्यसूची के लिए अर्थव्यवस्था में निवेश दर बढ़ाना केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारों की योग्यता से मुख्य रूप से जुड़ा है। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह अपेक्षा करता है कि केन्द्रीय सरकार सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2.9% तक अपनी बचत को बढ़ाए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाना।

सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की कुशलता और व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अभिसरण, छंटनी और राज्यों को स्कीमों का अंतरण करके केन्द्रीय क्षेत्रक और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को युक्तियुक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि नयी परियोजनाओं को शुरू करने की अपेक्षा विद्यमान परियोजनाओं को पूरा किया जाए और महत्वपूर्ण मरम्मतों और रखरखाव सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए योजना निधियों के उपयोग की अनुमति चयनित आधार पर दी जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के अलाभप्रद उपक्रमों का निजीकरण और केन्द्र और राज्य दोनों में अव्यवहार्य इकाइयों को बन्द करना समयबद्ध तरीके से किया जाना है। इसके अलावा, राज्यों में सार्वजनिक खर्च की कुशलता में सुधार लाने और सुधार के लिए सहमत कार्यसूची को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, राज्यों को परियोजना आधारित सहायता के विस्तार और सुधार के लिए सहमत हुए कार्यक्रमों पर आश्रित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने पर बल दिया जाना है।

सार्वजनिक खर्च की कुशलता में सुधार करने के सन्दर्भ में आयोग ने संसाधनों को जुटाने और वास्तविक क्रियान्वयन दोनों के संदर्भ में और अधिक वास्तविक योजना निरूपित करने में राज्यों सम्बन्धी मूल योजना (कोर प्लान) की सफलता को नोट किया।

दृष्टिकोण दस्तावेज में आधारिक संरचना, विशेष रूप से विद्युत, रेलवे और सिंचाई में सार्वजनिक निवेश में उत्पन्न हो रहे गंभीर अंतरों की पहचान की गई है। आधारिक संरचना में निजी निवेश का प्रवाह प्रत्याशा से कम रहा है जैसा कि अनेक दृष्टान्तों में अपेक्षित समर्थकारी ढांचा अभी भी ठीक नहीं है। विद्युत क्षेत्र के संबंध में, दृष्टिकोण पत्र में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) के माध्यम से शुल्क दरों (टैरिफ) को युक्तियुक्त बनाने; उत्पादन, पारेषण और वितरण को स्वतंत्र करने; वितरण का निजीकरण करने और विद्युत तक उपभोक्ता-समूह की सीधी पहुंच को समर्थ बनाने का प्रस्ताव है। रेलवे के संबंध में दृष्टिकोण पत्र में भारतीय रेलवे के सभी गैर-मूल (नॉन-कोर), बाह्य क्रियाकलापों का निगमीकरण करने और एक स्वतंत्र रेल टैरिफ विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए सुझाया गया है।

दृष्टिकोण पत्र में उद्योग और वाणिज्य नीति में सुधार जारी रखते हुए, परिसम्पत्तियों के तेजी से अंतरण जैसे एसआईसीए का स्थगन, दिवालियापन और पुरोबंध कानूनों को शुरू और सुदृढ़ करने को सुकर बनाने के लिए विधायी और प्रक्रियात्मक परिवर्तन

करते हुए निजी क्षेत्र में कुशलता बढ़ाने के उपायों की रूप-रेखा प्रस्तुत की गयी है। इसमें निवेश की प्रशासनिक, प्रक्रियात्मक और विधायी बाधाओं को दूर करने और जनता के साथ सरकार के परस्पर सम्पर्क को सुधारने के लिए एक रूप-रेखा अपनाने को भी कहा गया है। इस संदर्भ में न्यायिक प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार और सुदृढ़ीकरण भी एक क्षेत्र है जिसकी पहचान की गई है।

दृष्टिकोण पत्र में उपलब्ध भूमि संसाधनों की उत्पादक उपयोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक भूमि उपयोग नीति बनाने की आवश्यकता की पहचान की गयी है। इसमें कृषि और कृषि-वानिकी उत्पादों पर निर्यात, वाणिज्य और क्रेडिट प्रतिबंधों को हटाने के लिए सुझाव दिया गया है।

पंचायती राज संस्थानों को दसवीं योजना के लिए प्रस्तावित विकासात्मक रूप-रेखा में, विशेष रूप से गरीबी उपशमन स्कीमों के लिए वितरण तंत्र में सुधार करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वजनिक प्रावधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी में सुधार लाने में भी विशेष भूमिका है।

दृष्टिकोण पत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने और लिंग सम्बन्धी समस्याओं को सुकर बनाने पर विशेष बल दिया गया है।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में चालू परियोजनाओं को पूरा करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है और जब तक कम-से-कम अंशत: पूरी परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जाता तब तक नयी परियोजनाओं को शुरू करने में विलम्ब करने का सुझाव दिया गया है।

विशेष आर्थिक जोन

***60. श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन बड़े पत्तनों के नाम क्या हैं जिन्होंने विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए हैं;

(ख) ये पत्तन कब से विशेष आर्थिक जोन में हिस्सा ले रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में अन्य पत्तनों की क्या योजना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल): (क) से (ग) किसी भी महापत्तन ने कोई विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड) स्थापित नहीं किया है और इस समय इस संबंध में किसी भी महापत्तन की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान का दुष्प्रचार

461. श्री मोहन रावले: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने झूठी जानकारी देने का नया तरीका अपनाया है और यू.एन.एम.ओ. डाक पर भारत के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर की नई मोहर लगानी शुरू कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) पाकिस्तान के दुष्प्रचार उपायों से इस तथ्य में परिवर्तन नहीं होगा कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा।

उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग

462. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु प्राप्त विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से अब कितने प्रस्तावों को अनुमोदित और क्रियान्वित किया जा चुका है;

(ग) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्रों के साथ अन्याय कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुमोदित प्रस्तावों के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) से (ङ) विगत दो वर्षों के दौरान कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को देश में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु विदेशी निवेश का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, जोकि उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु नोडल विभाग है, ने सूचित किया है कि वे कृषि आधारित उद्योगों पर सूचना/विशिष्ट डाटा नहीं रखते।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

463. श्री मानसिंह पटेल:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई धनराशि के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी सरकारी एजेंसी को गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई धनराशि के उचित उपभोग की जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त तीन वर्षों के दौरान दोषी पाए गए संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) एक सूची विवरण-1 पर संलग्न है।

(ग) और (घ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सनद लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित अंकेक्षित लेखों के साथ प्रस्तुत किए गए समुपयोजन प्रमाण पत्रों की मंत्रालय में जांच की जाती है। इस मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुदानग्राही संगठन के खाते प्रयोगात्मक जांच परीक्षण करने के लिए खुले हैं।

(ङ) और (च) विवरण-2 के रूप में सूची संलग्न है।

विवरण-1

मदर गैर-सरकारी संगठन स्कीम

(रकम रुपए में)

क्र.सं.	मदर गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	एकलव्य मेमोरियल लीग, प्रकाशम	आंध्र		1000000	800000
2.	राहूलस मेड एंड हैल्थ सर्विस सोसायटी, हैदराबाद	आंध्र	1000000	960000	1960000
3.	सोसायटी फार नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू रूरल डवल्पमेंट	आंध्र	1000000	960000	1960000
4.	सेंट पीटरस मल्टी परपज हैल्थ वर्कर (महिला), गुन्टूर	आंध्र		1960000	960000
5.	एच ई ए डी एस, अनन्तपुर	आंध्र	1000000	925000	1795000
6.	सोशल एक्शन फार सोशल देव., हैदराबाद	आंध्र	1000000	960000	1760000
7.	नेशनल एजूकेशन मिनोरीटीज सोसायटी, गुन्टूर	आंध्र		800000	
8.	अरूणाचल प्रदेश वी एच ए	अरूणाचल			1000000
9.	रूरल वूमेन अपलीफ्ट एसोसिएशन आफ असम	असम	1000000		

1	2	3	4	5	6
10.	वालन्टरी हैल्थ एसोसियेशन आफ असम, गुवाहाटी	असम		1000000	1893938
11.	देशबंधु क्लब, काचर	असम		1200000	1200000
12.	बिहार वी एच ए, पटना	बिहार	1000000	960000	1960000
13.	साइनटिफिक एजूकेशन प्रोम. एंड मेड एड फाउंडेशन, पटना	बिहार	1000000	960000	1960000
14.	मिल्लाट एजूकेशन सोसायटी, समस्तीपुर	बिहार	1000000		600000
15.	महिला बाल उत्थान केन्द्र, समस्तीपुर	बिहार	1000000		
16.	आदर्श महिला शिल्प कला केन्द्र, पटना	बिहार			1600000
17.	ए डी आई टी एच आई, पटना	बिहार			180000
18.	सेन्टर फार लेबर एजूकेशन एंड सोशल रिसर्च	छत्तीसगढ़	1500000	2500000	
19.	उत्थान-सेन्टर फार सस्टेनेबल डवलपमेंट एंड पोवरटी एलीवेशन, इलाहाबाद	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश	2000000	2500000	2500000
20.	आइ एन डी सी ए आर इ चैरिटेबल ट्रस्ट	दिल्ली		1500000	
21.	एस ओ एस वी ए	दिल्ली चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब	2500000	2500000	2500000
22.	गुजरात वालन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, अहमदाबाद	गुजरात		2000000	
23.	सेन्टर फार हैल्थ एजूकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूटरीशन एवारनेश (सी एच इ टी एन ए)	गुजरात		2000000	1000000
24.	एच पी वी एच ए	हिमाचल प्रदेश			2000000
25.	एस यू टी आर ए	हिमाचल प्रदेश			1200000

1	2	3	4	5	6
26.	निश्चल फाउंडेशन (एस एन एस), गुड़गांव (एम एन जी ओ इन हिमाचल प्रदेश)	हिमाचल प्रदेश	1000000		1600000
27.	एस डब्ल्यू ए सी एच फाउंडेशन, पंचकूला	हरियाणा	2500000	2500000	
28.	हरियाणा नवयुवक कला संगम	हरियाणा			400000
29.	जे एंड के एक्स-सर्विसिज लीग, जम्मू	जे एंड के	1000000		1000000
30.	कलमाकरी सेन्टर पलोयूरा, जम्मू	जे एंड के	1500000		1405509
31.	वेल्ली वूमेन वेलफेयर सोसायटी, श्रीनगर	जे एंड के			800000
32.	कृषि ग्राम विकास केन्द्र	झारखंड			1600000
33.	ग्राम निर्माण मण्डल, नवादा	झारखंड			1200000
34.	वूमेन इन सोशल एक्शन, मिदनापुर	झारखंड	1000000		1600000
35.	कर्नाटक वालन्टरी हैल्थ एसोसिएशन	कर्नाटक	2500000		, 822250
36.	एस ओ एस वी ए, कर्नाटक	कर्नाटक	2500000	2500000	2500000
37.	सेट. जोनस मेडिकल कालेज, बंगलौर	कर्नाटक	1000000		1200000
38.	रिवेनसिद्धश्वेर प्रसन्ना एजूकेशन सोसायटी, बीदर	कर्नाकट	400000		
39.	फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, तिरूवनन्तपुरम	केरल		1500000	
40.	केरल वालेंटरी हैल्थ सर्विसिज, कोट्टायम	केरल	1000000		1000000
41.	सीएलईएआर, बिलासपुर	मध्य प्रदेश	1500000	2500000	
42.	सम्भव, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	1500000	1500000	499000
43.	सार्वजनिक, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	1500000	2500000	2500000
44.	संस्कार शिक्षा समिति	मध्य प्रदेश	1500000	1500000	
45	मध्य प्रदेश वी.एच., इन्दौर	मध्य प्रदेश		2000000	5000000
46.	एफपीएआई, मुम्बई (एमएनजीओ इन मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	2500000	2468000	
47.	सेवाधाम ट्रस्ट, पुणे	महाराष्ट्र	2000000	2500000	
48.	एसओएसवीए, पुणे	महाराष्ट्र	2500000	2500000	2500000

1	2	3	4	5	6
49.	परवारा मेडिकल ट्रस्ट, अहमदनगर	महाराष्ट्र	1500000	1500000	1406474
50.	गोदावरी फाउंडेशन, जलगांव	महाराष्ट्र	1000000		1000000
51.	लामडिंग चेरपुर होम्योपैथिक एंड यूनानी एसोसिएशन, थांन्डजिंग	मणिपुर		1200000	1600000
52.	फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इम्फाल	मणिपुर		1200000	1894052
53.	नागालैंड वीएचए	नागालैंड			1500000
54.	उड़ीसा वी. एच. ए., भुवनेश्वर	उड़ीसा	2000000	2500000	
55.	माई हार्ट, भुवनेश्वर	उड़ीसा	1000000	1000000	1000000
56.	आर्गनाइजेशन फार सोशल चेंज एंड रूरल डवलपमेंट (ओएससीएआरडी), भुवनेश्वर	उड़ीसा		1200000	
57.	आईएसडब्लयूएआर	उड़ीसा			400000
58.	एएसआरए	उड़ीसा			800000
59.	एनीमल वेलफेयर	उड़ीसा			800000
60.	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान	उड़ीसा			400000
61.	पीआरएकेएएलपीए	उड़ीसा			400000
62.	अंचालिका कुंजेश्वरी संस्कुरूतिका, पुरी	उड़ीसा	1000000		960000
63.	भोरूका चेरिटीबल ट्रस्ट, जयपुर	राजस्थान	2000000	1500000	
64.	यूआरएमयूएल, रूरल हैल्थ रिसर्च, बीकानेर	राजस्थान		2000000	
65.	राजस्थान वालेंटरी हैल्थ एसोसिएशन	राजस्थान	2000000	1500000	
66.	सिक्किम वीएचए	सिक्किम			1000000
67.	रूरल एजूकेशन एंड डिवलपमेंट सोसायटी, सिवागंगई	तमिलनाडु	2000000	2000000	2000000
68.	तमिलनाडु वालेंटरी हैल्थ एसोसिएशन, चेन्नई	तमिलनाडु	2500000	2500000	2500000
69.	गांधीग्राम इंस्टीटयूट ऑफ रूरल हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट, डिंडीगुल	तमिलनाडु	2500000	2500000	1779810
70.	दीपम एजूकेशनल सोसायटी फार हैल्थ (डीईएसएच), चेन्नई	तमिलनाडु		1000000	

1	2	3	4	5	6
71.	एफपीएआई, मदुरई	तमिलनाडु	1000000	965660	200000
72.	वीएचए आफ त्रिपुरा, अगरतल्ला	त्रिपुरा	1000000	1000000	1500000
73.	सीएआरटीई, गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश			1600000
74.	इंडियन इंस्टीट्यूट फार डिवलपमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	2000000	2500000	2465803
75.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	उत्तर प्रदेश		2500000	,,
76.	नौझिल इंटग्रेटिड रूरल प्रोजेक्ट फार हैल्थ एंड डवलपमेंट	उत्तर प्रदेश		2500000	,,
77.	वर्ल्ड वेलफेयर एंड रिसर्च सेंटर, गोंडा	उत्तर प्रदेश		1500000	,,
78.	एफपीएआई, लखनऊ	उत्तर प्रदेश			2500000
79.	यूपी वीएचए	उत्तर प्रदेश			1600000
80.	सीएआरटीई, गजियाबाद	उत्तर प्रदेश			1600000
81.	ईपीएआई, लखनऊ	उत्तर प्रदेश			2,500000
82.	हिमालयन इंस्टीट्यूट अस्पताल ट्रस्ट, देहरादून	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल		2500000	
83.	सीआईएनआई, कोलकात्ता	प.बंगाल	2500000	2500000	2500000
84.	गाना उन्न्यन परिषद, कोलकात्ता	प.बंगाल	1500000	1500000	1000000
85.	वैस्ट बंगाल वी. एच. ए., कोलकात्ता	प.बंगाल	2000000	2500000	250000

नवीनतम स्कीम

(रकम रुपये में)

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	डा. पाठक चाइलड एंड मदर वेलफेयर सोसाइटी	मध्य प्रदेश	502000	251000	251000
2.	डा. पाठक चाइलड एंड मदर वेलफेयर सोसाइटी	मध्य प्रदेश		800000	242000
3.	जैन स्वास्थ्य सहयोग	छत्तीसगढ़		2764000	1440538
4.	पापूलेशन फॉऊंडेशन ऑफ इंडिया	नई दिल्ली	1211100	816164	633120

1	2	3	4	5	6
5.	फैमली प्लानिंग एंड मेडिकल एड ट्रस्ट	महाराष्ट्र	700000		
6.	टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट	पश्चिम बंगाल		1491940	2187940
7.	सीआरआरआईडी	पश्चिम बंगाल	1285397	806303	1211670
8.	युवक प्रतिष्ठान	महाराष्ट्र			2000000
9.	वीएचएआई	नई दिल्ली			623500
10.	शान्तिगिरी आश्रम	केरल			2457872
11,	एसओएसवीए, पूणे	महाराष्ट्र			1332922
12.	वूमेन इन सोशल एक्शन	पश्चिम बंगाल			421100

लिंग संबंधी मुद्दों के लिए सहायता स्कीम

(रकम रुपए में)

क्रम स.	कार्यान्वयक गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000 के दौरान विमुक्त की गई निधियां	2000-2001 के दौरान विमुक्त की गई निधियां
1	2	3	4	5
1.	ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फार मदर एंड चाइल्ड, नई दिल्ली	दिल्ली	2624160	
2.	वालेन्टरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वी एच ए आई)	दिल्ली		800000
3.	मोबाइल क्रेच्स, नई दिल्ली	दिल्ली	1316102	
4.	इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, चंडीगढ़	चंडीगढ़	1444800	
5.	सेन्टर डाइरेक्ट, पटना	बिहार	818160	
6.	आर्गेनिसाटिन फॉर सोसियो इकोनामिक और रूरल डेवलपमेंट (ओएसईआरडी), पटना	बिहार	439530	
7.	दाऊद नगर डेवलपमेंट संस्थान, दाऊद नगर	बिहार	2153550	
8.	विसाखा जिला नावा निर्माण समिति, विशाखापत्तनम	आन्ध प्रदेश	808920	

1	2	3	4	5
9.	राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरूपति	आन्ध्र प्रदेश	1230600	
10.	स्व-सहयोग संस्था, चकसू	राजस्थान	405379	
11.	इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, जयपुर	राजस्थान	320198	320198
12.	लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउण्डेशन	राजस्थान		787500
13.	कन्सेरन्ड सिटीजन	राजस्थान		745642
14.	गाइल्ड ऑफ सर्विसेज (सेन्ट्रल), चेन्नई	तमिलनाडु	130536	
15.	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, वांगजिंग	मणिपुर	725828	
16.	कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, थोबल	मणिपुर	2190240	
17.	खुराई यंग ओमेन्स सोसियो कल्चरल आर्गेनाइजेशन	मणिपुर	747600	
18.	सेवाना, त्रिवेन्द्रम	केरल	174825	
19.	अन्वेसी ओमेन्स काऊंसलिंग सेन्टर, कोजीकोड	केरल	867384	
20.	डेवलपमेंट ऐक्सन थ्रू सेल्फ हेल्फ नेटवर्क (दर्शन)	केरल		297020
21.	जनानीथि	केरल		279524
22.	दीपक चैरिटेबल ट्रस्ट, बडोदरा	गुजरात	600000	790980
23.	पर्वतीय पर्यावरण संरक्षक समिति, पिथौरागढ़	उत्तर प्रदेश	495206	
24.	डब्ल्यू बी वी एच ए	पश्चिम बंगाल		942900
25.	यूथ एसोसिएशन फॉर रूरल रिकांसट्रक्शन	उड़ीसा		680400

भारतीय चिकित्सा पद्धति के अधीन बिन्दु क और ख के लिए सूचना

क्र.सं.	संस्था का नाम	विमुक्त की गई रकम		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	मैसर्ज वरूण हर्बलस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, ए.पी.	-	-	35,88,300

1	2	3	4	5
2.	मैसर्ज रामा ईश चेरीटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली	6,02,485	-	-
3.	मैसर्ज पब्लिक हैल्थ सोसाइटी, सांपला, रोहतक, हरियाणा	-	-	1,76,200
4.	हैल्थ नैच्युरीली आर एण्ड डी इन्स्टिट्यूट, मुम्बई	-	-	8,89,000
5.	मैसर्ज भाऊ साहब भुस्कुट, स्मर्टी, हौसंगाबाद, एम.पी.	-	3,00,000	1,55,000
6.	सोसाइटी फॉर डेवलपमेन्ट ऑफ ह्यूनिटी [शोध] जबलपुर, एम.पी.	-	-	10,00,000
7.	गॉधीग्राम ट्रस्ट, दिन्दिगुल, तमिलनाडु	-	-	6,21,000
8.	मैसर्ज सेन्टर फॉर इन्डियन मेडिकल हेरिटेज (सीआईएमएच)कोयम्बटूर, टी.एन.	-	5,00,000	-
9.	मैसर्ज उत्तन सेन्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट एण्ड पावरटी एलेविऐशन, इलाहाबाद, यू.पी.	18,20,900	15,93,000	16,48,550
10.	मैसर्ज जीवनिया सोसाइटी, लखनऊ, यू.पी.	-	3,00,000	3,00,000
11.	सेन्ट्रल हिमालयन एनवायरमेन्टल रिसर्च (एसएचईआर), देहरादून, यू.पी.	-	-	6,00,000

आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अधीन बिन्दु क और ख के लिए सूचना

क्र.सं.	संस्थान का नाम	विमुक्त की गई रकम		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	सेन्टर फॉर मीडिया स्टडीज, नई दिल्ली	1,38,230	2,76,460	2,76,460
2.	परिवार सेवा संस्था, सी-374, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली	11,13,000	-	-
3.	दलाल कन्सल्टेन्ट्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, नई दिल्ली	3,50,000	-	-
4.	इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यूनिवर्सिटी इन्कलेव, दिल्ली-7	4,25,000	-	-
5.	परिवार सेवा संस्था, सी-374, डिफैन्स कालोनी, नई दिल्ली	-	16,00,000	-
6.	सेन्टर फॉर मीडिया स्टडीज, नई दिल्ली	-	1,56,975	1,56,975

1	2	3	4	5
7.	न्यूट्रीसन फाऊन्डेशन ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली	-	-	12,00,000+ 2,50,000 फॉर टास्क फोर्स
8.	न्यूट्रीशियन फाउन्डेशन ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली	-	-	10,00,000
9.	सरवाइवल फॉर वीमिन एण्ड चिल्ड्रेन फाउन्डेशन, पंचकुला, हरियाणा	5,00,000	4,00,000	-
10.	एस एन एस फाउन्डेशन ऑफ गुडगांवा, हरियाणा	-	-	5,00,000
11.	चाइल्ड इन नीड इन्स्टिट्यूट, कोलकता पश्चिम बंगाल	-	1,74,240	1,16,160
12.	प्रेजिडेन्सी कॉलेज, कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल।	-	-	7,46,060

सूचना शिक्षा संचार कार्यकलाप

संगठन	राज्य	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1. इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरिएन्स ऑन पापूलेशन एंड डेवेलपमेंट	दिल्ली		17,29,250	26,00,000
2. प्रैस इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया	दिल्ली			22,32,000
3. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन	बिहार			2,35,000
4. वोलेंटरी हैल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया	दिल्ली			2,24,500
5. प्रोग्राम फॉर इथीकल एकेडमीक एंड कलचरल इंटरप्राइसिस (पीईएसीई)	उत्तर प्रदेश			10,00,000

सहायक नर्सधात्री/लेडी हैल्थ विजिटर स्कीम और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र स्कीम

संगठन		राज्य	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1.	गांधीग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल हैल्थ एंड एफ डब्ल्यू ट्रस्ट	तमिलनाडु	49,50,000	81,80,000	175,00,000

प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकें

संगठन		राज्य	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1.	वालेंटरी हैल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया	नई दिल्ली		12,00,000	-
2.	वोलेंटरी हैल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया	उड़ीसा		3,60,000	-

दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम

	संगठन	राज्य	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1.	टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट	कोलकात्ता		25,02,000	-
2.	ममता हैल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड	दिल्ली		2,54,000	-

कोल्ड चेन और वैक्सीन सेक्शन

संगठन		राज्य	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1.	न्यू नेटल फोरम	नई दिल्ली			1,50,000
2.	न्यू नेटल फोरम	नई दिल्ली			2,00,000
3.	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज	नई दिल्ली			75.000
4.	इंडियन सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ रिपरोडक्शन एंड फरटीलिटी	मुम्बई			2,00,000
5.	सोसाइटी फॉर वूमैन एंड चिलड्रन हैल्थ	चंडीगढ़		23,20,000	5,84,160

विवरण-2

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	योजना, राशि और वर्ष	आरोप	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	ग्रामीण विकास संस्थान, भरतपुर, राजस्थान	मूल गैर सरकारी संगठन योजना 15,00,000 (1998) मूल एकक योजना के अधीन पहले विमुक्त की गई	भारत सरकार . को रिपोर्ट छलपूर्ण ढंग से सौंपना	राज्य सरकार के सहयोग से गैर सरकारी संगठन से 15.00 लाख रुपए की राशि

1	2	3	4	5
		9,54,770/- रुपए की खर्च न की जा सकी राशि को समायोजित करने के पश्चात् केवल 5,45,230/-रुपए विमुक्त किए गए		की वसूली हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
2.	नैशनल एजूकेशनल माइनोरिटिज सोसायटी गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश	मूल गैर-सरकारी संगठन योजना 8,00,000 (1999)	निधियों का दुरुपयोग	गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में डाल दिया गया है। सहायता अनुदान की वसूली हेतु गुन्टूर के जिला मजिस्ट्रेट से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।
3.	इंडियन एसोसिएशन आफ विमन एण्ड चाइल्ड रिसर्च, लखनऊ	मूल गैर-सरकारी संगठन योजना 15.00 लाख रुपए (1999)	निधियों का दुरुपयोग	व्यय विवरण में अनियमितताएं पाए जाने के पश्चात् गैर सरकारी संगठन को काली सूची में डाल दिया गया है।
4.	अल्पसंख्यक महिला प्रशिक्षण संस्थान, पटना	पूरानी योजना 4.24 लाख रुपए (1997)	निधियों का दुरुपयोग और जाली दस्तावेज	कारण बताओ नोटिस दिया गया है और गोड्डा के जिला मजिस्ट्रेट ने गैर सरकारी संगठन के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है।
5.	सेंटर फार लेबर एजुकेशन एण्ड सोसल रिसर्च, दिल्ली	मूल गैर-सरकारी संगठन योजना 15.00 लाख रुपए (1998) 25.00 लाख रुपए (2000)	फिल्ड गैर-सरकारी संगठनों को निधियों का अनुचित वितरण	मामले की जांच की जा रही है।
6.	रेवानासिद्धेश्वर प्रसन्ना एजुकेशन ट्रस्ट, बीदर	मूल गैर-सरकारी संगठन योजना 4.00 लाख रुपए (1999)	फिल्ड गैर सरकारी संगठनों को निधियों का अनुचित वितरण	काली सूची में डाल दिया गया।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

464. श्री ए. कृष्णास्वामी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में, विशेषकर श्रीपेरूम्बुदुर में टेलीफोन कनेक्शन हेतु कोई प्रतीक्षा सूची है;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये कनेक्शन कब तक जारी कर दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य में प्रतीक्षा सूची में 1,24,606 और श्रीपेरूम्बुदुर में 114 आवेदक हैं। तमिलनाडु में प्रतीक्षा सूची के जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मार्च, 2002 तक कनैक्शन दे दिए जाएंगे। 2002-2003 के दौरान तकनीकी तौर पर अव्यवहार्य मामलों में डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कनेक्शन दे दिए जाएंगे।

विवरण

तमिलनाडु राज्य में प्रतीक्षा सूची के जिलेवार ब्यौरे

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अरियलूर	415
2.	कोयम्बटूर	21859
3.	कुड्डालोर	4088
4.	धर्मापुरी	2631
5.	डिन्डीगल	2942
6.	इरोड	865
7.	कांचीपुरम	8777
8.	कन्याकुमारी	7882
9.	करूर	1702
10.	मदुरै	1853
11.	नागापट्टीनम्	2326
12.	नामक्कल	2490
13.	पेराम्बलूर	1825
14.	पुडुकोटई	3077
15.	रामनाथपुरम	2234
16.	सलेम	2622
17.	शिवगंगा	1604
18.	तन्जावुर	3220
19.	नीलगिरि	2832
20.	थेनी	761
21.	तिरूवरूर	1774
22.	तिरूनलवेली	778
23.	तिरूवन्नामलाई	5062
24.	तिरूवेलौर	4835
25.	त्रिची	2201
26.	टूटीकोरिन	1261
27.	वेलौर	9775
28.	विल्लुपुरम	3347
29.	विरूधुनगर	3684
30.	चेन्नई	15875
	कुल	1,24,606

होम्योपैथिक औषधालय

465. श्री टी. गोविन्दन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में काफी संख्या में होम्योपैथिक चिकित्सक उपलब्ध हैं और एलोपैथिक औषधालयों की तुलना में होम्योपैथिक औषधालय/

अस्पताल बहुत कम हैं, देश में औषधालय/अस्पताल शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) होमियोपैथिक औषधालय/अस्पताल खोलना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है और वे क्षेत्र की जनता की महसूस की गई आवश्यकताओं और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं।

टेलीफोन एक्सचेंज

466. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में और डिजटल ट्रंक ऑटोमैटिक एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान में स्थान-वार ऐसे कितने एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं; और

(घ) राजस्थान के उपभोक्ताओं को इससे किस सीमा तक लाभ होने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, परियात के अनुसार, जहां कहीं औचित्य हो, 2001-2002 के दौरान मौजूदा ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंजों के विस्तार की योजना है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राजस्थान के मौजूदा ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंजों के विस्तार से वहां की एसटीडी/आईएसडी-कालों की दक्षता में और सुधार होगा।

विवरण

31.10.2001 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में कार्यरत ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंजों की स्टेशन-वार संख्या संबंधी ब्यौरे

क्र.सं.	अवस्थिति	क्षमता(किलो सर्किटों में)	2001-2002 के दौरान अनंतिम विस्तार योजना (किलो सर्किट में)
1	2	3	4
1.	अजमेर	6.0	5.0
2.	अलवर	5.0	1.0
3.	बांसवाड़ा	3.0	–
4.	बाड़मेर	1.5	2.5
5.	भरतपुर	3.5	–
6.	भीलवाड़ा	4.0	–
7.	बीकानेर	5.0	–
8.	बूंदी	1.0	–
9.	चित्तौड़गढ़	2.0	2.5
10.	चुरू	3.0	0.5
11.	जयपुर*	40.0	–
12.	जैसलमेर	1.0	0.5

1	2	3	4
13.	झालावाड़	1.0	1.0
14.	झुनझुनु	3.0	1.0
15.	जोधपुर	9.0	2.0
16.	कोटा	6.0	3.0
17.	नागौर	3.0	1.0
18.	पाली	5.0	-
19.	सवाई माधोपुर	3.0	3.5
20.	सीकर	4.0	2.0
21.	सिरोही	3.0	-
22.	एस.जी.नगर	9.0	-
23.	टोंक	2.0	2.0
24.	उदयपुर	7.0	-

*40 किलो सर्किटों की कुल क्षमता सहित तीन ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज जयपुर में कार्यरत हैं। अन्य सभी स्थानों पर केवल एक ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले

467. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले के सम्बन्ध में विभिन्न देशों को अपना रुख स्पष्ट कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को रुख स्पष्ट किया गया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी हां। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद द्वारा 1 अक्तूबर को जम्मू और कश्मीर विधान सभा पर और 22 अक्तूबर को अवन्तिपुरा एअरफोर्स केन्द्र पर हुए आतंकवादी हमलों जैसी घटनाएं भारत में जम्मू और कश्मीर और अन्य स्थानों पर सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन की सच्चाई को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष और भी स्पष्ट करती हैं।

सरकार भारत में सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन से संबंधित तथ्यों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने समुचित और प्रभावी ढंग से ला रही है। यह मामला विदेशी नेताओं के साथ अनेक उच्च-स्तरीय बातचीत के दौरान भी उठाया गया है। अब अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि आतंकवाद जहां कहीं भी हो, उसका उन्मूलन किया जाना चाहिए और आतंकवाद को किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है।

सरकार ने यह बात दोहराई है कि भारत के पास आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इसे पूरी तरह से कुचलने तक के लिए संकल्प, शक्ति और क्षमता है और सरकार देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

कृषि और ग्रामीण उद्योगों हेतु योजनाएं

468. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में कृषि और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी मुख्य केन्द्रीय योजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं और इन योजनाओं को किस प्रकार धन उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) महाराष्ट्र सहित किन-किन राज्य सरकारों ने इन योजनाओं को अंगीकार किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कृषि और ग्रामीण उद्योगों को और बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) सरकार, कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों सहित खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए सभी राज्यों में ग्रामीण रोज़गार उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है इस स्कीम के अन्तर्गत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में दिया जाता है। 10 लाख रु. से अधिक एवं 25 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए मार्जिन मनी की दर 10 लाख रु. तक का 25 प्रतिशत तथा परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत है। कमजोर श्रेणियों के लिए 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर पर मार्जिन मनी दी जाती है, जबकि शेष राशि (25 लाख रु. तक) के लिए यह 10 प्रतिशत पर दी जाती है।

(ख) महाराष्ट्र सहित सभी राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है।

(ग) और (घ) खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास एवं संवर्धन के लिए भारत सरकार ने 14.5.2001 को एक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज की मुख्य बातों में पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट एवं विपणन विकास सहायता का विकल्प, खादी शिल्पियों के लिए बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादनों के सुधार पर बल दिया जाना, पैकेजिंग एवं डिजाइन सुविधाओं का सृजन करना, विपणन, ब्रांड बिल्डिंग, कलस्टर विकास आदि के उपाय करना शामिल है। जहां तक प्रोत्साहनों का संबंध है, बैंकों के माध्यम से उधारकर्ताओं को मार्जिन मनी के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है, तथापि इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक खतरे के बारे में चेतावनी

469. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एसोसिएशन ऑफ आकूपेशन हैल्थ द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग ले रहे विदेशी विशेषज्ञों ने औद्योगिक देशों की तरह भारत के समक्ष आने वाले संकट के बारे में चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यापक कानून बनाने का है और वैज्ञानिकों द्वारा दी गई राय को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) अध्यक्ष, भारतीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संघ ने सूचित किया है कि उक्त संघ ने फरवरी, 2002 में होने वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधी 52वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए अपने प्रत्याशित विदेशी प्रतिनिधियों को व्यावसायिक खतरे की कोई जानकारी परिचालित नहीं की है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

झारखण्ड में टेलीफोन सुविधा

470. श्री राम टहल चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि झारखंड में रांची क्षेत्र में कार्य कर रहे ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कम है और वे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय गांवों में कुल कितने ग्रामीण टेलीफोन कार्य कर रहे हैं; और

(घ) आज तक कुल कितने टेलीफोन हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार रांची एसएसए के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 7405 टेलीफोन कार्य कर रहे हैं।

(घ) रांची एसएसए में 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार कुल 80117 टेलीफोन कार्य कर रहे हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि योजना

471. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
प्रो. दुखा भगत:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री आर. एस. पाटिल:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार केन्द्रीय सड़क निधि योजना से राज्यों को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इस निधि से राज्य-वार राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारों द्वारा इस धनराशि को राज्य राजमार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों को बनाने पर खर्च किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने और शुरू की गई परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि से शुरू किए गए निर्माण कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को जारी की गई धनराशि, राज्यीय राजमार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए होती है। इसलिए राज्यों द्वारा इस धनराशि का व्यय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विधिवत् स्वीकृत राज्यीय राजमार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों से संबंधित स्कीमों पर ही किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय सड़क निधि से अगली धनराशि पहले जारी की गई धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने और केन्द्रीय सड़क निधि के तहत स्वीकृत स्कीमों की निष्पादन और वित्तीय प्रगति प्राप्त होने के बाद ही जारी की जाती है।

विवरण-1

गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	1988-2000	1999-2000	2000-2001	
				पुरानी	नवीकृत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	261.31	223.90	1000	2720
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	78.89	0	371.00
3.	असम	34.43	26.52	0	503.00
4.	बिहार	2.31	0	0	856.00
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	768.00
6.	दिल्ली	26.25	0	0	1068.34
7.	गोवा	2.09	0	0	131.00

1	2	3	4	5	6
8.	गुजरात	613.91	304.99	0	2336.00
9.	हरियाणा	33.12	0	0	1047.00
10.	हिमाचल प्रदेश	6.49	0	0	348.00
11.	जम्मू और कश्मीर	1.52	0	0	1028.00
12.	झारखंड	0	0	0	607.00
13.	कर्नाटक	245.67	16.01	232.5	1917.00
14.	केरल	187.04	12.19	0	923.00
15.	मध्य प्रदेश	25.27	287.02	0	2084.00
16.	महाराष्ट्र	15.8	261.14	0	3627.00
17.	मणिपुर	3.11	26.24	0	111.00
18.	मेघालय	55.26	8.11	0	149.00
19.	मिजोरम	5.32	3.94	0	202.00
20.	नगालैंड	32.17	4.92	0	85.00
21.	उड़ीसा	155.75	16.14	0	970.00
22.	पंजाब	192.81	12.56	0	1433.00
23.	राजस्थान	127.46	138.02	128.25	2527.00
24.	सिक्किम	0	14.56	1.97	37.00
25.	तमिलनाडु	401.39	130.54	0	2234.00
26.	त्रिपुरा	19.39	3.94	3.44	64.00
27.	उत्तर प्रदेश	285.21	264.27	256.01	2932.00
28.	उत्तरांचल	0	0	0.00	367.00
29.	पश्चिम बंगाल	132.17	95.10	87.95	1191.00
	जोड़	2925.02	1929	1710.12	32737.34

विवरण 2

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के ब्यौरे

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	कार्यों की संख्या	स्वीकृत लागत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	58	25294.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	6	2249.00
3.	असम	34	3280.00
4.	बिहार	31	5720.00
5.	छत्तीसगढ़	15	6646.00

1	2	3	4
6.	दिल्ली	2	1042.00
7.	गोवा	4	761.00
8.	गुजरात	222	9944.00
9.	हरियाणा	35	7137
10.	हिमाचल प्रदेश	7	1922
11.	जम्मू और कश्मीर	25	7837
12.	झारखंड	5	2675.24
13.	कर्नाटक	35	5034.00
14.	केरल	3	2190.00
15.	मध्य प्रदेश	39	14163.00
16.	महाराष्ट्र	57	21678.00
17.	मणिपुर	5	597
18.	मेघालय	10	14499.00
19.	मिजोरम	5	600.00
20.	नगालैंड	3	472.00
21.	उड़ीसा	3	871
22.	पंजाब	74	13594
23.	राजस्थान	109	14734
24.	सिक्किम	8	191
25.	तमिलनाडु	255	15550.00
26.	त्रिपुरा	2	354
27.	उत्तर प्रदेश	21	16810.08
28.	उत्तरांचल	12	1245.59
29.	पश्चिम बंगाल	8	8197.54
	जोड़	1095	205648.45

[अनुवाद]

कोचीन में कंटेनर टर्मिनल

472. श्री वी. एम. सुधीरन: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन में वल्लारपदम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में कराए गए अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां।

(ख) और (ग) अध्ययन के अनुसार यह परियोजना व्यवहार्य पाई गई है। निजी क्षेत्र की सहभागिता के जरिए कंटेनर टर्मिनल स्थापित करने हेतु कदम उठाए गए हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम में कमियां

473. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल ही के निर्णय में मत व्यक्त किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की श्रेणी में नहीं आएगा;

(ख) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29 अगस्त, 2001 के अपने हाल के निर्णय में बताया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 3 (घ) के प्रयोजनों के लिए 'कानून द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय' की श्रेणी में नहीं आएगा जो विश्वविद्यालय को भारतीय दंत चिकित्सा परिषद में नामित व्यक्ति को भेजने का अधिकार देता है। तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 23 और धारा 24 के अनुसार यह संस्थान स्वयं की मेडिकल डिग्रियां और अन्य शैक्षणिक उपाधियां प्रदान करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान द्वारा प्रदान की गई मेडिकल डिग्रियां और डिप्लोमा भारतीय आयुर्विज्ञान

परिषद् अधिनियम के प्रयोजन हेतु चिकित्सा अर्हताओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं और ये उस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल हुई समझी जाती हैं।

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड का कार्य-निष्पादन

474. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड का एकक-वार लाभ कितना है;

(ख) क्या चवारा आई. आर. ई. योजना के विस्तार और विविधिकरण का कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत वर्ष के दौरान खनन क्षेत्र में चवारा आई. आर. ई. एकक द्वारा किए गए कल्याण उपायों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) पिछले तीन वर्षों में, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई. आर. ई. एल.) जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, के मुंबई स्थित इसके प्रधान कार्यालय और चवारा, मानवलाकुरिचि, आल्वे और उड़ीसा रेत सम्मिश्र (आस्कॉम) स्थित यूनिटों में हुए लाभ/हानि का ब्यौरा यूनिट-वार नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए)

यूनिट	कर से पूर्व लाभ		
	2000-2001	1999-2000	1998-1999
चवारा (केरल)	2701	3969	3517
मानवलाकुरिचि (तमिलनाडु)	1442	32	401
विरल मृदा प्रभाग, आल्वे (केरल)	20	*(842)	*(707)
उड़ीसा रेत सम्मिश्र (ऑस्कॉम) (उड़ीसा)	536	*(951)	*(2242)
मुख्यालय (मुंबई) व्यय	105	140	*(33)
कुल	4804	2348	936

*कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े हानि से संबंधित हैं।

(ख) और (ग) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड का प्रस्ताव दसवीं योजना के दौरान अपने चवारा संयंत्र की उत्पादन क्षमता को दो चरणों में बढ़ाने का है। पहले चरण में, इल्मेनाइट और अन्य सम्बद्ध खनिजों के उत्पादन के 1,54,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 2,00,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है। यह कार्य मार्च, 2004 तक 46 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में इल्मेनाइट और अन्य सम्बद्ध खनिजों की उत्पादन क्षमता को 2,75,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष तक और बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह कार्य मार्च, 2007 तक 40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा।

(घ) पिछले वर्ष के दौरान, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के चवारा यूनिट द्वारा खनन क्षेत्र में निम्नलिखित कल्याणकारी कार्य किए गए:

1. पणिक्करकडावु पुल की मरम्मत।
2. पुनर्वास कालोनी/खनन क्षेत्र को जाने वाली सड़क की मरम्मत और निर्माण।
3. पुनर्वास क्षेत्र में बिजली का कनैक्शन।
4. पुनर्वास कालोनी में जल की आपूर्ति।
5. पुनर्वास कालोनी में जल-निकास की सुविधा और खनन क्षेत्र में अन्य जन-स्वास्थ्य कार्य।
6. पुनर्वास कालोनी में आवासीय भवनों की मरम्मत।
7. खनन क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में कुर्सियों, पुस्तकों आदि की लागत।

8. खनन क्षेत्र में नेत्र-चिकित्सा शिविर।

9. खनन-क्षेत्र कल्याण बोर्ड में अंशदान।

सी.जी.एच.एस. औषधालय

475. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने औषधालय हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश में सी.जी.एच.एस. के कितने औषधालय हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश में सी.जी.एच.एस. के कितने लाभार्थी हैं;

(घ) सी. जी. एच. एस. लाभार्थी के किए कितने अनुमोदित अस्पताल हैं;

(ङ) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में और सी. जी. एच. एस. औषधालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इनके स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर): (क) देश भर में एलोपैथिक और भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अधीन 320 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय/एकक हैं।

(ख) बीस।

(ग) आंध्र प्रदेश में 3,94,547 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी हैं।

(घ) सरकारी अस्पतालों के अलावा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) के अधीन मान्यता प्राप्त 23 प्राइवेट अस्पताल हैं जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी उपचार करवा सकते हैं।

(ङ) और (च) यद्यपि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा शहरों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, फिर भी इस समय इन शहरों में कार्मिक शक्ति और संसाधनों की तंगी को देखते हुए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना संभव नहीं होगा।

यूनानी औषधियां

476. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूनानी औषधियों की खरीद सलाहकार समिति और जांच समिति के सदस्यों की नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी चिकित्सा अधिकारी को खरीद सलाहकार समिति और निरीक्षण समिति दोनों का सदस्य बनने दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर): (क) क्रय सलाहकार समिति/निरीक्षण समिति (यूनानी) के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। तथापि, प्रचलित परम्परा के अनुसार समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय/एककों के वरिष्ठतम प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी को इन समितियों के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर 'ख' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ऋण माफ करना

477. श्री सुबोध मोहिते: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारती ग्रुप की बकाया धनराशि को माफ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारती ग्रुप पर बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को बकाया धनराशि को माफ करने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पहले भारती समूह की एक कम्पनी मैसर्स भारती मोबाइल लिमिटेड (पुराना नाम जे टी मोबाइल लिमिटेड) के पंजाब सर्किल के समाप्त सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस के सम्बन्ध में बकाया देय राशि थी। तथापि, मैसर्स भारती मोबाइल को दिनांक 19.09.2001 के पत्र के अंतर्गत लाइसेंस को बहाल करने और साथ-साथ नयी दूरसंचार नीति-1999 प्रणाली में माइग्रेशन का एक पैकेज पेश किया गया बशर्ते कि माइग्रेशन पैकेज के अनुसार देय राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया जाए। इसके पश्चात् कम्पनी ने 491 करोड़ रुपये (लगभग) के माइग्रेशन पैकेज के अनुसार देय पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया है और उच्च न्यायालय में लंबित कानूनी मामलों की वापसी आदि जैसे माइग्रेशन पैकेज की अन्य शर्तों को पूरा कर लिया है और इस तरह 25.9.2001 को लाइसेंस बहाल किया गया। लाइसेंस करार के विवाचन खंड के अनुसार, कम्पनी द्वारा लगभग 23 महीनों (18.4.1996 से 10.3.1998 के बीच) के लिए लाइसेंस शुल्क की देय राशि की भुगतान योग्यता के बारे में उठाये गये विवाद के समाधान के लिए एकमात्र विवाचक नियुक्त किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) चूंकि देय राशि छोड़ी नहीं गयी है, इसलिए इन अभ्यावेदनों पर कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

भारतीय मूल के लोगों पर अत्याचार

478. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शाही परिवार की हत्या के पश्चात् बदली हुई परिस्थितियों में सरकार ने नेपाल में रह रहे राजस्थानी विशेषकर शेखावटी क्षेत्र के लोगों से फिरौती की मांग, अपहरण और धन ऐंठने जैसे बढ़ते अत्याचारों के संबंध में नेपाल सरकार के साथ मामला उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) नेपाल में उग्रवादी तत्वों द्वारा व्यवसाय समुदाय जिनमें भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं, का अपहरण, लूट-पाट और उनको डराना-धमकाना जारी है। तथापि, हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिसमें किसी विशिष्ट समूह अथवा समुदाय को लक्ष्य बनाया गया हो।

वैज्ञानिकों की सेवा शर्तें

479. श्रीमती प्रेनीत कौर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 31 अगस्त, 2001 तक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी.) के कितने वैज्ञानिकों ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया अथवा आत्महत्या कर ली और इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा इन वैज्ञानिकों के साथ हुए अन्याय के कितने मामले सरकार के ध्यान में लाये गए; और

(ग) वैज्ञानिकों की सेवा शर्तों को बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि वे भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी.) को छोड़कर न जाएं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के 107 वैज्ञानिकों ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया है। अधिकांश मामलों में वैज्ञानिकों ने अपना त्यागपत्र देने का कारण "व्यक्तिगत/पारिवारिक समस्या" बताया था। तथापि, कुछेक मामलों में वैज्ञानिकों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए त्यागपत्र दिया है। उक्त अवधि के दौरान, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के एक वैज्ञानिक ने दुर्भाग्यवश आत्महत्या की।

(ख) इस संबंध में कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनके बारे में विभाग ने शिकायत-कर्त्ताओं को यह स्पष्ट करते हुए कि कोई अन्याय नहीं किया गया है, संतोषजनक उत्तर दे दिया था।

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का प्रयास वैज्ञानिकों को यथासंभव सबसे अच्छी सेवा शर्तें मुहैया कराने का रहता है और यहां उन्हें काम करने के लिए बहुत ही प्रेरक वातावरण उपलब्ध है।

परस्पर विधिक सहायता संधि

480. श्री राम मोहन गाइडे:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और अमरीका के बीच परस्पर विधिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो संधि के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह संधि देश के लिए किस तरह उपयोगी है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी भारत और अमरीका की सरकारों के बीच संधि पर 17 अक्तूबर, 2001 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) इस संधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) इस संधि का उद्देश्य आपराधिक मामलों में सहयोग तथा परस्पर विधिक सहायता के जरिए आतंकवाद, स्वापकों के अवैध व्यापार, आर्थिक अपराधों और संगठित अपराध सहित अनुसंधान, अभियोजन, रोकथाम और अपराधों के दमन में दोनों देशों के विधि प्रर्वतन प्राधिकारियों की प्रभावकारिता का संवर्धन करना है।

(2) अनुरोध प्राप्त कर्त्ता राज्य की विधि के अनुसार व्यक्तियों का साक्ष्य लेना, दस्तावेज/अभिलेख/साक्ष्य वस्तुएं प्रदान करने सहित सहायता।

(3) सहायता उस स्थिति में मुहैया कराई जा सकती है, जब कि अनुरोध प्राप्तकर्त्ता राज्य की विधियों के तहत प्रश्नगत आचरण कोई अपराध नहीं बनता हो।

(ग) जबकि भारत और अमरीका विगत में आपराधिक और आंतकवाद से संबंधित अपराधों के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग करते रहे हैं, यह संधि एक अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विधिक आधार और इस प्रकार के अपराधों के अनुसंधान, अभियोजन रोकथाम और दमन के संबंध में सहायता के प्रावधान संबंधी अभिबृद्ध क्रिया-विधिक तंत्र प्रदान करती है। यह संधि भारत-अमरीका विधि प्रर्वत्तन और आतंकवाद रोधी सहयोग में एक अगले महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्त्व करती है।

विजयवाड़ा में पारपत्र कार्यालय की स्थापना

481. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पारपत्र कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यहां क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी; और

(ग) उक्त पारपत्र कार्यालय में कब तक कार्य आरंभ हो जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी नहीं। विजयवाड़ा में पहले से ही एक पासपोर्ट आवेदन संग्रहण केन्द्र है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गरूड़ सेल्यूलर योजना का शुरू किया जाना

482. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने कुछ नगरों में "गरूड़" सेल्यूलर योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना में अब तक किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या यह योजना पहले से परिचालित निजी कंपनियों की सेल्यूलर फोन योजना के तुलनीय है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने 22.10.2001 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में "गरूड़" फोन सेवा शुरू की है।

(ग) "गरूड़" सीमित मोबिलिटी से युक्त एक बुनियादी टेलीफोन सेवा है जो दिल्ली टेलीफोन्स के सेवा क्षेत्र में प्रचालनीय है जबकि एमटीएनएल की डॉल्फिन सेवा सहित सेल्यूलर सेवा प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए टेलीफोन को रोमिंग सुविधा प्राप्त उपभोक्ताओं द्वारा भारत में कहीं भी और विदेश में भी ले जाया जा सकता है। अत: इन दोनों टेलीफोन सेवाओं की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एल. टी. सी. पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाना

483. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एल. टी. सी.) पर लगे प्रतिबंध हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक हटा दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) यह मसला विचाराधीन है।

यूरेनियम का भंडार

484. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में यूरेनियम का भंडार मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त भंडार की वास्तविक जांच हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में यूरेनियम के होने का पता लगाने के लिए अनुकूल भू-वैज्ञानिक परिस्थितियां विद्यमान हैं।

(ख) से (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीनस्थ एक यूनिट परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने 1980 के और 1990 के दशकों में इस जिले के विभिन्न हिस्सों में आवीक्षी सर्वेक्षण और विस्तृत सर्वेक्षण किए थे। इस सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप कुछेक ही पृष्ठीय यूरेनियम विसंगतियों का पता चल पाया था। चूंकि इनके परिणाम उत्साहवर्धक नहीं थे, अत: आगे कोई और अध्ययन नहीं किए गए।

प्रत्यर्पण संधि

485. श्री किरीट सोमैया:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गये हैं;

(ख) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक देश-वार कितने अपराधियों को प्रत्यर्पित किया गया है;

(ग) भारत और अन्य देशों के बीच प्रत्यर्पण के कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका, नेपाल, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, स्विटजरलैंड, कनाडा, रूस, बेल्जियम, हांगकांग और नीदरलैंडस के साथ प्रत्यर्पण संधियां सम्पन्न की गई और प्रचालन में हैं।

(ख) गत वर्ष के दौरान, भारत सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका से दो अपराधी भेजे गए और यूनाइटेड किंगडम से एक अपराधी भेजा गया। गत वर्ष के दौरान भारत से कोई अपराधी नहीं भेजा गया। इस वर्ष अभी तक भारत से या किसी विदेश से भारत को कोई अपराधी प्रत्यावर्तित नहीं किया गया।

(ग) (1) विदेशी सरकारों से प्राप्त 52 प्रत्यर्पण अनुरोधों पर कार्रवाई की जा रही है;

(2) भारत द्वारा भेजे गए 11 प्रत्यर्पण अनुरोध के मामले विभिन्न देशों के पास लम्बित हैं।

(घ) प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर करते हुए, एक संविदाकारी राज्य द्वारा दूसरे राज्य से मांगे गए भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। जब अनुरोधकर्त्ता राज्य प्रत्यर्पण अनुरोधों का अनुसरण करता है; तब वास्तविक प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगता है क्योंकि मांगे गए व्यक्ति के लिए प्रार्थित राज्य के घरेलू कानूनों के अन्तर्गत उपलब्ध विधिक रास्तों का आश्रय लेने के कारण प्रत्यर्पण में देरी हो जाती है।

[अनुवाद]

पी.एस.एल.वी.-सी. 3 का प्रक्षेपण

486. श्री वाई. वी. राव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि हाल ही में पी.एस.एल.वी.-सी. 3 का प्रक्षेपण किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या उपग्रह का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया;

(ग) उपग्रह के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इससे किस तरह से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के सुदृढ़ होने की संभावना हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। भारत ने हाल ही में किए गए प्रक्षेपण ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट-सी 3 (पी.एस.एल.वी.-सी. 3) द्वारा प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह (टी.ई.एस.) का सफलतापूर्वक प्रमोचन किया है। इसने दो लघु उपग्रहों, बेल्जियम के प्रोबा ओर जर्मनी के बर्ड को भी निर्धारित कक्षा में प्रमोचित किया है।

(ग) प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह (टी.ई.एस.) के प्रमुख उद्देश्यों में भावी संवर्धित क्षमता वाले मिशनों के लिए इन प्रौद्योगिकियों के कक्षीय निरूपण और उनको वैधीकरण प्रदान करने के लिए क्रांतिक प्रौद्योगिकियों के एक सैट का विकास एवं जांच करना, तथा चरणबद्ध स्पष्ट युक्तिचालनों जैसे जटिल मिशन प्रचालनों को संचालित करने में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना भी था। प्रोबा उन्नत प्रौद्योगिकियों और सुदूर संवेदन उपयोगों का परीक्षण करने हेतु निर्मित एक लघु उपग्रह है, जबकि बर्ड उपग्रह जंगल की आग और ज्वालामुखियों जैसे तप्त स्थलों का पता लगाने के लिए निर्मित किया गया है।

(घ) प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह (टी.ई.एस.) भावी संवर्धित मिशनों के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की जांच करने हेतु आवश्यक प्लेटफार्म प्रदान करता है और इस प्रकार यह प्रौद्योगिकी, तकनीक एवं उनके उपयोग दोनों में भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की क्षमताओं को सुदृढ़ करता है। इस सफल मिशन ने पी.एस.एल.वी. की विश्वसनीयता और बहुमुखी उपयोग को भी निरूपित किया है।

उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय

487. श्री सिमरनजीत सिंह मान: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ''उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय'' पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय कानूनी उपबंधों में उत्पीड़न संबंधी अभिसमय के प्रावधानों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) भारत ने उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर 14 अक्तूबर, 1997 को हस्ताक्षर किए थे। अभिसमय के अनुसमर्थन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में भारतीय कानूनों में अभिसमय से संबंधित उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करने के भी प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

488. श्री रामसागर रावत:
श्री राममूर्ती सिंह वर्मा:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में जनवरी, 2000 से जून, 2001 तक टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनमें से कितने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया गया; और

(ग) शेष आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) देश में जनवरी, 2000 से जून, 2001 तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की संख्या 8579234 है और विशेषत: उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 647545 है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान 5238858 आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) शेष आवेदकों को वर्ष 2002 तक तथा बाकी बचे कुछ क्षेत्रों के आवेदकों को वर्ष 2003 तक टेलीफोन उपलब्ध करा दिए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

डाल्फिन मोबाइल सेवा

489. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 सितम्बर, 2001 तक दिल्ली और मुम्बई में कितने मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सेल्यूलर सेवा ''डाल्फिन'' का कनेक्शन दिया गया;

(ख) उक्त तिथि के अनुसार निजी कंपनियों—एयर टेल और स्टर्लिंग सेल्यूलर कंपनी के पास कितने उपभोक्ता हैं; और

(ग) ''डाल्फिन'' के कार्यकरण और सेवा सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार डाल्फिन सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या इस प्रकार है:

दिल्ली	-	22,692
मुंबई	-	20,234

(ख) एयर टेल और स्टर्लिंग सेल्यूलर कंपनियां मुंबई में अपना प्रचालन नहीं कर रही हैं। 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में उनके उपभोक्ताओं की संख्या निम्नवत है:

एयर टेल	-	4,28,623
स्टर्लिंग	-	3,10,901

(ग) एमटीएनएल द्वारा डाल्फिन की सेवा में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

* कवरेज में और सुधार लाने के लिए नेटवर्क का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है।
* दिल्ली से सटे शहरों अर्थात -फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा को भी कवर किया जा रहा है।
* देश के भीतर सभी स्थानों में और विदेशों में भी रोमिंग सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।
* शीघ्र ही ''प्री पेड सर्विस'' शुरू की जा रही है।
* सेवा को बाजार में लाने और ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में फ्रैन्चाइजियों को नियुक्त किया गया है।
* ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए समय-समय पर विशेष संवर्धनात्मक मार्केटिंग स्कीमें शुरू की जा रही हैं।
* डाल्फिन ब्रांड को लोकप्रिय बनाने और ग्राहक आधार बढ़ाने की दृष्टि से आक्रामक मार्केटिंग और केंद्रित मीडिया प्रचार शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री का विदेश दौरा

490. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
श्रीमती जयश्री बैनर्जी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में कुछ देशों का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई वार्ताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां। प्रधान मंत्री ने 4-7 नवम्बर तक रूसी परिसंघ का 7-11 नवम्बर तक अमरीका का और 12-13 नवम्बर, 2001 तक यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया।

(ख) और (ग) वार्ता के ब्यौरे और परिणाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम जहां की यात्रा की और तारीख (तारीखें)	बातचीत का ब्यौरा	यात्रा का निष्कर्ष
1	2	3	4
1.	रूसी परिसंघ 4-7 नवम्बर, 2001	अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के साथ अकेले में बैठक की जिसके बाद प्रतिनिधि स्तर पर	इस यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति पुतिन ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सम्बद्ध मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर

1	2	3	4
		बातचीत हुई। प्रधान मंत्री ने राज्य ड्यूमा के स्पीकर गेन्नेडी श्री एलेज्नीव, विदेश मंत्री श्री ईगोर ईवानोव के साथ अलग-अलग बैठकें की और रक्षा मंत्री श्री सरगेई ईतानोव प्रधान मंत्री से मिले। प्रधान मंत्री की बैठकों के दौरान भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा हुई। प्रधान मंत्री सेंट पीटर्सबर्ग भी गए जहां वे सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्रीय प्रशासन के गवर्नर श्री व्लादिमीर याकोवलेव से मिले।	किए। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए, दोनों पक्षों ने कई अन्य द्विपक्षीय दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर जारी किए, जिनमें निम्न शामिल हैं: (1) सामरिक मसलों से सम्बद्ध संयुक्त वक्तव्य (2) कुदनकुलम एन पी पी परियोजना के क्रियान्वयन से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन। (3) आपात निवारण और प्रतिक्रिया से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन। (4) भारत में भारत-रूस जैव प्रौद्योगिकी की स्थापना से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन। आशा है कि प्रधानमंत्री की रूसी परिसंघ की राजकीय यात्रा से भारत-रूस संबंधों को साझेदारी के नए स्तर तक ले जाने मे मदद मिलेगी।
2.	अमरीका वाशिंगटन डी सी 7-9 नवम्बर, 2001	प्रधान मंत्री राष्ट्रपति बुश के आमंत्रण पर 7 से 9 नवम्बर, 2001 तक वाशिंगटन डी सी की आधिकारिक कार्य यात्रा पर गए। 9 नवम्बर, 2001 को ओवल कार्यालय बैठक और राष्ट्रपति बुश के साथ लंच के अतिरिक्त प्रधान मंत्री की 8 नवम्बर, 2001 को अमरीकी कांग्रेस के साथ अनेक बैठकें थीं। इनमें सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स, द हाउस इंटरनेशनल रिलेशन्स कमेटी के नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ अलग-अलग बैठकें और भारतीय कॉकस के साथ लंच शामिल है। दोनों पक्षों ने भारत-अमरीकी संबंधों को और मजबूत करने, आतंकवाद के विरुद्ध प्रचार संबंधी चालू गतिविधियों और अफगानिस्तान में तालिबान के बाद की संरचना के लिए राजनीतिक प्रक्रिया तथा आपसी हित-चिंता के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मसलों के तौर तरीकों पर भी चर्चा की।	दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया है कि भारत और संयुक्त राज्य अमरीका दोनों आतंकवाद के पीड़ित हैं, यह माना कि जहां भी आतंकवाद विद्यमान हो उसके विरुद्ध लड़ना चाहिए और इस बात पर सहमत हुए हैं कि आतंकवाद का सामना करने में भारत-अमरीका सहयोग को और आगे बढ़ायेंगे। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान के राजनीतिक भविष्य के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान किया और इस विषय पर एक दूसरे से नियमित रूप से परामर्श करने के लिए सहमत हुए। संयुक्त राज्य अमरीका ने अफगानिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक भविष्य के लिए परामर्श के संबंध में भारत की सक्रिय भूमिका को स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बुश ने द्विपक्षीय संबंधों में गति बनाने और भारत-अमरीका संबंधों की गुणता के आदान-प्रदान की प्रक्रिया के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की है।

1	2	3	4
			वे भारत-अमरीका संबंधों को और संवर्द्धित करने के लिए रक्षा सहयोग, आर्थिक वार्ता, नागरिक अंतरिक्ष और नाभिकीय सहयोग के क्षेत्रों सहित अनेक अन्य उपायों पर सहमत हुए।
	न्यूयार्क 9-11 नवम्बर, 2001	10 नवम्बर, 2001 को प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया और महासभा के दौरान कई विश्व नेताओं से भी मिले।	संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपने संबोधन में प्रधान मंत्री ने आतंकवाद के खतरे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मिल-जुलकर प्रभावी तरीके से इसका मुकाबला करने की आवश्यकता पर बल दिया।
3.	यूनाइटेड किंगडम 12-13 नवम्बर, 2001	अपने ब्रिटिश समकक्ष के निमंत्रण पर, प्रधान मंत्री अफगानिस्तान में तेजी से विकसित होती हुई स्थिति पर प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर से चर्चा करने के लिए 12-13 नवम्बर तक यू.के. की यात्रा पर गए। दोनों प्रधान मंत्री सैन्य अभियान समाप्त होने से पूर्व अफगानिस्तान में एक युद्धोत्तर राजनैतिक संरचना के सुनिश्चय की तात्कालिकता और अफगानिस्तान के पुनर्वास की आवश्यकता पर सहमत हुए। उनका यह साझा विचार था कि आतंकवाद के विरुद्ध मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय गठबंधन के मात्र अल कायदा के जाल को समाप्त करने तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। हमारे प्रधान मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि आतंकवाद के विरुद्ध सार्वभौमिक युद्ध उसके उन सभी प्रायोजकों जो आतंकवादियों को वित्त, प्रशिक्षण, हथियार तथा शरण देते हैं, उनसे भी निपटा जाना चाहिए। उन्होंने इस वर्ष के प्रारम्भ में उनके आतंकवादी अधिनियम, 2000 के तहत छः आतंकवादी संगठनों के निषेधन के लिए यू.के. को सराहना संप्रेषित की। चर्चा के परिणामस्वरूप यू.के. के साथ हमारे बहु आयामी द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की भी समीक्षा की जा सकी। दोनों पक्षों ने उन वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में सकारात्मक रुझान पर संतोष व्यक्त किया जो कि पांच बिलियन पौंड़ स्टर्लिंग से अधिक है। प्रधान मंत्री ब्लेयर ने आगामी वर्ष के प्रारम्भ में प्रधान मंत्री के पूर्ण द्विपक्षीय भारत यात्रा के निमंत्रण को स्वीकार किया।	इस यात्रा से अफगानिस्तान में उदीयमान स्थिति और अफगानिस्तान में गृह युद्ध के बाद की राजनैतिक व्यवस्था की समीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों ने आर्थिक और वाणिज्यिक क्रियाकलाप सहित यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारे बहु-फलकीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की।

जम्मू और कश्मीर में दूरभाष केन्द्र

491. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में बारामूला के दूरभाष केन्द्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की लम्बी प्रतीक्षा सूची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी दूरभाष-केन्द्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के लोगों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार बारामूला में टेलीफोन एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए निम्नांकित कदम उठाये जा रहे हैं:

(1) 12 स्थानों पर मौजूदा एक्सचेजों की क्षमता बढ़ायी जा रही है।

(2) केबल बिछाने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं, परंतु विवरण में दिए गए कारणों से कार्य की प्रगति काफी धीमी है।

(3) बारामूला, सोपोर, बांदीपोरा और हंदवारा में 500-500 लाइनों की वायरलेस इन लोकल लूप एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनायी गयी है और ये मार्च, 2002 तक चालू हो जायेंगे।

प्रत्येक एक्सचेंज के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

जम्मू-कश्मीर राज्य के बारामूला जिले में टेलीफोन-एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा-सूची तथा उसके निपटान हेतु उठाए गए कदम

क्र.सं.	एक्सचेंज	क्षमता	कार्यरत कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची	प्रतीक्षा सूची के निपटान हेतु किए गए उपाय
1	2	3	4	5	6
1.	बारामूला	3000	2724	1546	एक्सचेंज का 1.5 हजार तक विस्तार, बाहरी संयंत्र का कार्यान्वयन और इस वर्ष डब्ल्यू एल एल के 500 लाइनों के एक्सचेंज की योजना है।
2.	फतेहगढ़	152	101	104	बाहरी संयंत्र का कार्यान्वयन, एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि।
3.	गुलमर्ग	184	146	19	बाहरी संयंत्र का कार्यान्वयन, एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि।
4.	घोपबुग	152	132	90	बाहरी संयंत्र का कार्यान्वयन, अतिरिक्त 256 सी-डॉट की योजना है।
5.	गडखुद	152	135	225	एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि, बाहरी संयंत्र का कार्यान्वयन।
6.	कुंजर	152	83	184	बाहरी संयंत्र का कार्यान्वयन, अतिरिक्त 256 सी-डॉट की योजना है।
7.	सिंगपूरा	304	234	65	बाहरी संयंत्र का कार्य शुरू किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
8.	उरी	184	177	111	अतिरिक्त 256 सी-डॉट की योजना है, बाहरी संयंत्र का कार्यान्वयन।
9.	बागूरा	152	98	224	बाहरी संयंत्र का कार्यान्वयन, अतिरिक्त 256 सी-डॉट की योजना।
10.	बांदीपुरा	1000	398	641	बाहरी संयंत्र का कार्य शुरू किया जा रहा है और इस वर्ष डब्ल्यू एल एल की 500 लाइनों के एक्सचेंज की योजना है।
11.	गुरेज	152	71	30	बाहरी संयंत्र का कार्य शुरू किया जा रहा है।
12.	सोपोर	3500	1936	1921	बाहरी संयंत्र का कार्य शुरू किया जा रहा है तथा इस वर्ष डब्ल्यू एल एल की 500 लाइनों वाले एक्सचेंज की योजना है।
13.	सुंबल	184	146	218	बाहरी संयंत्र का कार्यान्वयन, एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि।
14.	वन्नीगाम	152	74	227	बाहरी संयंत्र का कार्यान्वयन, एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि।
15.	कुपवाड़ा	1000	663	305	बाहरी संयंत्र का कार्य प्रगति पर है।
16.	हण्डवाड़ा	1000	403	53	बाहरी संयंत्र का कार्य प्रगति पर है तथा इस वर्ष 500 लाइनों के डब्ल्यू एल एल एक्सचेंज की योजना है।
17.	तंगदर	148	168	129	अतिरिक्त सी-डॉट-256 को योजना बनाई गई है, बाहरी संयंत्र का कार्यान्वयन।
18.	सोराम	56	24	114	एक्सचेंज क्षमता का विस्तार; बाहरी संयंत्र का कार्यान्वयन।
19.	त्रेहगाम	56	47	249	अतिरिक्त सी डॉट-256 की योजना बनाई गई है, बाहरी संयंत्र का कार्यान्वयन।
20.	पट्टण	1400	326	219	बाहरी संयंत्र का काम शुरू किया जा रहा है।

टिप्पणी: बाहरी संयंत्र की क्षमता बढ़ाने हेतु केबल बिछाने के सतत प्रयास जारी हैं; किंतु निम्नलिखित के कारण प्रगति अत्यंत धीमी है:

1. सुरक्षा कारणों से बार-बार काम रुकना;
2. समूचा क्षेत्र आतंक-ग्रस्त है;
3. केबल बिछाने की मंजूरी में कठिनाई;
4. मौजूदा स्थितियों में ठेकेदारों द्वारा कार्य-निष्पादन के लिए आगे न आना;
5. खराब मौसम।

[अनुवाद]

कापर-टी

492. श्री अनंत गुढ़े:
श्री शिवाजी माने:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को आपूर्ति किए गए कापर-टी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में कापर-टी की आपूर्ति में किसी राज्य से अनियमितता बरतने का समाचार आया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि कापर-टी के उपयोग के कारण विभिन्न राज्यों से संक्रमण के कई मामले प्रकाश में आए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आपूर्ति की गई कॉपर-टी का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) राज्यों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) कॉपर-टी की आपूर्ति में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विनिर्माताओं को ऑर्डर की गई मात्रा के प्रत्येक बैच की, राज्यों को भेजने से पहले, सरकारी अनुमोदित प्रयोगशालाओं में जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्यों में तैनात इस मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक यादृच्छिक आधार पर फील्ड से नमूनें उठाते हैं और उनकी एक बार फिर सरकारी अनुमोदित प्रयोगशाला में जांच करवाते हैं ताकि राज्यों में उपयोग के लिए भेजी गई कॉपर-टी की गुणवत्ता सुनिश्चित करवाई जा सके। फील्ड जांच में किसी बैच के असफल रहने के मामले में कॉपर-टी के उस बैच का इस्तेमाल तुरन्त बंद कर दिया जाता है और वह बैच विनिर्माता द्वारा मुफ्त बदला जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1998-99 से 2000-2001) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति की गई कॉपर-टी का ब्यौरा

(नग लाख में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.000	4.000	4.000
2.	असम	1.000	0.800	1.000
3.	बिहार	0.660	2.000	2.000
4.	गुजरात	3.000	5.830	4.760
5.	हरियाणा	1.100	1.400	0.650
6.	कर्नाटक	3.000	4.000	4.000
7.	केरल	0.000	1.000	0.600

1	2	3	4	5
8.	मध्य प्रदेश	2.000	5.000	6.400
9.	महाराष्ट्र	5.500	4.000	5.000
10.	उड़ीसा	2.000	3.500	1.500
11.	पंजाब	3.900	6.050	4.000
12.	राजस्थान	1.820	4.650	4.060
13.	तमिलनाडु	4.000	2.000	3.554
14.	उत्तर प्रदेश	17.200	22.380	22.710
15.	पश्चिम बंगाल	1.300	1.100	1.610
16.	हिमाचल प्रदेश	0.500	0.400	0.400
17.	जम्मू और कश्मीर	0.190	0.150	0.500
18.	मणिपुर	0.200	शून्य	0.300
19.	मेघालय	0.040	0.040	0.024
20.	नगालैंड	0.060	0.000	0.010
21.	सिक्किम	0.030	0.030	0.010
22.	त्रिपुरा	0100	0.060	0.115
23.	अंड. और नि. द्वीपसमूह	0.010	0.000	0.020
24.	अरूणाचल प्रदेश	0.030	0.030	0.030
25.	चंडीगढ़	0.070	0.100	0.050
26.	दादर और नागर हवेली	0.010	0.000	0.005
27.	दिल्ली	0.450	0.700	0.820
28.	गोवा	0.050	0.010	0.035
29.	दमन और द्वीव	0.000	0.010	0.002
30.	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.002
31.	मिजोरम	0.020	0.140	0.100
32.	पांडिचेरी	0.040	0.020	0.030
33.	झारखंड	0.000	0.000	0.000
34.	छत्तीसगढ़	0.000	0.000	0.000
35.	उत्तरांचल	0.000	0.000	0.000
	कुल	50.280	69.400	68.297

एंथ्रेक्स का फैलना

493. **डा. डी.वी.जी. शंकर राव:**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री अनंत गंगाराम गीते:
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक द्वारा खतरनाक एंथ्रेक्स फैलाने वाले बैक्टीरिया के फैलने के समाचार के कारण देश में सभी डाक छंटाई केन्द्रों के लिए आदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या डाक छंटाई कर्मचारियों को दस्ताने और चेहरा ढकने के लिए मास्क की आपूर्ति की गई है और सभी संदेहास्पद डाक को उचित परीक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी डाक सामग्री की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु क्या ठोस उपाय किये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चैन्नई स्थित विदेश डाकघरों में विदेशी डाक का निपटान कर रहे डाक कर्मचारियों को हाथ के दस्ताने और चेहरे के मुखावरण (मास्क) उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) और (घ) एन्थ्रेक्स के किसी वास्तविक मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है। यद्यपि, ऐसे 76 उदाहरणों की सूचना मिली है जिनमें देश के डाकघरों में पाउडरनुमा पदार्थ वाले पत्र प्राप्त हुए हैं। डाक सर्किल-वार प्राप्त ऐसे पत्रों की संख्या निम्नलिखित के अनुसार है:

डाक सर्किल का नाम	संदेहास्पद पत्रों की संख्या
1	2
असम	1
आंध्र प्रदेश	2
बिहार	2
छत्तीसगढ़	1
दिल्ली	1
झारखंड	13
कर्नाटक	4
केरल	18
महाराष्ट्र	8
पूर्वोत्तर	1
पंजाब	3
राजस्थान	5
तमिलनाडु	5
उत्तर प्रदेश	8
उत्तरांचल	4
कुल	76

(ङ) डाक विभाग संदेहास्पद डाक के निपटान के लिए हर संभव सावधानी बरत रहा है। विभाग ने एन्थ्रेक्स के बारे में डाक कर्मचारियों को सामान्य तौर पर और विदेश डाक का निपटान करने वाले कर्मचारियों को विशेषकर जानकारी देने के लिए भी कदम उठाए हैं। संदिग्ध पाई गई डाक-वस्तुओं के निपटान के लिए सभी डाक सर्किलों को मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। संदेहास्पद डाक-वस्तुओं की पहचान करने और निवारक उपाय करने के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और संयुक्त राज्य डाक निरीक्षण सेवा मैनुअल द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों की प्रतियां सभी संबंधितों में परिचालित की गई हैं। संदेहास्पद डाक की कैसे पहचान की जाए और इसे कैसे संभाला जाए, इसके बारे में विभाग द्वारा जनहित में देश के सभी प्रमुख राष्ट्रीय समाचारपत्रों में मार्गनिर्देश प्रकाशित किए गए हैं।

नम्बर प्लेट

494. **श्री सुनील खां:**
श्री सुरेश कुरूप:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना नए वाहनों सहित मौजूदा वाहनों के लिए 'टेम्पर प्रूफ लाइसेंस प्लेट' शुरू करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं एवं इसके लिए नियुक्त अधिकृत निर्माताओं की सूची क्या है;

(ग) वाहन निर्माताओं को अपने वाहन में परिवर्तन करने के लिए बाधित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि 'टेम्पर प्रूफ' प्लेटों को हटाया न जा सके;

(घ) क्या पूरे देश में नई तरह की प्रणाली शुरू की जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) जी हां। तकनीकी विनिर्देश दिनांक 28 मार्च, 2001 के सा.का.नि. संख्या 221 (अ) के तहत राजपत्र में पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं और 22 अगस्त, 2001 के का.आ. सं. 814 (अ) और दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 के का.आ. संख्या 1041 (अ) के तहत अनुपूरक आदेश जारी किए गए हैं। यह विचार है कि मोटर वाहन के आगे और पीछे नंबर प्लेटों के अलावा वाहन की विंड शील्ड के बाईं ओर बिल्कुल ऊपर एक स्वत: नष्ट होने वाली क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर के रूप में एक तीसरी पंजीकरण नंबर प्लेट लगाई जाएगी। इस स्टीकर पर इंजन संख्या, चेसी संख्या, पंजीकरण संख्या और पंजीकरणकर्ता प्राधिकारी का नाम भी दिया जाएगा। अगली और पिछली पंजीकरण प्लेटों पर वाहन संख्या गर्म स्टाम्प लगाकर भी अंकित की जाएगी और परावर्तक सीट लगाई जाएगी। इन प्लेटों पर प्लेट के बिल्कुल बाईं ओर मध्य में नीले रंग से आई एन डी अक्षर होंगे। पिछली प्लेट हटाए न जा सकने वाले/पुन: प्रयुक्त न किए जा सकने वाली स्नेप लॉक प्रणाली से लगाई जाएगी। इन सभी तीनों पंजीकरण प्लेटों पर एक क्रोमियम आधारित होलोग्राम होगा और एक स्थायी क्रमिक पहचान संख्या होगी। केन्द्र सरकार ऐसी प्लेटों के विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता की नियुक्ति नहीं करती है। ऐसी उच्च सुरक्षा वाली पंजीकरण प्लेटों की आपूर्ति के इच्छुक विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं को केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों से अपने उत्पादन अनुमोदित कराने होंगे।

(ग) पंजीकरण प्लेटों के लिए तकनीकी विनिर्देश, तकनीकी विशेषज्ञों और वाहन विनिर्माताओं के परामर्श से तैयार किये गये हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि

495. श्री वसुदेव आचार्य: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले 20 वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या और अधिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के संबंध में ब्यौरा तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में स्थानों का चयन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) इस समय देश की परमाणु विद्युत क्षमता 2720 मेगावाट है। वर्ष 2020 तक इसकी क्षमता को लगभग 20,000 मेगावाट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि सरकार से बजटीय सहायता उपलब्ध हो। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन यूनिटों अर्थात् तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना 3 तथा 4-2×500 मेगावाट (जिनकी क्षमता को बढ़ाकर 2 × 540 मेगावाट करने का् प्रस्ताव है) और कैगा-3 (कैगा 3 और 4 की निर्माणाधीन 2 × 220 मेगावाट यूनिटों में से 220 मेगावाट की एक यूनिट) का निर्माण-कार्य पूरा करके परमाणु विद्युत उत्पादन में 1300 मेगावाट विद्युत क्षमता की वृद्धि करने की योजना है। एक तरह, दसवीं योजना के अंत तक कुल परमाणु विद्युत क्षमता बढ़कर 4020 मेगावाट हो जाएगी। दसवीं योजना के प्रस्तावों में ग्यारहवीं योजना के अंत तक कुल 9935 मेगावाट परमाणु विद्युत क्षमता प्राप्त करने के लिए नई योजनाओं को शुरू करने की भी परिकल्पना की गई है। वर्ष 2020 तक लगभग 20,000 मेगावाट परमाणु विद्युत क्षमता हासिल करने के लिए ग्यारहवीं योजना में और उसके बाद भी अतिरिक्त परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) दसवीं योजना के दौरान, तारापुर और कैगा, जोकि अनुमोदित स्थल हैं, में विद्युत क्षमता बढ़ाने की योजना है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, परमाणु विद्युत क्षमता में 5915 मेगावाट क्षमता की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के लिए कैगा, रावतभाटा, कुडनकुलम और कलपाक्कम के मौजूदा

स्थल उपलब्ध हैं। ग्यारहवीं योजना के अंत तक उपर्युक्त अनुसार क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई बाधाएं दिखाई नहीं देती हैं। इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति (एसएससी) वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले प्रस्तावित परमाणु विद्युत कार्यक्रम के लिए नए संयंत्रों को स्थापित करने हेतु अतिरिक्त स्थलों को पैलनबद्ध करने के लिए देश के विभिन्न वैद्युत क्षेत्रों (उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी वैद्युत क्षेत्रों) में स्थलों की जांच भी कर रही है।

राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग

496. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरह सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में अन्य पिछड़े वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की तरह राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग-आयोग गठित करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सेवाओं के विभिन्न ग्रेडों में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, सरकार की सिविल सेवाओं में अखिल भारतीय आधार पर संचालित खुली प्रतियोगिता के माध्यम से, सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के 27% पदों का अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित रखा जाना, सीधी भर्ती के मामले में अधिकतम आयु-सीमा में 3 वर्ष की ढील दिया जाना, अपनी योग्यता के ही आधार पर भर्ती अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों का उनके लिए आरक्षित कोटे में शुमार नहीं किया जाना, आदि शामिल हैं।

(ख) एक राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग-आयोग पहले से ही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिबंध समाप्त करना

497. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री वाई.वी. राव:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परमाणु परीक्षण, विस्फोटों के बाद भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को किन-किन देशों ने हटा लिया है;

(ख) क्या प्रतिबंधों के हटने के बाद विकास और अन्य परियोजनाओं के लिए पर्याप्त विदेशी ऋण/अनुदान उपलब्ध होगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोई शर्तें लगाये बिना प्रतिबंधों को उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) सभी देशों ने भारत के विरुद्ध लगे प्रतिबंधों को हटा लिया है जिनमें हाल ही में 22 सितम्बर, 2001 को अमरीका ने तथा 26 अक्तूबर, 2001 को जापान ने हटाया है। इन प्रतिबंधों के हटने के फलस्वरूप न केवल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित परियोजनाओं बल्कि सभी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए विदेशी और बहुपक्षीय सहायता उपलब्ध होगी।

(घ) जी हां।

(ङ) लागू नहीं होता।

सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की प्रतिशतता

498. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र-सरकार के कार्यालयों के समूह 'ग' और 'घ' श्रेणियों में कार्यरत महिलाओं की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की प्रतिशतता उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी नौकरियों में और महिलाओं की नियुक्ति करने के लिए ठोस कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की रिपोर्ट में निहित जानकारी के अनुसार, महिलाएं, केन्द्रीय सरकार के कुल कर्मचारियों की 7.51% हैं। केन्द्रीय सरकार के कुल कर्मचारियों में उनका अनुपात, जनसंख्या में उनके अनुपात से बहुत कम है। केन्द्रीय सरकार में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या में से लगभग 98% महिला कर्मचारी, समूह 'ग' और 'घ' में कार्यरत हैं।

(ग) और (घ) सरकारी नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दृष्टि से, सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि सरकार के अधीन नियुक्तियां करते समय महिलाओं से कोई भेद-भाव नहीं किया जाए। केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर/सेवाओं में भर्ती के मामले में महिलाओं से समुचित और निष्पक्ष व्यवहार किया जाना सुनिश्चित करने के उपाय के एक भाग-स्वरूप ये निदेश दिए गए हैं कि जब समूह 'ग' और 'घ' पदों पर/सेवाओं में 10 अथवा उससे अधिक रिक्तियों पर भर्ती की जानी हो तो चयन-समिति/बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य महिला हो। रिक्तियों की संख्या 10 से कम होने पर भी ऐसी समिति/ऐसे बोर्ड में एक महिला अधिकारी को शामिल करने का हरसंभव प्रयास किया जाए।

[हिन्दी]

सेल्यूलर टेलीफोन प्रणाली की स्थापना

499. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने के निर्णय के बाद सेल्यूलर टेलीफोन प्रणाली स्थापित की थी;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कितनी तारीख को लिया गया था;

(ग) सितम्बर, 2001 के अंत तक देश में सेल्यूलर टेलीफोन सेवा के कुल कितने उपभोक्ता हैं; और

(घ) देश में इन उपभोक्ताओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के महानगरों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिनांक 30.12.1991 को पहली बार बोलियां आमंत्रित की गई थीं।

(ग) और (घ) सेल्यूलर आपरेटरों की ओर से भारतीय सेल्यूलर आपरेटर संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सितम्बर, 2001 के अंत तक देश में सेल्यूलर उपभोक्ताओं की कुल संख्या 48,07,700 थी। सेल्यूलर सेवा के लिए लाइसेंस महानगर सेवा क्षेत्रों और दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों के लिए प्रदान किये गये हैं, इसलिए, उपभोक्ताओं से संबंधित ब्यौरे सेवा क्षेत्र-वार हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

देश में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं से संबंधित ब्यौरे महानगर/दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र-वार (सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या
1	2	3
1.	दिल्ली	7,62,216
2.	मुम्बई	7,10,218
3.	कोलकाता	2,04,242
4.	चेन्नई	1,98,905
5.	आंध्र प्रदेश	3,68,649
6.	असम	21,707
7.	बिहार	88,270
8.	गुजरात	3,62,154
9.	हरियाणा	72,637
10.	हिमाचल प्रदेश	18,011
11.	कर्नाटक	2,95,263
12.	केरल	3,20,366
13.	मध्य प्रदेश	1,37,836

1	2	3
14.	महाराष्ट्र	3,71,287
15.	उत्तर पूर्व	3,103
16.	उड़ीसा	36,754
17.	पंजाब	2,08,222
18.	राजस्थान	85,516
19.	तमिलनाडु	2,61,778
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,06,807
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1,41,585
22.	पश्चिम बंगाल	28,974
	कुल	48,07,700

जाली डाक टिकटें

500. श्री राममूर्ती सिंह वर्मा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में जाली डाक टिकटों की बिक्री/छपाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इसके कारण कुल कितने राजस्व का घाटा हुआ है और इस मामले में राज्यवार कितने व्यक्ति संलिप्त हैं जिनके विरुद्ध ऐसे कृत्यों में कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु कानून में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) वर्ष 1998-99 के दौरान ऐसी केवल 5 घटनाएं हुई थीं जिनमें 6,673 रु. के राजस्व का घाटा हुआ था। वर्ष 1999-2000 के दौरान ऐसी 12 घटनाएं हुई थीं जिनमें 19,904 रु. के राजस्व का घाटा हुआ और वर्ष 2000-2001 के दौरान केवल 5 घटनाएं हुई थीं जिनमें 75,146 रु. का घाटा हुआ। अत: यह कहना ठीक नहीं है कि ऐसी घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, नियमों में कोई संशोधन आवश्यक नहीं समझा गया है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक बैठकें

501. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल की रूस यात्रा के दौरान उनकी व्यावसायिक बैठकें रद्द कर दी गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नकली दवाइयां

502. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री अनंत गंगाराम गीते:
श्री राम सिंह कस्वां:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री राजेश वर्मा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिकांश राज्यों में नकली/मियाद बीती जीवन रक्षक औषधियां बेची जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कैमिस्टों की दुकानों पर छापे मारकर औषधियों के नमूने लिये हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से आज की तिथि तक राज्य-वार ऐसी कितनी औषधियों का पता लगाया गया है;

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है;

(च) क्या सरकार को इस खतरे से निपटने हेतु एक स्थायी तंत्र गठित करने की योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी, हां। प्रतिष्ठित ब्रांडों के नाम की नकल करते हुए संदिग्ध गुणवत्ता वाली औषधों के उपलब्ध होने के बारे में रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) से (घ) राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से उपलब्ध हुए फीड बैक के अनुसार 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 की अवधि के दौरान छापे मार कर नकली औषधों के 344 नमूनों का पता लगाया गया था। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अधीन राज्य सरकारों को नकली औषधों के विनिर्माण अथवा बिक्री को रोकने सहित औषधों की गुणवत्ता को प्रवर्तित करने की शक्ति दी गई है। उक्त अधिनियम में नकली औषधों की विशिष्ट परिभाषा का प्रावधान करने के लिए 1982 में संशोधन किया गया था और सख्त दण्ड जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, निर्धारित किए गए हैं।

राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे पर्याप्त प्रवर्तन तंत्र और औषध जांच सुविधाएं प्रदान करें और नकली औषधों की अन्तर्राज्यीय आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखें। राज्यों को अपनी जांच समर्थताओं में वृद्धि करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के अलावा औषधों की जांच के लिए केन्द्रीय सरकारी जांच प्रयोगशालाओं की सुविधाएं भी उपलब्ध करायी गयी हैं।

राज्य औषध नियंत्रकों को नकली औषधों की घटना को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गई है:

(क) राज्य औषध सलाहकार समितियों के गठन को पुन: सक्रिय बनाना जिसमें विभिन्न व्यापार और उद्योग संघों तथा उपभोक्ता संघों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

(ख) पुलिस सहायता के साथ अलग आसूचना-सह-कानूनी तंत्र की स्थापना।

(ग) औषध नियंत्रण प्रशासन के चुनिंदा अधिकारियों को नकली जाली औषधों के संबंध में आसूचना कार्य, अभियोग चलाने आदि के तौर-तरीकों में प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण।

(घ) स्वयं की राज्य स्तरीय औषध-जांच सुविधाएं स्थापित करके औषध नमूनों का शीघ्रता से विश्लेषण सुनिश्चित करना।

(ङ) औषध उत्पादों हेतु लाइसेंस अनुमोदित करते समय राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना है कि 'एक समान दिखने वाले' उत्पादों को बढ़ावा न मिले।

(च) प्रभावी संचार सुविधाएं और वापस मंगाने वाली प्रक्रियाएं।

(छ) संदिग्ध व्यापारियों पर निगरानी रखना।

(ज) नकली औषध से संबंधित मामले लड़ने के लिए अनुभवी काउंसल की सेवाएं लेना।

(झ) भैषजिक उद्योग से नियमित सम्पर्क रखकर उनका सहयोग प्राप्त करना।

(ञ) राष्ट्रीय औषध सर्वेक्षण, गुणवत्ता मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वेक्षण नमूने एकत्र करना।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. भैषजिक उद्योग संघ और ऑल इंडिया आर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट से नकली औषधों के खतरे से मिलकर लड़ने हेतु आवश्यक पहल करने को कहा गया है।

2. नकली औषधों के विनिर्माण और बिक्री की समस्या और इस पर नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् की बैठक के दौरान राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को विशेष तौर पर बताया गया है।

(च) और (छ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नकली औषधों के खतरे के सभी पहलुओं पर विचार करने और उपचारात्मक उपायों को सुझाने हेतु उद्योग, व्यापार के सदस्यों, औषध विनियामक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शामिल करके 18 जुलाई, 2001 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा पहचान की गई नकली दवाइयों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	41	7	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	6
4.	बिहार	6	8	2
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	1	14	1
7.	हरियाणा	11	22	32
8.	हिमाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	2	शून्य
10.	कर्नाटक	2	2	शून्य
11.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	2	शून्य
13.	महाराष्ट्र	19	3	अनुपलब्ध
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नगालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	2
19.	पंजाब	9	4	4
20.	राजस्थान	शून्य	शून्य	अनुपलब्ध
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	14
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	50	2	2

1	2	3	4	5
25.	पश्चिम बंगाल	15	12	12
26.	पांडिचेरी	शून्य	अनुपलब्ध	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	2	16	8
30.	दादर और नागर हवेली	शून्य	शून्य	अनुपलब्ध
31.	दमन और द्वीव	–	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	–	शून्य	शून्य
	कुल	157	94	93

*31.3.99 की स्थिति के अनुसार सूचना।

सार्वजनिक टेलीफोन घरों को घाटा

503. डा. अशोक पटेल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदायक (पी.सी.ओ.) सरकार को घाटा पहुंचा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान पी.सी.ओ. के परिणामस्वरूप हुए घाटे का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आरक्षित पदों को अनारक्षित करने का मामला

504. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 1.4.1989 से कार्यान्वित दिनांक 25.4.1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/6/88 स्थापना (आरक्षण) के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित करने पर लगे हुए प्रतिबंध के बावजूद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को बड़ी संख्या में अनारक्षित कर "अन्य" से भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजना मंत्रालय के अंतर्गत 1.5.1989 से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित कर उन्हें अन्य व्यक्तियों से भरने की कितनी घटनाएं हुई हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खादी ग्रामोद्योग आयोग की जिम्मेदारियां

505. श्री अधीर चौधरी: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग उसकी सिफारिशों पर बैंकों द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को दिए गए ऋणों की वसूली के लिए जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खादी ग्रामोद्योग के शून्य कार्यनिष्पादन के बावजूद उसे और सहायता/अनुदान दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की प्रभावी वसूली के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत के.वी.आई.सी. 31.3.2001 तक 10.99 लाख रोजगार अवसर सृजित करने में सफल रहा है।

(घ) के.वी.आई.सी. को वित्तीय संस्थान नहीं माना जाता है। प्रस्तावों की गुणवत्ता में सुधार के लिए "पैटर्न एप्रोच" को "प्रोजेक्ट एप्रोच" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन अब बैंकों द्वारा किया जाता है, जो ऋणों की वसूली के लिए उत्तरदायी हैं।

एच.आई.वी. की जांच

506. **श्री दिलीप संघाणी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एच.आई.वी. की जांच का तरीका अलग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एच.आई.वी. की जांच करने की मशीनें सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के पास उपलब्ध हैं;

(घ) क्या ये महाविद्यालय एड्स/एच.आई.वी. पीड़ितों की घोषणा करने के लिए प्राधिकृत हैं; और

(ङ) यदि हां, तो आज की तिथि तक ऐसे कितने मामले देखने में आए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) जी, हां। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एच.आई.वी. की स्थिति का पता पॉलिमरेज चैन रिएक्शन (पी.सी.आर.) नामक जांच से लगाया जा सकता है।

(ग) प्रतिपिण्डों (एन्टीबॉडिज) का पता लगाने के लिए एच.आई.वी. जांच मशीनें अर्थात् एलिसा रिडर्स सरकारी क्षेत्र के अधिकांश मेडिकल कालेजों में उपलब्ध हैं; पालिमरेज चेन रिएक्शन (पी.सी.आर.) जांच करने वाली मशीनें केवल कुछ ही केन्द्रों में उपलब्ध हैं और नेमी नैदनिक उपयोग हेतु इनकी संस्तुति नहीं की जाती।

(घ) वे जांच पूर्व तथा जांच पश्चात् के परामर्श के बाद पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए केवल एच.आई.वी./एड्स पीड़ितों को ही स्थिति बताने हेतु प्राधिकृत हैं।

(ङ) 31 अक्तूबर, 2001 तक सूचित किए गए एड्स रोगियों की संख्या 29007 है।

[हिन्दी]

अमरीका में सिक्खों की दुर्दशा

507. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका पर आतंकवादी हमलों के बाद कुछ देशों में सिक्खों को निशाना बनाये जाने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में संबंधित सरकारों से वार्ता की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इन हमलों के परिणामस्वरूप जान और माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। यह मामला अमरीका के अधिकारियों के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया गया था। प्रधान मंत्री ने अमरीका में भारतीयों, विशेषकर सिक्खों की सुरक्षा के संबंध में अमरीकी राष्ट्रपति से अपनी चिन्ता व्यक्त की थी और उन्हें यह आश्वासन मिला था कि वे ऐसे हमलों को रोकने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे।

यू.के., कनाडा और आस्ट्रेलिया में हमारे मिशनों ने इस मामले को विदेश कार्यालयों और स्थानीय अधिकारियों के साथ उठाया है।

सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप संबंधित सरकारों ने सिक्ख समुदाय को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने-अपने विधि प्रवर्त्तन अधिकारियों को तुरन्त अनुदेश जारी किए थे। पुलिस ने तुरन्त केवल अपराधियों को पकड़ा ही नहीं बल्कि मोबाइल गश्त द्वारा मंदिरों और गुरुद्वारों के चारों ओर सुरक्षा भी बढ़ा दी थी। स्थानीय पुलिस ने भी ऐसे क्षेत्रों में जहां सिक्खों की संख्या अधिक है, अपनी गश्त बढ़ा दी।

(घ) मेसा, एरिजोना (अमरीका) में 15 सितम्बर, 2001 को एक व्यक्ति श्री बलबीर सिंह सोढ़ी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।

सिक्खों के विरुद्ध धमकियों और गुंडागर्दी की वारदातें अमरीका में न्यूयार्क, न्यू जर्सी, ओहियो और कैलिफोर्निया आदि में और यू.के., कनाडा और आस्ट्रेलिया में कुछ स्थानों पर हुई।

[अनुवाद]

अफगान शरणार्थियों को मानवीय सहायता

508. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान स्थित अफगान शरणार्थियों को मानवीय सहायता भेजने की भारत की योजना को उस समय धक्का लगा जब पाकिस्तान ने भारत को सूचित किया कि उसके पास राहत सामग्री के भंडारण हेतु पर्याप्त भंडारण क्षमता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब भारत ने उत्तरी गठबंधन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों और ईरान स्थित शरणार्थियों को एक मिलियन टन गेहूं, दवाइयां, रजाइयां और कम्बल भेजने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) (1) अफगान लोगों की दशा सुधारने के प्रति वचनबद्धता के भाग के रूप में, सरकार आन्तरिक और बाहरी विस्थापित अफगानी और अन्यों को, आवश्यकता पड़ने पर, मानवीयता सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है इसमें 10 लाख टन गेहूं की व्यवस्था करना भी शामिल है। हमारी वचनबद्धता के भाग के रूप में, हमने पाकिस्तान की सरकार के जरिए पाकिस्तान में अफगानी शरणार्थियों को गेहूं की खेप भेजने का प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान की सरकार ने बताया है कि उनके पास गेहूं का पर्याप्त स्टाक है और उसे भंडारण करने की सुविधाओं से सम्बद्ध समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

(2) सरकार कई देशों तथा संयुक्त राष्ट्र की उन एजेंसियों के साथ सम्पर्क में है जो विश्व खाद्य कार्यक्रम और अफगान लोगों को गेहूं और अन्य प्रकार की मानवीयता सहायता शीघ्र भेजने के तौर-तरीकों का देखभाल करने में जुड़ी हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

509. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 01-01-1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह 'क') में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिशत केवल 10.68 है (अनुसूचित जातियां-08.41 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां-2.27 प्रतिशत) और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') में यह केवल 13.20 प्रतिशत (अनुसूचित जातियां-9.68 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां-3.52 प्रतिशत) है जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के (1) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों (2) सांविदित संगठनों/निगमों (3) स्वायत्तशासी संगठनों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में (एक) प्रथम श्रेणी (समूह 'क') और (दो) द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') और इनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन

पदों पर (1) सामान्य, (2) अनुसूचित जातियों, (3) अनुसूचित जनजातियों और (4) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

510. **श्री के.पी. सिंह देव:**
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री प्रकाश वी. पाटील:
श्री दिन्शा पटेल:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हाल में देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितने पूर्णतया सुसज्जित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य-वार अलग-अलग कितने केन्द्र खोले जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन कर उन्हें अस्पताल का दर्जा देने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कार्य हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) सरकार ने चुनिंदा जिलों के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रथम रेफरल एककों और जिला अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और उनके इस्तेमाल का मूल्यांकन करने के लिए सुविधा सर्वेक्षण कराए हैं। सुविधा सर्वेक्षण में लगभग 217 जिलों को शामिल किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में इन सर्वेक्षणों से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में खोले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या और वर्तमान वर्ष के लिए लक्ष्य संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(घ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को 2.5% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों की स्थापना करने की सलाह दी है। उन्नत किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए स्थान का चयन करते समय केवल उन क्षेत्रों का ही चयन किया जाना चाहिए जहां पर रैफरल सुविधाएं पर्याप्त दूरी के भीतर न हो। जिला मुख्यालय से सबसे अधिक दूर स्थित क्षेत्रों और पिछड़े, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों को अधिमान दिया जाना चाहिए।

(ङ) और (च) स्वास्थ्य मुख्यतया राज्य का विषय है, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में निधियां प्रदान की जाती हैं जिनका उपयोग उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, मरम्मत और रखरखाव के लिए किया जा सकता है। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घटक के अंतर्गत विमुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है।

विवरण 1

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में सुविधा सर्वेक्षण के परिणामों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	सर्वेक्षण किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	आधारभूत ढांचा						स्टाफ				
			पानी	बिजली	प्रसव कक्ष	प्रयोगशाला	टेलीफोन	कार्य कर रहे वाहन	चिकित्सा अधिकारी	सभी एचए (महिला)	सभी एचए (पुरुष)	प्रयोगशाला तकनीशियन	ड्रीप फ्रीजर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	622	323	597	255	348	56	162	479	454	137	435	554
2.	असम	333	256	273	123	20	10	37	306	73	77	160	240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	बिहार	339	210	105	51	64	3	92	312	20	24	68	64
4.	गुजरात	614	239	602	332	571	344	497	565	479	246	473	534
5.	हरियाणा	73	56	69	10	69	52	4	65	51	46	69	60
6.	कर्नाटक	854	615	786	495	521	188	179	820	384	162	205	512
7.	केरल	790	632	751	190	150	111	142	774	435	466	119	608
8.	मध्य प्रदेश	386	224	235	66	42	8	35	278	243	143	62	135
9.	महाराष्ट्र	645	510	632	555	626	335	387	632	490	439	155	632
10.	उड़ीसा	505	389	303	167	111	15	86	480	66	35	86	192
11.	पंजाब	26	26	26	23	25	20	20	26	19	15	25	24
12.	राजस्थान	484	310	344	252	286	24	44	397	208	92	281	295
13.	तमिलनाडु	672	437	665	417	457	128	289	531	504	343	336	632
14.	उत्तर प्रदेश	486	175	199	97	151	10	68	379	44	83	136	112
15.	पश्चिम बंगाल	825	363	635	594	33	149	99	718	553	198	165	347
	कुल	7654	4765	6222	3627	3474	1453	2141	6762	4023	2506	2775	4941
	प्रतिशत उपलब्धता		62.3	81.3	47.4	45.4	19.0	28.0	88.3	52.6	32.7	36.3	64.6

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	आंध्र प्रदेश	603	522	491	93	454	199	280	37	56	386	522	156	361
2.	असम	316	137	77	23	83	90	123	70	3	263	200	137	226
3.	बिहार	183	136	146	24	102	14	27	3	3	41	41	14	64
4.	गुजरात	608	559	522	246	436	104	104	37	6	368	583	68	522
5.	हरियाणा	71	72	30	16	23	72	71	68	0	70	59	72	71
6.	कर्नाटक	811	760	555	111	529	623	444	222	111	683	581	290	598
7.	केरल	735	640	356	63	229	142	87	8	8	608	585	506	727
8.	मध्य प्रदेश	336	259	193	12	85	135	112	15	12	197	100	193	228
9.	महाराष्ट्र	645	548	606	181	600	632	632	497	6	484	626	277	516
10.	उड़ीसा	157	323	273	91	172	25	51	5	2	81	91	61	359
11.	पंजाब	25	26	26	12	23	24	23	15	2	21	23	15	15

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12.	राजस्थान	450	402	237	87	319	392	344	68	29	416	261	198	358
13.	तमिलनाडु	659	491	457	114	329	585	571	403	20	437	605	188	524
14.	उत्तर प्रदेश	262	384	306	92	194	39	68	19	19	78	78	49	83
15.	पश्चिम बंगाल	668	528	239	25	421	561	512	50	8	404	289	190	272
	कुल	6529	5787	4514	1190	3999	3637	3449	1517	285	4537	4644	2414	4924
	प्रतिशत उपलब्धता	85.3	75.6	59.0	15.5	52.2	47.5	45.1	19.8	3.7	59.3	60.7	31.5	64.3

विवरण 2

देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के दौरान खोले गए			लक्ष्य
		1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	50	–	93
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	13	7	0
3.	असम	–	–	–	26
4.	बिहार	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–
6.	गोवा	–	–	2	2
7.	गुजरात	7	17	17	17
8.	हरियाणा	1	–	–	4
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	0
10.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	0
11.	झारखंड	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	75	–	–	0
13.	केरल	2	–	–	0
14.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–
15.	महाराष्ट्र	–	63	6	16

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	–	–	–	0
17.	मेघालय	–	–	–	0
18.	मिजोरम	–	–	3	0
19.	नगालैंड	–	13	–	6
20.	उड़ीसा	–	–	–	0
21.	पंजाब	–	–	–	0
22.	राजस्थान	16	12	–	0
23.	सिक्किम	–	–	–	0
24.	तमिलनाडु	–	–	–	0
25.	त्रिपुरा	–	–	–	10
26.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	41
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	–	1	–	0
30.	चंडीगढ़	–	–	–	0
31.	दा. व ना. हवेली	–	–	–	0
32.	दमन व दीव	–	–	–	0
33.	दिल्ली	–	–	–	6
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	0
35.	पांडिचेरी	–	–	–	0
	कुल	102	169	35	221

विवरण 3

वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत विमुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विमुक्त की गई निधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2841.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	1022.56
3.	असम	2693.56
4.	बिहार	2154.37
5.	छत्तीसगढ़	471.00
6.	गोवा	11.70
7.	गुजरात	485.92
8.	हरियाणा	251.70

1	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	1334.15
10.	जम्मू व कश्मीर	1286.85
11.	झारखंड	1016.85
12.	कर्नाटक	1126.94
13.	केरल	1036.20
14.	मध्य प्रदेश	1235.55
15.	महाराष्ट्र	1486.94
16.	मणिपुर	728.40
17.	मेघालय	608.86
18.	मिजोरम	303.08
19.	नगालैंड	616.96
20.	उड़ीसा	1478.26
21.	पंजाब	606.00
22.	राजस्थान	1446.00
23.	सिक्किम	421.65
24.	तमिलनाडु	1571.84
25.	त्रिपुरा	762.44
26.	उत्तर प्रदेश	8526.25
27.	उत्तरांचल	188.40
28.	पश्चिम बंगाल	2517.30
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	275.00
30.	पांडिचेरी	71.55

भारतीय प्रशासनिक सेवा से इतर अधिकारियों की संख्या में कमी

511. श्री पवन कुमार बंसल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सचिवों, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों व उनके समकक्ष वरिष्ठ पदों पर नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा से इतर केन्द्रीय अधिकारियों की संख्या और प्रतिशतता में वर्ष दर वर्ष कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक दक्षता वाले पदों पर वर्तमान में मंत्रालय-वार कितने भारतीय प्रशासनिक-सेवा के अधिकारी नियुक्त हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत-सरकार के वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत, पदों से संबद्ध कार्य-अपेक्षाओं, अर्हताओं और उपर्युक्त योजना में हिस्सा ले रहीं विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों का अनुभव ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। फिर भी, कोई भी पद, किसी विशेष सेवा के सदस्य के लिए आरक्षित नहीं रखा जाता।

[हिन्दी]

ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए अलग-अलग दरें

512. डा. संजय पासवान: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं, जिससे सरकार को करोड़ों का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो दरों में भिन्नता के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, नहीं, सार्वजनिक निविदा में प्रत्येक रूट हेतु प्राप्त प्रतियोगी बोलियों के आधार पर दरें तय की जाती हैं। स्थल-आकृति (टोपोग्राफी), मृदा की स्थिति, केबल बिछाने की गहराई, मजदूरों की उपलब्धता, मजदूरी-दर व उस स्थान विशेष की आर्थिक व सामाजिक दशा आदि के अनुसार आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की दरें घटती-बढ़ती रहती हैं।

(ग) उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर, यह लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत योजनाएं

513. श्री ए. नरेन्द्र: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए भेजी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/निर्णय लिया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लिए वर्ष-वार कितनी राशि स्वीकृत और जारी की गई?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई स्कीमें वार्षिक योजना प्रस्तावों का एक अभिन्न अंग होती हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99; 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के लिए, योजना आयोग द्वारा यथा सहमत, योजना आकार क्रमश: 4678.95 करोड़ रुपये, 5480.00 करोड़ रुपये तथा 7708.00 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत एवं जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्कीम का नाम जिसके लिए एसीए मांगी गई	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की राशि	
		संस्वीकृत	जारी की गई
1998-99	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हेतु-पुस्तकालय सेवाएं	1.00	1.00
	आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन केन्द्र (सीईएसएस), हैदराबाद हेतु	1.00	1.00
	राज्य मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने हेतु	0.25	0.25
1999-2000	आंध्र प्रदेश मानीटरिंग सिस्टम	11.00	11.00
	पुत्तापार्थी ग्राम, अनंतपुर जिला में लिंक रोड विकास	0.511	0.511
2000-2001	गोदावरी नदी की ब्रांचों के बाढ़ वाले किनारों पर नहरों के मुहानों के पुनर्निर्माण हेतु	5.00	5.00

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग को प्रोत्साहन

514. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:** क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खादी और ग्रामोद्योग आयोग को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई पहल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस उद्योग को किस प्रकार प्रोत्साहन देने का विचार है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) से (ग) खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास एवं संवर्धन के लिए भारत सरकार ने 14.5.2001 को एक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज की मुख्य बातों में पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट एवं विपणन विकास सहायता का विकल्प, खादी शिल्पियों को बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादों के सुधार पर बल दिया जाना, पैकेजिंग एवं

डिजाइन सुविधाओं का सृजन करना, विपणन, ब्रांड बिल्डिंग, क्लस्टर विकास आदि के संवर्धन के उपाय करना शामिल है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एच.आई.वी. ग्रस्त बच्चे

515. श्रीमती रेनु कुमारी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 नवम्बर, 2001 के 'जनसत्ता' में ''भारत में प्रतिदिन लगभग दो सौ बच्चे एच.आई.वी. की गिरफ्त में'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने एचआईवी से पीड़ित बच्चों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा एचआईवी ग्रस्त बच्चों की लगातार बढ़ रही संख्या को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(च) एड्स ग्रस्त अनाथ बच्चों के लिए क्या पुनर्वास योजना बनाई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) जी, हां। हर रोज एचआईवी से संक्रमित बच्चों की संख्या के संबंध में बताए गए अनुमान अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं। देश में हर वर्ष पैदा हुए एचआईवी से संक्रमित बच्चों की अनुमानित संख्या 30,000 प्रतिवर्ष होती है और गर्भवती माताओं के बीच 0.3 प्रतिशत की एचआईवी व्याप्तता दर होती है।

(ग) सरकार ने एचआईवी से पीड़ित बच्चों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) भारत में एचआईवी/एड्स के फैलाव की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इस समय देश भर में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके मुख्य घटकों में ये शामिल हैं:-

* लक्षित जनसंख्या का पता लगाकर और पीयर काउंसलिंग प्रदान करके कंडोम को बढ़ावा देकर, यौन संचारित संक्रमणों आदि का उपचार करके अधिक जोखिम वाले समूहों में एचआईवी के फैलाव को कम करना।

* सूचना, शिक्षा और संचार तथा जागरूकता अभियान द्वारा सामान्य जनसंख्या के लिए निवारक उपचार, स्वैच्छिक जांच और परामर्श, निरापद रक्ताधान सेवाओं की व्यवस्था और व्यावसायिक प्रभाग की रोकथाम।

* अवसरवादी संक्रमणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों को घर पर और समुदाय आधारित परिचर्या प्रदान करना।

* राष्ट्रीय, राज्य और नगरीय स्तरों पर कार्यक्रम की प्रभावकारिता, तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय पोषणीयता को सुदृढ़ करना।

* सार्वजनिक, प्राइवेट और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

(च) परिवार के सदस्यों और समुदाय आधारित संगठनों को एड्स से अनाथ हुए बच्चों पर ध्यान देने के लिए बढ़ावा दिया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहन

516. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के जोधपुर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहर में उक्त राजमार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन की अनुमति नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में शीघ्र ही बाई-पास (उप-मार्ग) का निर्माण शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर शहर में यातायात की भीड़ कम करने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(घ) और (ङ) जी हां। कार्य शुरू करने के लिए बाइपास के चरण-1 (बाइपास की कुल 43.6 किलोमीटर लंबाई में से 22.8 किलोमीटर) के प्राक्कलन की स्वीकृति पर कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-4

517. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
श्री अनंत गुढे :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-4 (कराड जंक्शन) 680-684 कि.मी. निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या एम.एस.आर.डी.सी. इस सेक्टर पर तीन फ्लाई ओवरों के निर्माण हेतु जोर देता रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ङ) तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(च) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-4 का यह सेक्टर बी.ओ.टी. के अंतर्गत है; और

(छ) यदि हां, तो उस कंपनी का नाम क्या है जिसे ठेका दिया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) रा.रा. 4 के 680 से 684 कि.मी. में कराड जंक्शन का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है और इसलिए इसके पूरे होने की तारीख बता पाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एम.एस.आर.डी.सी.) ने कराड में तीन फ्लाई ओवरों के निर्माण का प्रस्ताव किया है और इस संबंध में सर्वेक्षण किया गया है।

(ङ) डिजाइन परामर्शदाता ने विस्तृत अध्ययन के पश्चात् यातायात के निर्बाध और सुरक्षित आवागमन के लिए कराड में तीन फ्लाई ओवरों के निर्माण का प्रस्ताव किया है। इन फ्लाई ओवरों के निर्माण के लिए परामर्शदाता की सिफारिशें/प्रस्ताव एम.एस.आर.डी.सी. और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं।

(च) और (छ) जी हां। कराड जंक्शन रा.रा. 4 के सतारा-कागल खंड पर पड़ता है जिसे बी.ओ.टी. आधार पर विकसित किए जाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इस परियोजना पर एम.एस.आर.डी.सी. के साथ वार्ता की जा रही है।

राष्ट्रीय समेकित राजमार्ग परियोजना

518. श्री साहिब सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता से जोड़ने वाली 13000 कि.मी. लम्बी राष्ट्रीय समेकित राजमार्ग परियोजना के वास्तविक, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय आयामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना को कितने चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) प्रथम दो चरणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में वित्त-पोषण की कितनी-कितनी हिस्सेदारी है; और

(ङ) देश के राजमार्गों पर यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए परियोजना में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता, दिल्ली को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज और श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिल्चर को पोरबन्दर से जोड़ने वाले उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग शामिल हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्गों को विद्यमान 2 लेन के राजमार्ग से सुधार कर 4 लेन का विभाजित मार्ग बनाया

जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से त्वरित, निर्बाध, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा, वाहन प्रचालन लागत में बचत के रूप में सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है। समाज पर नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने और पर्यावरण संबंधी सकारात्मक पहलुओं में वृद्धि के लिए विस्तृत पर्यावरणीय प्रबंधन और पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की कुल लंबाई 13151 किलोमीटर है और यह दो चरणों अर्थात् स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग में कार्यान्वित की जा रही हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्ग की लंबाई क्रमश: 5851 और 7300 कि.मी. है और इन्हें क्रमश: दिसम्बर, 2003 और दिसम्बर, 2007 में पूरा करने का लक्ष्य है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर लगभग 54000 करोड़ रुपए (1999 के मूल्य पर) के निवेश की संभावना है। विभिन्न वित्त पोषण का हिस्सा इस प्रकार होगा:-

1. पेट्रोल और डीजल पर उपकर	20,000 करोड़ रुपए
2. विदेशी सहायता	20,000 करोड़ रुपए
3. बाजार ऋण	10,000 करोड़ रुपए
4. निजी क्षेत्र की भागीदारी	4,000 करोड़ रुपए

(ङ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपायों में शीघ्र निर्णय एवं भुगतान व्यवस्था, कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए बोनस की व्यवस्था और विलम्ब के लिए जुर्माना तथा परियोजना तैयार करने, कार्य के पर्यवेक्षण और अनुरक्षण के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता प्राप्त करना शामिल है।

[हिन्दी]

हज संबंधी राजसहायता नियम/दिशानिर्देश

519. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हज यात्रियों को राजसहायता देने हेतु क्या नियम/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) ऐसे दिशानिर्देश जारी होने के बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान हज यात्रियों को कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार अमरनाथ यात्रियों को राजसहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह राजसहायता कब तक दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) हज तीर्थयात्रियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कोई नियम/मार्ग निर्देश नहीं हैं। प्रत्येक वर्ष, प्रति तीर्थयात्री हज तीर्थयात्रा किराए और आर्थिक सहायता के निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान हज आर्थिक सहायता के लिए प्रदत्त कुल राशि इस प्रकार है:

वर्ष	हज आर्थिक सहायता की कुल राशि (रुपयों में)
1999	98.46 करोड़
2000	118.83 करोड़
2001	148.36 करोड़ (अनन्तिम)

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु बकाया रिक्तियां

520. सरदार बूटा सिंह: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59 प्रतिशत है (अनुसूचित जातियां 10.38% और अनुसूचित जनजातियां 3.21 प्रतिशत) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) में यह केवल 14.41 प्रतिशत है (अनुसूचित जातियां 11.73% और अनुसूचित जनजातियां 2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत (1) प्रथम (समूह क) श्रेणी और (2) द्वितीय (समूह ख) श्रेणी और उनके समकक्ष पदों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) डी ओ पी टी के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) के पैरा 5 के अनुसार उक्त संख्या की तुलना में इन पदों पर (1) सामान्य, (2) अनुसूचित जातियों, (3) अनुसूचित जनजातियों और (4) अन्य

पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे पदों के लिए उनका संबंधित प्रतिशत कितना-कितना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) से (ग) तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय का विभाजन होने के बाद नवंबर, 2000 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बनाया गया था। मंत्रालय में ग्रुप "क" और "ख" के पद, तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों संवर्ग के हैं। तकनीकी पदों के लिए केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप "क" तथा ग्रुप "ख" के अन्य पद का संवर्ग नियंत्रण इस मंत्रालय के पास है। ग्रुप "क" और "ख" के शेष पद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा अन्य संबंधित संवर्ग प्राधिकरणों द्वारा भरे जाते हैं।

मंत्रालय में ग्रुप "क" और "ख" के पदों की कुल संख्या और आरक्षण की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ग्रुप	पदों की स्वीकृत संख्या			भरे हुए पद			आरक्षण स्थिति गैर-तकनीकी +तकनीकी भरे हुए पद					प्रतिशत प्रतिनिधित्व				
	गैर-तकनीकी	तकनीकी	जोड़	गैर-तकनीकी	तकनीकी	जोड़	अजा	अजजा	अपिव	सा.	जोड़	अजा	अजजा	आपिव	सा.	जोड़
क	32	129*	161	28	70	98	13	5	13	67	98	13.27	5.10	13.27	68.37	100.00
ख	181	22	203	178	19	197	34	10	4	149	197	17.26	5.08	2.03	75.63	100.00

*इसमें अधीक्षण इंजीनियर के स्तर से महानिदेशक (सड़क विकास) के स्तर के ग्रुप क के 79 पद शामिल नहीं हैं, जहां कोई आरक्षण नहीं है। ये केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) के पद हैं।

असम में लघु उद्योग इकाइयों का बंद किया जाना

521. श्री विजय हान्दिक: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में बड़ी संख्या में लघु उद्योग इकाइयां दशकों से बंद पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उनके पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या लघु उद्योग इकाइयों के संबंध में कपूर समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) बंद इकाइयों पर सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित रुग्ण लघु उद्योगों का डाटा संग्रहीत करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संग्रहीत नवीनतम डाटा के अनुसार मार्च 2000 के अंत तक असम राज्य में रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 11,445 थीं।

विगत दस वर्षों में असम में रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों और संभाव्य जीवनक्षण रुग्ण इकाइयों की संचयी संख्या नीचे दी गई है।

क्र.सं.	मार्च के अंत तक	संभाव्य जीवनक्षम इकाइयां	कुल रुग्ण इकाइयां
1.	1991	624	4892
2.	1992	690	5317
3.	1993	736	5640
4.	1994	641	14218
5.	1995	1289	17984
6.	1996	1080	19831
7.	1997	1100	10133
8.	1998	457	15774
9.	1999	581	10586
10.	2000	1383	11445

सरकार लघु उद्योग इकाइयों के बीच औद्योगिक रुग्णता के प्रसंग से पूरी तरह अवगत है और इसने संभाव्य जीवनक्षम इकाइयों की समय पर पहचान करने और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य-स्तरीय अन्तर्संस्थानिक समितियों (एस एल आई आई सी) के रूप में संस्थानिक मैकेनिज्म को स्थापित करना, बैंकों और राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास सेल और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा योग्य इकाइयों के लिए पुनर्वास सहायता में विस्तार करने हेतु जारी किए गए विस्तृत दिशानिर्देश भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) कपूर समिति द्वारा की गई 126 सिफारिशों में से 86 स्वीकृत एवं क्रियान्वित की गई हैं।

दूरसंचार उपकरणों का निर्यात

522. श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्रीमती डी.एम. विजयाकुमारी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को कुल कितनी धनराशि के दूरसंचार उपकरणों का निर्यात किया गया;

(ग) वर्ष 2001-2002 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सरकार ने दूरसंचार उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध कराए हैं:

(1) निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत अनेक प्रोत्साहन उपलब्ध हैं जिनमें अग्रिम लाइसेंस, विशेष अग्रिम लाइसेंस, ड्यूटी एन्टाइटलमेन्ट पास-बुक स्कीम तथा ऐसे उपकरणों के विनिर्माण और निर्यात के लिए अपेक्षित आदानों के आयात संबंधी निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम शामिल हैं।

(2) सरकार निर्यातोन्मुखी इकाइयों के रूप में विनिर्माण इकाइयों, निर्यात संसाधन क्षेत्रों और इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्रों आदि में इकाइयां स्थापित करने की अनुमति देकर अन्य स्कीमों के माध्यम से भी निर्यात को बढ़ावा देती है। इन सभी को पूंजीगत वस्तुओं के आयात सहित सभी प्रकार की वस्तुओं का नि:शुल्क आयात करने की छूट प्राप्त है।

(3) अंतर्राष्ट्रीय बाजार का अनुभव उपलब्ध कराने के लिए, दूरसंचार विभाग क्षेत्र की भारतीय कम्पनियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में उनकी सहभागिता पर होने वाले कुछ खर्चे को पूरा करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किए गए दूरसंचार उपकरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपयों में
1998-99	250
1999-00	180
2000-01	450

(ग) और (घ) इसलिए सरकार दूरसंचार उपकरणों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती। तथापि, विभिन्न स्कीमों/प्रोत्साहनों के माध्यम से निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत महाराष्ट्र को जारी धनराशि

523. श्री उत्तमराव पाटील:
श्री मानसिंह पटेल:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में, विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान उक्त योजना के तहत कितनी धनराशि जारी करने का प्रस्ताव है;

(ग) इन अनुदानों के तहत लाभान्वित हुए युवकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) धनराशि में वृद्धि करके इस योजना को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के तहत केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता के साथ-साथ प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास इत्यादि के लिए फण्डस रिलीज करती है। जबकि आर्थिक फण्डस के संबंध में कार्यान्वयन बैंक के माध्यम से वैयक्तिक हितग्राही को उसे प्रदान किए जाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत किया गया है। प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास इत्यादि के लिए फण्डस सीधे ही राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को रिलीज किए जाते हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को 183.00 करोड़ रु. की राशि कार्यान्वयन बैंकों को आर्थिक सहायता के संवितरण हेतु प्राधिकृत की गई थी। इसी अवधि के दौरान प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास इत्यादि के लिए 18.00 करोड़ रु. की कुल राशि में से क्रमश: 47.00 लाख रु. और 173.83 लाख रु. गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों को रिलीज किए गए हैं।

(ख) स्कीम के तहत वर्ष 2001-02 के दौरान 193.50 करोड़ रु. की राशि रिलीज किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पी.एम.आर.वाई. के तहत 2000-01 तथा 2001-02 (अगस्त, 2001 तक) 2,50,611 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) वर्तमान में स्कीम के अंतर्गत फण्डस को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एक्यूपंक्चर चिकित्सा

524. श्री ताराचन्द भगोरा:
श्री रामेश्वर डूडी:
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:
श्री भेरूलाल मीणा:
डा. चरणदास महंत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक्यूपंक्चर चिकित्सा से लाइलाज रोगों का उपचार भी हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस चिकित्सा से कान, आंख और यकृत से संबंधित रोगों में सफलता मिली है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों द्वारा चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों को इस चिकित्सा में गहन रुचि लेने के लिए प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार एक्युपंक्चर चिकित्सा अनेक रोगों के लिए लाभदायक बताई जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक्युपंक्चर को श्वसनी, आकुलर जठरान्त्रीय, तंत्रिका विज्ञान और मस्कुलोस्केलेटल स्थितियों से जुड़े रोगों के लिए उपचार की परम्परागत विधि के रूप में मान्यता दे दी है।

(ख) एक्युपंक्चर चिकित्सा नेत्र, कान और जिगर से संबंधित रोगों सहित विभिन्न रोगों के उपचार में लाभदायक है।

(ग) और (घ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

525. श्री के.ए. सांगतम: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अधीन कुछ विभाग/अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालय, सरकारी क्षेत्र और स्वायत्तशासी संगठन/निगम एम. एच. ए. के कार्यालय (ज्ञापन संख्या 16/17/67/- स्थापना (सी) दिनांक 10.4.1968 और (डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/5/76 दिनांक 27.5.1976) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सम्पर्क अधिकारियों को नामित नहीं कर रहे हैं ताकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मामले में सरकारी अनुदेशों के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कार्यालयों/संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अधीन उन संगठनों/कार्यालयों की कुल संख्या कितनी है जो उनके मंत्रालय के तहत स्थापना और कर्मचारी संबंधी मामलों को देखने वाली प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार, उपरिलिखित प्रयोजन के लिए नामित सम्पर्क अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) से (घ) कृषि और ग्रामीण उद्योग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत दो स्वायत्त निकाय हैं अर्थात् (1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग और (2) कॉयर बोर्ड। के.वी.आई.सी. ने एक निदेशक को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामजद किया है और कॉयर बोर्ड ने सचिव, कॉयर बोर्ड को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामजद किया है।

बर्न्स वार्ड में संक्रमण

526. श्री नरेश पुगलिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के बर्न्स वार्ड में भर्ती रोगियों में संक्रमण हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, व्यापक छिले हुए क्षेत्र (रॉ एरिया) वाले जले हुए रोगी संक्रमण की अपेक्षाकृत जीवाणु कोलोनाइजेशन के लिए प्रवण हैं। सामान्यतया, उन रोगियों जिनके शरीर का 80 प्रतिशत से अधिक बाहरी भाग जल जाता है, में एंडोजेनस संक्रमण विकसित हो जाता है। पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे रोगियों की कुल संख्या उपचार के लिए आए लगभग 7000 रोगियों से में 564 है।

(ग) बर्न्स वार्ड में जीवाणु संबंधी बढ़ोतरी के लिए एयर और वाल कतचर जांचें नियमित रूप से की जाती हैं। यदि जीवाणु संबंधी बढ़ोतरी ध्यान में आती है तो फ्यूमीगेशन किया जाता है।

यासिर अराफात की यात्रा

527. श्री सुरेश कुरूप: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रपति यासिर अराफात ने भारत को पश्चिम में हो रही घटनाओं से अवगत कराने के लिए 22 अगस्त, 2001 को भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रपति यासर अराफात 23 अगस्त, 2001 को भारत के दौरे पर आए। उन्होंने मध्य पूर्व शान्ति प्रक्रिया के घटनाक्रम के बारे में प्रधान मंत्री को जानकारी दी और भारत से शान्ति प्रक्रिया की शीघ्र बहाली के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया।

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. हेतु पेंशन योजना

528. डा. बलिराम: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एम.टी.एन.एल. के कर्मचारियों के लिए पेंशन सुविधा जैसाकि बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की जा रही है, की व्यवस्था करने हेतु विभिन्न कर्मचारीयों संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। सरकार को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन सुविधाओं के अनुरूप ही महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) के कर्मचारियों को भी पेंशन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुछ कर्मचारी संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 में 30.9.2000 से 37 ए को शामिल किए जाने के बाद एमटीएनएल के कर्मचारी संघों द्वारा लगातार मांग की जाती रही है कि एम टी एन एल में आमेलित कर्मचारियों को सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान बी एस एन एल के कर्मचारियों के अनुरूप किया जाए। नियम 37-ए में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) के कर्मचारियों को परिवार पेंशन सहित पेंशन संबंधी लाभों के भुगतान को शासित करने वाली शर्तें दी गई हैं। उक्त नियम के अनुसार सरकार द्वारा बी एस एन एल में आमेलित कर्मचारियों को परिवार पेंशन सहित पेंशन का भुगतान किया जाना है।

(ग) दूरसंचार विभाग द्वारा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से परामर्श करके कर्मचारी संघों की मांग पर विचार किया गया है और उपर्युक्त मांग को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है क्योंकि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 का नियम 37-ए 30.9.2000 से लागू किया गया है जबिक एम टी एन एल में समूह ''ग'' और ''घ'' के कर्मचारियों का आमेलन 1.11.1998 से अर्थात नियम 37-ए को लागू किए जाने की तारीख से काफी पहले की तारीख से किया गया है। यदि उक्त मांग मान ली जाती है तो अन्य सभी समान मामलों के लिए पूर्व उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा जिससे स्थिति पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाएगा।

[अनुवाद]

ई.टी.डी.सी., गोवा

529. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई.टी.डी.सी. गोवा द्वारा किए गए प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) ई.टी.डी.सी. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के किस भाग की जरूरतों को पूरा करता है; और

(ग) ई.टी.डी.सी. गोवा में यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि उनकी सुविधाएं विश्व मानकों के अनुरूप हो?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र (ईटीडीसी), गोवा जो पिलर्न, सलिगाओ, गोवा में है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग, गोवा सरकार के भवन में सह-स्थित है। यह केन्द्र क्षेत्र में स्थित उद्योगों एवं अन्य संगठनों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:

(1) परिमापन परिणामों की अनुमार्गणीयता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण एवं परिमापन उपकरणों का अंशांकन।

(2) राष्ट्रीय तथा विनिर्माण विशेषताओं के अनुरूप इलेक्ट्रोतकनीकी उत्पादों का परीक्षण।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी तथा क्वालिटी प्रबंध और पर्यावरण प्रबंध प्रणाली के क्षेत्र में प्रशिक्षण।

(ख) (1) ईटीडीसी, गोवा इलेक्ट्रॉनिक तथा खनन उद्योग एवं अन्य संगठनों को वैद्युत तथा अवैद्युत मापदण्डों के लिए अंशांकन सेवा प्रदान कर रहा है। क्वालिटी प्रबंध तथा पर्यावरण प्रबंध प्रणाली के क्षेत्र में भी इन उद्योगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(2) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को अनुप्रयोग उन्मुखी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ग) ईटीडीसी, गोवा के स्थायी भवन के निर्माण को अनुमोदन दे दिया गया है तथा यह भवन इस समय निर्माणाधीन है।

स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं के मद्देनजर वैद्युत तथा अवैद्युत मापदण्डों के क्षेत्र में अंशांकन सुविधाओं का पिछले दो वर्षों में ईटीडीसी, गोवा में संवर्धन किया गया है। विद्युत तथा ऊर्जा के क्षेत्र में परीक्षण सुविधाओं का दर्जा भी बढ़ाया गया है।

स्थायी भवन का निर्माण पूरा होने के बाद केन्द्र के भावी विकास की योजना बनाई जायेगी।

बर्थिंग के लिए प्रतीक्षा समय दर

530. श्री वी. वेद्रिसेलवन : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में विभिन्न पत्तनों पर बर्थिंग के लिए पत्तनवार प्रतीक्षा समय दर क्या है;

(ख) तमिलनाडु में चेन्नई और तूतीकोरिन पत्तनों में प्रतीक्षा समय दर क्या है; और

(ग) इस प्रणाली में सुधार करने और प्रतीक्षा समय दर कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विभिन्न पत्तनों पर औसत बर्थिंग-पूर्व प्रतीक्षा समय इस प्रकार है:-

(दिवस में)

	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
कलकत्ता (सीडीएस)	1.0	1.0	0.7
हल्दिया	1.3	1.6	0.9
पारादीप	1.2	1.1	1.5
विशाखापत्तनम	1.6	1.4	0.8

1	2	3	4
चेन्नई	3.4	2.8	2.3
तूतीकोरिन	1.6	3.0	1.2
कोचीन	0.9	0.9	0.7
नव मंगलूर	0.9	1.1	0.8
मुरगांव	1.4	1.1	1.3
जवाहरलाल नेहरू	1.4	0.6	0.4
मुम्बई	2.1	1.4	1.0
कांडला	4.5	3.0	1.6

(ग) प्रतीक्षा समय और अधिक घटाने के उद्देश्य से विभिन्न महापत्तनों में चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्पादकता सुधार करके हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाने, नई बर्थों का निर्माण और उन्हें साधनों से सुसज्जित करने तथा अत्याधुनिक उपस्करों का अधिग्रहण करने पर जोर दिया जाता है ताकि वे आधुनिक कार्गो मिश्रण की बराबरी कर सकें।

केन्द्रीय भंडार में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

531. श्री रघुनाथ झा :
श्री अरूण कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भंडार में कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नहीं है किन्तु केन्द्रीय भंडार के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत लाखों रुपए दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निदेशक मंडल ने उपर्युक्त खामियों और इस संबंध में लेखा परीक्षकों की प्रतिकूल रिपोर्टों के बावजूद वार्षिक लेखे पारित कर दिए हैं;

(घ) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाभ देने में निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्रीय भंडार में अध्यक्ष अंशकालिक अधिकारी है किन्तु वह ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या उन सभी मामलों की जांच करने का कोई प्रस्ताव है जहां अध्यक्ष ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय किए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की कोई भी योजना नहीं है। अत: केन्द्रीय भंडार के किसी भी कर्मचारी का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) निदेशक-मंडल ने वार्षिक लेखा पारित कर दिया है। केन्द्रीय भण्डार ने चेन्नई में 3 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं तथा उन्हें उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने का मुआवजा दे दिया था। लेखापरीक्षकों ने इसे लेखापरीक्षा की अपेक्षाओं के अनुसार उजागर किया था तथा इसके बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दी थी। निदेशक-मंडल को इन गतिविधियों से पूरी तरह अवगत करवाया गया था तथा उपर्युक्त मंडल ने अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई का अनुसमर्थन कर दिया है।

(च) से (ज) जहां तक महत्वपूर्ण निर्णयों का संबंध है, अध्यक्ष, केन्द्रीय भण्डार, 17 सदस्यीय स्वतंत्र निदेशक-मंडल के प्रति पूरी तरह जवाबदेह है; जिसमें सरकार के 9 वरिष्ठ अधिकारी और 8 निर्वाचित निदेशक होते हैं। केन्द्रीय भण्डार का वर्ष, 2000-2001 का लेखा, निदेशक-मंडल ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया, जिसमें, इस समय, 15 सदस्य हैं और अध्यक्ष ने सोसाइटी के उप-नियमों के अनुसार कार्य किया है। सरकार को ऐसे किसी दृष्टांत की जानकारी नहीं है जिसमें अध्यक्ष ने अपने प्राधिकार का अतिक्रमण किया हो।

[हिन्दी]

औषधियों की खरीद और आपूर्ति में अनियमितताएं

532. श्री रामदास आठवले :
डा. (श्रीमती) अमिता आर्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय औषधियों की अत्यधिक कमी से जूझ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए औषधियों की खरीद और आपूर्ति में अनेक प्रकार की अनियमितताओं की भी जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के विरुद्ध विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा निर्धारित इन्डेन्ट की गई औषधियां भी काफी दिनों के बाद मिलती हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) दिन-प्रतिदिन के इस्तेमाल के लिए अपेक्षित सभी सूचीबद्ध फार्मूलरी औषधें कुल मिलाकर दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में उपलब्ध हैं। अनुपलब्ध औषधें जो विशेषज्ञों द्वारा लिखी जाती हैं, व्यक्तिगत पर्चियों पर प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से खरीदी जाती हैं और लाभार्थियों को दी जाती हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) जी, नहीं। औषधें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को लाभार्थी द्वारा इंडेंट के लिए पर्ची प्रस्तुत करने के अगले कार्य दिवस को दी जाती हैं।

[अनुवाद]

औषध संपाक (फार्मूलरी) और शब्दावली संबंधी समिति

533. श्री अरुण कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषध संपाक (फार्मूलरी) और शब्दावली को अंतिम रूप देने के लिए एक नई समिति का गठन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को मौजूदा समिति द्वारा कदाचार किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) औषध संपाक/शब्दावली की मौजूदा सूची की 1995-96 में नवीकरण तिथि के बाद से कौन-कौन सी समितियां और उप-समितियां गठित की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा निकट भविष्य में एक और उप-समिति बनाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केवल कुछ सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है।

(घ) 1995-96 से पांच समितियां बनाई गई हैं। एक व्यापक फार्मूलरी शब्दावली को अंतिम रूप देने के लिए ठोस उपाय किए जा रहे हैं जिसे अतिशीघ्र अधिसूचित किया जाएगा।

(ङ) और (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

534. डा. वी. सरोजा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश परिवार कल्याण कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों की पहुंच से बाहर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं की समुचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) सरकार को मुख्य रूप से आधारभूत ढांचे और प्रशिक्षित जनशक्ति की अपर्याप्त सुलभता के कारण देश में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कुछ अन्तर होने की जानकारी है।

जबकि स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य का विषय है, केन्द्र (1) उन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है जो परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं।

(2) राज्यों को नियमित रूप से सलाह दी जा रही है कि वे मौजूदा अन्तरों को पाटने के लिए समुचित उपाय करें। (3) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2000 में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा व्यवसायियों को प्राधिकृत करने, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को मुख्य धारा में लाने और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने सहित विविध स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों के लिए एक भूमिका प्रदान करके सार्वजनिक, निजी सांझेदारी में वृद्धि करने का उल्लेख है। (4) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेलों, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविरों, दाई प्रशिक्षण एवं प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आऊटरीच सेवा कार्यक्रमों आदि के जरिए आऊटरीच में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। (5) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं को सुदृढ़ करके, औषधों और आवश्यक उपभोज्यों की खरीद करके, एएनएम के लिए यात्रा खर्च और उपकरणों तथा फर्नीचर की मरम्मत के लिए आकस्मिक खर्च के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए निधियां विमुक्त की जाती हैं। (6) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक तथा अन्य दाता अभिकरणों की वित्तीय सहायता से क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजनाओं के मुख्य कार्यकलापों में उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों, प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण करना, फर्नीचर और उपकरणों की आपूर्ति करना आदि शामिल हैं। (7) राज्यों को प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रमुख तथा लघु सिविल कार्य योजनाओं के अधीन प्रसव कक्ष के निर्माण/मरम्मत/अनुरक्षण तथा जल एवं विद्युत आपूर्ति के अपग्रेडेशन के लिए निधियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

[हिन्दी]

एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों का आबंटन

535. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संचार मंत्री 27 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4999 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सूचना कब तक एकत्र कर लिए जाने और सभा-पटल पर रखे जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी, नहीं। देश में विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों से सूचना एकत्र की जानी है। इसे एकत्र करने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

बकाया आरक्षित रिक्त पदों का भरा जाना

536. श्री रतनलाल कटारिया :
श्री के.एच. मुनियप्पा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित किए जाने वाले रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित "पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों" को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर संचार मंत्रालय में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पिछले बकाया आरक्षित/अग्रेनीत रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भरे गए ऐसे अग्रेनीत रिक्त पदों और रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान "पद आधारित रोस्टर" के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के अंतर्गत सृजित नए रिक्तियों/पदों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। तथापि, ये अनुदेश अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व बैंक द्वारा राज्यों के राजमार्गों का वित्तपोषण

537. श्री राजो सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित देश के राज्यों के राजमार्गों की सूची तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, विशेषत: बिहार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक ने आठवीं और नौवीं योजना के दौरान राज्यों के राजमार्गों के लिए राज्य-वार कितनी राशि स्वीकृत की है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) राज्यीय सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती हैं। तथापि, सड़क परियोजनाएं तैयार करने और नीतिगत उपाय के लिए तकनीकी सहायता के अंतर्गत विश्व बैंक ने 51.5 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता प्रदान की है। 14 राज्य अर्थात् आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी इस ऋण से परियोजनाएं तैयार कर रहे हैं। तथापि, विश्व बैंक ने इन परियोजनाओं के वित्त पोषण का कोई वायदा नहीं किया है।

(ग) आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में राज्यीय सड़क परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा क्रमश: 350 मिलियन अमरीकी डालर, 381 मिलियन अमरीकी डालर और 360 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण प्रदान किए गए हैं।

[अनुवाद]

सड़कों के निर्माण में रबर का उपयोग

538. श्री पी.सी. थामस : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक रबर का उपयोग कर सड़कों को रबरीकृत करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक (क) एक्सप्रैस राजमार्ग (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग (ग) अन्य सड़कों की कितने किलोमीटर सड़कें रबरीकृत की गई हैं;

(घ) सड़कों के रबरीकरण के क्या लाभ हैं और इस संबंध में भविष्य की क्या योजनाएं हैं;

(ङ) क्या रबरीकरण में प्राकृतिक रबर लेटैक्स का प्रयोग कृत्रिम पॉलीमर मिश्रण की अपेक्षा बेहतर और टिकाऊ होता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(छ) क्या भारत में प्राकृतिक रबर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है; और

(ज) यदि नहीं, तो सड़कों के रबरीकरण में प्राकृतिक रबर का प्रयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) से (ग) अधिक टिकाऊ सड़क उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण में रबर/पालीमर आशोधित बिटुमन का प्रयोग शुरू करने का निर्णय लिया है। 536 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब तक आशोधित बिटुमन की परत चढ़ाई जा चुकी है। यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

(घ) अध्ययनों से पता चला है कि रबर/पालीमर आशोधित बिटुमन, तापमान भिन्नता से होने वाले प्रभाव को कम करके और इस बिटुमन के अन्य वांछनीय गुणों में सुधार करके अधिक टिकाऊ सड़क उपलब्ध कराता है जिससे समग्र रूप से बेहतर कार्य निष्पादन प्राप्त होता है। सरकार ने न्यूनतम 10% आवधिक नवीकरण कार्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों के भारी यातायात वाले खंडों पर मूल कार्यों के संबंध में डामरयुक्त परत में भी आशोधित बिटुमन का प्रयोग करने का निर्णय लिया है।

(ङ) और (च) यातायात, जलवायु आदि की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत विभिन्न किस्म के आशोधित बिटुमन के तुलनात्मक कार्य निष्पादन और गुणता का अभिनिर्धारण अभी किया जाना है।

(छ) जी हां।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

सीमापार से आतंकवाद

539. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति श्री जार्ज बुश और भारत के प्रधान मंत्री के बीच कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद के संबंध में विचार-विमर्श हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका पूरे भारतीय क्षेत्र, विशेषत: जम्मू-कश्मीर राज्य में पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के बारे में भारतीय दृष्टिकोण से सहमत है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) सरकार ने प्रधान मंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति के बीच वार्ता सहित अन्य समुचित मंचों पर अमरीका को भारत में सीमा-पार आतंकवाद का समर्थन करने, उसे बढ़ावा देने और उसे उकसाने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में बताया है।

(ख) अनेक अवसरों पर अमरीकी प्रशासन ने पाकिस्तान और भारत में आतंकवाद के बीच संबंधों को स्वीकार किया है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने वर्ष 2000 के लिए वैश्विक आतंकवाद के पैटर्नों पर वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि, ''जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान की सैनिक सरकार ने कश्मीर में उग्रवाद का समर्थन करने की पिछली पाकिस्तानी सरकारों की नीति को जारी रखा और कश्मीरी उग्रवादी समूह अभी भी पाकिस्तान में सक्रिय हैं, चन्दा उगाह रहे हैं तथा नये लोगों की भर्ती कर रहे हैं।''

[हिन्दी]

ऑप्टिकल फाइबर केबल

540. श्री वाई.जी. महाजन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में 30 सितंबर, 2001 की स्थिति के अनुसार ''ओपन वायर'' प्रणाली पर कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं;

(ख) क्या जलगांव, महाराष्ट्र में अब भी 54 टेलीफोन एक्सचेंज ''ओपन वायर'' प्रणाली पर काम कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सभी एक्सचेंजों में ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा किया जाना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) महाराष्ट्र में 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार ओपन वायर प्रणाली पर 1759 टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। जलगांव में ओपन वायर प्रणाली पर 50 एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जलगांव जिले में नियोजित ओएफ प्रणाली चालू करने संबंधी कार्य मार्च, 2002 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

सी.जी.एच.एस. के यूनानी औषधालय

541. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थित यूनानी औषधालयों के नाम क्या हैं और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या सी.जी.एच.एस. के अधीन यूनानी औषधालयों के लिए औषधियों की स्थानीय खरीद की कोई व्यवस्था है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) औषधियों की स्थानीय खरीद की अनुमति कब तक दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद, कोलकत्ता और लखनऊ शहरों में यूनानी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय उपलब्ध हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना हैदराबाद, बंगलौर और कोलकत्ता में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के साथ अनुमोदित दर संविदा वाली अनुमोदित फर्मों के माध्यम से यूनानी औषधों की पर्याप्त आपूर्ति है। इसलिए इन शहरों में यूनानी औषधों की कोई स्थानीय खरीद नहीं की जा रही है। तथापि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लखनऊ के मामले में ऐसी औषधें जो यूनानी औषधालय में उपलब्ध नहीं होती, प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से स्थानीय खरीद के बाद लाभार्थियों को दे दी जाती हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में एक विज्ञापन जारी करके स्थानीय कैमिस्ट की नियुक्ति के लिए पहले प्रयास किए गए थे परन्तु इसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत यूनानी औषधों के लिए स्थानीय कैमिस्टों की नियुक्ति का एक और प्रयास करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों से संबद्ध यूनानी औषधालय: शहर-वार

1. दिल्ली – केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चार यूनानी औषधालय हैं। ये हैं:-

   1. यूनानी औषधालय, सरोजनी नगर।

   2. यूनानी एकक, दरियागंज।

   3. यूनानी एकक, नारायणा।

   4. यूनानी एकक, साऊथ एवेन्यु।

2. बंगलौर – केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या 1, 18 और 18/1 इन्फैन्ट्री रोड, शिवाजी नगर, बंगलौर-560001 में एक यूनानी एकक हैं।

3. हैदराबाद – केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या 1, चारमीनार और औषधालय संख्या 4, बेगमपेट में दो यूनानी औषधालय हैं।

4. कोलकत्ता – केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकत्ता साल्ट लेक, आई सी ब्लाक, कोलकत्ता स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पॉलिक्लिनिक से संबद्ध केवल एक यूनानी एकक है।

5. लखनऊ – नक्खास मार्केट स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या 4 से संबद्ध लखनऊ में एक यूनानी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त नौकरशाहों को वापिस बुलाया जाना

542. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिशत कम करने की नीति के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर राज्य से अतिरिक्त आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. अधिकारियों को वापिस बुलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) भारत सरकार को उड़ीसा राज्य सरकार से उड़ीसा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की संख्या घटाए जाने का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। आज की तारीख को मौजूद स्थिति के अनुसार, उड़ीसा-संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक-सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की संख्या, उपर्युक्त सेवाओं के संवर्गों की कुल प्राधिकृत संख्या क्रमश: 202, 159 और 121 से अधिक नहीं है।

नई औषध व्यवस्था

543. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विदेशी औषध विनिर्माताओं के विनिर्माण परिसरों के पंजीकरण के लिए औषध और सौन्दर्य प्रसाधन नियमों में नया प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेशी औषध विनिर्माताओं के विनिर्माण परिसर के पंजीकरण के लिए दिनांक 24.8.2001 की भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 604(अ) द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों में एक नया प्रावधान किया है। यह 1.1.2003 से प्रभावी होगा।

विनिर्माण परिसर और भारत में आयात के लिए किसी विदेशी औषध विनिर्माता द्वारा विनिर्मित प्रत्येक औषध के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन क्रमश: 1500 अमरीकी डालर और 1000 अमरीकी डालर की फीस के साथ नियम 24-क के अनुसार करना होगा।

ब्यौरे सा.का.नि. संख्या 604(अ), दिनांक 24.8.2001 में उपलब्ध हैं जो एक प्रकाशित दस्तावेज है।

[हिन्दी]

सेल्यूलर की दरों में कटौती

544. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में लाइसेंस फीस में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल्यूलर आपरेटरों ने हाल में सेल्यूलर की दरों में भारी कटौती की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार सेल्यूलर आपरेटरों द्वारा कमाए जा रहे अनुचित मुनाफे पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) नये तथा मौजूदा प्रचालकों के लिए, सेल्यूलर सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क घटाकर मेट्रो सेवा क्षेत्रों और श्रेणी ''क'' सर्किलों के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 12% श्रेणी ''ख'' सर्किलों के लिए समायोजित सकल राजस्व का 10% तथा श्रेणी ''ग'' सर्किलों के लिए समायोजित सकल राजस्व का 8% करके, स्पेक्ट्रम प्रभारों को छोड़कर, बुनियादी सेवाओं के लाइसेंस शुल्क के बराबर कर दिया गया है। यह बुनियादी सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु दिशा-निर्देशों के जारी/घोषणा करने की तारीख (अर्थात् 25.1.2001) से लागू है जिनके अंतर्गत उन्हें स्थानीय क्षेत्र अर्थात कम दूरी प्रभारण क्षेत्र में सीमित, सामान्यत: ''सीमित मोबिलिटी'' के रूप में ज्ञात, वायरलेस ऐक्सेस सिस्टम युक्त हैंड हेल्ड सेट का इस्तेमाल उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है, उस अवधि को छोड़ कर जिसके दौरान मौजूदा अथवा भावी बुनियादी सेवा प्रचालकों को सीमित मोबिलिटी सेवाएं प्रदान करने की मनाही है। इसके अतिरिक्त, सेल्यूलर लाइसेंसधारक राजस्व हिस्से के आधार पर स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करेंगे।

(ग) और (घ) सेल्यूलर सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ट्राई ने दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 में एक मानक पैकेज विनिर्दिष्ट किया है। प्रचालक रिपोर्टिंग आवश्यकता के अध्यधीन वैकल्पिक पैकेजों की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रतिस्पर्द्धा के कारण अनेक वैकल्पिक योजनाएं सामने आई हैं जिनके अंतर्गत देश के अनेक क्षेत्रों में सेल्यूलर प्रचालकों द्वारा कम टैरिफ की पेशकश की जा रही है।

दिल्ली और मुम्बई में तीसरे सेल्यूलर प्रचालक के रूप में महानगर टेलीफोन निगम लि. के प्रवेश के कारण दो महानगरों में, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्द्धा के कारण, मौजूदा टैरिफ स्तरों में तेजी से गिरावट आई है।

इसके अलावा, पूंजीगत लागत और लाइसेंस शुल्क लागतों में (माइग्रेशन पैकेज के कारण) कमी भी कम सेल्यूलर टैरिफ का कारण है। मई, 1999 में दूरसंचार टैरिफ आदेश के कार्यान्वयन के दो वर्षों में सेल्यूलर टैरिफ में औसतन कुल घटाव लगभग 50% रहा है। प्रतिस्पर्द्धा और अन्य वाणिज्यिक कारकों के कारण विभिन्न सेवा क्षेत्रों में घटाव की दर अलग-अलग है।

(ङ) सरकार ने तीसरे सेल्यूलर सेवा प्रचालक के रूप में भारत संचार निगम लि. को, दिल्ली और मुम्बई के मेट्रो सेवा क्षेत्रों को छोड़कर, सभी सेवा क्षेत्रों के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। 17 सर्किलों में चौथे सेल्यूलर प्रचालक के लिए भी लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। इन कदमों से प्रतिस्पर्द्धा में और वृद्धि होगी जिस कारण टैरिफ में कमी आएगी।

[अनुवाद]

भित्तिवाह्य अनुसंधान हेतु योजना

545. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी में भित्तिवाह्य अनुसंधान के लिए एक संशोधित योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में वाह्य अनुसंधान के लिए एक संशोधित योजना शुरू की है। संशोधित योजना के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ उन अनुसंधान परियोजना और कार्यकलापों को सहायता देने पर बल दिया जाता है जो भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी से संबद्ध प्रभावकारिता के दावों की अभिपुष्टि करते हों।

(ग) इस योजना को बढ़ावा देने के लिए इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी व एलोपैथिक मैडिकल कालेजों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आदि को परिचालित किया गया है।

बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें

546. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में अधिष्ठापित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में वर्ष 2001-2002 के दौरान ऐसी और अधिक बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) तमिलनाडु में संस्थापित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों का स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की संस्थापना एक अनवरत प्रक्रिया है तथा योजना शीर्ष के अधीन निधि की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2001-2002 के दौरान तमिलनाडु में ऐसी और मशीनें संस्थापित की जाएंगी।

विवरण

तमिलनाडु में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों (एमपीसीएम) का ब्यौरा

क्र.सं.	डाकघर का नाम	संस्थापित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें
1	2	3
1.	प्रशासनिक कार्यालय भवन (बीएचईएल)	1
2.	अदियार	2
3.	अम्बात्तुर प्रधान डाकघर	2
4.	अम्बातुर औद्योगिक क्षेत्र	1
5.	अण्णा नगर	4
6.	अणारोड प्रधान डाकघर	8
7.	अराकोणम प्रधान डाकघर	2
8.	अरनतंगी	1
9.	अरसराडी	2
10.	अशोकनगर	2
11.	आवडी कैम्प प्रधान डाकघर	2
12.	बसंत नगर	1
13.	भवनी प्रधान डाकघर	2
14.	बोदीनैकन्नूर प्रधान डाकघर	1
15.	बायलर प्रोजेक्ट	2
16.	सीबीई सेंट्रल	2
17.	सीबीई कलेक्टरेट	3
18.	चेंगलपट्टु प्रधान डाकघर	1
19.	चेन्नई जीपीओ	5
20.	चेन्नई साटिंग	1
21.	क्रोमपेट	1
22.	कोयम्बतूर प्रधान डाकघर	3
23.	कुड्डालोर प्रधान डाकघर	2
24.	डिंडीगुल प्रधान डाकघर	2
25.	एनाथुर	1
26.	इरोड प्रधान डाकघर	2
27.	फ्लावर बाजार	2
28.	गांधीनगर	2
29.	ग्रीम्ज रोड	2
30.	गिंडी औद्योगिक क्षेत्र	2
31.	हस्थमपट्टी	1
32.	होसुर	2
33.	कांचीपुरम प्रधान डाकघर	2
34.	करूर प्रधान डाकघर	2

1	2	3
35.	किलपौक	1
36.	कोडैकनाल	2
37.	कोविलपट्टी प्रधान डाकघर	2
38.	कुम्बकोणम प्रधान डाकघर	2
39.	मदुरै बाजार	2
40.	मदुरै प्रधान डाकघर	4
41.	मदुरै पैलेस	2
42.	महाराजा नगर	1
43.	माइलाडुथुराय प्रधान डाकघर	2
44.	मेत्तुपलायम प्रधान डाकघर	1
45.	मुनिचलै रोड	2
46.	माइलापोर प्रधान डाकघर	2
47.	एन.एच. रोड	2
48.	नागापट्टनम प्रधान डाकघर	2
49.	नागरकोइल प्रधान डाकघर	2
50.	नागरकोइल टाउन	1
51.	पलाणी	2
52.	पलायमकोटै प्रधान डाकघर	2
53.	पार्क टाउन प्रधान डाकघर	2
54.	परमकुडै प्रधान डाकघर	2
55.	पेरम्बूर	1
56.	पेरियाकुलम प्रधान डाकघर	1
57.	पोल्लाची प्रधान डाकघर	2
58.	पांडिचेरी प्रधान डाकघर	4
59.	पुद्दुकोटै प्रधान डाकघर	2
60.	आर.एस. पुरम प्रधान डाकघर	3
61.	राजापलायम प्रधान डाकघर	2
62.	रामनगर	2
63.	रामनाथपुरम	2
64.	रामनाथपुरम प्रधान डाकघर	2
65.	सैदापेट	1
66.	सलेम प्रधान डाकघर	2
67.	शास्त्री भवन	2
68.	शिवगंगा	1
69.	शिवकाशी प्रधान डाकघर	2
70.	स्पीड पोस्ट सेंटर	1
71.	श्रीविल्लीपुत्तूर	2
72.	सेंट थॉमस माउंट प्रधान डाकघर	2
73.	सूरमंगलम प्रधान डाकघर	2
74.	टी. नगर प्रधान डाकघर	4
75.	ताम्बरम प्रधान डाकघर	2
76.	ताल्लुकुलम प्रधान डाकघर	3
77.	तेनकाशी प्रधान डाकघर	2
78.	तेप्पाकुलम	3
79.	तेयानमपेट	2
80.	तंजावुर बस अड्डा	1
81.	तंजावुर प्रधान डाकघर	2
82.	थेनी प्रधान डाकघर	1
83.	तेन्नूर	1
84.	थुकाले प्रधान डाकघर	1
85.	तिरचेनगोड प्रधान डाकघर	2
86.	तिरुचि फोर्ट	3
87.	तिरुचिरापल्ली प्रधान डाकघर	3
88.	तिरमंगलम	1
89.	तिरुनेलवेल्ली प्रधान डाकघर	2
90.	तिरुपत्तूर प्रधान डाकघर	4

1	2	3
91.	तिरुपुर प्रधान डाकघर	2
92.	तिरुवल्लूर प्रधान डाकघर	2
93.	तिरुवन्नामल्लै प्रधान डाकघर	3
94.	तिरुवरूर प्रधान डाकघर	2
95.	ट्रिप्लीकेन	2
96.	तूतीकोरिन प्रधान डाकघर	2
97.	उत्तमपलायम	1
98.	वादापलानी	2
99.	वन्नारपेट्टै	1
100.	वेल्लूर फोर्ट	1
101.	वेल्लूर प्रधान डाकघर	3
102.	विल्लुपुरम प्रधान डाकघर	1
103.	विरुदनगर प्रधान डाकघर	1
104.	विरुदनगर टाउन	1
105.	विरुदाचलम प्रधान डाकघर	2
	कुल	208

स्मार्ट गवर्नमेंट स्थापित करना

547. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से हैदराबाद में स्मार्ट गवर्नमेंट स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस कार्य के लिए भूमि और निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद स्थित अपने अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान (एनआईएसजी) के लिए भौतिक मूल संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने की पेशकश की है।

(ग) और (घ) सरकार ने राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान की स्थापना के लिए "सैद्धांतिक" सहमति प्रदान कर दी है। हैदराबाद में इस संस्थान की स्थापना के लिए एक विस्तृत व्यवसाय योजना राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सेवा कम्पनी संघ (नैसकॉम) द्वारा तैयार की जा रही है और इस मंत्रालय को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

डाकघरों संबंधी विशेषज्ञ समिति

548. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डाकघर बचत बैंक के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने का है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय ने डाकघर बचत बैंक के मौजूदा अधिदेश की पुनरीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने उक्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है तथा उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे व्यवहार्य हों।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

549. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री प्रकाश वी. पाटील:
श्री दिनशा पटेल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार प्रतिवर्ष कितने सामुदायिक केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव था और उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने केन्द्र खोले गए;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चालू वर्ष के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की उपलब्धियां बहुत कम रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) राज्य-वार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) वर्तमान वर्ष के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का निष्पादन औसत से कम रहने के बारे में सरकार को जानकारी है। यद्यपि स्वास्थ्य मुख्यतया राज्य का विषय है, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर मौजूदा अंतरालों को भरने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की विनियमित रूप से सलाह दी जा रही है। देश में समग्र स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा को सुधारने के लिए सरकार ने कई नवीन कार्यक्रम शुरू किये है।

राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लोगों की गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों का उन्नयन किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या आधार-भूत ढांचे को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित स्वास्थ्य केन्द्रों की औषधों, आवश्यक उपभोज्यों की और अधिक व्यवस्था करके आवश्यक उपस्करों की मरम्मत और आकस्मिक खर्च के लिए प्रावधान करके सुदृढ़ किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आधार-भूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व बैंक और अन्य दाता एजेंसियों की वित्तीय सहायता के साथ क्षेत्र विकास परियोजनाओं को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन का निर्माण करना क्षेत्र परियोजनाओं की मुख्य गतिविधियों में से एक है।

प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. ओटी निर्माण/प्रसव कक्ष के मरम्मत मुख्य सिविल कार्य।
2. चुनिंदा प्रथम रैफरल यूनिटों में आपातकालीन, प्रासविकी के लिए उपस्करों/औषधों का प्रावधान।
3. संवेदनाहरकों/स्त्रीरोग विज्ञानियों आदि जहां पर वे उपलब्ध नहीं हैं की संविदा के आधार पर नियुक्ति/पैसे देकर सेवाएं लेने के लिए वित्तीय सहायता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-1998		1998-1999		1999-2000	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश			55	12	55	–
2.	अरुणाचल प्रदेश			–	–	–	10
3.	असम			19	–	19	–
4.	बिहार			128	–	128	–
5.	छत्तीसगढ़			–	–	–	–
6.	गोवा			–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात		3	18	18	18	18
8.	हरियाणा		1	10	–	10	–
9.	हिमाचल प्रदेश		12	–	1	–	10
10.	जम्मू व कश्मीर		–	1	8	1	–
11.	झारखण्ड		–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक		–	7	7	7	–
13.	केरल		–	25	–	25	25
14.	मध्य प्रदेश		–	77	144	77	–
15.	महाराष्ट्र		6	34	2	34	40
16.	मणिपुर		–	–	–	–	–
17.	मेघालय		3	2	–	2	–
18.	मिजोरम		–	–	–	–	1
19.	नगालैण्ड		–	2	2	2	2
20.	उड़ीसा		–	27	–	27	–
21.	पंजाब		–	4	–	4	–
22.	राजस्थान		1	13	1	13	–
23.	सिक्किम		–	1	–	1	–
24.	तमिलनाडु		–	59	–	59	–
25.	त्रिपुरा		–	3	–	3	–
26.	उत्तर प्रदेश		48	155	–	155	–
27.	उत्तरांचल		–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल		–	86	10	86	–
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह		–	–	–	–	–
30.	चंडीगढ़		–	–	–	–	–
31.	दादरा व नागर हवेली		1	1	–	1	–
32.	दमण और द्वीव		–	2	–	2	–
33.	दिल्ली		–	2	–	2	–
34.	लक्षद्वीप		–	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी		–	–	–	–	–
		–	75	729	205	729	106

[हिन्दी]

चतुष्कोणीय राष्ट्रीय राजमार्ग

550. श्री रामानन्द सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश को केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का चतुष्कोणीय राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के तहत कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्य के कौन-कौन से जिलों से गुजरने की संभावना है; और

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने इस कार्य पर अब तक कितनी राशि खर्च की है और कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है और शेष कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से है जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम महामार्ग शामिल हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता। तथापि उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, शिवनी, सागर और नरसिंहपुर जिलों से गुजरते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए 42 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की कुल 666 किलोमीटर लंबाई में से 43 कि.मी. में चार लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया है और इसके जून, 2003 तक पूरे हो जाने की संभावना है। शेष कार्य दिसम्बर, 2007 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

कश्मीर मसले पर अमेरिकी प्रशासन की नीति

551. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कश्मीर मामले पर अमेरिकी प्रशासन की वर्तमान नीति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): 11 नवम्बर, 2001 को अमरीका के विदेश मंत्री कालिन पावेल ने जम्मू और कश्मीर के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में एक टेलीविजन साक्षात्कार में कहा कि, "दोनों पक्षों को निर्णय करना है और यह कि पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत की आवश्यकता है।" उन्होंने यह भी कहा कि अमरीका "उनके बीच मध्यस्थ, अथवा विवाचक नहीं बन सकता"।

सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारित इंटरनेशनल पर्सनल मोबाइल सर्विस

552. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली इंटरनेशनल पर्सनल मोबाइल सर्विस हेतु देश में लाइसेंस देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन बोर्ड सैटलाइट (जीएमपीसीएस) सेवा के लिए लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में सरकार ने 2 नवम्बर, 2001 को नीति की घोषणा कर दी है। नीति की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन बाई सैटेलाइट (जीएमपीसीएस) सेवा के लिए लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में नीति की प्रमुख विशेषताएं

1. भारत में जीएमपीसीएस सेवा के प्रचालन के लिए लाइसेंस गैर-विशिष्ट आधार पर जारी किए जाएंगे बशर्ते कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक प्रस्ताव को सहमति प्राप्त हो।

2. लाइसेंस 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। इसकी अवधि 10 वर्ष तक पुन: बढ़ायी जा सकती है।

3. आवेदक एक भारतीय पंजीकृत कंपनी होगी। कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी सम्पूर्ण लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय 49% से अधिक नहीं होगी।

4. सभी लाइसेंसीकृत प्रणालियों के लिए नियंत्रण एवं अनुश्रवण सुविधा सहित गेटवे अर्थ स्टेशन भारत में

अवस्थित होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से गेटवेज का प्रचालन एवम् अनुरक्षण कार्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण/संगठन के पास होगा। जीएमपीसीएस प्रचालक सुरक्षा अभिकरणों द्वारा यथावांछित अनुश्रवण सुविधाएं तथा सुरक्षा उपाय प्रदान करेंगे।

5. लाइसेंसधारक कंपनी द्वारा एक करोड़ रुपये के प्रवेश शुल्क का एक बार भुगतान करना होगा और लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर होने के पूर्व उतनी ही राशि की एक वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। लाइसेंसधारक प्रवेश शुल्क के अलावा "समायोज्य सकल राजस्व" का 10% की दर से लाइसेंस शुल्क भी अदा करेगा।

6. समय-समय पर यथा संशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 के अंतर्गत ट्राई (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) द्वारा समय-समय जारी किसी विनियमन के अधीन विभिन्न नेटवर्कों के बीच नेटवर्क संयोजकता तथा अंतरसंयोजन से संबंधित मुद्दा सेवा प्रदाताओं के बीच परस्पर रूप से निरूपित एवं निर्धारित किया जाएगा।

7. जीएमपीसीएस लाइसेंस का प्रस्ताव निर्धारित आवेदन प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। सेवा के लिए लाइसेंस करार की शर्तें एवं आवेदन-प्रपत्र दूरसंचार विभाग (डॉट) में उपलब्ध है अथवा ये डॉट वेब साइट: डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इण्डिया कॉम पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

553. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1.1.1998 में निर्धारित 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) कोटा के मुकाबले इनका प्रतिनिधित्व प्रथम श्रेणी समूह और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) की सेवाओं में क्रमश: मात्र 13.59% (अनुसूचित जातियां 10.38% और अनुसूचित जनजातियां 3.21%) और 14.41% (अनुसूचित जातियां 11.73% और अनुसूचित जनजातियां 2.68%) है;

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत (एक) प्रथम श्रेणी (समूह क) और (दो) द्वितीय श्रेणी (समूह ख) तथा समतुल्य श्रेणी के कुल पदों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन पदों पर (एक) सामान्य, (दो) अनुसूचित जाति, (तीन) अनुसूचित जनजाति और (चार) अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के कितने लोग कार्यरत हैं और फांक दिनांक डी ओ पी टी ओ.एम. नं. 36012/2/96-इएसटीटी (आरइएस) 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 में बनाये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन पदों पर इन वर्गों की अलग-अलग प्रतिशतता क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) 1.1.98 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के समूह "क" की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 14.24% था (अनुसूचित जातियां 10.8% और अनुसूचित जनजातियां 3.44% और समूह "ख" की सेवाओं में यह 15.37% (अनुसूचित जातियां 12.35% और अनुसूचित जनजातियां 3.02%) था।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय में समूह "क" और समूह "ख" के भरे हुए पदों की कुल संख्या और उनके मुकाबले कार्य कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

लघु उद्योग मंत्रालय में समूह क और समूह ख में भरे हुए कुल पदों और उनके मुकाबले कार्य कर रहे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है:

क्र.सं.	पद का नाम	संस्वीकृत संख्या	भरे हुए	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल
1.	समूह "क"	470	312	58	16	1	237	312
	प्रतिनिधित्व का प्रतिशत			18.58	5.12	0.32	75.98	
2.	समूह "ख"	646	482	77	21	13	371	482
	प्रतिनिधित्व का प्रतिशत			15.97	4.35	2.69	76.97	

अमेरिका और अन्य देशों में एन्थ्रैक्स के मामले

554. श्री के. येरननायडू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने अमेरिका और अन्य देशों में एन्थ्रैक्स आतंक के मद्देनजर आम नागरिक और संगठनों से सावधानीपूर्वक डाक संभालने का आग्रह किया है;

(ख) क्या इस संबंध में कतिपय दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिशा-निर्देशों में यह जानकारी उपलब्ध होती है कि संभावित संक्रमित डाक को कैसे संदिग्ध समझना है, इसे पुष्टि के लिए कैसे और कहां भेजना है और लिफाफे के लीक होने अथवा खोल दिये जाने के मामले में क्या करना है और क्या नहीं करना है।

सार्वजनिक दूरभाष कार्यालय

555. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **संचार मंत्री** 30 जुलाई, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1103 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सूचना कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी नहीं। देश में विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों से सूचना एकत्र की जानी है। इसे एकत्र करने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

माफिया सरगना की गिरफ्तारी

556. श्री जे.एस. वराड़:
श्री अम्बरीश:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माफिया सरगना अबु सलेम हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अबु सलेम के निर्वासन प्रत्यार्पण के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार से अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं। यू ए ई प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अबु सलेम को गिरफ्तार नहीं किया गया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों को सी.जी.एच.एस. सुविधा

557. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवानिवृत्त केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, पूर्व संसद सदस्यों और भूतपूर्व सैनिकों के वह बच्चों जो 50% से अधिक विकलांग हैं को सी.जी.एच.एस. सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आश्रित सभी बच्चे, संसद के भूतपूर्व सदस्य और अन्य पात्र श्रेणियों के व्यक्ति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना वाले शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं के पात्र हैं। तथापि, चूंकि भूतपूर्व सैनिक केन्द्रीय सरकार के सिविलियन पेंशनर नहीं हैं, इसलिए वे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं के पात्र नहीं हैं।

[अनुवाद]

अभिघात केन्द्र

558. **श्री रामजीवन सिंह:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नगर अस्पतालों में अभिघात केन्द्रों के कार्यकरण और दुर्घटना के शिकार लोगों की आपातकालीन स्थिति से निपटने में उनकी क्षमता का हाल ही में अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में सेल्यूलर/मोबाइल फोन सेवा

559. **श्री कोलूर बसवनागौड़:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कर्नाटक में जिलावार कितने जिलों में सेल्यूलर/मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के कुछ और जिलों में उक्त सेवा मुहैया कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त सेवा कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सेल्यूलर आपरेटरों की ओर से भारतीय सेल्यूलर आपरेटर एसोसिएशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कर्नाटक में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवायुक्त जिलों की संख्या 35 है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) भारत सरकार के उपक्रम भारत संचार निगम लि. ने कर्नाटक राज्य सहित देश में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की व्यापक शुरूआत की योजना बनाई है। उक्त योजना में आगामी वित्त वर्ष में कर्नाटक राज्य के जिला मुख्यालयों को शामिल किए जाने की परिकल्पना है।

विवरण

निजी प्रचालकों द्वारा कर्नाटक में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदत्त जिले

क्र.सं.	जिलों का नाम
1	2
1.	बंगलोर
2.	बंटवाल
3.	बेल्लारी
4.	बेलगाम
5.	चिकमंगलूर
6.	चित्रदुर्ग
7.	चिक्कबल्लापुर
8.	चन्नापटना
9.	धारवाड़
10.	दावनगेरे
11.	डोड्डाबल्लापुर
12.	धजारवाड़
13.	गुलबर्गा
14.	होसकेटे
15.	हुबली
16.	हासन
17.	हरिहाड
18.	जिगानी
19.	कोलार
20.	कांकपुरे
21.	मांडया
22.	मंगलूर

1	2
23.	मडीकेरी
24.	मणिपाल
25.	मुलकी
26.	मैसूर
27.	नांजनगुड्डु
28.	रायचूर
29.	सागर
30.	शिमोगा
31.	श्रीरंगापटना
32.	सूरतकल
33.	टुंकुर
34.	उडुपी
35.	उल्लाल

[हिन्दी]

भारत-नेपाल संबंध

560. श्री भीम दाहाल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शाही परिवार में हुए नरसंहार और नए राजा के राज्याभिषेक के बाद भारत-नेपाल संबंध में कोई बदलाव आया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) भारत और नेपाल के बीच मजबूत मैत्री संबंध हैं और भारत नेपाल के साथ परस्पर लाभप्रद सहयोग के लिए वचनबद्ध है। नेपाल के साथ भारत के संबंध समय के साथ सदैव खरे उतरे हैं।

विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह ने 17 से 19 अगस्त, 2001 तक नेपाल की सद्भावना यात्रा की थी। यात्रा का प्रयोजन महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र को निजी तौर पर इस वर्ष जून में नेपाल में हुई दुखद घटना पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, सरकार और लोगों की हार्दिक संवेदना पहुंचाना था। इस यात्रा के अवसर पर नेपाल के नव-निर्वाचित प्रधान मंत्री श्री शेर बहादुर देउबा को भारत और नेपाल के बीच मौजूदा मैत्री और सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की वचनबद्धता को भी दोहराया गया। यद्यपि यह यात्रा मूलत: एक सद्भावना यात्रा थी परन्तु देशों के हितों के मसलों पर भी चर्चा हुई।

द्विपक्षीय तन्त्र-व्यवस्था ने अपना कार्य करना जारी रखा है। कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में सीमा संबंधी संयुक्त तकनीकी समिति की बैठक, व्यापार, पारगमन और अनधिकृत व्यापार से सम्बद्ध अन्तर-सरकारी समिति की बैठक, सीमा प्रबंधन से संबंधित संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

एन.एच.-2 को चौड़ा किया जाना

561. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के दिल्ली-फरीदाबाद सेक्शन पर भीड़-भाड़ की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सड़क पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) से (ग) जी हां। रा.रा. 2 के दिल्ली-फरीदाबाद चार लेन खंड पर भीड़ कम करने के लिए निवारक उपाय के तौर पर किए गए उपायों में 12 से 16.5 कि.मी. तक भीड़ वाले खंड को चौड़ा करके छ: लेन का बनाना, अपोलो अस्पताल के समीप छ: लेन के सड़क उपरि पुल का निर्माण तथा बदरपुर के समीप जैतपुर में विद्यमान छ: लेन के पुल को चौड़ा करके आठ लेन का बनाना शामिल है।

[हिन्दी]

सहायकों की प्रोन्नति

562. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष, 1989 में तदर्थ और दीर्घ अवधि के लिए चयनित ऐसे सहायकों की मंत्रालय-वार कुल संख्या कितनी है जिन्होंने 13 वर्षों से अधिक की सेवा पूरी कर ली है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय-सेवा नियमावली, 1962 के प्रावधान के अनुसार सेक्शन ऑफिसर्स डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के माध्यम से अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति की पात्रता के लिए दीर्घावधि प्रोन्नति अवधि पर विचार किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा का सहायक ग्रेड, 33 संवर्गों में विकेन्द्रीकृत है और इसके बारे में अपेक्षित जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) सहायकों के ग्रेड में दीर्घकालिक सेवा की अवधारणा, सरकार ने वर्ष, 1988 में समाप्त कर दी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लेखन-सामग्री की बिक्री

563. श्री राधा मोहन सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के पड़ने वाले कुप्रभाव से निपटने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को सरकारी कार्यालयों, जनसेवा से जुड़े विभाग और लेखन-सामग्री और अन्य सामान की सरकारी कार्यालयों में बेचने वाली सहकारी समितियों में निरंतर बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में किस सीमा तक सफलता मिली है;

(घ) क्या सरकारी कार्यालयों को लेखन-सामग्री और अन्य सामान बेचने के लिए सहकारी समितियों को दिए गए प्राधिकार को वापिस लेने और सरकारी विभागों में विद्यमान आधारभूत संरचना से उक्त सामग्रियों को बेचने के लिए स्वयं का अपना विभाग बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) सरकार, प्रशासन में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त किये जाने की आवश्यकता के प्रति पूर्ण सचेत है। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को अन्वेषण करने के अधिकार, भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस-स्थापन-अधिनियम के अंतर्गत मिलते हैं। भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस-स्थापन-अधिनियम जैसे मौजूदा विधानों के अलावा सरकार ने कुछ ही समय पहले संसद में केन्द्रीय सतर्कता-आयोग-विधेयक और लोकपाल-विधेयक पेश किए हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच-पड़ताल करने के अतिरिक्त, मुख्य सतर्कता अधिकारी, विभिन्न विभागों/संगठनों में कार्य करते हैं। सरकार के विभागों इत्यादि को लेखन-सामग्री और अन्य वस्तुएं बेचने के लिए प्राधिकृत, केन्द्रीय भण्डार और एन.सी.सी.एफ. के अपने-अपने सतर्कता एकक हैं जो मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। ये एकक, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के बारे में ऐसी सभी शिकायतों की जांच करते हैं जिनमें कर्मचारी संलिप्त होते हैं और जहां-कहीं आवश्यक समझा जाए, वहां आवश्यक छानबीन/जांच-पड़ताल करने के पश्चात् कार्रवाई करते हैं।

(घ) और (ङ) सरकार, मंत्रालयों/विभागों इत्यादि द्वारा केन्द्रीय भण्डार/सुपर बाजार/एन.सी.सी.एफ. से लेखन-सामग्री और अन्य वस्तुएं खरीदे जाने के बारे में अनुदेशों की, वित्त-मंत्रालय और उपभोक्ता-मामलों के मंत्रालय सहित, संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से समीक्षा कर रही है।

इस बारे में एक विभाग सृजित किए जाने का कोई भी प्रस्ताव, इस समय, सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री को आमंत्रण

564. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश के प्रधान मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री को ढाका यात्रा के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-अमेरिका संबंध

565. श्री अनन्त नायक: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अमेरिका से बेहतर संबंध स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) भारत और अमरीका हाल के वर्षों की गति को बनाए रखने और अपने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर रूप देने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं।

(ख) सरकार ने नए अमरीकी प्रशासन के जनवरी 2001 से कार्य संभालने के साथ ही उच्च स्तर की बातचीत की। द्विपक्षीय कार्यकलापों की शृंखला के संपर्क में मंत्रिस्तरीय और सरकारी स्तरों पर नियमित परामर्श सम्पन्न हुए। प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति बुश के आमंत्रण पर 7-9 नवम्बर, 2001 तक वाशिंगटन की यात्रा की। दोनों नेता भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच परस्पर लाभकारी दीर्घकालिक साझेदारी निर्माण हेतु कई शुरुआतों के लिए सहमत हुए।

दोनों पक्ष मार्च, 2000 में स्थापित संस्थागत वार्ता की व्यापक संरचना को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए सहमत हुए हैं। नाभिकीय ऊर्जा और असैनिक अन्तरिक्ष अनुप्रयोगों में सहयोग शुरू हो गया है। दोनों पक्ष उच्च-प्रौद्योगिकी वाणिज्य के लिए रूपरेखा स्थापित करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करेंगे। मिसाइल रक्षा समेत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मसलों से सम्बद्ध परामर्श चल रहा है जो 'नई सामरिक रूपरेखा वार्ता' के जरिये आगे बढ़ेगी। रक्षा और सैन्य आदान-प्रदानों को और गहन करने के लिए द्विपक्षीय रक्षा नीति दल की बैठक दिल्ली में दिसम्बर के पूर्वार्द्ध में आयोजित की जाएगी। दोनों पक्ष ऊर्जा और पर्यावरण मसलों पर दो अतिरिक्त अवयवों को शामिल करते हुए व्यापक द्विपक्षीय आर्थिक वार्ता को बढ़ाने के लिए भी सहमत हुए हैं।

[हिन्दी]

पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

566. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो जिलावार कितने ग्राम पंचायतों को विशेषकर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में, अब तक उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(ग) ग्राम पंचायतों को बेहतर टेलीफोन सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, नहीं। देश में अभी भी 35525 ग्राम पंचायतों में दूरसंचार सुविधा प्रदान नहीं की गई है। विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश में 14297 ग्राम पंचायत और उड़ीसा में 244 ग्राम पंचायत दूरसंचार सुविधारहित हैं। संलग्न विवरण में जिलावार ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) शेष ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल), सी-डॉट, टीडीएमए/पीएमपी और उपग्रह जैसी नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जा रहा है। दोषपूर्ण मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के स्थान पर नए प्रौद्योगिकीय उपस्कर लगाये जाने की योजना है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

विवरण

उत्तर प्रदेश (पूर्व)

क्र.सं.	जिला	कवर न की गई ग्राम पंचायतें
1	2	3
1.	इलाहाबाद	639
2.	कोशाम्बी	102
3.	आजमगढ़	330
4.	बलिया	4
5.	बस्ती	724
6.	संत कबीर नगर	468
7.	बांदा	0
8.	चित्रकूट	0
9.	बहराइच	166
10.	श्रीवस्ती	95

1	2	3
11.	बाराबंकी	228
12.	देवरिया	422
13.	कुशी नगर	548
14.	इटावा	132
15.	औरैया	170
16.	फैजाबाद	167
17.	अम्बेडकरनगर नगर	388
18.	फर्रुखाबाद	41
19.	कन्नौज	5
20.	फतेहपुर	30
21.	गोरखपुर	390
22.	गोंडा	486
23.	बलरामपुर	192
24.	गाजीपुर	746
25.	हरदोई	269
26.	हमीरपुर	46
27.	महोबा	17
28.	जौनपुर	826
29.	झांसी	0
30.	जालौन	0
31.	कानपुर शहर	12
32.	कानपुर देहात	90
33.	लखनऊ	0
34.	लखीमपुर	0
35.	ललितपुर	0
36.	मैनपुरी	140
37.	मिर्जापुर	0
38.	मऊ	85
39.	महाराजगंज	154
40.	प्रतापगढ़	460
41.	रायबरेली	181
42.	सुल्तानपुर	321
43.	सीतापुर	176
44.	शाहजहांपुर	648
45.	सिद्धार्थनगर	826
46.	सोनभद्र	0
47.	उन्नाव	86
48.	वाराणसी	278
49.	भदोही	216
50.	चंदौली	352
51.	फिरोजाबाद	84
	जोड़	11740

उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

जिला	अभी कवर किए जाने वाली ग्राम पंचायतें
1	2
आगरा	0
फिरोजाबाद	0
अलीगढ़	9
हाथरस	2
बदायूं	500
बरेली	36
बिजनौर	0
बुलन्दशहर	267
एटा	440
गाजियाबाद	20
मथुरा	22
मेरठ	25

1	2
बागपत	5
मुरादाबाद	275
जे.पी. नगर	355
मुजफ्फरनगर	0
नोएडा	65
पीलीभीत	449
रामपुर	29
सहारनपुर	58
जोड़	2557

उड़ीसा-सर्किल

क्र.सं.	जिला	कवर न की गई ग्राम पंचायतें
1	2	3
1.	अनुगुल	9
2.	बालासोर	3
3.	बरगढ़	0
4.	भद्रक	1
5.	बलांगीर	22
6.	बौद	11
7.	कटक	2
8.	देवगढ़	7
9.	ढेंकानाल	10
10.	गजपति	2
11.	गंजाम	5
12.	जगतसिंहपुर	3
13.	जाजपुर	6
14.	झारसुगुडा	11
15.	कालाहांडी	17
16.	कोंदमाल	16
17.	केंद्रपड़ा	6
18.	क्योंझर	0
19.	खुर्दा	0
20.	कोरापुट	25
21.	मालकानगिरि	31
22.	मयूरभंज	7
23.	नबरंगपुर	10
24.	नयागढ़	1
25.	नुआपाड़ा	9
26.	पुरी	1
27.	रायगड़ा	4
28.	सम्बलपुर	11
29.	सोनपुर	11
30.	सुन्दरगढ़	3
	जोड़	244

[अनुवाद]

भारतीय डाकघरों में भुगतान विधि में बदलाव

567. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारतीय डाकघरों में भुगतान विधि में बदलाव लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय डाकघरों ने कुछ राज्यों में प्री-पेड कार्ड, मास्टर कार्ड की सुविधाएं शुरू की हैं;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसी सुविधाएं शुरू की गई हैं;

(ङ) सभी डाकघरों में ऐसी सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने इस सुविधा के अधिकतम उपयोग हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जनता में जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम को चलाकर इस कार्यक्रम का जोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (छ) डाकघर अपने ग्राहकों को कार्ड-आधारित नकदी रहित भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है तथा इस उद्देश्य के लिए वह ऐसे कुछ चुनिंदा शहरों में प्री-पेड कार्ड शुरू कर रहा है जहां कार्ड स्वीकार किये जाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इस उत्पाद को शुरू करने के साथ इसके उपयोग को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा।

मेडिकल स्टोर डिपो में अधिकारियों का तबादला

568. श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री अमर राय प्रधान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 14 मार्च, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी जी एच एस या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ऐसे कितने स्टोर डिपो हैं जहां गत तीन वर्षों के दौरान 31 अक्तूबर, 2001 तक संबंधित प्राधिकारियों ने वहां के कर्मचारियों के 3 से 5 वर्षों की सामान्य सेवा पूरी किए बिना ही उनके तबादले कर दिए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली का संबंध है, निम्नलिखित भंडार डिपो कार्य कर रहे हैं:

1. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक डिपो।
2. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना होमियोपैथिक डिपो।
3. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी डिपो।
4. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा भंडार डिपो।

प्रशासनिक अपेक्षाओं के कारण पदधारियों का कार्यकाल पूरा होने से पहले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा भंडार डिपो, नई दिल्ली से स्थानान्तरण के केवल दो मामले हुए हैं।

दिल्ली से बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

खादी उत्पादन में कमी

569. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छूट संबंधी दावों का भुगतान न किये जाने के कारण खादी उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खादी का कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, नहीं। खादी उत्पादन में आई कमी मुख्यत: बिक्री में कमी के कारण हुई है और यह छूट दावों की गैर-अदायगी के कारण नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में हुआ खादी का उत्पादन निम्नोक्त है:

वर्ष	उत्पादन (मूल्य करोड़ रु. में)
1998-99	635.89
1999-2000	551.94
2000-2001	605.00

(घ) भारत सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 14 मई, 2001 को एक पैकेज की घोषणा की है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना तथा महिलाओं और पिछड़े क्षेत्रों को सशक्त बनाना है। पैकेज की मुख्य विशेषताएं हैं, पांच वर्ष के लिए छूट,

छूट संबंधी विकल्प तथा मार्किट विकास सहायता (एम.डी.ए.) खादी कारीगरों के लिए बीमा, खादी उत्पादों में सुधार पर बल पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन, मार्किटिंग, ब्रांड बिल्डिंग और कलस्टर विकास इत्यादि के संवर्धन के उपाय करना।

बम विस्फोट में संदिग्ध रूप से संलिप्त व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी किया जाना

570. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई बम विस्फोट में संदिग्ध रूप से संलिप्त अबु सलेम ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ से अपना पासपोर्ट जारी करवाया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी हां। अबू सलेम ने 15 जून, 1993 को अकील अहमद आजमी के काल्पनिक नाम से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था और उसे 6 जुलाई, 1993 को पासपोर्ट जारी किया गया था। पासपोर्ट पुलिस की अनापत्ति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी किया गया था।

[हिन्दी]

झारखण्ड और बिहार में टेलीफोन सुविधा

571. **श्री राम टहल चौधरी:**
श्री लक्ष्मण गिलुवा:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखण्ड और बिहार में डाक, तार और दूरसंचार क्षेत्र में उपलब्ध जरूरी सेवाओं के घटिया स्तर के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है; और

(ग) इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) बिहार और झारखण्ड क्षेत्रों में डाक सेवाएं आमतौर से संतोषप्रद हैं। हाल में किए गए लाइव मेल सर्वेक्षण से निम्नलिखित स्थिति का पता चलता है:

सर्किल का नाम	मानदंडों के भीतर डाक का वितरण	
	शहरी	ग्रामीण
अपंजीकृत डाक		
बिहार	92.3%	93.6%
झारखण्ड	92.3%	85.1%
पंजीकृत डाक		
बिहार	98.9%	94.6%
झारखण्ड	88%	98.6%
मनीआर्डर		
बिहार	100%	97.2%
झारखण्ड	94.7%	86.5%

तथापि कभी-कभार शिकायतें प्राप्त होती हैं जिन पर तत्काल कार्रवाई की जाती हैं।

झारखण्ड और बिहार में तार सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर घटिया नहीं है। वर्ष 2000-2001 के दौरान 12 डे लाइट आवर्स के भीतर वितरित तारों के प्रतिशत के रूप में मापी गई तार सेवा की गुणवत्ता 94% के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 95.2% रही है।

झारखण्ड और बिहार में दूरसंचार सेवाएं संतोषप्रद रूप से कार्य कर रही हैं। दूरसंचार सेवाओं में सुधार एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) सुधार की गुंजाइश हमेशा करती है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। जहां तक डाक सेवाओं का संबंध है, इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें चरणबद्ध रूप से संस्थापित की जा रही हैं।

(2) वी-सेट के माध्यम से मनीआर्डरों का प्रेषण शुरू हो गया है।

(3) हमारे ग्राहकों को बेहतर/तीव्र सेवाएं प्रदान करने के लिए बचत बैंक कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

(4) शिकायतों के तीव्र निपटान के लिए कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

(5) कुछ डाकघरों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2001-2002 के लिए प्रस्तावित 410 पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की तुलना में चालू वर्ष में 397 केन्द्र चालू कर दिए गए हैं।

(6) बिहार में चालू वर्ष के दौरान 1 उप डाकघर और 10 शाखा डाकघर खोले गए हैं।

(7) दूरसंचार सेवाओं में चरणबद्ध रूप से सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(क) भूमिगत पेपर कोर केबलों को जेली भरे केबलों से बदलना।

(ख) भूमिगत केबलों को ग्राहकों के परिसरों तक बिछाना ताकि ड्राप वायर समाप्त किया जा सके। इस संबंध में 5 पेयर भूमिगत केबल लगाना ऐसा ही एक कार्य है।

(ग) अधिक से अधिक दूरस्थ लाइन यूनिटें खोलकर आउटडोर संयंत्र के आकार में तद्नुरूपी कमी करके प्रत्येक एक्सचेंज द्वारा सेवित क्षेत्र को कम करना।

(घ) भूमिगत केबलों की आवश्यकता समाप्त करने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप, डी एल सी आदि जैसी नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत करना।

(ङ) बाह्य संयंत्र को समय-समय पर सुव्यवस्थित बनाना।

(च) केवल शहरी क्षेत्रों में इन डोर उपयोग के लिए 20 पेयर डी पी के प्रयोग तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम संभव सीमा/पोल तक सीमित रखना ताकि ड्राप वायर की लम्बाई कम की जा सके।

(8) सभी एक्सचेंजों के लिए विश्वसनीय संचार मीडिया का प्रावधान करना।

[अनुवाद]

नौकरशाहों की संख्या में वृद्धि

572. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 जनवरी, 1998 से सरकारी और अन्य कार्यालयों में सचिव, अपर सचिव, निदेशक, उप सचिव और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और आज की तिथि के अनुसार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से आई.ए.एस. और गैर-आई.ए.एस. श्रेणी के अधिकारियों की संख्या अलग-अलग कितनी है; और

(घ) आर्थिक सुधार आयोग द्वारा नौकरशाही के आकार में कटौती की सिफारिश संबंधी रिपोर्ट के प्रकाश में इस वृद्धि का क्या औचित्य है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) जी, नहीं। 1.1.1998, 1.1.1999, 1.1.2000, 1.1.2001 और 1.10.2001 की मौजूदा स्थिति के अनुसार सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, और अवर सचिव के स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

स्तर	1.1.1998	1.1.1999	1.1.2000	1.1.2001	1.10.2001
1	2	3	4	5	6
सचिव	117	137	159	149	137
भारतीय प्रशासनिक सेवा	73	83	98	92	94
अन्य	44	54	61	57	43
अपर सचिव	99	107	107	108	110
भारतीय प्रशासनिक सेवा	78	75	68	73	75
अन्य	21	32	39	35	35

1	2	3	4	5	6
संयुक्त सचिव	389	418	454	492	489
भारतीय प्रशासनिक सेवा	271	273	268	290	293
अन्य	118	145	186	202	196
निदेशक	453	473	526	591	645
भारतीय प्रशासनिक सेवा	171	173	180	209	233
अन्य	282	300	346	382	412
उप सचिव	395	383	441	467	636*
भारतीय प्रशासनिक सेवा	136	129	126	129	120
अन्य	259	254	315	338	516
अवर सचिव	555	580	553	557	1372*
भारतीय प्रशासनिक सेवा	5	8	13	13	9
अन्य	550	572	540	544	1363

*1.10.2001 को मौजूदा स्थिति के अनुसार, उप सचिवों और अवर सचिवों की संख्या में वैयक्तिक/तदर्थ आधार पर पदोन्नत, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं।

इंग्लैंड में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ

573. **श्री गुनीपाटी रामैया:** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित विदेशियों को आमंत्रित करने के लिए पिछले वर्ष कार्य परमिट नियमों में संशोधन किये जाने के बाद भारत से बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ ब्रिटेन जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इंग्लैण्ड में वर्तमान में कुल कितने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) ग्रेट ब्रिटेन की संसद में जनवरी, 2001 में रोजगार राज्य मंत्री के वक्तव्य के अनुसार, वर्ष 2000 में ग्रेट ब्रिटेन में काम करने के लिए प्रवेश करने वाले 18,257 विदेशी सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों में से 11,474 भारत के थे।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट सेवायें

574. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के किन जिला मुख्यालयों में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध नहीं है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सभी जिला मुख्यालयों को इस नेटवर्क के अंतर्गत कब तक लाये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) रायगंज, उत्तर दिनाजपुर जिले में स्पीड पोस्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम उत्पाद है तथा इसे व्यावसायिक आधार पर चलाया जाता है। इस नेटवर्क का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है जो बाजार की स्थिति, आवश्यकता के आकलन, अनुमानित राजस्व और परिवहन नेटवर्क पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना

575. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या प्रधान मंत्री 29.11.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1645 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैगा परमाणु ऊर्जा योजना के विस्तार की प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्तमान में यह किस चरण में है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। कैगा 3 और 4 (2×220 मेगावाट) के लिए परियोजना वित्तीय संस्वीकृति मई, 2001 में दे दी गई है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

योग डिग्री कॉलेज की स्थापना

576. श्रीमती प्रेनीत कौर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योग चिकित्सा औषधालयों के डिग्री कॉलेज की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसे डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) इस समय केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) किसी भी राज्य ने योग के डिग्री कालेज खोलने के प्रस्ताव के बारे में सूचित नहीं किया है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में सेल्यूलर सेवा

577. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कृष्णा और अन्य जिलों में सेल्यूलर सेवा के विस्तार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) सरकार ने किस तरीके से निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा की योजना बनाई है; और

(ङ) सरकार द्वारा नये क्षेत्रों में सस्ती और कुशल सेल्यूलर सेवा शुरू करने के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश में 85 शहरों को सेल्यूलर मोबाइल सेवा के तहत लाने की योजना है जिसमें कृष्णा जिले सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालय शामिल हैं।

(ग) क्रय आदेश अभी जारी किये जाने हैं और मौजूदा संकेतों को देखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि नेटवर्क आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(घ) सेवाएं गुणवत्ता पैरामीटरों के अनुरूप और प्रतिस्पर्धी दरों पर शुरू की जाएंगी।

(ङ) योजना और कार्यक्रम से संबंधित और अधिक ब्यौरे क्रय आदेश जारी होने के बाद विक्रेताओं से परामर्श करके तैयार किये जाएंगे।

भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा पी.सी.ओ. बूथों को बंद किया जाना/अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर करना

578. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने अधिकार-क्षेत्र से सभी पी.सी.ओ. बूथों को बाहर करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन युवाओं को मुआवजा दिए जाने का कोई प्रस्ताव है जिन्होंने ऐसे बूथों की स्थापना करने में भारी राशि का निवेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शिक्षित युवकों को कितना-कितना मुआवजा दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

श्रीलंका और पाकिस्तान की जेलों में बंदी भारतीय मछुआरे

579. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रीलंका और पाकिस्तान की जेलों में कितने भारतीय मछुआरे बंदी हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनकी रिहाई के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) श्रीलंका की सरकार की हिरासत में पांच मछुआरे और पाकिस्तानी हिरासत में 48 मछुआरे हैं।

(ख) और (ग) सरकार बन्दी भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान की सम्बद्ध सरकारों के साथ राजनयिक माध्यमों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद

580. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार ने दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाये के लिए अभियान शुरू करने का आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) वाशिंगटन डी सी में 9 नवम्बर, 2001 को अमरीका के राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ प्रधान मंत्री की मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर गौर किया कि दोनों देश आतंकवाद के लक्ष्य पर हैं और इस बात की पुष्टि की कि विश्व में हर स्थान पर आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध सार्वभौमिक युद्ध की आवश्यकता है। 5 अक्तूबर, 2001 को एक प्रेस ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा था कि राष्ट्रपति बुश ने 1 अक्तूबर को श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है और यह कि राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि "आतंकवाद का हर स्थान पर खात्मा होना चाहिए जिसमें कश्मीर भी शामिल है"।

युद्ध बंदी

581. श्री मोहन रावले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान द्वारा बंदी बनाये गये भारतीय सैनिकों को या तो जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया गया या उन्हें मुस्लिम देशों में बेच दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) विश्वास किया जाता है कि पाकिस्तानी अभिरक्षा में 54 युद्ध बंदी हैं। इन्हें छोड़े जाने और इनके प्रत्यावासन के मामले पर पाकिस्तान की सरकार के साथ सभी स्तरों पर निरंतर बातचीत की गई है। तथापि, पाकिस्तान की सरकार ने कभी भी अपनी अभिरक्षा में इनके होने की बात स्वीकार नहीं की है।

[अनुवाद]

शिशु और मातृ मृत्यु-दर

582. श्री अम्बरीश:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री के.पी. सिंह देव:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण के कारण भारत में विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में शिशु और मातृ मृत्यु-दर काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में मृत्यु-दर को कम करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने अथवा कोई कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1998-99 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के बच्चों में अन्य पिछड़े वर्गों या अन्य महिलाओं के बच्चों की तुलना में शिशु और बाल मृत्यु दर ऊंची हैं। सर्वेक्षण से पूर्व के 10 वर्षों की अवधि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में शिशु मृत्यु क्रमशः 83 और 84.2 होने का अनुमान लगाया गया था। इसी अवधि में समग्र शिशु मृत्यु 73 होने का अनुमान लगाया गया था। सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शिशु मृत्यु के राज्यवार आंकड़े नहीं दिए गए हैं। तथापि, सर्वेक्षण से पहले के पांच वर्ष की अवधि की राज्यों की शिशु मृत्यु दर संलग्न विवरण-I में दी गई है। शिशु मृत्यु को कई कारण प्रभावित करते हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ माता की शिक्षा, धर्म, जाति/जनजाति और रहन-सहन का स्तर शामिल है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 में भी यह दर्शाया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों में पोषण की कमी अपेक्षाकृत अधिक होती है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों में पोषण की स्थिति सबसे खराब और उनमें बीमारियां अधिक होती हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 से पूर्व की दो वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर औसत मातृ-मृत्यु अनुपात प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 540 मौतें होने का अनुमान था। नमूना पंजीयन प्रणाली द्वारा 1998 के दौरान 100,000 जीवित जन्मों पर मातृ-मृत्यु दर 407 होने का अनुमान लगाया गया। प्रमुख राज्यों के बारे में वर्ष 1998 के मातृ-मृत्यु दर के अनुमान संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 और नमूना पंजीयन प्रणाली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मातृ-मृत्यु दर अलग-अलग नहीं दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शिशु और मातृ मत्यु दरों में कमी लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गये हैं। इनमें वैक्सीन निवार्य छह रोगों के प्रतिरोग प्रतिरक्षण, अतिसार और तीव्र श्वसनी संक्रमणों के रोगियों का समुचित उपचार, अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या की व्यवस्था, मात्र स्तनपान और उपयुक्त अनुपूरक आहार पद्धतियों के समर्थन के जरिए पौषणिक स्तर का संवर्द्धन करना तथा शिशु मृत्यु में कमी लाने के लिए विटामिन-ए और आयरन की कमी का रोगनिरोधन करना शामिल हैं।

मातृ मृत्यु में कमी लाने के लिए अनिवार्य प्रसूति परिचर्या, आपाती प्रसूति परिचर्या, गर्भ की जटिलताओं वाली गर्भवती महिलाओं के लिए पंचायतों के माध्यम से रेफरल परिवहन, प्रथम रेफरल एककों में औषधों और उपस्करों का प्रावधान, अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्टाफ नर्सों, डाक्टरों और संवेदनाहरण विज्ञानियों जैसे संविदात्मक कर्मचारियों की व्यवस्था की जा रही है। चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे प्रसूति सेवाओं जैसी स्कीमों के लिए निधियां प्रदान की जा रही हैं।

रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना चलाई जा रही है। असेवित क्षेत्रों में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य विस्तार योजना चलाई गई है। इसके अंतर्गत 50 जिलों को 2000-01 में पहुंच बाह्य सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए गए। इस स्कीम का 2001-02 के दौरान और 101 जिलों को कवर करने के लिए विस्तार किया गया है।

30 प्रतिशत से कम सुरक्षित प्रसव दर वाले 142 जिलों में दाई प्रशिक्षण की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

वर्ष 2000-01 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा प्रदानगी में सुधार लाने के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के उद्देश्य से 102 ऐसे जिलों का चयन किया गया जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का कम उपयोग हुआ है। यह स्कीम 2001-02 के दौरान और 74 जिलों तक बढ़ाई गई है।

विवरण I

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एफ एच एस-2, 1998-1999) से पहले के पांच वर्षों के राज्यवार शिशु मृत्यु दर

राज्य	शिशु मृत्यु दर
1	2
भारत	67.6
दिल्ली	46.8
हरियाणा	56.8

1	2
हिमाचल प्रदेश	34.4
जम्मू व कश्मीर	65.0
पंजाब	57.1
राजस्थान	80.4
मध्य प्रदेश	86.1
उत्तर प्रदेश	86.7
बिहार	72.9
उड़ीसा	81.0
प. बंगाल	48.7
अरुणाचल प्रदेश	63.1
असम	69.5
मणिपुर	37.0
मेघालय	89.0
मिजोरम	37.0
नागालैंड	42.1
सिक्किम	43.9
गोवा	36.7
गुजरात	62.2
महाराष्ट्र	43.7
आंध्र प्रदेश	65.8
कर्नाटक	51.5
केरल	16.3
तमिलनाडु	48.2

विवरण II

मातृ-मृत्यु दर (भारत और बड़े राज्य)
स्रोत-भारत के महारजिस्ट्रार, न.पं.प., 1998

बड़े राज्य	मातृ-मृत्यु दर
1	2
भारत	407
आंध्र प्रदेश	159
असम	409
बिहार	452
गुजरात	28
हरियाणा	103
कर्नाटक	195
केरल	198
मध्य प्रदेश	498
महाराष्ट्र	135
उड़ीसा	367
पंजाब	199
राजस्थान	670
तमिलनाडु	79
उत्तर प्रदेश	707
प. बंगाल	266

वायरलेस इन लोकल लूप प्रणाली

583. श्री एन.टी. चणमुगम: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु क्षेत्र के वेल्लोर जिले में वायरलेस इन लोकल लूप प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र में और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी हां। आगामी वित्त वर्ष के दौरान, वेल्लोर जिले में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) प्रणाली की शुरुआत करने की योजना है। तथापि चालू वित्त वर्ष के दौरान, चार स्थानों

में वेल्लोर गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) के तिरुवन्नामल्ले जिले के लिए डब्ल्यूएलएल प्रणाली की योजना बनाई गई है जिनके नाम ये हैं: बन्दियावाश, चेंगाम, तिरुवेट्टिपुरम तथा तिरुवन्नामल्लै।

(ग) से (ङ) जी, हां। इस जिले में 5 नए टेलीफोन एक्सचेंज नामत: परंजै, पेरुथक्कम, मेलपाड़ी, वेरकलनाथम तथा वेलम खोलने की योजना है। परंजै तथा पथिथक्कम नामक दो एक्सचेंज खोले जा चुके हैं। शेष 3 एक्सचेंज 31 मार्च, 2002 तक खोले जाने की योजना है।

[हिन्दी]

एम्स में पृथक विभाग

584. **श्री जयभान सिंह पवैया:**
श्रीमती शीला गौतम:
श्री बृजलाल खाबरी:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एम्स में रोगियों की जांच के लिए पृथक विभाग खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग की कार्यविधि क्या होगी;

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है;

(घ) क्या राजधानी के अन्य अस्पतालों में भी ऐसे विभाग खोले जाने की संभावना; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का 9.18 करोड़ रुपये की कुल लागत से स्क्रीनिंग ओ.पी.डी./क्लीनिक शुरू करके बहिरंग रोगी विभाग के कार्यकरण में सुधार करने और उसमें भीड़-भाड़ कम करने का प्रस्ताव है। सरकार के पास राजधानी में अन्य केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में स्क्रीनिंग ओ.पी.डी. के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

आई.एस.डी. दरों में कमी

585. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आई.एस.डी. दरों में कमी करने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई दरों के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) ट्राई को टैरिफ निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है। ट्राई ने सूचित किया है कि वर्तमान टैरिफ 31.3.2002 तक जारी रहेंगे।

[हिन्दी]

डाक्टरों के लिए आचार संहिता

586. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार डाक्टरों के लिए आचार संहिता बनाने या उसकी समीक्षा करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय सरकार द्वारा चिकित्सकों के लिए व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता पर विनियमों को अन्य संबंधित विभागों से परामर्श लेते हुए अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

टेलीफोन सलाहकार समिति

587. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:**
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री विलास मुत्तेमवार:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में कार्यरत सभी 16000 दूरसंचार सलाहकार समितियों (टीएसी) को भंग कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में इन टी ए सी को पुनर्गठित करने हेतु इनके कार्यकरण की समीक्षा करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां। देश में सभी 364 टेलीफोन सलाहकार समितियों (टीएसी) को 24.9.2001 को भंग कर दिया गया है।

(ख) से (घ) जब सेवा प्रदान करने का कार्य सरकार के पास था, ग्राहकों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की गई थीं। सेवा प्रदान करने वाले प्रचालन स्कंध का 1.10.2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के रूप में निगमीकरण किया गया है। दूरसंचार क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कम्पनियों, जिन्हें प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में कार्य करना है, को ग्राहकों से प्रभावी सामंजस्य स्थापित करने के लिए समुचित तंत्र विकसित करने की सलाह दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

588. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री के. मुरलीधरन:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 58,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की प्रगति की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा किये जा रहे कार्यों और उन्हें आवंटित/जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर कितनी प्रगति हुई और परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की आवधिक समीक्षा की जा रही है और अधिकांश कार्य लक्ष्य के अनुसार चल रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर 16,803 करोड़ रु. के मूल्य के कुल 118 ठेके प्रगति पर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए धनराशि राज्यवार आबंटित नहीं की जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और कुछ अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 4208 करोड़ रु. जारी किए गए।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की कुल लंबाई 13,151 कि.मी. है जिसमें से स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई 5851 कि.मी. और उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम महामार्गों की लंबाई 7300 कि.मी. है। स्वर्णिम चतुर्भुज के 1020 कि.मी. में और महामार्गों के 675 कि.मी. में चार लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को दिसम्बर, 2007 तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

पल्स रेट में कमी

589. डा. ए.डी.के. जयशीलन: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने स्थानीय कालों के लिए पल्स रेट को 5 मिनट से घटाकर 3 मिनट कर दिया है;

(ख) क्या इस कदम से फोन उपभोक्ताओं, विशेषकर जो अक्सर स्थानीय काल प्रयोग करते हैं, पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या स्थानीय कालों के लिए पूर्ववत 5 मिनट की पल्स रेट को वापस बहाल करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं। क्योंकि स्थानीय कॉल का औसत समय 3 मिनट से कम है और एक स्थानीय कॉल द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को संपूर्ण एसडीसीए और संलग्न एसडीसीए तक बढ़ाया गया है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित है।

वर्दी धोटाला

590. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्रीमती रेनु कुमारी:

क्या **संचार मंत्री** 6.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2180 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्दी के कपड़े के नमूनों और निविदा फाइलों की छापा प्रतियों का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या वर्ष 1999-2000 के लिए वर्दियों की खरीद की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है और कर्मचारियों को वर्दियां दिए जाने की संभावना है; और

(घ) प्रमाणिक वस्त्र मिलों यथा बॉम्बे ड्राइंग इत्यादि के वर्दी के कपड़े की खरीद केन्द्रीय भंडार तथा एन सी सी एफ के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सीबीआई एसीबी दिल्ली शाखा ने दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद एमटीएनएल के महाप्रबंधक (एमएम) श्री नरेन्द्र कुमार, महाप्रबंधक (वित्त), श्री शाहबाज अली, उप महाप्रबंधक (आई आर) श्री विनीत सक्सेना और अन्यों के विरुद्ध 10.10.2001 को एक मामला अर्थात आर सी 70(ए)/2001-डीएलआई दर्ज किया है।

तलाशी के दौरान एकत्र कपड़ों के नमूने जांच के लिए वस्त्र प्रयोगशाला को भेजे जा रहे हैं।

(ग) वर्दी की खरीद संबंधी प्रक्रिया खुली निविदा के जरिए की गई थी और उसे अंतिम रूप दे दिया गया था परन्तु सीबीआई द्वारा वर्दियों के प्रापण की छानबीन करने के कारण स्टाफ को नहीं दी जा सकीं।

(घ) वर्दियां खुली निविदा के जरिये खरीदी जा रही हैं और पात्रता शर्त तैयार करते समय इस बारे में पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि केवल मानक कपड़ा मिलें ही इसमें भागीदारी करने की पात्र हों।

[हिन्दी]

संचार केन्द्र

591. **श्री अनंत गुढ़े:**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:
श्री अनंत गंगाराम गीते:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कुल कितने संचार केन्द्र हैं और कितने नए केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) क्या नवगठित राज्यों में संचार व्यवस्था ठीक ढंग से कार्य कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को संचार केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उत्तरांचल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस राज्य के किन स्थानों से ये आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में निर्माण कार्य शुरू करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री का अमरीका दौरा

592. **श्रीमती श्यामा सिंह:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने अक्तूबर, 2001 में अमरीका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था और दोनों देशों के बीच हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या अमरीका ने आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में भारत की सहायता करने का वायदा किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) विदेश मंत्री 30 सितम्बर से 2 अक्तूबर, 2001 तक न्यूयार्क और वाशिंगटन डी.सी. की यात्रा पर गए।

(ख) और (ग) यह यात्रा 11 सितम्बर के आतंकवादी हमलों के बाद अमरीका के साथ हमारे सक्रिय राजनयिक संबंध का एक भाग है। इस यात्रा के दौरान आतंकवाद के विरुद्ध विश्वस्तरीय आंदोलन, अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाइयां तथा पश्च तालिबान राजनीतिक ढांचे सहित परस्पर हितचिंता के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चाएं हुई। विदेश मंत्री को न्यूयार्क की यात्रा करने का भी मौका मिला जहां उन्होंने अमरीका के लोगों जिनमें भारतीय समुदाय के लोग भी शामिल हैं, के प्रति सहानुभूति जताई।

(घ) और (ङ) आतंकवाद का प्रतिकार करने से सम्बद्ध भारत-अमरीका संयुक्त कार्य दल के सांस्थानिक तंत्र के अंतर्गत अमरीकी सरकार आतंकवाद विरोधी क्षेत्र में कार्यक्रमों को विकसित करने तथा उनकी पेशकश करने पर सहमत हो गई है जिसमें अंतर-विभागीय समन्वय, संकट का समाधान परिणामी प्रबंधन तथा भारत में आतंकवाद विरोधी सांस्थानिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने में अपनी सुविज्ञता की साझेदारी शामिल है।

गर्भनिरोधक

593. श्री सुबोध मोहिते: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 सितम्बर, 2001 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "दि वर्ल्ड मैप्स अफगानिस्तान, गवर्नमेंट मेजर्स अवर मैर्म्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में उपयोग किये जा रहे गर्भनिरोधक उपायों की असफलता दर का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को मजबूत बनाने हेतु क्या अन्य उपाय अपनाए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी हां।

(ख) हम पाते हैं कि कण्डोम के प्रयोग की असफलता दर अन्य गर्भनिरोधकों से अधिक सूचित की गई है। इस उच्च असफलता दर के लिए कण्डोम का खिसकना और फटना है। भारत में उपलब्ध कण्डोम अन्तरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। तथापि इन कण्डोमों की लम्बाई तथा चौड़ाई समेत इन्हें पश्चिमी देशों से एकत्र किए गए मानवता रोपी आंकड़ों (एंथ्रोपोमोरफिक डाटा) के अनुसार तैयार किया जाता है। कण्डोम के खिसकने और फटने की समस्या भारतीय लोगों में उत्तेजित लिंग पर कण्डोम के काफी ढीले या सख्त होने के कारण हो सकती है। चूंकि हमारे पास देश के विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय पुरुषों के संबंध में उत्तेजित लिंग के कोई मानवतारोपी परिमाप नहीं हैं, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में कण्डोमों के अधिक चौड़ाई वाले विनिर्देश प्राप्त करने हेतु एक अध्ययन करने का प्रस्ताव है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने देश में प्रयोग की जा रही गर्भनिरोधक विधियों की असफलता दर पता करने के लिए अनेक अध्ययन किए हैं।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार विभिन्न गर्भनिरोधकों की असफलता दर कापर-टी के लिए 1.5 प्रतिशत, मुख सेव्य गोलियों के लिए 0.1 प्रतिशत और कण्डोम की असफलता दर 10-36 प्रतिशत है जैसाकि अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों में बताया गया है।

(ङ) देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए अपनाए जा रहे अन्य उपाय इस प्रकार हैं:

(1) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य का एक एकीकृत और व्यापक कार्यक्रम जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भनिरोधक विषय शामिल हैं।

(2) परिवार नियोजन विधियों का प्रचार जिनमें पुरुष और महिला, दोनों का बन्ध्यीकरण, जन्म में अन्तर रखने के तरीके नामत: आई यू डी निवेशन, मुखसेव्य गोलियां और कण्डोम शामिल हैं।

(3) ग्राम स्तर पर एकीकृत सेवा प्रदानगी की व्यवस्था करके गर्भनिरोधकों की पूरी न हुई जरूरतों को पूरा करना।

(4) छोटे परिवार के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम।

(5) पिछड़े राज्यों/जिलों में अतिरिक्त निवेश का प्रावधान।

पाकिस्तानी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात

594. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री द्विपक्षीय मामलों पर आगरा में शुरू की गई बातचीत को जारी रखने हेतु नवम्बर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के अवसर पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले थे; और

(ख) यदि हां, तो किन मामलों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गांवों में टेलीफोन सुविधाएं

595. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कितने गांवों में अभी तक टेलीफोन सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं;

(ख) क्या देश के सभी गांवों को वर्ष के अंत तक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी;

(ग) अक्तूबर, 2001 तक देश में खराब पड़े टेलीफोनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गांवों को बेहतर टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार 193,063 गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

(ख) शेष सभी गांवों को निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों (पीबीएसओ) के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 2002 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान किये जाने की योजना है बशर्ते कि निधियां और उपस्कर उपलब्ध हों।

(ग) 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार, 70,604 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन खराब पड़े हैं, जैसा कि संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है।

(घ) दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) सीडीओटी टीडीएमए/पीएमपी और उपग्रह जैसी नई प्रौद्योगिकियों की योजना बनाई गई है ताकि गांवों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। मरम्मत के अयोग्य एम ए आर आर आधारित सभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को डब्ल्यू एल एल प्रणालियों से बदलने की योजना है।

विवरण

31.10.2001 की स्थिति के अनुसार खराब ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की स्थिति

सर्किल	खराब ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों कीं संख्या
1	2
अंडमान-निकोबार	57
आंध्र प्रदेश	242
असम	5118
बिहार	5394
छत्तीसगढ़	4733
गुजरात	2548
हरियाणा	649
हिमाचल प्रदेश	858
जम्मू-कश्मीर	1242

1	2
झारखंड	3457
कर्नाटक	698
केरल	0
मध्य प्रदेश	9777
महाराष्ट्र	392
पूर्वोत्तर-1	1372
पूर्वोत्तर-2	661
उड़ीसा	12213
पंजाब	472
राजस्थान	2276
तमिलनाडु	793
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	9890
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2950
उत्तरांचल	1777
पश्चिम बंगाल	3035
जोड़	70604

[अनुवाद]

विदेश मंत्री का चीन दौरा

596. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने अक्तूबर, 2001 में चीन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो किन मामलों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के समाधान हेतु बातचीत में किस सीमा तक प्रगति हुई?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

के.वी.आई.सी. द्वारा ऋण

597. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या के.वी.आई.सी. कार्यान्वयन संस्थाओं को ऋण प्रदान करने के अपने कार्यक्रम के लिए सरकार से ऋण प्राप्त करने की बजाय अनुदान पर निर्भर है;

(ख) क्या निधियों को सरकार की मंजूरी के बिना योजना से गैर-योजना में परिवर्तित कर दिया गया है तथा जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम तथा प्रखंड विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लक्षित समूह को परिवर्तित कर दिया गया है;

(ग) क्या ऋण उद्देश्यों तथा वसूलियों पर निगाह रखने के लिए परियोजनाओं और संस्थाओं के मूल्यांकन हेतु आयोग के प्रधान कार्यालय अथवा विभिन्न राज्य कार्यालयों में कोई उचित प्रणाली विद्यमान नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) केन्द्रीय सरकार योजना तथा गैर-योजना शीर्षों के तहत खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के विकास हेतु मुख्यत: अनुदान के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम एवं खण्ड विकास कार्यक्रम योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के लक्ष्य ग्रुप को परिवर्तित करने के लिए निधियों का प्लान से नान-प्लान में दिशा परिवर्तन नहीं किया गया।

(ग) जी, हां। के.वी.आई.सी. और के.वी.आई. बोर्डों को वित्तीय संस्थान नहीं माना गया है।

(घ) सरकार बैंकों को खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को पर्याप्त क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

[हिन्दी]

आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध

598. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री ताराचन्द भगोरा:
श्री रामेश्वर डूडी:
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:
श्री भेरूलाल मीणा:
डा. चरणदास महंत:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में सक्रिय कुछ आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमरीकी प्रशासन से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर अमरीकी प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) आतंकवाद का प्रतिकार करने से सम्बद्ध संयुक्त कार्य दल के माध्यम से आतंकवाद को रोकने से सम्बद्ध चल रहे भारत-अमरीकी द्विपक्षीय सहयोग के भाग के रूप में सरकार अमरीका के साथ भारत में सीमापार से आतंकवाद के स्वरूप तथा स्रोत के संबंध में अपनी सूचना एवं आकलन को बांटती है।

(ग) अमरीका के घरेलू कानून द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार उसने हरकत-उल-मुजाहिद्दीन को ''विदेशी आतंकवादी संगठन'' तथा लश्करे-ए-तोएबा को ''अन्य आतंकवादी संगठनों'' की अमरीका विदेश विभाग द्वारा रखी सूची में शामिल कर लिया है। उसने जैस-ए-मोहम्मद की भी अमरीकी ट्रेजरी विभाग के विशेष रूप से नामित आतंकवादी गुटों की सूची में शामिल कर लिया है।

[अनुवाद]

निजाम के धन को वापस लाना

599. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद के पूर्व निजाम के नाम पर लंदन के एक बैंक में एक मिलियन स्टर्लिंग पाउंड पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) उस धन को वापस लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर 1948 में नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक आफ लंदन में हैदराबाद के निजाम की सरकार के खाते में लगभग 1,007,940 पाउंड स्टर्लिंग और 9 शिलिंग की राशि जमा थी। निजाम के वित्त मंत्री के नियमित अनुदेश पर यह राशि लंदन में पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त के खाते में स्थानांतरित कर दी गई। अभी यह निधि 24,454,350 पाउंडर स्टर्लिंग की है।

(ग) इस मसले को हल करने के लिए सरकार ने विगत में पाकिस्तान की सरकार और हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम और उनके वैध उत्तराधिकारियों से कई बार संपर्क किया। इस मसले के समाधान के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं।

प्रतिनियुक्ति पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी

600. श्री के.पी. सिंह देव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन अधिकारियों पर होने वाले व्यय में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो व्यय को कम करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) इस समय विदेश में भारतीय विदेश सेवा के कुल 11 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(ख) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की विदेश प्रतिनियुक्ति के लिए कार्यवाही लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रख कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि विदेश प्रतिनियुक्ति के मामले में भारत सरकार कोई व्यय वहन नहीं करती। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान अपना वेतन और भत्ते मेजबान संगठन की ओर से मिलते हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

601. श्री ए. नरेन्द्र: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों को पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ग) क्या योजना आयोग द्वारा गठित कार्य दल की तकनीकी समिति ने आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की पहचान एक पर्वतीय क्षेत्र के रूप में की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने दसवीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) के अंतर्गत नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों/तालुकों को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(ख) वर्ष 1965 में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की एक समिति द्वारा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के अंतर्गत क्षेत्रों की पहचान की गई थी जबकि पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) क्षेत्रों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 1972 में डब्ल्यूजीडीपी क्षेत्रों की सिफारिश की गई थी।

(ग) से (ङ) योजना आयोग ने वर्ष 1986 में देश में नये पर्वतीय क्षेत्रों के रेखांकन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। बहरहाल, संसाधन दबाव के कारण आंध्र प्रदेश सहित किसी भी राज्य के किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में एचएडीपी का विस्तार न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अफगानी सिक्खों और हिन्दुओं के कष्टों को दूर करना

602. **श्री सिमरनजीत सिंह मान:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अफगानिस्तान छोड़ रहे सिक्खों और हिंदुओं के कष्टों को दूर करने हेतु राजनयिक स्तर पर क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): अफगानिस्तान में लम्बे गृह युद्ध के कारण बड़ी संख्या में अफगानी राष्ट्रिक भारत में रह रहे हैं। अफगानी लोगों के प्रति मित्रता की अपनी पारम्परिक नीति के अनुसार सभी अफगानी राष्ट्रिकों, जिनमें अफगानी मूल के लोग शामिल हैं, जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेजों/पासपोर्ट के साथ आए थे, को बिना किसी रोक-टोक के रहने दिया जा रहा है, उनके वार्षिक वीजा को बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हमें यह जानकारी भी मिली है कि अफगानिस्तान के 275 अफगान सिख/हिन्दु परिवार भारत आने की इच्छा से इस समय पाकिस्तान में हैं। भारत आने से सम्बद्ध इन अनुरोधों की सरकार सहानुभूतिपूर्वक और मानवीय आधारों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। वीजा देने के लिए अनेक आवेदन मंजूर कर लिए गए हैं। इन आवेदकों के लिए सरकार ने वीजा शुल्क भी माफ कर दिया है।

सरकार अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की बहाली के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर सक्रिय कार्य भी कर रही है, ताकि इन परिवारों की अपने घरों में शीघ्र वापसी के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जा सके।

[हिन्दी]

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले

603. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:**
श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री पदमसेन चौधरी:
श्री के. बलराम कृष्णमूर्ति:
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री राम सिंह कस्वां:
योगी आदित्यनाथ:
श्री भीम दाहाल:
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश में अक्तूबर, 2001 में नई सरकार की स्थापना के पश्चात हिन्दुओं पर हमले और उनके आप्रवास के मामले बढ़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर बांग्लादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) सरकार ने बंग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हाल में हुए हमलों को गंभीरता से लिया है। 10 अक्तूबर, 2001 को बंगलादेश में नई सरकार द्वारा सत्ता संभालने के पश्चात् विभिन्न स्तरों पर उन्हें भारत सरकार की गंभीर चिंता से अवगत कराया गया जिनमें 26-27 अक्तूबर, 2001 तक प्रधान मंत्री के विशेष दूत की ढाका यात्रा भी शामिल है।

(घ) बंगलादेश की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और हिंसा करने वालों को दंडित करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी। इन हमलों की जांच करने के लिए बंगलादेश सरकार ने बंगलादेश की प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव के नेतृत्व में एक विशेष समिति गठित की है।

[अनुवाद]

सेल्यूलर लाइसेंसिंग नीति

604. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चौथी सेल्यूलर लाइसेंसिंग नीति से 1633 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी कंपनियों ने बोली लगाई है;

(ग) प्रत्येक कंपनी द्वारा कितनी राशि जमा की गई है;

(घ) इन कंपनियों को दिये गये सर्किलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन कंपनियों को 2 अगस्त, 2001 तक अपनी बोली कीमत का 20% जमा कराने के लिए कहा गया था;

(च) यदि हां, तो उनके द्वारा शेष राशि का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा;

(छ) क्या सभी बोलीदाताओं ने राशि का पूरी तरह भुगतान कर दिया है; और

(ज) यदि हां, तो परियोजना को कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। सरकार को उन पांच कंपनियों से प्रवेश शुल्क के रूप में लगभग 1633.57 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिन्हें 17 सेवा क्षेत्रों के लिए चौथा सेल्युलर लाइसेंस प्रदान किया गया है।

(ख) से (घ) सात कंपनियों ने अपनी-अपनी बोलियां लगाई थीं जिनमें से पांच कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किये जाने हेतु सफल पाया गया था। लाइसेंसों तथा सेवा क्षेत्रों (मेट्रो शहरों/ दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों) की मंजूरी प्रदान करने के लिए अंकित प्रवेश शुल्क और सफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है। इन कंपनियों के सभी 17 लाइसेंसों पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

(ङ) से (छ) सफल बोलीदाताओं को 31 जुलाई, 2001 को अंकित प्रवेश शुल्क की 20% राशि 2 अगस्त, 2001 तक जमा करने के लिए मांग पत्र भेजे गए थे। सभी कंपनियों ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर यह राशि जमा कर दी थी। सभी सफल बोलीदाताओं ने 10.8.2001 तक अंकित प्रवेश शुल्क की शेष 80% राशि भी जमा करा दी थी और इस प्रकार सफल बोलीदाताओं ने प्रवेश शुल्क के रूप में कुल लगभग 1633.57 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान कर दिया है।

(ज) 26 सितम्बर, 2001 से 5 अक्तूबर, 2001 के बीच की प्रभावी तिथियों सहित सभी 17 लाइसेंसों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। लाइसेंस करार के अनुसार, लाइसेंसधारकों द्वारा लाइसेंस की प्रभावी तारीख से एक वर्ष के भीतर सेवा शुरू की जाएगी, अत: ये सेवाएं सितम्बर/अक्तूबर, 2002 तक शुरू होने की संभावना है।

विवरण

सफल बोलीदाताओं द्वारा जमा किए गए प्रवेश शुल्क की राशि और सेवा क्षेत्र

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सेवा क्षेत्र	भुगतान की गई राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	मैसर्स भारती सेल्यूलर लिमिटेड	मुम्बई	203.66
2.	-वही-	गुजरात	109.01

1	2	3	4
4.	मैसर्स भारती सेल्यूलर लिमिटेड	हरियाणा	21.46
5.	-वही-	मध्य प्रदेश	17.45
6.	-वही-	महाराष्ट्र	189.00
7.	-वही-	तमिलनाडु	79.00
8.	-वही-	उ.प्र. (पश्चिम)	30.55
9.	मैसर्स बिरला एटी एंड टी कम्यूनिकेशंस लि.	दिल्ली	170.70
10.	मैसर्स बाराखम्बा सेल्स एंड सर्विसेज लि.	चेन्नई	154.00
11.	-वही-	आंध्र प्रदेश	103.01
12.	-वही-	कर्नाटक	206.83
13.	मैसर्स एस्कोर्टस टेलीकम्युनिकेशंस लि.	हिमाचल प्रदेश	1.10
14.	-वही-	पंजाब	151.75
15.	-वही-	राजस्थान	32.25
16.	-वही-	उ.प्र. (पूर्व)	45.25
17.	मैसर्स रिलाइबल इंटरनेट सर्विसेज लि.	कोलकाता	78.01
		जोड़	1633.57

[हिन्दी]

राजस्थान में दूरभाष केन्द्र

605. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:**
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पिछले दो वर्षों में राजस्थान में दूरभाष केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रस्तावित दूरभाष केन्द्रों की स्थापना कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान, कुल 183 नए एक्सचेंज खोले गए थे। 2000-01 के दौरान, केवल 103 एक्सचेंज खोले गए थे।

(ग) जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में उल्लिखित हैं।

(घ) 2000-01 के दौरान, सम्पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑप्टिकल फाइबर केबल की कम आपूर्ति के कारण, 150 नए एक्सचेंजों के लक्ष्य के प्रति केवल 103 नए एक्सचेंज ही खोले जा सके।

(ङ) इस मामले में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि नए एक्सचेंज के लक्ष्य प्राप्त करना नियंत्रण से

विवरण

खोले गए नए एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	1999-2000 के दौरान खोले गए एक्सचेंज	2000-2001 के दौरान खोले गए एक्सचेंज
1	2	3	4
1.	अजमेर	3	3
2.	अलवर	3	2
3.	बांसवाड़ा	1	0
4.	बरन	6	10
5.	बाड़मेर	7	4
6.	भरतपुर	4	9
7.	भीलवाड़ा	8	4
8.	बीकानेर	8	8
9.	बूंदी	2	1
10.	चित्तौड़गढ़	8	3
11.	चूरू	24	2
12.	दौसा	1	0
13.	धौलपुर	0	1
14.	डूंगरपुर	2	3
15.	हनुमानगढ़	11	5
16.	जयपुर	8	2
17.	जैसलमेर	2	5
18.	जालोर	10	1
19.	झालावाड़	2	1
20.	झुन्झुनू	2	1
21.	जोधपुर	12	8
22.	करौली	2	1
23.	कोटा	7	0
24.	नागौर	12	3
25.	पाली	11	4
26.	राजसमन्द	1	1
27.	सवाई माधोपुर	2	1
28.	सीकर	4	8
29.	सिरोही	6	0
30.	श्रीगंगानगर	9	7
31.	टोंक	3	2
32.	उदयपुर	2	3
	कुल	183	103

[अनुवाद]

आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्र

606. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्रीमती निवेदिता माने:
योगी आदित्यनाथ:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सेना प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को प्रशिक्षण, हथियार और पैसा मुहैया करवाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त देशों में चलाए जा रहे ऐसे केन्द्र कितने हैं और उनका स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इनके विरुद्ध सैन्य कार्यवाही आरम्भ करके इन्हें समाप्त करने के लिए विभिन्न वर्गों से निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या बुडापेस्ट स्थित इन्टरपोल जनरल एसेम्बली में भारतीय प्रतिनिधि ने वांछित आतंकवादियों के प्रत्यर्पण के लिए सभी देशों द्वारा विशेष कानून बनाने के लिए जोर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) जम्मू तथा कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी हथियार और धन के अलावा पाकिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान स्थित शिविरों में प्रशिक्षण पा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को आज अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से खतरों की पूरी जानकारी है और इसे व्यापक, एकीकृत एवं स्थायी दृष्टिकोण के जरिए निष्फल करने की आवश्यकता है जिसमें वास्तविक रूप से वे उपाय भी शामिल होंगे जिनका उद्देश्य आतंकवादी गुटों को और आगे प्रशिक्षण देने तथा वित्तीय सहायता देने से रोकना है। आतंकवाद के विरुद्ध इस अंतर्राष्ट्रीय मतैक्य को तैयार करने में भारत हमेशा सबसे आगे रहा है जिसे 11 सितम्बर को अमरीका में आतंकवादी हमलों द्वारा भी उत्प्रेरित किया गया है। भारत ने कई अवसरों पर अपने इस संकल्प को दोहराया है कि आतंकवाद का तब तक मुकाबला किया जाएगा जब तब उसे निश्चित रूप से परास्त न किया जाए।

(ङ) और (च) जी, हां। बुडापेस्ट में सम्पन्न इन्टरपोल सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल ने सदस्य देशों को अपने-अपने राष्ट्रीय आपराधिक कानूनों में वैधानिक परिवर्तन करने की आवश्यकता का सुझाव दिया ताकि रेड कार्नर नोटिसों को शीघ्र तामील किया जाए और भगोड़े अपराधियों को प्रत्यर्पित करके तथा उन्हें सुपुर्द करके अपराध का मुकाबला करने वाले देशों की मदद की जाए।

[हिन्दी]

इलैक्ट्रोपैथी पाठ्यक्रम

607. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलैक्ट्रोपैथी पाठ्यक्रम संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट में मेडिकल और सर्जरी में डिप्लोमा को पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 1 अक्तूबर, 2001 को हुई अपनी बैठक में इसको भी सहमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) संघ सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा को मान्यता देने के दावों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की है। सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या में चिकित्सा एवं शल्यक्रिया में डिप्लोमा कोर्स को शामिल करने की कोई सिफारिश नहीं की है।

[अनुवाद]

दिल्ली में टेलीफोन सुविधाएं

608. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केबल लाइनों में त्रुटि के कारण दिल्ली में कई भागों में बड़ी संख्या में टेलीफोन खराब पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। 17.11.2001 की स्थिति के अनुसार, महानगर टेलीफोन निगम. लि. (एमटीएनएल) दिल्ली में 5632 टेलीफोन केबल की खराबी के कारण खराब पड़े हैं।

(ख) केबलों में खराबी, मुख्य रूप से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी), निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट प्रणाली आदि जैसी नागरिक एजेंसियों द्वारा अलग-अलग स्थानों में विकास कार्य करने की वजह से उत्पन्न हो रही है।

(ग) केबलों की खराबी की समस्या से निपटने के लिए एमटीएनएल दिल्ली ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

* एमटीएनएल दिल्ली द्वारा की गई पहल के कारण, दिल्ली के माननीय उप राज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विद्युत बोर्ड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जैसे नागरिक निकायों और निजी दूरसंचार प्रचालकों को सम्मिलित करते हुए एक समन्वय समिति का गठन किया ताकि भूमिगत केबलों के मौजूदा नेटवर्क को किसी तरह की क्षति से बचाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जा सके।

* केबल की खराबियों को दूर करने के लिए ज्यादा स्टाफ तैनात किया गया है।

* मुख्यालयों और क्षेत्रीय स्तरों पर दोष नियंत्रण केन्द्र स्थापित किये गये हैं ताकि केबल की खराबियों को दूर करने के कार्य को प्रभावी ढंग से मॉनीटर किया जा सके।

* सभी पेपर कोर केबलों को समयबद्ध ढंग से ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी)/पोली इंसुलेटिड जेली भरे (पीआईजेएफ) केबल से बदलने का प्रस्ताव है।

* रिमोट सब्स्क्राइबर यूनिट (आरएसयू), डिजिटल लूप कैरियर (डीएलसी) जैसे और स्विचिंग नोड खोले जा रहे हैं ताकि उपभोक्ता-लूप में भूमिगत केबलों की लंबाई कम की जा सके।

इस्लामाबाद में भारतीय मिशन

609. श्री नरेश पुगलिया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान परिदृश्य में इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में भारतीय मिशन पर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों द्वारा हमला किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा भारतीय मिशन की सुरक्षा के लिए कोई उपाय किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां। भारत हाई कमीशन समेत इस्लामाबाद में अवस्थित कई राजनयिक मिशनों को उच्चतर सुरक्षा मिलने पर भी खतरा बना हुआ है।

(ख) और (ग) पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद में राजनयिक मिशनों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपनी ओर से कई प्रयास किये हैं। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी प्राधिकारियों को भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय मिशन और आवासीय परिसरों की सुरक्षा के संबंध में अपनी चिंता से अवगत कराया है।

भारत संचार निगम लिमिटेड

610. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड को नए टेलीफोन प्रभारों के कारण राजस्व का भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए प्रभार से देश में टेलीफोन सघनता प्रभावित होगी;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ङ) राजस्व घाटे और टेलीफोन सघनता की गिरावट को रोकने के लिए क्या भविष्य में कार्य योजना आरम्भ की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हाँ।

वर्ष 2000-2001 के लिए टीआरएआई द्वारा घोषित नए टैरिफ के कारण राजस्व में 3023 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया है।

इसके अलावा, सामुदायिक हित को बढ़ावा देने के लिए, बीएसएनएल ने 26.1.2001 से एक पैकेज के भाग के रूप में अंतरा-सर्किल कॉलों के लिए टैरिफ घटा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की और गिरावट आई है।

1.4.1999 से 1.4.2001 तक प्रति डीईएल राजस्व में 14.59% की गिरावट आई है, अर्थात यह 777.99 रुपये से 664.47 रुपए प्रतिमाह हो गया है।

(ग) और (घ) यद्यपि टैरिफ में कटौती के कारण बीएसएनएल का निवेश योग्य अधिशेष कम हुआ है, तथापि, बीएसएनएल बाजार से ऋण लेकर भी टेलीघनत्व के लक्ष्य प्राप्त करने के सभी प्रयास कर रहा है।

(ङ) भावी योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) नई सेवाएं जैसे सेल्युलर मोबाइल, डब्ल्यूएलएल, इंटरनेट इत्यादि की शुरुआत।

(2) उपयुक्त वित्तीय सहायता/सार्वभौमिक सेवा निधि के माध्यम से ग्रामीण डीईएल, वीपीटी तथा अन्य गैर-किफायती डीईएल का वित्तपोषण।

(3) कम कॉल प्रभारों के कारण टैरिफ में वृद्धि।

वाहनों में संकेतकों (लाल बत्ती) का प्रयोग

611. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री राम प्रसाद सिंह:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोटरयान अधिनियम में वाहन चालकों द्वारा वाहनों में संकेतकों (लाल बत्ती) के प्रयोग संबंधी कोई उपबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पूरे देश में मोटरयान उपबंधों का घोर उल्लंघन/दुरुपयोग किया जाता है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों और दिल्ली पुलिस का ध्यान आकर्षित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त): भुवन चन्द्र खंडूड़ी: (क) से (च) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 108 के अंतर्गत केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अपने वाहनों में लालबत्ती का प्रयोग करने के हकदार व्यक्तियों की श्रेणियां अधिसूचित कर सकती है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है तथापि राज्य सरकारों ने कतिपय श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा लालबत्ती का उपयोग अधिकृत किया है। राज्य सरकारों द्वारा जारी किसी आदेश/निदेश का कार्यान्वयन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाना होता है।

कॉयर फेड

612. **श्री वी.एम. सुधीरन:** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कॅयर मैटों को बनाने वाली सहकारी समितियों, छोटी सहकारी समितियों और कॅयर फेड जैसे सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं को देय छूट संबंधी राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण उनके सामने अत्यधिक समस्याएं आ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने छूट के बकाया का भुगतान करने का अनुरोध किया है। चूंकि ये दावे इस प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट राशि की निर्धारित सीमा से अधिक हैं, अत: उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।

फोटोकॉपियरों के लिए निविदाएं

613. **श्री रघुनाथ झा:**
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार ने खुली और सीमित निविदाएं फोटोकॉपियर पेपर की आपूर्ति के लिए जारी की थीं लेकिन इन निविदाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या कमियां पाई गई हैं;

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय भण्डार ने हाल ही में उक्त पेपर के संदर्भ में सीमित निविदा फिर से जारी की है और कुछ शर्तें निर्धारित कर दी हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पेपर निविदा के संबंध में उन बोलियों को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) क्या केन्द्रीय भण्डार के प्राधिकारी 2 रुपए के न्यायिक स्टांप के क्षतिपूर्ति के स्थान पर 10 रुपए के न्यायिक स्टांप पेपर पर दिये जाने वाली क्षतिपूर्ति पत्र के बारे में अनभिज्ञ हैं जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को वित्तीय घाटा हो रहा है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) केन्द्रीय भण्डार को 80 जी.एस.एम.

कॉपियर पेपर की आवश्यकता थी परन्तु उसने गलती से आई.एस. : 14490 : 1997 विनिर्देशन उद्धृत कर दिया था, जो कि 75 जी.एस.एम. पेपर का विनिर्देशन था। अब सीमित निविदा में उपर्युक्त विनिर्देशन संशोधित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। सीमित निविदा आमंत्रित की गई है। विनिर्देशन, पुन: तैयार कर लिया गया है। केन्द्रीय भण्डार के लाभ की दृष्टि से, कुछ मोटी-मोटी शर्तें आशोधित कर दी गई हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, शर्तों में किए गए बदलाव निम्नानुसार है:

(1) अब एक रीम पेपर, नमूने के रूप में जमा करवाना होगा।

(2) परीक्षण संबंधी खर्च, यदि कोई हो, आपूर्तिकर्त्ता से वसूला जाएगा।

(3) अब निविदा कोई कारण बताए बिना ही केन्द्रीय भण्डार द्वारा अंशत: अथवा पूर्णत: अस्वीकार कर दी जा सकती है।

(4) देर से मिलने वाली निविदाएं अब स्वीकार नहीं की जाएंगी।

(5) निविदा जमा करवाने के लिए एक नया फॉर्म विनिर्दिष्ट किया गया है।

(च) निविदा में लगाई गई बोलियां विचाराधीन हैं तथा किसी बोली को तब तक अस्वीकार कर दिये जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है जब तक कि वह निविदा की शर्तें पूरी करती हो।

(छ) और (ज) यह मसला, सलाह हेतु केन्द्रीय भण्डार के विधि-सलाहकार को भेजा जा रहा है और यदि सुधारात्मक कार्रवाई की जानी आवश्यक हुई तो ऐसी कार्रवाई, विधिक सलाह प्राप्त हो जाने पर ही की जाएगी।

[हिन्दी]

घुसपैठ

614. श्री रामदास आठवले: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा भारत में घुसपैठ के मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थानों में उठाया गया है/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर भारत ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को निरंतर उठाया है और भारत पर इसके दुष्प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई ऐसे राज्यों के साथ लड़नी होगी जो आतंकवादियों की भर्ती करते हैं, उन्हें समर्थन देते हैं, वित्त-पोषण करते हैं और उन्हें सुरक्षित शरण-स्थल प्रदान करते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में इन पहलुओं पर चर्चा करने के लिए समर्थन बढ़ रहा है।

[अनुवाद]

बिहार में स्वास्थ्य कार्यक्रम

615. श्री अरुण कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में प्रत्यक्ष रूप से चलाये जा रहे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कौन-कौन सी एजेंसियां लगी हैं और किन-किन का पता लगाया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) संघ सरकार बिहार सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में काला आजार, क्षयरोग, एड्स, कुष्ठ तथा दृष्टिहीनता समेत मलेरिया जैसे प्रमुख रोगों के नियंत्रण के लिए संचारी और गैर-संचारी दोनों तरह के रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। ये कार्यक्रम केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के रूप में कार्यान्वित किये जाते हैं जबकि मलेरिया के मामले में बिहार में 50 : 50 प्रतिशत की भागीदारी के आधार पर धन प्रदान किया जाता है। अन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में धन शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, बिहार के दो जिलों नामत: मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य; सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण तथा रोग प्रतिरक्षण कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन की चल रही गतिविधि के अलावा, राज्य के 4 जिलों पटना, वैशाली, सारण और समस्तीपुर को कवर करते हुए 4.67 करोड़ रुपये की लागत से मई 2001 में 3 वर्ष के लिए गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन की एक परियोजना भी शुरू की गई है। लोगों को विभिन्न रोगों की जांच, उपचार और परामर्श के लिए मुफ्त समेकित स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने हेतु पटना में एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था।

(ख) राज्य सरकार और राज्य/जिला रोग नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से संघ सरकार के रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते हैं। खासतौर पर मोतियाबिन्द आपरेशन, कुष्ठ और क्षयरोगियों की पहचान और उनका उपचार करने तथा एच.आई.वी./एड्स जैसे विभिन्न रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने और गर्भनिरोधकों के सामाजिक विपणन सरीखे परिवार कल्याण संबंधी उपायों के रूप में इस कार्यक्रम के संघटकों के लिए गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जाता है। स्वास्थ्य मेले के लिए भारतीय चिकित्सा संघ, पटना की सेवाओं का उपयोग किया गया।

टीकाकरण कार्यक्रम

616. श्री वाई.वी. राव:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पल्स पोलियो को आरम्भ करने और इसका सफल कार्यान्वयन के पश्चात् शिशु रोगों संबंधी अन्य टीकाकरण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्य बाल रोगों के संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) कुछ समय से वैक्सीन निवारीय रोगों के सूचित किए रोगियों की संख्या में काफी कमी आई है। डिप्थीरिया के मामलों की संख्या 1987 में 12,952 से 79 प्रतिशत तक कम होकर 1999 में 2662 तक रह गई। इसी प्रकार खसरे के रोगियों की संख्या 1987 में 2,47,519 से 84 प्रतिशत तक कम होकर 1999 में 29,135 रह गई है।*

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वैक्सीन निवार्य छह रोगों नामत: डिप्थीरिया, काली खांसी, नवजात टेटनस, पोलियो, खसरे और बाल्यावस्था के क्षयरोग को कवर करने वाले एक राष्ट्रीय रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम का देश में पहले से ही कार्यान्वयन किया जा रहा है। गुणवत्ता में सुधार करने और नेमी रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम की पहुंच बाह्यता का विस्तार करने के लिए सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से हाल ही में उन राज्यों और जिलों, जहां सुधार आवश्यक हो, पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए नेमी रोगप्रतिरक्षण सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम की पहुंच बाह्यता का विस्तार करने के लिए सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से हाल ही में उन राज्यों और जिलों, जहां सुधार आवश्यक हो, पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए नेमी रोगप्रतिरक्षण सुदृढ़ करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है। सरकार ने देश के चयनित शहरों और जिलों में प्रायोगिक आधार पर टेपाटाइटिस-बी टीकाकरण को शुरू करने का भी अनुमोदन किया है।

ग्राम स्वास्थ्य गाइड

617. डा. वी. सरोजा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार को ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) जी, हां। समिति के महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं: (1) ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना का मूल उद्देश्य अधिकांशत: अपूर्ण ही रहा है। समुदाय और स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के मध्य क्रियात्मक कड़ी प्रदान करने का मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया है; (2) इस योजना को चलाने के लिए उत्तरदायी अधिकतर राज्य सरकारों ने इसमें विश्वास खो दिया है; (3) समिति का सुविचारित मत है कि इस अवस्था में इस मौजूदा योजना को पुन: क्रियात्मक और इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए लाभदायक बनाना सम्भव नहीं होगा; (4) समिति ने इस पर ध्यान दिया है कि राज्य अपने-अपने राज्यों में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की उपस्थिति की उपेक्षा करने लगे हैं और उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया है; (5) पंचायती राज

*केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़े।

संस्थाएं भी अभी तक ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की सेवाओं का महत्वपूर्ण ढंग से उपयोग नहीं कर पाई हैं।

(ग) कई राज्य सरकारें ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के पक्ष में नहीं हैं। तदनुसार 1.1.2002 से इस योजना को बन्द करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकारों को देय बकाया दिया जायेगा।

[हिन्दी]

एस.टी.डी. सुविधा

618. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में एस.टी.डी. सुविधा से संबंधित कई आवेदन लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राज्य में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान के 1766 ग्रामीण केन्द्रों में से 1539 केन्द्र एस.टी.डी. सुविधायुक्त हैं और शेष 227 केन्द्र एस.टी.डी. सुविधा रहित हैं।

(ग) (1) मार्च, 2002 तक शेष ग्रामीण केन्द्रों को विश्वसनीय माध्यम के जरिए एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(2) इस वर्ष के दौरान, 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार, 122 ग्रामीण केन्द्रों को एस.टी.डी. सुविधा प्रदान कर दी गई है।

इलैक्ट्रोनिक दूरभाष केन्द्र

619. श्री राजो सिंह:
श्री राम सिंह कस्वां:
योगी आदित्यनाथ:
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक बिहार, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने इलैक्ट्रोनिक दूरभाष केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन राज्यों में जिलेवार कितने पुराने दूरभाष केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ग) इन सभी केन्द्रों को इलैक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों में प्रतिस्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान इन राज्यों के लिए कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार, बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कार्यरत इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) शून्य।

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
	बिहार दूरसंचार सर्किल	
1.	भोजपुर	26
2.	बकसर	16
3.	भागलपुर	35
4.	बंका	22
5.	सारण	31
6.	गोपालगंज	17
7.	सिवान	24
8.	दरभंगा	49
9.	मधुबनी	41
10.	समस्तीपुर	43

1	2	3
11.	गया	30
12.	औरंगाबाद	23
13.	जहानाबाद	9
14.	नवादा	18
15.	वैशाली	42
16.	कटिहार	22
17.	किशनगंज	14
18.	अररिया	13
19.	पुर्निया	20
20.	खगरिया	20
21.	बेगुसराय	28
22.	पश्चिमी चम्पारण	28
23.	पूर्वी चम्पारण	43
24.	मुंगेर	15
25.	लखीसराय	14
26.	शेखपुरा	9
27.	जमुई	17
28.	मुजफ्फरपुर	39
29.	सीतामढ़ी	23
30.	शिओहर	5
31.	पटना	51
32.	नालंदा	34
33.	सहरसा	26
34.	माधेपुरा	15
35.	सुपौल	19
36.	रोहतास	28
37.	भभुआ	17
38.	अनवल	9

1	2	3
	हरियाणा दूरसंचार सर्किल	
1.	अम्बाला	84
2.	भिवानी	71
3.	फरीदाबाद	35
4.	फतेहाबाद	40
5.	गुड़गांव	50
6.	हिसार	63
7.	झज्जर	32
8.	जिंद	79
9.	कैथल	31
10.	करनाल	45
11.	कुरुक्षेत्र	48
12.	महिन्द्रगढ़	29
13.	पंचकूला	17
14.	पानीपत	21
15.	रिवाड़ी	29
16.	रोहतक	50
17.	सिरसा	73
18.	सोनीपत	59
19.	यमुनानगर	63
	झारखण्ड दूरसंचार सर्किल	
1.	चतरा	7
2.	गिरिडीह	21
3.	कोडरमा	11
4.	हजारीबाग	39
5.	पूर्वी सिंहभूम	26
6.	पश्चिमी सिंहभूम	20
7.	सरायकेला	12

1	2	3
8.	लतिहार	10
9.	गढ़वा	9
10.	पलामू	17
11.	दुमका	14
12.	देवघर	10
13.	गोड्डा	11
14.	साहिबगंज	13
15.	पकूर	7
16.	जामतारा	6
17.	रांची	49
18.	गुमला	11
19.	लोहारदगा	6
20.	सिमदेगा	10
21.	धनबाद	26
22.	बोकारो	22
	महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल	
1.	अहमदनगर	320
2.	अकोला	83
3.	वाशिम	50
4.	अमरावती	129
5.	औरंगाबाद	143
6.	बीड	118
7.	भंडारा	51
8.	गोंदिया	54
9.	बुल्दाना	115
10.	चन्द्रपुर	81
11.	धुले	85
12.	नंदूरबार	46
13.	गढ़चरोली	37
14.	जलगांव	212
15.	जालना	78
16.	कल्याण	131
17.	कोल्हापुर	307
18.	लतूर	129
19.	नागपुर	129
20.	नंदेढ़	125
21.	नासिक	228
22.	उसमानाबाद	84
23.	परभनी	58
24.	हिंगोली	42
25.	पुणे	269
26.	रायगढ़	148+8 = 156
27.	रत्नागिरि	148
28.	सांगली	326
29.	सतारा	210
30.	सिंधुदुर्ग	93
31.	शोलापुर	222
32.	वारधा	70
33.	येवतमाल	95
34.	मुंबई	129
35.	थाणे	30
	राजस्थान दूरसंचार सर्किल	
1.	अजमेर	86
2.	अलवर	102
3.	बांसवाड़ा	33
4.	बरान	33

1	2	3
5.	बारमेड़	69
6.	भरतपुर	58
7.	भीलवाड़ा	75
8.	बीकानेर	69
9.	बूंदी	38
10.	चितौड़गढ़	61
11.	चुरु	85
12.	दौसा	41
13.	धोलपुर	14
14.	डुंगरपुर	36
15.	हनुमानगढ़	62
16.	जयपुर	154
17.	जैसलमेर	27
18.	जेल्लौर	62
19.	झालावार	33
20.	झुनझुनु	71
21.	जोधपुर	94
22.	करौली	26
23.	कोटा	45
24.	नागौर	101
25.	पाली	133
26.	राजसामंद	50
27.	स्वाईमाधोपुर	34
28.	सीकर	93
29.	सिरोही	49
30.	श्रीगंगानगर	105
31.	टोंक	47
32.	उदयपुर	81

1	2	3
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	
1.	इलाहाबाद	75
2.	कौशांबी	17
3.	आजमगढ़	68
4.	बहराइच	58
5.	सरस्वती	11
6.	बलिया	48
7.	बांदा	71
8.	चित्रकूट	27
9.	बाराबंकी	75
10.	बस्ती	25
11.	संतकबीर नगर	16
12.	सिद्धार्थ नगर	25
13.	देवरिया	26
14.	पडरौना	28
15.	इटावा	22
16.	औरैया	16
17.	फैजाबाद	35
18.	अकबरपुर	34
19.	फरुखाबाद	54
20.	कन्नौज	9
21.	फतेहपुर	48
22.	गाजीपुर	42
23.	गोंडा	39
24.	बलरामपुर	17
25.	गोरखपुर	47
26.	महाराजगंज	24
27.	हमीरपुर	43

1	2	3
28.	महोबा	7
29.	हरदोई	43
30.	जौनपुर	59
31.	झांसी	48
32.	ललितपुर	26
33.	कानपुर	56
34.	कानपुर देहात	38
35.	लखीमपुर	82
36.	लखनऊ	86
37.	मैनपुरी	43
38.	मऊ	44
39.	मिर्जापुर	41
40.	सोनभद्रा	30
41.	उरई	40
42.	प्रतापगढ़	60
43.	रायबरेली	63
44.	शाहजहांपुर	50
45.	सीतापुर	55
46.	सुलतानपुर	70
47.	उन्नाव	59
48.	वाराणसी	49
49.	चन्दौलिया	24
50.	भदोही	26

इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज जिला-वार

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल

1	2	3
1.	आगरा	70
2.	फिरोजाबाद	13
3.	अलीगढ़	39
4.	हाथरस	23
5.	बदायूं	39
6.	बिजनौर	61
7.	बरेली	58
8.	बुलन्दशहर	42
9.	एटा	39
10.	गाजियाबाद	52
11.	मुरादाबाद	60
12.	ज्योतिबाफूले नगरी	15
13.	मेरठ	38
14.	बागपत	21
15.	मथुरा	54
16.	नौएडा	24
17.	मुजफ्फरनगर	67
18.	पीलीभीत	33
19.	रामपुर	29
20.	सहारनपुर	41

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण उद्योगों की सहायता के लिए योजनाएं

620. श्री पी.सी. थामस: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि और ग्रामीण उद्योग की सहायतार्थ योजनाएं कार्यान्वित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में व्यय किये गये धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान केरल में कितने उद्योगों को सहायता दी गई है और तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संबंध में वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान किये जाने के मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) सरकार कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों सहित खादी और ग्रामोद्योग को वित्तीय, तकनीकीय तथा प्रबंधकीय सहायता के रूप में सहायता, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से प्रदान करती है। के.वी.आई.सी. की मार्जिन मनी स्कीम जो कि 1.4.95 को शुरू की गई थी, देश भर में लागू है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी प्रदान की जाती है। परियोजना जिसकी लागत रु. 10 लाख से ऊपर और 25 लाख रु. तक है, इसके संबंध में 10 लाख रु. का 25 प्रतिशत + परियोजना लागत की शेष राशि का 10 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। कमजोर वर्गों के संबंध में मार्जिन मनी 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के संबंध में 30% की दर से तथा शेष राशि (25 लाख रु. तक) का 10 प्रतिशत की दर से प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के योजनेतर और गैर-योजनेतर क्रियाकलाप के संबंध में निधियां केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये फण्ड्स (निधियां) अनुदानों और ऋणों के रूप में दी जाती हैं और आयोग इन्हें कार्यान्वयन अभिकरणों नामश: राज्य के.वी.आई. बोर्डों, सहकारी सोसाइटियों, राष्ट्रीकृत बैंकों इत्यादि को पुन: आवंटित करता है। वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान के.वी.आई.सी. द्वारा (केरल सहित) विभिन्न राज्यों/संघ शासित को क्रमश: संवितरित ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II पर दिया गया है।

(ङ) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मार्जिन मनी परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक प्रदान की जाती है। 10 लाख रु. से ऊपर और 25 लाख रु. तक की लागत की परियोजना के संबंध में मार्जिन मनी 25 प्रतिशत की दर से परियोजना लागत की शेष राशि के 10% की दर से प्रदान की जाती है। कमजोर वर्ग के संबंध में मार्जिन मनी 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए 30% की दर से तथा शेष राशि (25 लाख रु. तक) के 10% की दर से प्रदान की जाती है।

विवरण I

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऋणों का संवितरण

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	63.02	17.68	19.76	31.10	49.29	3.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	–	0.00
3.	असम	19.43	0.37	0.79	2.00	106.17	13.02
4.	बिहार	30.17	0.14	58.83	7.02	26.37	–
5.	गोवा	0.00	31.32	0.00	1.55	–	–
6.	गुजरात	7.00	13.37	43.34	29.13	19.38	–
7.	हरियाणा	18.75	219.36	2.10	8.88	84.71	8.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	6.52	4.33	4.78	–
9.	जम्मू एंड कश्मीर	0.38	0.00	6.61	0.52	–	–
10.	कर्नाटक	170.75	68.05	102.75	61.58	43.16	0.68

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	3.15	1.46	35.48	13.68	15.49	–
12.	मध्य प्रदेश	1.21	48.88	8.18	12.11	14.75	–
13.	महाराष्ट्र	10.84	48.68	7.62	41.96	8.77	15.66
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.34	11.86	0.42
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.86	0.23	–
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.10	–	–	
17.	नागालैंड	0.00	2.00	0.00	0.00	15.41	–
18.	उड़ीसा	18.85	3.87	6.10	8.34	3.20	2.30
19.	पंजाब	0.00	2.50	11.45	1.21	60.94	5.00
20.	राजस्थान	28.59	26.21	19.70	23.60	34.69	1.49
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
22.	तमिलनाडु	0.25	26.57	42.27	37.41	22.45	8.06
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	61.81	135.90	332.88	191.10	64.25	36.54
25.	पश्चिमी बंगाल	43.15	4.97	36.28	48.54	13.92	1.00
संघ राज्य क्षेत्र							
26.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
28.	दादरा एवं नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	0.00	0.00	1.65	10.11	5.00	–
30.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
31.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	1.29	4.20	–
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
33.	डिपार्टमेंटल	0.00	0.00	0.00	7.67	–	30.71
34.	अन्य स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
	कुल	477.45	651.33	737.41	544.33	609.02	126.84

विवरण II

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	174.29	737.29	275.35	340.75	627.53	705.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.87	0.00	0.00	0.00	5.40	0.50
3.	असम	35.06	6.30	59.79	6.72	68.87	0.77
4.	बिहार	748.45	4.00	1196.53	33.96	305.36	44.48
5.	गोवा	1.00	9.84	0.00	40.36	0.79	–
6.	गुजरात	1387.00	94.71	2554.96	268.56	1585.85	12.96
7.	हरियाणा	592.79	52.265	652.94	185.23	414.44	239.42
8.	हिमाचल प्रदेश	123.30	153.97	76.51	272.94	445.99	26.37
9.	जम्मू और कश्मीर	81.92	40.53	182.50	352.13	112.96	20.77
10.	कर्नाटक	438.63	561.35	1008.73	1228.32	426.31	756.44
11.	केरल	322.60	15.58	205.45	395.94	762.62	357.98
12.	मध्य प्रदेश	367.27	319.06	178.49	1319.02	595.37	23.32
13.	महाराष्ट्र	32.93	285.31	310.59	308.97	419.17	444.24
14.	मणिपुर	0.00	281.51	0.00	266.93	0.40	169.70
15.	मेघालय	0.00	0.00	2.36	44.93	7.42	6.50
16.	मिजोरम	0.00	49.63	0.02	344.39	0.99	155.74
17.	नागालैंड	7.18	90.00	5.37	396.94	17.48	5.38
18.	उड़ीसा	30.99	60.50	172.53	87.02	116.61	161.67
19.	पंजाब	619.41	124.79	345.73	605.12	967.26	158.33
20.	राजस्थान	105.26	314.15	1490.71	461.80	879.73	319.85
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	1268.80	58.77	2690.76	414.10	3874.13	262.07
23.	त्रिपुरा	0.02	0.00	0.50	0.00	–	1.91
24.	उत्तर प्रदेश	1947.68	77.71	4201.30	1454.00	5153.75	514.17
25.	पश्चिमी बंगाल	235.00	7.60	595.10	20.49	325.78	6.36
संघ राज्य क्षेत्र							
26.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	–	4.36
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
28.	दादरा एंड नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
29.	नई दिल्ली राष्ट्रीय रा.क्षे.	22.29	10.74	669.27	31.34	354.06	72.96
30.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
31.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	26.23	0.23	0.50
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.39	34.64	–	–
33.	डिपार्टमेन्टल	217.35	21567.01	752.48	7707.43	1169.63	10018.2
34.	अन्य स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
	कुल	8760.09	24922.60	17628.36	16648.26	18656.13	14485.11

सांख्यवाहिनी परियोजना

621. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कारनेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने ''सांख्यवाहिनी परियोजना'' से कदम खींच लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा 21वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए इस परियोजना पर कार्य जारी रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने, परियोजना को शुरू करने में विलम्ब होना तथा प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करना, मुख्य कारण बताए हैं।

(ग) सरकार, संचार सागर परियोजना के जरिए बैण्डविड्थ उपलब्ध कराने की अपनी मूल योजना शुरू करेगी। उच्च बैण्डविड्थ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डैन्स वेव डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम (डीडब्ल्यूडीएम) अधिष्ठापित करके संचार सागर परियोजना का चरण-1 तथा चरण-2 प्रारम्भ किया जायेगा। 33 शहरों को कवर करने वाला संचार सागर चरण-1 पूरा हो चुका है तथा चरण-2 150 अतिरिक्त शहरों को कवर करेगा। इसके अलावा, निजी क्षेत्र की कंपनियां व कुछ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी देश में बैण्डविड्थ प्रदान करने के लिए ऑप्टीकल फाइबर लिंक संबंधी कार्य निष्पादित कर रहे हैं।

बकाया/अग्रेनीत रिक्तियाँ

622. श्री रामजीलाल सुमन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर विदेश मंत्रालय में डी ओ पी टी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में निर्धारित बकाया आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान आज की तारीख तक प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गये और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए बने नये रिक्त पदों/दिये गये पदों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (घ) इस मंत्रालय के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 1997-98 से 2000-2001 तक आरक्षण पर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा वर्तमान और पिछली बकाया रिक्तियों पर लागू है। इसके फलस्वरूप इस प्रकार एक विशिष्ट समूह के रूप में पिछली बकाया रिक्तियां समाप्त हो गईं। फलस्वरूप केवल पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए वर्षवार आरक्षण अथवा भर्ती समाप्त हो गई।

विवरण

अनु. जाति/अनु. जन जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछली बकाया/अग्रेनीत रिक्तियां

पद/सेवा की श्रेणी	अगस्त, 97 (1997-98) को भरी न गई आरक्षित रिक्तियां			1997-98 से नयी आरक्षित रिक्तियां			1997-98 से भरी गई आरक्षित रिक्तियां			भरी न गयी शेष आरक्षित रिक्तियां		
	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. वर्ग	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. वर्ग	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. वर्ग	अ.जा.	अ.ज. जा	अ.पि. वर्ग
भा.वि. सेवा	शून्य	शून्य	शून्य	4	3	10	4	3	10	शून्य	शून्य	शून्य
भा.वि.सेवा (ख) का ग्रेड 1 और पीपीएस	2	6	लागू नहीं	7	4	लागू नहीं	5	2	लागू नहीं	4	8	लागू नहीं
समूह 'ख'	16	59	48	13	16	3	11	24	25	18	51	26
समूह 'ग'	6	4	26	12	6	15	12	4	22	6	6	19
समूह 'घ'	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

उड़ीसा में लघु उद्योग हेतु सहायता

623. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के लघु उद्योगों के लिए कोई पुनर्वास सहायता जारी की है जो 1999 के तूफान में गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे उद्योगों को कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत सिडबी द्वारा दी गई सहायता में उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम तथा उड़ीसा औद्योगिक संवर्धन एवं निवेश निगम लि. को 46 करोड़ रु. राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम के अंतर्गत 1.25 करोड़ रु. का पुनर्वित संवितरण तथा 25 लाख रु. की प्रत्यक्ष सहायता शामिल है। के वी आई सी की सहायता में दो कलस्टरों अर्थात चूना उद्योग तथा कुटीर माचिस उद्योग का अनुमोदन करना, विकास के लिए 18 कलस्टरों की पहचान करना, शिल्पियों को विपणन समर्थन देना तथा क्षतिग्रस्त चर्खों एवं करघों की मरम्मत के लिए 5 लाख रु. की प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना शामिल है। कॅयर बोर्ड द्वारा 1.92 करोड़ रु. की राशि की सहायता इमदादी दरों पर कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने, स्पिनिंग रैट्स संवितरित करने तथा चक्रवात में क्षतिग्रस्त संयंत्र एवं मशीनरी की मरम्मत करने के लिए थी। इस पैकेज के भाग के रूप में एन एस आई सी ने 2.33 करोड़ रु. की राशि के ऋणों की पुनर्अदायगी आस्थगित कर दी है, 5.30 करोड़ रु. की बकाया देयताओं पर ब्याज की रियायती दर प्रभारित की है, 38 लाख रु. की राशि की कच्ची सामग्री सहायता उपलब्ध की है, 125 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है तथा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 13.48 करोड़ रु. की प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की है।

(ग) से (ङ) जी, हां। प्राकृतिक आपदाओं, जिसमें उड़ीसा का सुपर-चक्रवात शामिल है, द्वारा प्रभावित क्षतिग्रस्त इकाईयों के पुनर्वास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश पहले ही विद्यमान हैं। इनमें कार्यशील पूंजी की विद्यमान फालतू ड्राइंग्ज को आवधिक ऋण में परिवर्तित करके अति लघु एवं लघु क्षेत्र के लिए रियायती सुविधाएं देना, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी का प्रावधान करना, आवधिक ऋणों की पुन: सूची तैयार करना, आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

कश्मीर का मामला

624. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कश्मीर मामले पर अपने पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत नहीं कर पायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं। जम्मू तथा कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में सीमा पार से आतंकवाद को पाकिस्तान के प्रायोजन की अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को पूरी जानकारी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक रूप से यह स्वीकार किया है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता है जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है चाहे वह कहीं भी मौजूद हो।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत संचार सेवा केन्द्र

625. श्री रामशकल: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक टिकटों और स्टेशनरी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पंचायत संचार सेवा केन्द्र योजना को अधिक आकर्षक बनाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान और अब तक वार्षिक लक्ष्य में कोई वृद्धि दर्ज हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) इस योजना को आकर्षक बनाने के लिए पंचायत संचार सेवा केन्द्र के एजेंट को दिए जाने वाले निश्चित भत्ते को 1.3.2001 से 300 से बढ़ाकर 600 रु. (छह सौ रुपये) कर दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-01 के दौरान 2000 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में कुल 2005 केन्द्र खोले गए। इसी प्रकार, चालू वार्षिक योजना अर्थात् 2001-2002 के दौरान 2000 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

गर्भ निरोधक

626. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले गर्भ निरोधक उपायों, चिकित्सा उपस्करों और संबंधित सामग्रियों के विनिर्दिष्टयों और मानकों की समीक्षा हेतु कोई कार्यदल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यदल द्वारा समीक्षा के क्या परिणाम निकले; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न परिवार कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) परिवार कल्याण विभाग ने पहले ही एक कार्यदल का गठन किया है। यह कार्यदल गर्भनिरोधक युक्तियों के विनिनिर्देशों और मानकों तथा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में इस समय उपयोग में लाए जा रहे उपकरणों/अतिरिक्त सामान के संबंध में मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगा। यह कार्यदल इन गर्भनिरोधक युक्तियों और उपकरणों/अतिरिक्त सामान के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा करेगा।

यह कार्यक्रम प्रचालन कार्यकरण, किफायत तथा सुरक्षित परिणामों को बढ़ावा देने के लिए विनिर्देशों और मानकों में (भारत की जलवायु और तापमान स्थितियों के संदर्भ में) यथासम्भाव्य उन्नयन और संशोधन, यदि कोई आवश्यक हों, की संस्तुति करेगा।

(घ) कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए संगत रिकार्डों के रख-रखाव और कार्य-निष्पादन की रिपोर्टिंग करना देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रणाली की मुख्य धारा का एक अंग हो गया है।

नए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पूर्ण मानीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रदान किये गए देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

कृषि और ग्रामीण उद्योगों के लिए विशेष योजनाएं

627. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि और ग्रामीण उद्योगों के सुधार हेतु विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित और वितरित की गई; और

(ग) तमिलनाडु में कार्यान्वित ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योग को, जिसमें कृषि एवं ग्रामोद्योग शामिल हैं, वित्तीय, तकनीकीय और प्रबंधकीय सहायता के रूप में सहयोग प्रदान करती है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम देशभर में लागू है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में दिया जाता है। 10 लाख रु. से अधिक एवं 25 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए मार्जिन मनी की दर का 25% तथा परियोजना की शेष लागत का 10% है। कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के 30% की दर पर मार्जिन मनी दी जाती है और शेष राशि (25 लाख रु. तक) के लिए 10% पर दी जाती है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के संवर्धन हेतु 14 मई, 2001 को एक पैकेज की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रोजगार सृजित करना और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का सशक्तीकरण करना है। इस पैकेज की मुख्य विशेषताओं में पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट का विकल्प अथवा विपणन विकास सहायता खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन हेतु उपाय, ब्रांड बिल्डिंग और क्लस्टर विकास शामिल है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को जारी किये गए फंड विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 2853 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया।

विवरण

खादी ग्रामोद्योग को जारी फंड

(रु. लाख में)

क्र.सं.	उप शीर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	खादी अनुदान	15960	9470	10500
2.	खादी ऋण	2098	1500	675
3.	ग्रामोद्योग अनुदान	8400	5400	1350
4.	ग्रामोद्योग ऋण	900	250	–
5.	एस एंड टी (खादी)	30	–	28
6.	एस एंड टी (ग्रामोद्योग)	170	70	195
7.	आरईजीपी	4665	1103	11000
	उपयोग	32223	17793	23748
गैर-योजना				
10.	खादी अनुदान	2400	2400	2400
11.	प्रशासनिक व्यय	2560	2410	2410
12.	एच.बी.ए. ऋण	30	30	150
	उप-योग	4990	4840	4950
	कुल-योग	37213	22633	28708

स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय

628. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रारूप नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार आगामी दस वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा व्यय दोगुना हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य अपने बल पर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली में सुधार करने की स्थिति में नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों की सहायता किस प्रकार से करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2001 के प्रारूप के अनुसार 2010 तक स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यय को 0.9% सरकारी अंशदान के साथ सकल घरेलू उत्पाद के 5.2% से बढ़ाकर 2% सरकारी अंशदान के साथ सकल घरेलू उत्पाद के 6% करने का प्रस्ताव है। केन्द्र और राज्यों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यय को 2010 तक कुल बजट के 15 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 25 प्रतिशत और 8 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) राज्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य पर कुल निवेश निश्चय ही कम रहा है। संघ सरकार क्षयरोग, मलेरिया, एड्स, दृष्टिहीनता और कुष्ठ जैसे प्रमुख रोगों के नियंत्रण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों की सहायता कर रही

है। इस प्रयोजन के लिए द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय अभिकरणों से भी सहायता का लाभ उठाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से चयनित राज्यों में राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों की परियोजनाओं को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। केन्द्र, राज्य सरकारों और स्थानीय स्व-सरकारों द्वारा इसके निधिकरण को संयुक्त रूप से वहन करने की व्यवस्था से विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से केन्द्र सरकार के निधिकरण के अंतर्गत अनिवार्य औषधें प्रदान करके और एक संगठित दो-श्रेणीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी ढांचा स्थापित करके प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2001 के प्रारूप में परिकल्पित पहलें हैं।

दूरसंचार उद्योग का निजीकरण

629. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार उद्योग को निजीकरण में कोई सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बीएसएनएल के कार्यक्रम के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। 1984 तक दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के लिए आरक्षित था। 1984 में टर्मिनल उपस्कर के विनिर्माण की अनुमति निजी क्षेत्र को दी गई। इसके अलावा, सरकार की आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के साथ, 1991 में सम्पूर्ण दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र को निजी क्षेत्र की कम्पनियों के लिए खोला गया था। तत्पश्चात्, बहुत सारी घरेलू और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, दोनों ने देश में अपने विनिर्माण अड्डे स्थापित कर लिए हैं और उत्पादन 1992-93 में 3,985 करोड़ रुपए से 2000-2001 में 12,271 करोड़ रुपए (अनुमानित) तक बढ़ गया है। हाल ही में, दूरसंचार उत्पादों का विनिर्माण करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड (एचटीएल) की इक्विटी का 74 प्रतिशत हिस्सा मैसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (एचएफसीएल) को बेच दिया गया है और कम्पनी का प्रबंधन एचएफसीएल ने अपने हाथ में ले लिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

630. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण ने कुछ दूरसंचार सर्किलों में लाइसेंस की शर्तों में छूट प्रदान करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने अंडमान-निकोबार, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किलों के लिए लाइसेंस देने की शर्तों में ढील देने की सिफारिश की है। टीआरएआई की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) अंडमान-निकोबार सर्किल की तमिलनाडु के साथ निकटता और तमिलनाडु सर्किल के प्रति प्रयोक्ता उच्चतर औसत राजस्व (एआरपीयू) को देखते हुए अंडमान-निकोबार सर्किल को तमिलनाडु सर्किल में मिला दिया जाए।

(2) इन सर्किलों में प्रचालक द्वारा फ्रेंचाइजी की नियुक्ति की अनुमति दी जाए।

(3) इन सर्किलों में बोली के समय प्रवेश शुल्क के लिए कोई आरक्षित मूल्य निर्धारित न किया जाए।

(4) प्रथम तीन वर्षों में 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को कवर करने की रॉल-आउट शर्तों में ढील दे कर इसे 25 प्रतिशत कर दिया जाए।

(ग) टीआरएआई द्वारा मोटे तौर पर निम्नलिखित कारण बताए गए हैं:

(1) अंडमान-निकोबार सर्किल में, कम उपभोक्ता आधार

आधार पर व्यापार का ठोस मामला नहीं बनता। अत: कोई भी प्रचालक अंडमान-निकोबार और तमिलनाडु, दोनों सर्किलों में एक पैकेज के तौर पर बेहतर ढंग से व्यापार करने की स्थिति में होगा।

(2) चूंकि कम किए गए प्रवेश शुल्क का परियोजना लागत पर तथा सेवाओं की लागत पर प्रभाव बहुत कम पड़ने की संभावना है, अत: प्रवेश शुल्क को कम करने से बहुत अधिक मदद मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए इन सर्किलों में बोली के समय कोई आरक्षित मूल्य निर्धारित नहीं किया जाए।

(3) कम मांग की स्थिति में, आमतौर पर एक प्रचालक परियोजना में अपना निवेश भी कम रखना चाहता है और मांग बढ़ने पर अपना निवेश बढ़ाना चाहता है। लेकिन रॉल-आउट शर्तों को सख्त बनाने पर यह संभव नहीं होगा।

बिलों का भुगतान न किया जाना

631. **श्री के. येरननायडू:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सियाचीन ग्लेसियर में तैनात जवानों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले टेलीफोन के बिलों का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों द्वारा न किये जाने के कारण भारत संचार निगम लिमिटेड ने इनके कनेक्शन काट दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये टेलीफोन कनेक्शन कब से काट दिये गये हैं;

(ग) क्या जवानों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए सरकार का विचार यहां एसटीडी सेवा यथाशीघ्र उपलब्ध कराने तथा भुगतान के मामले को बाद में निपटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन टेलीफोनों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सियाचिन क्षेत्र के जवानों को प्रदान की गई कोई भी एसटीडी-पीसीओ टेलीफोन सुविधा वापस नहीं ली गई है। तथापि, परतापुर में सैनिकों के लिए कार्यरत "ओन यूअर टेलीफोन" (ओ वाई टी) श्रेणी के अंतर्गत संस्थापित तीन टेलीफोनों के कनेक्शन, बिलों का भुगतान न होने के कारण काट दिए गए थे।

(ख) तीन टेलीफोन कनेक्शनों के कटने की तारीख 26.6.2001 है।

(ग) और (घ) सियाचिन में जवानों के लिए पर्याप्त टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं। सियाचिन में इनमार्सेट टर्मिनल पर कार्यरत एक एसटीडी/आईएसडी-पीसीओ के अलावा, उन्हें सियाचिन के "बेस कैंप" परतापुर में पांच एसटीडी/आईएसडी-पीसीओ उपलब्ध कराए गए हैं। सेना ने दिनांक 9.11.2001 को ऊपर भाग (क) में उल्लिखित काटे गए टेलीफोनों की बकाया देय रकमों का भुगतान कर दिया है और यह अनुरोध किया है कि उन टेलीफोनों की बहाली उनके कहने पर ही की जाए तथा बहाली संबंधी पुष्टि की अभी तक प्रतीक्षा है।

गैर-भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदों में कटौती

632. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने स्वास्थ्य, रेल और सार्वजनिक उपक्रम जैसे कई विभागों में फीडर पदों के अलावा भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय वन सेवा के व्यवसायिक दक्षता वाले अधिकारियों द्वारा संभाली जाने वाली अन्य सेवाओं में अपने लिए मार्गप्रशस्त कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न क्षेत्रों के गैर-भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हितों/हिस्से की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, नहीं। संगठित समूह 'क' सेवाओं के अंतर्गत विशेष रूप से संवर्गीकृत पद अथवा संघ-लोक-सेवा-आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती से भरे जाने वाले पद, ऐसी सेवाओं/ऐसे पदों के संबंध में विशिष्ट रूप से बनाए जाने वाले संवर्ग-नियमों/भर्ती-नियमों के अनुसार भरे जाते हैं। ऐसे नियमों में किसी पद विशेष पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रावधान होने पर ही ऐसे किसी पद पर नियुक्ति के लिए अन्य पात्र-सेवाओं के अधिकारियों की उपयुक्तता के साथ-साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की उपयुक्तता पर विचार किया जाता है।

मां से बच्चे को होने वाले एच.आई.वी./एड्स का इलाज

633. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय और एन.ए.सी.ओ. ने गर्भवती माताओं में एच.आई.वी. का पता लगाने के बारे में कोई अध्ययन, सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या 2001 में कोई नया सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन सभी सर्वेक्षणों की टिप्पणियों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की योजना 'मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन' (एमटीसीटी) नाम से कोई व्यापक स्वास्थ्य परियोजना चलाने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) जी हां। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हर वर्ष अगस्त से अक्तूबर के दौरान चुने हुए एंटीनेटल क्लिनिकों में आने वाली गर्भवती महिलाओं में एच आई वी संक्रमण के रुझान का पता लगाने के लिए एच आई वी प्रहरी निगरानी के वार्षिक दौर आयोजित करता है। इस वर्ष यह दौर 170 एंटीनेटल क्लिनिकों में आयोजित किया गया था। यह दौर 31 अक्तूबर, 2001 को पूरा हो गया है और आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और गर्भवती महिलाओं में व्याप्तता में हुए परिवर्तनों का पता लगाने के लिए इसका विश्लेषण किया जाएगा। एच आई वी प्रहरी निगरानी (2000) के पिछले दौर में प्रसवपूर्ण महिलाओं में एच आई वी संक्रमण का राज्यवार मध्यस्थ मान का एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) सरकार ने मां से बच्चे में होने वाली संचरण की रोकथाम के बारे में एच आई वी संचरण की रोकथाम के बारे में एच आई वी उच्च व्याप्तता वाले राज्यों में स्थित 11 केन्द्रों में सम्भाव्यता अध्ययन किए हैं। ये राज्य हैं—तमिलनाडु (3), महाराष्ट्र (5), कर्नाटक (1), आंध्र प्रदेश (1), और मणिपुर (1)। सम्भाव्यता अध्ययन के परिणामों की समीक्षा करने के बाद सरकार कार्यक्रम का विस्तार करने पर समुचित निर्णय लेगी।

विवरण

एच.आई.वी. व्याप्तता के राज्यवार स्तर—दौर-2000

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ क्षेत्र	स्थलों की संख्या		एच.आई.वी. व्याप्तता (%)
1	2	3		4
1.	आंध्र प्रदेश	एसटीडी	3	30.00
		एएनसी	6	2.60
2.	अरूणाचल प्रदेश	एसटीडी	2	0.10
		एएनसी	1	0.00
3.	असम	एसटीडी	2	0.61
		एएनसी	2	0.00
4.	बिहार	एसटीडी	8	0.50
		एएनसी	3	0.10
5.	दिल्ली	एसटीडी	3	3.26
		एएनसी	3	0.25
		आईयूडी	1	5.00
6.	गोवा	एसटीडी	2	12.02
		एएनसी	2	1.17
		सीएसडब्ल्यू	1	53.20

1	2	3		4
7.	गुजरात	एसटीडी	6	4.65
		एएनसी	6	0.50
8.	हरियाणा	एसटीडी	4	2.75
		एएनसी	3	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	एसटीडी	5	0.40
		एएनसी	4	0.89
10.	जम्मू व कश्मीर	एसटीडी	2	0.40
		एएनसी	3	0.12
11.	कर्नाटक	एसटीडी	7	12.80
		एएनसी	6	1.68
		आईडीयू	1	4.23
12.	केरल	एसटीडी	3	5.20
		एएनसी	3	0.00
13.	मध्य प्रदेश	एसटीडी	8	1.60
		एएनसी	6	0.12
14.	महाराष्ट्र	एसटीडी	7	18.40
		एएनसी	11	1.12
	मुम्बई	एसटीडी	2	33.33
		एएनसी	5	2.00
		आईडीयू	1	23.68
		एमएसएम	1	23.94
		सीएसडब्ल्यू	1	58.67
15.	मणिपुर	आईडीयू	3	64.34
		एसटीडी	2	11.60
		एएनसी	5	0.75
16.	मेघालय	आईडीयू	1	1.41
		एसटीडी	2	0.00
		एएनसी	2	0.00

1	2	3		4
17.	मिजोरम	आईडीयू	1	9.61
		एसटीडी	1	2.00
		एएनसी	2	0.37
18.	नागालैंड	आईडीयू	1	7.03
		एसटीडी	1	6.90
		एएनसी	4	1.35
19.	उड़ीसा	एसटीडी	4	2.60
		एएनसी	2	0.27
20.	पंजाब	एसटीडी	2	0.80
		एएनसी	2	0.00
21.	राजस्थान	एसटीडी	4	2.84
		एएनसी	4	0.25
22.	सिक्किम	एसटीडी	1	0.00
		एएनसी	2	0.00
23.	तमिलनाडु	एसटीडी	3	16.80
		एएनसी	6	1.00
		आईडीयू	1	26.70
		एमएसएम	1	4.00
24.	त्रिपुरा	एसटीडी	1	1.34
		एएनसी	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	एसटीडी	7	1.80
		एएनसी	6	0.12
26.	पश्चिम बंगाल	एसटीडी	5	1.96
		एएनसी	4	0.50
		आईयूडी	1	–
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	एसटीडी	1	1.20
		एएनसी	3	0.25
28.	चंडीगढ़	एसटीडी	2	3.35
		एएनसी	1	0.80

1	2	3		4
29.	दादरा व नगर हवेली	एसटीडी	–	–
		एएनसी	1	0.00
30.	दमण व दीव	एसटीडी	–	–
		एएनसी	2	0.00
31.	लक्षद्वीप	एसटीडी	1	0.00
		एएनसी	2	0.00
32.	पांडिचेरी	एसटीडी	3	4.1
		एएनसी	1	0.25

टिप्पण : जिन राज्यों में एच.आई.वी. व्याप्तता 3 या अधिक स्थलों पर है, उनका मध्यस्थ मान है और जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 3 स्थलों से कम है उनका माध्य मान है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना का कार्यान्वयन

634. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** 25 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5698 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों से प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने में केन्द्रीय मार्गनिदेशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है;

(ख) क्या स्वीकृत ऋण और वास्तव में वितरित राशि में अत्यधिक अंतर है; और

(ग) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं—स्कीम के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली माइक्रो इकाइयों के पर्याप्त वित्त पोषण के लिए अनुदेश, यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था करना, स्वीकृत ऋण तथा उनके संवितरण में अत्यधिक अन्तर न हो, उसे सुनिश्चित करना, निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार आवेदन-पत्रों का निपटान पात्रता मानदंड इत्यादि के अनुसार हितग्राहियों के चयन के संबंध में आबंटित लक्ष्य को प्राप्त करना।

[हिन्दी]

सहायक ग्रेड में रिक्तियां

635. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष, 1989 से अब तक वर्ष-वार और मंत्रालय-वार सहायक ग्रेड की कितनी रिक्तियां सीधी भर्ती और वरीयता कोटा के द्वारा भरी जानी थीं;

(ख) मंत्रालय-वार सहायक ग्रेड की कितनी रिक्तियां सीधी भर्ती और वरीयता कोटा द्वारा अलग-अलग भरी गईं; और

(ग) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा नियम, 1962 के उपनियम 13(6) के उपबंधों के अंतर्गत मंत्रालय-वार कितने पद भरे गए?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा का सहायक ग्रेड, 33 संवर्गों में विकेन्द्रीकृत है और विभिन्न कोटों में रिक्तियों तथा भरे गए पदों का ब्यौरा, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संवर्गों द्वारा सूचित, सीधी भर्ती की रिक्तियों के, भर्ती-अभिकरण के परामर्श से भरे जाने से संबंधित कार्य में समन्वयन ही करता है। वरिष्ठता-कोटे के संबंध में, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग, नियुक्तियां करने की दृष्टि से विचारण-क्षेत्र-निर्धारण-योजना के अंतर्गत, विचारण-क्षेत्र निर्धारित करता है।

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर पैकेज

636. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर ने वित्तीय प्रबंधन के लिए कोई सॉफ्टवेयर पैकेज जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन कार्यालयों में ऐसे पैकेज का इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) ने भारत सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए "पीएओ-2000" नामक सॉफ्टवेयर पैकेज जारी किया है।

(ख) इस सॉफ्टवेयर पैकेज से वेतन एवं लेखा कार्यालय बिलों पर कार्रवाई करने, लेखाओं का संकलन करने, बजटीय नियंत्रण लागू करने, बैंक मिलान करने, चेकों का मुद्रण करने, व्यय एवं प्राप्तियों की रिपोर्ट तैयार करने, सामान्य भविष्य निधि, पेंशन राशि का प्राधिकरण तथा मंत्रालय के लेखा नियंत्रक को लेखाओं को इलेक्ट्रानिक रूप में पेश करने का कार्य कर सकते हैं।

(ग) इस सॉफ्टवेयर पैकेज को भारत सरकार के केन्द्रीय सिविल मंत्रालयों के विभिन्न वेतन एवं लेखा कार्यालयों में लागू किया जाएगा।

विश्व आतंकवाद

637. श्री अनन्त नायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विश्व आतंकवाद का मुकाबला करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) पिछले दो दशकों से आतंकवाद के शिकार भारत ने सतत रूप से इस बात पर जोर दिया है कि सार्वभौम कार्यसूची में आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को उच्च प्राथमिकता दी जानी है। 11 सितम्बर की दुखद घटना आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में उच्च जानकारी और तात्कालिकता लायी है। हमारी अन्योन्यक्रियाओं में हमने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद एक सार्वभौम खतरा है जिसे किसी क्षेत्र विशेष में विभक्त नहीं किया जा सकता है तथा इसके विरुद्ध संघर्ष तुरन्त और व्यापक, सार्वभौम एवं स्थायी तौर पर करना है।

भारत ने यह भी अवगत कराया है कि आतंकवाद के कृत्यों का कोई औचित्य नहीं हो सकता चाहे वे धार्मिक, जातीय, वैचारिक अथवा कोई अन्य हों। आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपायों में केवल आतंकवाद के दोषियों को ही नहीं बल्कि उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए जो आतंकवादियों को भड़काते हैं, उनको सहायता देते हैं, उनको धन देते हैं अथवा उन्हें सुरक्षित आश्रय देते हैं।

भारत ने आतंकवाद का सामना करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का स्वागत किया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत किए गए प्रयास भी शामिल हैं। इस रूपरेखा में, भारत ने 28 सितम्बर के सुरक्षा परिषद का संकल्प 1373 का स्वागत किया। आतंकवाद का सामना करने में विधिक रूपरेखा को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने भी अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय की शुरूआत की है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सम्बद्ध व्यापक अभिसमय पर विचार-विमर्श संयुक्त राष्ट्र में जारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान, प्रधानमंत्री ने 10 नवम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधित अपने भाषण में आतंकवाद के सीमा पार पहलुओं के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करने के साथ भारत के दृष्टिकोण पर बल दिया है।

आतंकवाद पर भारत के दृष्टिकोण पर संयुक्त कार्यकारी दलों में या उच्च स्तर की पारस्परिक बातचीत के दौरान कई देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श भी किया गया।

जिन देशों के साथ हमने विचार-विमर्श किया वह भारत के विचारों और चिंताओं से सहमत हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यदल

638. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यदल ने 29 जुलाई, 2000 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत, कार्यान्वित, कार्यान्वयनाधीन और कार्यान्वयन हेतु लम्बित सिफारिशों की संख्या कितनी है; और

(घ) दल की सिफारिशों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) कार्यकारी दल की सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कार्यकारी दल की सिफारिशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- पांच वर्षों की अवधि में 60,000 विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत सुविधाओं की स्थापना करना।
- वेब समर्थित नागरिक उन्मुखी सरकारी सेवाएं।
- सामान्य जनता की इंटरनेट/सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तक पहुंच के लिए वर्ष 2008 तक 100 मिलियन इंटरनेट सम्पर्क तथा एक मिलियन सूचना प्रौद्योगिकी कियॉस्क।
- सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत सुविधाओं तथा सेवाओं की स्थापना के लिए कोई लाइसेंस और नियंत्रण नहीं।
- इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में सूचना सामग्री के विकास को बढ़ावा देना।
- सूचना प्रौद्योगिकी यात्राओं तथा अन्य कार्यक्रमों के जरिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
- रिपोर्ट के संस्तुत कार्यक्रमों को चलाने और रिपोर्ट की अन्य सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए पांच वर्षों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मिशन का गठन करना।
- सरकारी भर्ती में सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता की अनिवार्यता।
- सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रेरित करने के लिए बजट का 5% भाग निर्धारित करना।
- ग्रामीण दस्तकारों तथा उद्यमियों के सहायतार्थ राज्य सरकार के पोर्टल।
- एक ही स्थान पर सरकारी सूचना एवं सेवाओं के लिए इंटरनेट पोर्टल।
- सभी सरकारी सूचना इंटरनेट पर हो।
- सभी सरकारी भुगतान इंटरनेट पर हो।
- लोक सेवा परीक्षाओं के परिणाम इंटरनेट पर उपलब्ध कराना।

विवरण-II

गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जन सामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए गए हैं:-

1. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम तैयार करने तथा अंकीय अवरोध को दूर करने के लिए प्रायोगिक स्तर की परियोजनाओं का भी कार्यान्वयन करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में सूचना प्रदान, साक्षरता, अधिकारिता एवं जागरूकता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक विरासत, विकलांगता, सुदूर चिकित्सा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके स्वास्थ्य की देखभाल एवं जागरूकता आदि जैसे क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है। ऐसी प्रायोगिक स्तर की परियोजना के कार्यान्वयन से सफल प्रदर्शन के बाद इस संकल्पना का देशव्यापी कार्यान्वयन विभिन्न चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के जरिए किया जाएगा। जिन विद्यमान योजनाओं में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को कार्यान्वित किया जाएगा उनमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता और महिला एवं शिशु देखभाल कार्यक्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की विकलांगों के समक्ष चुनौतियां, इसरो के ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान प्रसार तथा महिला प्रौद्योगिकी पार्क आदि शामिल हैं।

2. सामुदायिक सूचना केन्द्र

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के सभी 486 ब्लॉकों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सूचना केन्द्रों की स्थापना का भी कार्यक्रम शुरू किया है। इस परियोजना का कार्यान्वयन पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के एजेंडा के एक भाग के रूप में 220 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से अगले दो वर्षों में किया जाएगा।

राज्य सरकारों द्वारा चयनित स्थलों पर 30 ब्लॉक मुख्यालयों में सामुदायिक सूचना केन्द्रों की स्थापना की प्रायोगिक परियोजना पूरी कर ली गई है और समुदाय द्वारा इसका उपयोग मुख्य रूप से इंटरनेट देखने तथा ई-मेल सुविधाओं का प्रयोग करने में किया जा रहा है। स्कूलों एवं कालेजों के विद्यार्थी भी इन सुविधाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। सामुदायिक सूचना केन्द्रों के अन्य महत्वपूर्ण उपयोगों में निम्नलिखित शामिल हैं–

1. नागरिकों एवं सरकार के बीच सम्पर्क।
2. निकनेट के माध्यम से इंटरनेट सम्पर्क जिससे अन्य सुविधाओं के साथ-साथ वेब ब्राउजिंग एवं ई-मेल सुविधाएं उपलब्ध हों।
3. सुदूर अधिगम कार्यक्रम।
4. विशेष रूप से स्कूली बच्चों में कम्प्यूटर प्रणालियों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना।
5. ई-वाणिज्य, कॉल केन्द्रों के प्रचालन, चिकित्सकीय नुस्खे तथा इसी प्रकार की अन्य सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।
6. रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।
7. जनसाधारण से जुड़ी सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।
8. योजनागत प्रयासों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, आपदा प्रबंधन प्रणाली, जन स्वास्थ्य जागरूकता आदि से संबंधित सूचना का प्रसार।
9. सुदूर चिकित्सा प्रणाली के लिए विशेष रूप से नियत केन्द्रों के जरिए विशिष्ट चिकित्सकीय परामर्श।
10. जटिल चिकित्सकीय मामलों में विभिन्न चिकित्सकीय विषयों के प्रबुद्ध चिकित्सकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग।

3. नेत्रहीनों के लिए ब्रेल साक्षरता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग

ब्रेल में पुस्तकें एवं साहित्य तैयार करने के लिए एक डेस्कटॉप कम्प्यूटर को रूपान्तरित किया गया है जो अब तक हाथ से किए जाते थे जिसकी अपनी ही कुछ कमियां तथा विलम्ब थे। यह प्रणाली इस समय अंग्रेजी के अतिरिक्त, भारतीय भाषाओं में लिप्यांतरण करने में सक्षम है।

सफलतापूर्वक विकास कार्य के पश्चात् अनुकृति की प्रक्रिया के दौरान असम के 5 अलग-अलग अंध विद्यालयों में कम्प्यूटरीकृत ब्रेल लिप्यांतरण प्रणाली प्रतिष्ठापित की गई है। विद्यार्थी इस प्रणाली का नियमित तौर पर शिक्षा हेतु प्रयोग कर रहे हैं। स्थानीय समाचार माध्यमों ने भी इन स्कूलों में प्रतिष्ठापित ब्रेल प्रणाली का व्यापक प्रचार किया है। इसी प्रकार की प्रणालियां मिजोरम के दो अंध विद्यालयों तथा सिक्किम के एक अंध विद्यालय में प्रतिष्ठापित की गई है, जो संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है। इस समय पश्चिम बंगाल के अंध विद्यालयों को शामिल किया जा रहा है।

4. दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए सुदूर चिकित्सा अनुप्रयोग

''मेला/उत्सव/आपदा के दौरान सुदूर-स्वास्थ्य देखभाल'' नामक परियोजना 6 जनवरी, 2001 से 26 जनवरी, 2001 के दौरान इलाहाबाद में आयोजित महाकुम्भ मेले के दौरान परीक्षण के तौर पर प्रतिष्ठापित की गई थी। इस प्रणाली का निष्पादन संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ, सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और ऑन लाइन सुदूर चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किया गया। गंभीर मरीजों के लिए इस सुदूर चिकित्सा प्रणाली का कार्यनिष्पादन बहुत ही बढ़िया एवं उत्साहवर्द्धक रहा और विभिन्न रोगों के लिए 170 मरीजों को देखा गया जिनमें एसजीपीजीआई के 64 हृदय रोग एवं 32 विकिरण रोग के मामले थे। दूर-दराज के क्षेत्रों के मरीजों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इस परियोजना के व्यापक उपयोग की आवश्यकता है। इस समय यह प्रणाली कटक के चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित हैं, जिसका प्रदर्शन राज्य के माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री को किया गया है।

5. नए प्रयास

अंकीय अवरोध को दूर करने की दिशा में, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय निम्नलिखित सामाजिक क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन के लिए परियोजनाएं तैयार कर रहा है–

* प्रौढ़ साक्षरता
* ग्रामीण अधिकारिता तथा सामाजिक शिक्षा इत्यादि में जागरूकता पैदा करना

* ग्रामीण जनता के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार सृजन

* सुदूर स्थित विशेषज्ञों के लिए स्वास्थ्य देखभाल संबंधी परामर्श

* सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षण।

6. राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मिशन की पहली बैठक 4 अक्टूबर, 2001 को हुई। आईटी कियॉस्क, विद्यार्थी नेट, स्थानीय सूचना सामग्री सृजन, सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता, ई-शासन से जुड़े पुन: इंजीनियरिंग एवं परिवर्तन प्रबंध से संबंधित मुद्दों, एन.आई.सी. संचार सम्पर्कों का दर्जा बढ़ाने तथा अंकीय अवरोध को दूर करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और कार्य बिन्दु तैयार किए गए।

परमाणु रिएटर

639. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने परमाणु रिएक्टर हैं;

(ख) क्या देश के सभी परमाणु रिएक्टर सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) परमाणु रिएक्टरों के माध्यम से देश में कुल कितनी विद्युत का उत्पादन हो रहा है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) देश में प्रचालनरत नाभिकीय विद्युत रिएक्टर चौदह हैं।

(ख) देश के सभी रिएक्टर सुरक्षा संबंधी मानदण्डों को पूरा करते हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर यह लागू नहीं होता।

(घ) वर्ष 2000-01 के दौरान, देश में प्रचालित सभी चौदह नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों द्वारा 17,213 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया।

परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और बचाव

640. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाढ़, भयंकर भूकंप तथा बाहरी खतरों जैसी घटनाओं के कारण रेडियोधर्मी विकिरण से बचने के लिए हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के स्थलों का चयन, डिजायन, निर्माण, कमीशन और प्रचालन प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि बाढ़, भूकम्प, मृदा-अवतलन और तेज व ठंडी हवाओं की संभावना के मद्देनजर किया जाता है।

इसी तरह से मानव-प्रेरित घटनाओं जैसे कि संभावित रासायनिक विस्फोट और जहरीली गैसों के विसर्जन के बारे में भी विचार किया जाता है। नाभिकीय संरोधक देश की सबसे मजबूत संरचनाओं में से एक है क्योंकि इसका डिजायन गंभीर प्राकृतिक और मानव-निर्मित घटनाओं का सामना करने की दृष्टि से तैयार किया जाता है। जिस समय नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए स्थल का चयन किया जाता है, उस समय उसकी विमानपत्तन से न्यूनतम सुरक्षित दूरी के बारे में भी विचार किया जाता है। मजबूत संरोधक भवन के अलावा रिएक्टरों में अतिरिक्त और विविध सुरक्षा प्रणालियां उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। ईंधन में से विकिरण-सक्रियता के उन्मुक्त होने को रोकने के लिए ईंधन क्लैड्डिंग, शीतलक सीमा और दोहरी संरोधक प्रणाली जैसे विभिन्न अवरोधक उपलब्ध कराए गए हैं।

यदि कोई गंभीर दुर्घटना होती है तो संयंत्र से विकिरण सक्रियता के उन्मुक्त होने के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए सभी परमाणु बिजलीघरों में आपातकालीन स्थिति से निबटने की योजनाएं समुचित रूप से मौजूद हैं।

पासपोर्ट कैम्प

641. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तटीय आंध्र प्रदेश में पासपोर्ट कैम्प आयोजित करने के लिए कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) पासपोर्ट कार्यालय विशाखापटनम में आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में पासपोर्ट शिविर लगाये जाने के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जिला प्रशासन के लिए अनुकूल समय पर पश्चिमी गोदावरी जिले में एक पासपोर्ट शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

पासपोर्ट कार्यालयों के विरुद्ध शिकायतें

642. श्री बीर सिंह महतो : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवेदनकर्ताओं को पासपोर्ट के नवीनीकरण, पते में परिवर्तन तथा पासपोर्ट गुम हो जाने की स्थिति में डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करवाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान, पासपोर्ट कार्यालय-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ग) इन शिकायतों के आधार पर कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) पासपोर्ट का नवीनीकरण शीघ्र कराने में और पासपोर्ट गुम हो जाने के मामले में डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी होने में आवेदकों को आ रही कठिनाइयों की घटनाओं की सरकार को समय-समय पर सूचना मिली है। ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण, पते में परिवर्तन और गुम हो जाने के मामले में डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सरकार ने एक अन्तर-मंत्रालय पासपोर्ट समीक्षा समिति नियुक्त की है जिसने हाल ही में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार ऐसे मामलों में पूर्व पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रणाली समाप्त कर दी गई है और अधिकांश पासपोर्ट कार्यालयों में ऐसी सेवाओं के लिए अलग लाइनों की व्यवस्था की गई है। पते में परिवर्तन के मामले में किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है और मौजूदा पासपोर्ट में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए नए पते का दस्तावेजी प्रमाण पर्याप्त है।

(ख) इस संबंध में सरकार को तंग किए जाने की बहुत कम शिकायतें मिली हैं। अधिकांश अनुरोध ऐसी सेवाओं को, जिनकी तत्काल योजना के अन्तर्गत व्यवस्था है, शीघ्र और बारी से पहले किए जाने के लिए थे।

(ग) चूंकि इस संबंध में कोई गंभीर शिकायत नहीं थी इसलिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों का निजीकरण

643. श्री अम्बरीश : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लाभ अर्जित कर रहे कुछ सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाये गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के कुछ लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रों का निजीकरण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

आतंकवादियों के बीच संबंध

644. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11 सितम्बर को हुए नरसंहार की जांच कर रहे अमेरिकी जांचकर्ताओं ने पाकिस्तान आधारित उन आतंकवादियों जिन्होंने 1999 में इंडियन एयरलाइन की उड़ान का अपहरण किया था, तथा विमानों के टकराने में संलिप्त लोगों में संबंधों को सिद्ध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) सरकार ने इससे संबंधित रिपोर्टें मीडिया में देखी हैं। इस संबंध में संयुक्त राज्य सरकार से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

645. श्री एन.टी. षणमुगम :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने गैर-सरकारी संगठनों को सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ पर अनुदान स्वीकृत किया गया;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के लिए अनुदान दिए जाने के संबंध में कोई प्रतिवेदन लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) स्वीकृति प्रदान किए जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(च) लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए गैर-सरकारी संगठनों हेतु अनुदान सहायता स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान क्रमश: 38, 76 और 31 गैर-सरकारी संगठनों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया। राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें 1999-2000 के दौरान अनुदान दिया गया

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	मे. गरतापुरी कंज्यूमर काउंसिल, गुंटूर डी.-नं. 16-19-34/1, तिरुपुरमल्लूवारी स्ट्रीट, पुराना गुंटूर
	असम
2.	मे. कल्याणी चाइल्ड वेलफेयर सेंटर नवबोशा नौगांव, पी ओ पतियागांव, जोरहट, असम
	बिहार
3.	मे. ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया एस.पी. वर्मा रोड, पटना-800001
	गुजरात
4.	मे. वालंटियर ऑफ चैरिटी, गांधीनगर 374/ए, सेक्टर 23, गांधीनगर-382023, गुजरात
	दिल्ली
5.	मे. जनजागृति एजुकेशनल सोसायटी, दिल्ली एम-186, मंगोल पुरी, दिल्ली-110053
	गोवा
6.	मे. वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, गोवा शाखा, टूरिस्ट हॉस्टल, पणजी गोवा
	हरियाणा
7.	मे. राष्ट्रीय युवा संस्थान, करनाल, मुख्यालय आर्य हॉस्पिटल, वाटर टैंक मार्केट के समीप, 69/14, राम नगर, करनाल-132001
	हिमाचल प्रदेश
8.	मे. हिमाचल मानव सेवा, शिमला पी.ओ. बॉ. 102, जी.पी.ओ., शिमला-171001
	जम्मू और कश्मीर
9.	मे. सोसाइटी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंट (एससीओपीई) 7, पंज बख्तर रोड, जम्मू तवी-180001

1	2
	कर्नाटक
10.	मे. ग्राम परिवर्तन केन्द्र, बेलगाम नं. 30, पांचवां मुख्य, शिवाजी नगर, बेलगाम-590016, कर्नाटक
11.	मे. बंगलौर सिटी पुलिस ट्रैफिक वार्डन, द्वारा उप पुलिस उपायुक्त (परिवहन) का कार्यालय, 14वीं मंजिल, पब्लिक यूटीलिटी बिल्डिंग, एम.जी. रोड, बंगलौर-560001
12.	मे. सोशल एडुकेशनल एंड वोकेशनल एसोसिएशन (एसईवीए), नं. 12-11-61, अरब मोहेला, रायचूर-584101, कर्नाटक
13.	मे. रामलिंगेश्वर ग्राम भीरूदी संघ, उदीकेरी, बेलहोंगल, जिला बेलगाम, कर्नाटक-591104
14.	मे. शोभना वेलफेयर एसोसिएशन, सी ब्लॉक, बेंगल-563157, कोलार जिला, कर्नाटक
	महाराष्ट्र
15.	मे. लोकमान्य मेडिकल फाउंडेशन, पुणे चिंचवाड़, पुणे-411033 महाराष्ट्र
16.	मे. कुमारी राजश्री परमार मेमोरियल फाउंडेशन, पुणे 289 टिम्बर मार्केट रोड, महात्मा फुले पथ, पुणे-411042
	मणिपुर
17.	मे. यूथ वालंटरी, आरगेनाइजेशन, यूमनाम खूनोउ, एस.पी.ओ. पानगेई यांगडोंग, मणिपुर-795114
	नागालैंड
18.	मे. विको क्रोथो वुमन वेलफेयर सोसाइटी, कोहिमा द्वारा विकोजो वित्सु कोहिमा फोटोस्टेट, टी.यू. भवन, नए एन.एस.टी. परिसर के सामने, कोहिमा-797001, नागालैंड
19.	मे. मेझु मल्टीपरपस वुमन वेलफेयर सोसाइटी, कोहिमा द्वारा विकोजो वित्सु कोहिमा फोटोस्टेट, टी.यू. भवन, नए एन एस टी परिसर के सामने, कोहिमा-797001, नागालैंड
20.	मे. नगा ट्रांसपोर्टस वेलफेयर आरगेनाइजेशन, कोहिमा फर्नवुड स्कूल के सामने, आगरी कालोनी, कोहिमा-797001, नागालैंड
21.	मे. ए वी आई सोसाइटी, कोहिमा द्वारा विकोजो वित्सु कोहिमा फोटोस्टेट, टी.यू. भवन, नए एन एस टी परिसर के सामने, कोहिमा-797001, नागालैंड
22.	मे. निसालेम इकॉनॉमिक वुमन सोसाइटी, कोहिमा द्वारा विकोजो वित्सु कोहिमा फोटोस्टेट, टी.यू. भवन, नए एन एस टी परिसर के सामने, कोहिमा-797001, नागालैंड
23.	मे. पुलीबाड्जे क्लब, कोहिमा जॉटसोमा कोहिमा, नागालैंड
	उड़ीसा
24.	मे. मानव सेवा परिषद, केन्द्रपाड़ा, पुराना बस स्टैंड, केन्द्रपाड़ा-754211 उड़ीसा
25.	मे. इंदिरा कल्याण समिति, कटक गोपबंधु नगर, चौलियागंज, पो.आ. नयाबाजार, कटक-753004 उड़ीसा
26.	मे. उत्कलमनी स्वयं सेवा संघ, चन्दौल, कटक-754208 उड़ीसा
27.	मे. वुमन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, कटक गामहंडिया, नई कालोनी, साधना कुटीर, पो.आ. बख्शी बाजार, जिला कटक-753001 उड़ीसा

1	2
28.	मे. सुप्रतीवा, कटक ग्राम/पोस्ट फकीरपाड़ा, वाया बीरिबती, जिला कटक-754100
	राजस्थान
29.	मे. एम.एन. टंडन चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर 5-झा-4, जवाहर नगर, जयपुर-302004 राजस्थान
30.	मे. कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, डी-218, भास्कर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर-302016
	तमिलनाडु
31.	मे. ट्रस्ट इन द एरिया ऑफ सोशल एक्टीविटीज (टासा) 1, पोलाटची अम्मान कोइल 11 स्ट्रीट, अराकोनम, वेल्लौर जिला, तमिलनाडु-631001
	उत्तर प्रदेश
32.	मे. अवध ग्रामीण विकास संस्थान, सुल्तानपुर ग्राम व पोस्ट धामौर, जिला सुल्तानपुर-228001 उत्तर प्रदेश
33.	मे. मास्टर ग्रामीण विकास सेवा संस्था, हमीरपुर ग्राम नजरपुर, पोस्ट सुमेरपुर जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश
	पश्चिम बंगाल
34.	मे. भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, कलकत्ता राज्य मुख्यालय, 5, गवर्नमेंट प्लेस, नॉर्थ कलकत्ता-700001
35.	मे. प्रबुद्ध भारती शिशुतीर्थ, मिदनापुर ग्राम खिरौंडा, पोस्ट कृष्णप्रिया, जिला मिदनापुर-721140 पश्चिम बंगाल
36.	मे. इंडियन पपेट थियेटर, कलकत्ता 36/सी, बालीगंज सर्कुलर रोड, फ्लैड नं. ई/1, पहली मंजिल, कलकत्ता-700019
37.	मे. मालदा सहयोगिता समिति, मालदा एस.सी. रोड, पो.आ. पुराना मालदा, थाना एवं जिला मालदा-732128 पश्चिम बंगाल
38.	मे. ग्राम कल्याण सोसाइटी, कलकत्ता एफ-3, गीतांजलि, अरायदा, कलकत्ता-700057

गैर-सरकारी संगठनों की सूची, जिन्हें 2000-2001 के दौरान अनुदान दिया गया

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	मे. गरतापुरी कंज्यूमर काउंसिल, डी-नं. 16-19-34/1, तिरुपुरमल्लूवारी स्ट्रीट, पुराना गुंटूर, गुंटूर, आंध्र प्रदेश
2.	मे. जागृति, एच. नं. 11-3-34/2, नेहरू नगर, खम्मान, आंध्र प्रदेश-507001
3.	मे. गुड इंडिया, एस 3/ए गार्डन टावर्स मंगामुर रोड, ओंगल, आंध्र प्रदेश-523002
4.	मे. इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
5.	मे. क्रिएटिव आरगेनाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट बी.सी. कालोनी, बी.सी. छात्रावास के निकट, नरसीपट्टनम, आंध्र प्रदेश-531116
6.	मे. चैतन्य एडुकेशन सोसाइटी, संजीववर्या स्ट्रीट, पट्टीकोंडा (पोस्ट) करनूल-518002 आंध्र प्रदेश

1	2
7.	मे. सोसाइटी फॉर ह्यूमैनिटी, 42 डाक्टर्स कालोनी करनूल-518002 आंध्र प्रदेश
8.	मे. साई कृपा एडुकेशनल सोसाइटी, डी नं. 31/49, बोरेहीवारी स्ट्रीट, पीपुली, करनूल-518002 आंध्र प्रदेश
	असम
9.	मे. वी. वेंकटराव सूक्ष्म अध्ययन और अनुसंधान संस्थान, 8, जी वाई कैम्पस, गोपीनाथ बारदोलोई नगर, गुवाहाटी-781014
	बिहार
10.	मे. सावित्री कटाई बुनाई एवं महिला विकास संस्थान, ग्राम व पोस्ट बसडीला, ब्लॉक जलालपुर, जिला सारण, बिहार
11.	मे. सरस्वती पुस्तकालय एवं जन कल्याण विकास संस्थान, ग्राम व पोस्ट खैरा, ब्लॉक नागरा, जिला सारण, बिहार
12.	मे. रूरल डेवलपमेंट एनवायर्रमेंट फॉरेस्टेशन एंड रिसर्च आरगेनाइजेशन, 17 आई ए एस कालोनी, किदवईपुरी, पटना-800001, बिहार
13.	मे. अखिल भारतीय सर्वांगीण विकास संस्थान, साधु शरण निवास, जोगिनियां कोठी, छपरा, सारण, बिहार-840001
14.	मे. श्री राम कृपाल शिक्षा और सांस्कृतिक मंदिर, ग्राम बीजलपुरा, पोस्ट लोहा, जिला मधुबनी, बिहार-847211
	दिल्ली
15.	मे. जन जागृति एडुकेशनल सोसाइटी, एम-186, मंगोल पुरी, दिल्ली-110054
16.	मे. नारी उत्थान समिति, दिल्ली 185/31ए, मेन कृष्णा गली नं. 5, मौजपुर दिल्ली-110053

1	2
17.	मे. सोसाइटी फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, बी-122, तीसरी मंजिल, शिवकुंज, शकरपुर, दिल्ली-110092
18.	मे. आटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया (एएयूआई), सी-8, इंस्टीट्यूशनल एरिया, आई आई टी के दक्षिण, नई दिल्ली-110016
19.	मे. नर्मता एडुकेशन ट्रस्ट, बस्ती विकास केन्द्र, मोती लाल नेहरू जे.जे. कैम्प, ज.ला.ने.वि.के. नजदीक, नई दिल्ली-110067
20.	मे. स्वतंत्र भारत शिक्षा समिति, 2ए-271, गली नं. 3, ईस्ट गोकुलपुर, अमर कालोनी, नई दिल्ली-110094
21.	मे. ग्रासरूट एक्शन फॉर सोशल प्रोग्रेस, बी ए-18, शालीमार बाग, दिल्ली-110052
22.	मे. इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एडुकेशन, एस-63, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली
	गुजरात
23.	मे. वालंटियर ऑफ चैरिटी, 374/ए, सेक्टर-23 गांधीनगर-382023, गुजरात
	हरियाणा
24.	मे. राष्ट्रीय युवा संस्थान, मुख्यालय आर्य हास्पिटल, वाटर टैंक मार्केट के नजदीक, 69/14, राम नगर, करनाल-132001
	जम्मू और कश्मीर
25.	मे. सोसाइटी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंट (एससीओपीई) 7, पंज बख्तर रोड, जम्मू तवी-180001

1	2
	कर्नाटक
26.	मे. ग्राम परिवर्तन केन्द्र, बेलगाम 7/6वीं, चौथी मुख्य शिवाजी नगर, बेलगाम-590016, कर्नाटक
27.	मे. सोशल एडुकेशनल एंड वोकेशनल एसोसिएशन (एसईबीए), नं. 12-11-61, अरब मोहेला, रायचूर-584101, कर्नाटक
28.	मे. दिव्य ज्योति विद्या केन्द्र, विश्व बिल्डिंग, चिकन्ना, ले आउट, सोंडेकोप्पा रोड, बसावन्ना देवारूमुट्टी के सामने, नीलमंगला टाउन-562123 बंगलौर, कर्नाटक
	मध्य प्रदेश
29.	मे. ग्वालियर यातायात मंच, भवन 93, माणिक विकास कालोनी, ग्वालियर-474002, मध्य प्रदेश
	महाराष्ट्र
30.	मे. सर्वोदय एडुकेशनल वालंटरी एसोसिएशन, हाउस नं. 1-6-543, अख्तर मंजिल, श्रीनगर, हनुमान रोड, नांदेड़-431605, महाराष्ट्र
31.	मे. किबटुस, 37-ए, भवन सं. 2, फ्लैट नं. 14, पाटील कम्पलैक्स, अनुध रोड, किरकी, पुणे-411003, महाराष्ट्र
32.	मे. स्वर्गीय शंकर कामले मेमोरियल एडुकेशनल सोसाइटी, प्लॉट नं. 71, तावड़े नगर, पोस्ट जरीपाटका, नागपुर-440014 महाराष्ट्र
33.	मे. लोकमान्य मेडिकल फाउंडेशन, पुणे चिंचवाड़, पुणे-411033 महाराष्ट्र

1	2
34.	मे. स्वामी विवेकानन्द मिशन, नांदेड़, 19, सोमेश कालोनी, सरकारी विश्रामगृह के निकट, नांदेड़-431602 महाराष्ट्र
35.	मे. कुमारी राजश्री परमार मेमोरियल फाउंडेशन, पुणे 289 टिम्बर मार्केट रोड, महात्मा फुले पथ, पुणे-411042
	मणिपुर
36.	मे. काउंसिल ऑफ यूथ फॉर डेवलपमेंट एंड कोआपरेटिव, कीबी, एसपीओ लामलौंग-795016 इम्फाल (पूर्व), मणिपुर
37.	मे. इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल आरगेनाइजर, क्वाकेइथल बाजार (पश्चिम), एयरपोर्ट रोड, इम्फाल-795001, मणिपुर
38.	मे. साइंटिफीक रिसर्च एंड रिहैबिलीटेशन, नेटवर्क, एससीआईएफआईसी हाउस, संगकफम बाजार, इम्फाल, पी.ओ. लामलौंग-795101
39.	मे. मणिपुर रूरल इंस्टीट्यूट सोसाइटी, टेरा बाजार, सपम लेइरक, इम्फाल-795001, मणिपुर
40.	मे. नौदाखोंग यूथ स्पोर्टिंग एंड कल्चरल आरगेनाइजेशन, बांगेव नौदाखोंग, विष्णुपुर, जिला मणिपुर-795133
41.	मे. द रूरल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एसोसिएशन (रिडा) थाउबल, पो आ थाउबल-795138, मणिपुर
42.	मे. आनंदपुर्णा डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, 30, क्षेत्रीलिकाई आफ थाउबल, सब डिवीजन, भारत-वर्मा रोड, थाउबल-795138, मणिपुर
	नागालैंड
43.	मे. कॉक क्रो सोसाइटी, जिला कोहिमा, नागालैंड
44.	मे. निसाऊ फ्रेंडशिप सोसाइटी, कोहिमा, नागालैंड

1	2
45.	मे. प्लानेट्स क्लब, मीडलैंड, वोखा, नागालैंड
46.	मे. रेंगमा यूथ वेलफेयर आरगेनाइजेशन, तसीनींगृ न्यू टाउन, कोहिमा, नागालैंड
	उड़ीसा
47.	मे. सहारा, केन्द्रपाड़ा पुराना बस स्टैंड, पो आ/जिला केन्द्रपाड़ा-754521
48.	मे. सुप्रतीवा, कटक ग्राम/पोस्ट फकीरपाड़ा, वाया बीरिबती, जिला कटक-754100
49.	मे. इंदिरा कल्याण समिति, कटक गोपबंधु नगर, चौलियागंज, पो.आ. नयाबाजार, कटक-753004 उड़ीसा
50.	मे. उत्कलमनी स्वयं सेवा संघ, चन्दौल, कटक-754208 उड़ीसा
51.	मे. पीपुल्स एसोसिएशन फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, ग्राम/पोस्ट पाखड़, वाया गरदपुर, जिला केन्द्रपाड़ा, उड़ीसा-754153
52.	मे. वुमन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, कटक ग्राम हंडिया, नई कालोनी, साधना कुटीर, पो.आ. बख्शी बाजार, जिला कटक-753001 उड़ीसा
	राजस्थान
53.	मे. जल कला साहित्य मंच संस्थान, एफ 70, शंकर मार्ग, कांति चंद्र रोड, बनीपार्क, जयपुर-302006, राजस्थान
54.	मे. इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल एंड साइंटिफीक रिसर्च (आई.एस.डी.ई.आर.एस.), मनोरंजन क्लब, चुरू-331001, राजस्थान
55.	मे. ग्राम उत्थान संस्थान, ग्राम सर्म, पो.आ. समई खेड़ा, वाया दिंग, जिला भरतपुर, राजस्थान
56.	मे. ग्रामीण जन विकास एवं पर्यावरण संस्थान, ग्राम व पो आ -नांगलचंपा-303506 जिला दौसा, राजस्थान
57.	मे. एम.एन. टंडन चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर 5-झा-4, जवाहर नगर, जयपुर-302004 राजस्थान
	तमिलनाडु
58.	मे. ट्रस्ट इन द एरिया ऑफ सोशल एक्टीविटीज (टासा) 1, पोलाटची अम्मान कोइल ॥ स्ट्रीट, अराकोनम, वेल्लौर जिला, तमिलनाडु-631001
59.	मे. भगवती वेलफेयर ट्रस्ट, इरोड, कट्टूपलायम-मेट्टूर, मोडाकुरची (पो आ), इरोड-638104
60.	मे. विक्ट्री यूथ एसोसिएशन, 11 ए एन कांडिगाई, तीसरी गली, पलानीपेट, अराकोनम, वेल्लौर जिला-631002
61.	मे. गांधी रूरल एडुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, 3/46 बनियार स्ट्रीट, अनातूर पोस्ट, उलुंदरपेट-607101 विलुपुरम जिला, तमिलनाडु
	उत्तर प्रदेश
62.	मे. अवध ग्रामीण विकास संस्थान, सुल्तानपुर ग्राम व पोस्ट धामौर, जिला सुल्तानपुर-228001 उत्तर प्रदेश
63.	मे. सर्वजन कल्याण समिति, 275 कटघर, इलाहाबाद
64.	मे. मास्टर ग्रामीण विकास सेवा संस्था, हमीरपुर ग्राम नजरपुर, पोस्ट सुमेरपुर जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश

1	2
65.	मे. रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, 14/25, एस सी बसु रोड, इलाहाबाद-211003
66.	मे. देहाती ग्रामोत्थान विकास समिति, 437, पशीमी पो आ तराउस, मौदाहा, रागौल, हमीरपुर-210507, उत्तर प्रदेश
67.	मे. शिव ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, एफ 473, गुजनी रतनलाल नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश
68.	मे. जन सेवा समिति, ग्राम व पोस्ट-कुटिलिया, सरदेई, प्रतापगढ़-230129, उत्तर प्रदेश
69.	मे. अवध सेवा संस्थान, पो ओ पलटन बाजार, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
70.	मे. अम्बेडकर शिक्षा प्रसार समिति, 1056, पटल नगर, उरई रायदर, जालौन, उत्तर प्रदेश-265011
71.	मे. अजीत ग्रामोद्योग संस्थान, ग्राम अजीतपुर, पो आ मेंदु, जिला जनपथ, हाथरस, उत्तर प्रदेश
72.	मे. बुंदेलखंड ग्रामोद्योग सेवा समिति, पशीमी तराउस, मौदाहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश
73.	मे. अतल ग्रामोद्योग समिति, शिवकांठी सदन, चाणक्यपुरी, अमेठी, उत्तर प्रदेश
74.	मे. भारतीय जन कल्याण केन्द्र, उत्तर गांव, पो आ अमेठी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश
	पश्चिम बंगाल
75.	मे. भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, कलकत्ता राज्य मुख्यालय, 5, गवर्नमेंट प्लेस नॉर्थ, कलकत्ता-700001, पश्चिम बंगाल
76.	मे. प्रबुद्ध भारती शिशुतीर्थ, मिदनापुर ग्राम खिरींडा, पोस्ट कृष्णप्रिया, जिला मिदनापुर-721140 पश्चिम बंगाल

गैर-सरकारी संगठनों की सूची, जिन्हें 2001-2002 के दौरान अनुदान दिया गया

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम
1	2
	बिहार
1.	मे. नारी कल्याण सेवा संघ, मौजिमपुर, कुर्था, फतुहा, पटना-803201
	दिल्ली
2.	मे. सोसाइटी फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, बी-122, तीसरी मंजिल, शिवकुंज, शकरपुर, दिल्ली-1100922
3.	मे. ग्रासरूट एक्शन फार सोशल प्रोग्रेस, बी ए-18, शालीमार बाग, दिल्ली-110052
4.	मे. जन जागृति एडुकेशनल सोसाइटी, एम-186, मंगोलपुरी, दिल्ली-110053
5.	मे. नारी उत्थान समिति, दिल्ली 185/31ए, मेन कृष्णा गली नं. 5, मौजपुर, दिल्ली-110053
6.	मे. रिर्सोसेज डेवलपमेंट सेंटर 122 कटवारिया सराय, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
7.	मे. वुमन वेलफेयर सोसाइटी, डी-28, गोकुलपुरी, दिल्ली-110094
8.	मे. भारतीय संस्कृति शिक्षा परिषद, ए-123, पर्यावरण कम्पलैक्स, मैदान गढ़ी रोड, नई दिल्ली-110030

1	2
	गुजरात
9.	मे. वालंटियर ऑफ चैरिटी, गांधीनगर 374/ए, सेक्टर 23, गांधीनगर-382023, गुजरात
	हरियाणा
10.	मे. राष्ट्रीय युवा संस्था, आर्य हॉस्पिटल, करनाल, हरियाणा
	कर्नाटक
11.	मे. ग्राम परिवर्तन केन्द्र, बेलगाम नं. 30, पांचवां मुख्य, शिवाजी नगर, बेलगाम-590016, कर्नाटक
12.	मे. सोशल एडुकेशनल एंड वोकेशनल एसोसिएशन (एसईवीए), नं. 12-11-61, अरब मोहेला, रायचूर-584101, कर्नाटक
13.	मे. दिव्य ज्योति विद्या केन्द्र, बंगलौर, कर्नाटक
14.	मे. ध्वानी-इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, टी.बी. एक्सटेंशन, नगामनागला-571432, मंडया जिला, कर्नाटक
	महाराष्ट्र
15.	मे. लोकमान्य मेडिकल फाउंडेशन, पुणे चिंचवाड़, पुणे
16.	मे. कुमारी राजश्री परमार मेमोरियल फाउंडेशन, पुणे 289 टिम्बर मार्केट रोड, महात्मा फुले पथ, पुणे-411042
17.	मे. स्वामी विवेकानन्द मिशन, नांदेड़, 19, सोमेश कालोनी, सरकारी विश्रामगृह के निकट, नांदेड़-431602 महाराष्ट्र
18.	मे. सर्वोदय एडुकेशनल वालंटरी एसोसिएशन, हाउस नं. 1-6-543, अख्तर मंजिल, श्रीनगर, हनुमान रोड, नांदेड़-431605, महाराष्ट्र
	नागालैंड
19.	मे. प्लेनेट क्लब तसूंगिकी, पोआ वोखा, बी.पी.ओ. चुकीटोंग, वोखा नगालैंड-797111
	उड़ीसा
20.	मे. स्नेहा श्यामाचरनपुर, कालेज बाइपास, धेंकानल, 759001, उड़ीसा
	राजस्थान
21.	मे. एम.एन. टंडन चैरिटेबल ट्रस्ट 5-झा-4, जवाहर नगर, जयपुर-302004 राजस्थान
	तमिलनाडु
22.	मे. ट्रस्ट इन द एरिया ऑफ सोशल एक्टीविटीज (टासा) 1, पोलाटची अम्मान कोइल ॥ स्ट्रीट, अराकोनम, वेल्लौर जिला, तमिलनाडु-631001
23.	मे. भगवती वेलफेयर ट्रस्ट, इरोड, कट्टूपलायम-मेट्टूर, मोडाकुरची (पो आ), इरोड-638104
	उत्तर प्रदेश
24.	मे. देहाती ग्रामोत्थान विकास समिति, 437, पशीमी पो आ तराउस, मौदाहा, रागौल, हमीरपुर-210507, उत्तर प्रदेश
25.	मे. शिव ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश

1	2
26.	मे. अवध ग्रामीण विकास संस्था, ग्राम व पोस्ट धामौर, जिला सुल्तानपुर-228001 उत्तर प्रदेश
27.	मे. अम्बेडकर शिक्षा प्रसार समिति, 1056, पटेल नगर, रायदर, उरद जालौन, उत्तर प्रदेश-265011
	पश्चिम बंगाल
28.	मे. प्रबुद्ध भारती शिशुतीर्थ, मिदनापुर ग्राम खिरींडा, पोस्ट कृष्णप्रिया, जिला मिदनापुर-721140 पश्चिम बंगाल
29.	मे. वसुधा सेंटर फॉर न्यू वर्ल्ड, पी 11/ए, डा. ए.के. पाल रोड (पूर्वी), बेहाल, कोलकाता-700034, पश्चिम बंगाल
30.	मे. भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, कलकत्ता राज्य मुख्यालय, 4, गवर्नमेंट प्लेस नॉर्थ, कलकत्ता-700001, पश्चिम बंगाल
31.	मे. इंडियन पपेट थियेटर, 36/सी, बालीगंज सर्कुलर रोड, फ्लैड नं. इ/1, पहली मंजिल, कलकत्ता-700019, पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

सी.जी.एच.एस. कार्डधारियों के लिए अलग बहिरंग रोगी विभाग

646. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सी.जी.एच.एस. कार्डधारियों के लिए कलावती शरण बाल अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग प्रसूति अस्पताल में अलग से बहिरंग रोगी विभाग खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) संसाधनों और जनशक्ति की कठिनाइयों के कारण सरकार के लिए दिल्ली में कलावती सरन बाल चिकित्सालय, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग प्रसूति अस्पताल में अलग से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बहिरंग रोगी विभाग खोलना संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

अनुसंधान संस्थानों के लिए मार्गनिर्देश

647. मोहम्मद शहाबुद्दीन :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई परिपत्र जारी किया है जिसमें सभी अनुसंधान संस्थानों को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा बीस वर्ष पूर्व प्रस्तावित मार्गनिर्देशों का अनुसरण करना अनिवार्य बनाया गया है;

(ख) क्या इन मार्गनिर्देशों का देश के औषध विनिर्माताओं द्वारा अनुसरण नहीं किया जा रहा है, तथा इन मार्गनिर्देशों में कुछ खामियां विद्यमान हैं जिससे प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन मार्गनिर्देशों को और प्रभावी बनाने के लिए इन्हें संशोधित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ङ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मौजूदा समय में हुई प्रगति को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1980 में मानव विषयों पर जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु तैयार किए गए आचार-संहिता संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया तथा वर्ष 2000 में इन्हें प्रकाशित किया गया था।

नई दवाइयों के चिकित्सीय परीक्षणों के लिए सभी आदवेनकर्त्ताओं को औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय द्वारा इन संशोधित मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए विशेष सलाह दी जा रही है।

[हिन्दी]

व्यय सुधार आयोग

648. श्री नवल किशोर राय :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने उनके मंत्रालय के व्यय पर अंकुश लगाने और इसका विलय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इन सिफारिशों के लागू होने के बाद व्यय में कितनी अनुमानित कमी आयेगी;

(ग) क्या सरकार ने इनमें से किसी सिफारिश को मंजूर या नामंजूर करने का कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही वाणिज्यिक गतिविधियों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उससे प्राप्त अनुमानित वार्षिक आय क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां।

(ख) सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है। सिफारिशों के लागू होने के बाद कम होने वाले व्यय का परिकलन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा सीधे तौर पर कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं किए जाते हैं। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामत: भारतीय नौवहन निगम, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, हुगली डॉक एंड पोर्ट्स इंजीनियर्स लि., भारतीय निकर्षण निगम लि. और इन्नौर पत्तन लि. नौवहन सेवाएं, अंतर्देशीय जल परिवहन, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत, निकर्षण उपलब्ध कराने तथा अन्य पत्तन कार्यकलापों में लगे हैं। इनमें से केवल भारतीय नौवहन निगम और भारतीय निकर्षण निगम सरकार को लाभांश उपलब्ध करा रहा है जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(करोड़ रु.)

	1998-99	1999-2000	2000-2001
1. भारतीय नौवहन निगम	33.93	36.19	67.86
2. भारतीय निकर्षण निगम	9.24	14.00	14.00

विवरण

सिफारिशों का सारांश

1. सभी महापत्तनों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम (वी.आर.एस.) शुरू करने और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटा कर वापस 58 वर्ष करने के निर्णय से स्टाफ की संख्या में 16000 व्यक्तियों की कमी करने में सहायता मिली है। तथापि, भारतीय पत्तनों में स्टाफ की संख्या अभी भी बहुत अधिक है और इस संख्या को कम करके सामान्य स्तर पर लाने के लिए इन स्कीमों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए।

2. सरकार को ऐसी पत्तन कंपनियां स्थापित करने पर विचार करना चाहिए जिनको बर्थ और कार्गो और हैंडलिंग उपस्कर जैसी सभी वाणिज्यिक सुविधाएं पट्टे पर दी जा सकें और पत्तन न्यास भूमि और तटीय नगरभाग का केवल स्वामित्व अपने पास रखे। इन पत्तन कंपनियों का सार्वजनिक पेशकश के जरिए जल्दी से जल्दी अधिमान्य रूप से निजीकरण कर दिया जाना चाहिए।

3. मंत्रालय में विकास सलाहकार के पद और विकास पक्ष को समाप्त किया जा सकता है।

4. भारतीय निकर्षण निगम (डी.सी.आई.) को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है और इसका निजीकरण किया जाना चाहिए।

5. मंत्रालय के अधीन कार्यरत लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन का निगमीकरण कर दिया जाना चाहिए अथवा वाणिज्यिक आधार पर इसका प्रचालन करने दिया जाए या इसे भारत सरकार के मुख्य जलराशिक सर्वेक्षक के कार्यालय के साथ संबद्ध कर दिया जाए।

6. अंडमान एवं लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य को या तो संबंधित संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को सौंप दिया जाए अथवा

इसका कलकत्ता/चेन्नई पत्तन न्यास और कोचीन पत्तन न्यास के साथ विलय कर दिया जाए।

7. पोत अधिग्रहण की लाइसेंसिंग समाप्त कर दी जानी चाहिए और सरकार को पोत की सुरक्षा तथा समुद्री योग्यता सुनिश्चित करने के लिए इसे नौवहन महानिदेशालय पर छोड़ देना चाहिए।

8. चार संस्थानों अर्थात् (1) प्रशिक्षण पोत चाणक्य (2) मैरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, मुम्बई, (3) मैरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, कलकत्ता, और (4) एल बी एस कॉलेज आफ एडवांस मैरीटाइम स्टडी एंड रिसर्च, मुम्बई को चलाने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित इंडियन इन्स्ट्टियूट आफ मैरीटाइम स्टडीज को सम विश्वविद्यालय अथवा आई.आई.टी. का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसे पूर्णरूप से स्वायत्त होना चाहिए।

9. एस.सी.आई. विनिवेश के लिए एक उम्मीदवार है और विनिवेश पूरा किया जाना चाहिए।

10. ट्रांसचार्ट के प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण से स्टाफ की संख्या घट जाएगी। यह कार्य 6 माह में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

11 एच.एस.एल. जो कि घाटा उठाने वाली कंपनी है, के लिए एक अनुकूल सहभागी प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए और भारत सरकार की होल्डिंग का विनिवेश करना चाहिए।

12. सी.एस.एल. को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखने का कोई अनुकूल अथवा वाणिज्यिक औचित्य नहीं है। कंपनी का यथाशीघ्र निजीकरण कर देना चाहिए।

13. एच.डी.पी.ई. के पास कलकत्ता में बहुमूल्य भूमि है और इसको रियल इस्टेट के रूप में बेचा जाना चाहिए।

14. सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. के जहाज निर्माण और मरम्मत कार्यकलाप बन्द कर दिए जाने चाहिए और इसकी परिसम्पत्तियां बेच दी जाएं।

15. जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत कार्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के व्यावसायिक रूप से चलाये जा रहे शिपयार्डों द्वारा किए जाने से तथा उदार अर्थव्यवस्था में अनुषंगी विकास होने से एस बी आर पक्ष को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत से संबंधित विकास कार्य यार्डों के लिए छोड़ दिए जाने चाहिए जिनको इस क्षेत्र में हो रहे प्रौद्योगिकीय विकास की मंत्रालय की तुलना में बेहतर समझ और जानकारी है।

16. एन एस डी आर सी को मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

17. इस मामले की, कि क्या दीपघरों और अन्य नौचालन उपकरणों को स्थापित करने और उनका प्रचालन करने के कार्य का निजीकरण सरकार के पास अथवा मानक व गुणता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक के पास हो, जांच की जानी चाहिए।

18. महा और लघु पत्तनों में सफाई संबंधी कार्यकलापों की निगरानी करने और नियंत्रण रखने के लिए एक समुद्री प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए और इसे नौवहन महानिदेशालय और दीपघर महानिदेशालय के कार्य करने चाहिए। इस समुद्री प्राधिकरण में पत्तन प्रभारी के रूप में एक सदस्य, नौवहन प्रभारी के रूप में एक सदस्य, दीपघर प्रभारी के रूप में एक सदस्य और वित्तीय काम-काज की देख-रेख के लिए एक सदस्य होगा तथा इस प्राधिकरण का प्रमुख इन्हीं सदस्यों में से कोई एक होगा जो अपर सचिव के रैंक का होगा। परिणामस्वरूप महापत्तनों के प्रशुल्क प्राधिकरणों को बंद किया जा सकता है और समुद्री प्राधिकरण को जहां भी आवश्यक होगा, उत्पादक संघ संबंधी/एकाधिकार मुद्दों तथा पत्तनों/नौवहन कंपनियों द्वारा प्रशुल्क के मनमाने निर्धारण के मामलों को देखने का अधिकार होगा। समुद्री प्राधिकरण की स्थाप्ना से मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, जिसकी सहायता के लिए एक अथवा दो उप सचिव होंगे, के लिए पत्तन नीति, अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और तटीय नौवहन की देख-रेख करना पर्याप्त होना चाहिए।

19. सरकार, अंतर्देशीय जल परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और एन एच डी पी की तर्ज पर राष्ट्रीय जलमार्ग विकास कार्यक्रम तैयार करे तथा अनुमोदित जलमार्गों को नौगम्य बनाने के लिए तत्संबंधी सभी निवेश से जुड़े निर्णय लेने हेतु व्यय सचिव और योजना सचिव इत्यादि को आई डब्ल्यू ए आई के बोर्ड में शामिल करके इसे अधिकार सम्पन्न बनाए।

20. पत्तनों के निगमीकरण से और पत्तनों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा दीपघरों की देख-रेख करने के लिए नौवहन महानिदेशालय की सांविधिक शक्तियों का प्रयोग करने हेतु एक समुद्री प्राधिकरण स्थापित करने से और भारतीय नौवहन निगम, शिपयार्डों तथा मंत्रालय में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश करने से और मंत्रालय में विकास और एस बी आर पक्ष समाप्त करने से मंत्रालय का कार्य काफी कम हो जाएगा।

21. मंत्रालय के लिए यह पर्याप्त होगा कि एक संयुक्त सचिव दो उप सचिवों की सहायता से सभी पत्तन संबंधी मामलों को देखे और एक संयुक्त सचिव एक उप सचिव की सहायता से

शेष बचे नौवहन मामलों और अंतर्देशीय जल परिवहन को देखें। ट्रांसचार्ट को जारी रखा जाना चाहिए हालांकि इसकी स्टाफ संख्या की समीक्षा की जाएगी। पोत परिवहन मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार कम होने से दोनों मंत्रालयों को एक बार फिर मिलाकर जल भूतल परिवहन मंत्रालय बनाने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए ताकि रेलवे को छोड़कर जल भूतल परिवहन के सभी साधनों के संबंध में एक एकीकृत कार्यनीति अपनाई जा सके।

[अनुवाद]

निजी टेलीफोन आपरेटर

649. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निजी आपरेटरों द्वारा कितने ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए;

(ख) क्या निजी आपरेटरों ने विभाग को वचनबद्धता पूरी न करने पर मुआवजा प्रदान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सूचना के अनुसार, निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 607 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किए गए हैं।

(ख) से (घ) लाइसेंस करार की व्यवस्था के अनुसार, इस संबंध में, प्रतिबद्ध निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विलम्ब के लिए उनसे परिसमापित नुकसानी (एलडी) प्रभार वसूल कर लिए गए हैं। इसके अलावा, उनसे अपूर्ण प्रतिबद्ध रॉल आऊट दायित्वों को दिसम्बर, 2002 तक पूरा करने के लिए भी कहा गया है जिसके लिए अतिरिक्त निष्पादन बैंक गारंटियों और गारंटी-विलेखों की मांग की गई है।

केन्द्रीय भंडार द्वारा तौलियों की खरीद

650. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रघुनाथ झा :
श्री रामजी मांझी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम दिल्ली ने प्रतिष्ठित विनिर्माताओं या उनके प्राधिकृत वितरकों से 48696 तौलियों की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की थी और केन्द्रीय भंडार ने उस निविदा में भाग लिया तथा उसे प्राप्त किया;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भंडार एक प्रतिष्ठित विनिर्माता या किसी प्रतिष्ठित विनिर्माता का प्राधिकृत विक्रेता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार ने विनिर्माता की बजाय किसी अन्य स्रोत से तौलियों की खरीद की जिसने केन्द्रीय भंडार को अपना वितरक नियुक्त किया; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय भण्डार, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को मुहैया करवाए गए ब्रैंड के तौलियों के निर्माता या प्राधिकृत वितरक है और तद्नुसार उसने निविदा में भाग लिया। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटिड को तौलिए, उपर्युक्त ब्रैंड के निर्माता के स्थानीय पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ता से खरीद कर मुहैया करवाए गए।

(ङ) चूंकि केन्द्रीय भण्डार ने खुली प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया और अपनी निविदा में उद्धृत दरों की स्वीकृति में सफलता अर्जित की तथा उसने निम्नतम दरें उद्धृत कीं, अत: इस कारोबार में कोई भी अनियमितता बरती गई प्रतीत नहीं होती।

अमेरिका में हताहत हुए भारतीय

651. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री सिमरनजीत सिंह मान :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों में मारे गए, घायल हुए या गुम हुए भारतीयों की संख्या कितनी है; और

(ख) भारतीय दूतावास द्वारा प्रभावित परिवारों को क्या सहायता प्रदान की गई?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) न्यूयार्क सिटी प्राधिकारियों के पास दर्ज रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय मूल के 107 व्यक्ति लापता हैं और 11 सितम्बर, 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयार्क पर हमलों के परिणामस्वरूप उन्हें मृत मान लिया है। भारतीय मूल के 77 व्यक्ति स्थानीय अस्पतालों में भर्ती किए थे तथा उपचार के पश्चात् उन्हें छुट्टी दे दी गई है।

(ख) भारतीय राजदूतावास ने भारत के प्रधान कोंसलावास, न्यूयार्क में 24 घंटे सहायता लाईनों के संचालन द्वारा लापता भारतीयों का पता लगाने में हर संभव सहायता प्रदान की है, उन्होंने न्यूयार्क सिटी प्राधिकारियों के साथ निकटता से संपर्क किया। इन हमलों के मृतकों के शवों को न्यूयार्क से भारत में उनके गंतव्यों तक मुफ्त लाने के लिए एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस तथा भारतीय रेलवे के साथ व्यवस्था की गई है। लापता व्यक्तियों के संबंध में किसी और सूचना के लिए न्यूयार्क स्थित भारत का प्रधान कोंसलावास, न्यूयार्क सिटी प्राधिकारियों के निकट संपर्क में रहता है।

[हिन्दी]

बिहार को आर्थिक पैकेज

652. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार झारखंड राज्य के सृजन के बाद बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) प्रारंभ में, बिहार सरकार से उत्तरी बिहार के लिए विकासात्मक पैकेज की रूपरेखा देते हुए एक संदर्भ प्राप्त हुआ था, जिसमें केन्द्र सरकार को भेजी गई स्कीमें/परियोजनाएं, स्कीमें जो प्रस्तुत करने हेतु तैयार हैं, स्कीमें जो राज्य को राष्ट्रीय औसत के स्तर तक ले जाने के लिए आवश्यक है तथा केन्द्र सरकार को भेजे गए वे प्रस्ताव जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सम्मुख रखना है तथा जिन्हें अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है, शामिल हैं। प्रस्तावित स्कीमों का एक वित्तीय सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है। बिहार के राज्य अधिकारियों के साथ योजना आयोग एवं पटना में क्रमशः प्रारंभिक व विस्तृत चर्चाएं की गई। इस संबंध में बिहार सरकार से कुछ सूचनाएं मांगी गई हैं जिसकी अभी भी प्रतीक्षा है। आगे, बिहार के द्विभाजन के बाद आर्थिक पैकेज हेतु बिहार के संसद सदस्यों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को दिनांक 28.11.2000 को दिया गया एक ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है। तथापि, इसमें कोई राशि नहीं दर्शाई गई है। ज्ञापन की भी जांच चल रही है। तत्पश्चात्, मुख्यमंत्री, बिहार ने 20,646.28 करोड़ रुपये राशि की परियोजनाओं का ब्यौरा भेजा है, जिन्हें बिहार सरकार द्वारा भेजे गए सभी पूर्ववर्ती परियोजनाओं/दस्तावेजों का अधिक्रमण करते हुए शुरू किया जाना है। तदुपरान्त, बिहार सरकार ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में लंबित परियोजनाओं की अतिरिक्त सूची भेजी है। प्रस्तावों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इस मामले में उपयुक्त दृष्टिकोण हेतु भेज दिया गया था। "बिहार पैकेज" का मामला भी योजना आयोग में विचाराधीन है तथा राज्य सरकार के साथ इस पर विचार-विमर्श किए गए हैं।

विवरण

प्रस्तावित स्कीमों का वित्तीय सारांश

(रु. करोड़ में)

विभाग	श्रेणी 1 केन्द्र सरकार को भेजा गया	श्रेणी 2 स्कीमें जो प्रस्तुत करने हेतु तैयार हैं	श्रेणी 3 राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए	श्रेणी 4 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निधिकरण हेतु प्रस्ताव	कुल
1	2	3	4	5	6
जल संसाधन	23000	18,060	14,400	–	55,460
लघु सिंचाई एवं कृषि (विशेष कार्यक्रम)	3113	346	–	5076	8534

1	2	3	4	5	6
ऊर्जा	8580	8605	570	–	17755
सड़क निर्माण	925	5,604	25,334	–	31,863
ग्रामीण	–	9,644	5,262	548	15,454
कृषि	80	–	–	–	80
गन्ना विकास	–	–	750	–	750
पशु पालन विकास एवं मत्स्य	60	18	51	64	193
उद्योग	278	155	–	–	433
शिक्षा	1520	3165	10,196	–	14881
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	–	–	1181	–	1181
स्वास्थ्य, पर्यटन	41	–	30	–	71
शहरी विकास	3253	9	35	217	3514
कुल	40,850	45,606	57,809	5,904	150,169

कैंसर अस्पताल

653. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंसर के कारण, देश में विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस बीमारी से संबंधित अनुसंधान और चिकित्सा के लिए कैंसर अस्पताल स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) कैंसर के कारण मौतों की संख्या केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की मुम्बई में जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार कैंसर की मौतों के आधार पर देश में कैंसर से हुई मौतों की अनुमानित संख्या लगभग 4.3 लाख है।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय कैंसर अनुसंधान एवं उपचार अस्पताल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, यह मंत्रालय राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम चला रहा है जिसके अन्तर्गत संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार जागरूकता का प्रसार करने, निदान, उपचार और अनुसंधान इत्यादि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

विभिन्न योजनाएं हैं जिनके लिए राज्य सरकारों/संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ये योजनाएं इस प्रकार हैं:-

ऑन्कोलॉजी विंग का विकास

यह योजना देश में कैंसर की पहचान और उपचार में भौगोलिक अन्तरालों को भरने के लिए केवल सरकारी मेडिकल कालेजों के

लिए उपलब्ध है। सूची में दिए गए उपकरणों की खरीद के लिए इस योजना के अंतर्गत किसी संस्थान को 2.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। यह एक बार दिया जाने वाला अनुदान है।

कोबाल्ट थिरेपी यूनिट की स्थापना

सरकारी संस्थाओं में कोबाल्ट थिरेपी यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को 1.50 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह एक बार दिया जाने वाला अनुदान है।

राज्य सरकार की विशेष सिफारिशों पर गैर-सरकारी संगठनों को कोबाल्ट थिरेपी यूनिट के लिए 1.00 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। यह एक बार दिया जाने वाला अनुदान है।

स्वैच्छिक संगठन योजना

यह योजना राज्य सरकार की विशेष सिफारिशों पर कैंसर में स्वास्थ्य शिक्षा और शुरू में ही इसकी पहचान कार्यकलाप चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 5.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने के लिए है।

जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा, पता लगाने और दर्द राहत संबंधी उपायों के लिए जिला परियोजना (अवधि - 5 वर्ष) के लिए एक योजना शुरू की गई। इस योजना में इस परियोजनावधि में शेष चार वर्षों के लिए प्रत्येक जिले के लिए 10.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष के प्रावधान से इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन को 15.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पांच वर्षों के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को अधिग्रहीत किया जायेगा।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र

इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में 17 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी है और इस संस्था के विकास के लिए उपकरणों की खरीद के लिए हर वर्ष 75.00 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। ये क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र उपचार सुविधाएं प्रदान करते हैं और कैंसर के क्षेत्र में अनुसंधान करते हैं।

[अनुवाद]

अमरीका में भारतीयों की गिरफ्तारी

654. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति को 11 सितंबर, 2001 को अमरीका पर हुए हवाई हमले में हाथ होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों के तत्काल बाद भारतीय यात्रा दस्तावेजधारक दो व्यक्तियों मोहम्मद जावेद अजमत और अयूब अली खान को टेक्सास में गिरफ्तार किया था। उन्हें आव्रजन उल्लंघन के आरोपों में गिरफ्तार किया था और उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों के तात्विक गवाहों के रूप में माना जा रहा है।

(ग) सरकार का विचार है कि इस मामले में अमरीकी विधि की समुचित प्रक्रिया को अपना रास्ता अख्तियार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

के.वी.आई.सी. इकाइयों का पुनर्गठन

655. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिक्री में तेजी लाने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग के 15000 से अधिक विक्रय केन्द्रों को पुनर्गठित किया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग देश के अन्य किसी व्यवसायिक संस्थान के साथ सहयोग की योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास और

संवर्धन के लिए एक पैकेज की घोषणा की है जिसमें इसके साथ-साथ के.वी.आई.सी. के यहां पंजीकृत संस्थानों के बिक्री आउटलेट्स का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण व्यवस्था सम्मिलित है। सरकार ने रीगल बिल्डिंग कनाट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन (के.जी.बी.) सहित प्रमुख शहरों के खादी भवनों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करने का भी निर्णय लिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एन.आई.डी.) अहमदाबाद के सहयोग से एक डिजाइन केन्द्र खोला है। एन.आई.डी. के.वी.आई.सी. डिजाइन परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने के लिए क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परामर्शदाता भी है। के.वी.आई.सी. जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान, वर्धा को ग्रामीण औद्योगिकीकरण के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप के सुदृढ़ीकरण हेतु उसे फिर से तैयार करने के लिए आई.आई.टी. दिल्ली के साथ भी सहयोग साधे हुए हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

656. डा. जसवन्तसिंह यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान अभी तक राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार से कोई परियोजना प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) चालू वर्ष (2001-02) के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

पेयजल पूर्ति-1 लाख जनसंख्या

पोषण-संगत आयु समूह में 8.46 लाख बच्चे

ग्रामीण आवास (परिवार लाभान्वित)

नए मकान	:	2607 निर्मित
		3099 निर्माणाधीन
उन्नयन	:	1598 पूरा किया गया
		1752 प्रक्रियाधीन

प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण—इन तीनों घटकों हेतु राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करने की सिफारिश कर दी गई है।

(ख) से (घ) चालू वर्ष के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण को छोड़कर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के सभी घटकों हेतु राजस्थान राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। पेय जलापूर्ति, ग्रामीण आवास तथा पोषण संबंधी निधियों की पहली किश्त पहले ही राज्य सरकार को जारी कर दी गई है। संबंधित मंत्रालयों द्वारा वित्त मंत्रालय से प्राथमिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा हेतु राज्य सरकार को निधियां जारी करने की भी सिफारिश कर दी गई है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की असफलता

657. श्री अधीर चौधरी : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग वसूली के लिए ऋण देने के वास्ते परियोजनाओं और संस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने में असफल रहा है;

(ख) क्या मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार वसूली के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि लंबित थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वर्धा में उस राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है जिसका शिलान्यास समारोह 2 अक्तूबर, 2001 को होना निश्चित था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) खादी ग्रामोद्योग आयोग का उद्भव एक वित्तीय संस्थान के रूप में नहीं हुआ है, और इसीलिए परियोजना मूल्यांकन और ऋणों की वसूली में इसकी विशेषज्ञता सीमित है।

(ख) जी, हां।

(ग) 31.3.2000 तक 2315.51 करोड़ रु. का संवितरण ऋणों के रूप में कर दिया गया है और इस दिनांक तक 508.91 करोड़ रु. की राशि की वसूली की जा चुकी है। संवितरित संपूर्ण राशि तत्काल वसूली हेतु नियत नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

फीजी में भारतीयों को अंतिम चेतावनी

658. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फीजी की नई सरकार भारतीयों को फीजी छोड़ने के लिए कह रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई-कॉमर्स को प्रोत्साहन

659. श्री के.पी. सिंह देव :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन ई-कॉमर्स के वर्ष 2005 तक 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो इस आकलन का आधार क्या है और ई-कामर्स को प्रोत्साहन देने में सरकार की क्या भूमिका है;

(ग) क्या सरकार का विचार 'डिजिटल सिगनेचर फ्रेमवर्क' की स्थापना करने के लिए संकेद्रित अध्ययन करने तथा इलेक्ट्रॉनिक परिवेश में विश्वास पैदा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) की ई-वाणिज्य राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट (जून, 2001) के अनुसार, भारतीय ई-वाणिज्य वर्ष 2003 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनी संघ (नैसकॉम) और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के संयुक्त अध्ययन ने वर्ष 2005 तक भारतीय ई-वाणिज्य संव्यवहार को 1,95,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। भारत सरकार ई-वाणिज्य के लिए आधारभूत सुविधाओं तथा विधायी समर्थन को बढ़ावा दे रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक परिवेश में विश्वास पैदा करने के लिए विधिक और प्रशासनिक ढांचे के एक भाग के रूप में प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक (सीसीए) का गठन किया है। भावी प्रमाणन प्राधिकारी अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने संबंधी मानक्रों तथा दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के साथ ही देश में प्रमाणन प्राधिकारियों के रूप में सार्वजनिक कुंजी की अवसंरचना (पीकेआई) की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक देश में ई-वाणिज्य तथा ई-शासन के विकास हेतु अंकीय हस्ताक्षर ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए समुचित मंचों को जरिए प्रमाणन प्राधिकारी प्रौद्योगिकी अंतरणकर्ताओं, विधि विशेषज्ञों तथा संपरीक्षकों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

आतंकवादियों को भारतीय पासपोर्ट और वीजा

660. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ आतंकवादी तत्वों ने स्विटजरलैंड स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से पासपोर्ट और भारतीय वीजा हासिल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी जांच के कोई आदेश दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा से नीचे

661. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी निर्धन व्यक्तियों के उत्थान के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार विशेषत: आन्ध्र प्रदेश में अनुमानित संख्या क्या है और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के हैं; और

(ग) गरीबी रेखा से वर्षवार कितने निर्धन व्यक्तियों को ऊपर उठाये जाने का लक्ष्य रखा गया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दृष्टिकोण-पत्र में वर्ष 2007 तक गरीबी अनुपात (कुल जनसंख्या में गरीबों की संख्या का अनुपात) में 5 प्रतिशत अंक की कमी दर्शायी गयी है।

(ख) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की नवीनतम अनुमानित संख्या जैसे गरीब लोगों की संख्या वर्ष 1999-2000 के लिए राज्यवार उपलब्ध है। इसे संलग्न विवरण-I में दिया गया है। आंध्र प्रदेश में, वर्ष 1999-2000 में 11.90 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में गरीबों के प्रतिशत का नवीनतम अनुमान वर्ष 1993-94 के लिए उपलब्ध है। इन्हें संलग्न विवरण-II में दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) गरीबी रेखा से ऊपर उठाए जाने वाले गरीब लोगों की संख्या के लक्ष्य को वार्षिक तौर पर निर्धारित नहीं किया जाता।

विवरण-I

सारणी-2—1999-2000 में राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या व प्रतिशत

(30 दिवसीय प्रस्थाहवान अवधि)

		ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	58.13	11.05	60.88	26.63	119.01	15.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.80	40.04	0.18	7.47	3.98	33.47
3.	असम	92.17	40.04	2.38	7.47	94.55	36.09
4.	बिहार	376.51	44.30	49.13	32.91	425.64	42.60
5.	गोवा	0.11	1.35	0.59	7.52	0.70	4.40
6.	गुजरात	39.80	13.17	26.9	15.50	67.89	14.07
7.	हरियाणा	11.94	8.27	5.39	9.99	17.34	8.74
8.	हिमाचल प्रदेश	4.84	7.94	0.29	4.63	5.12	7.63
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2.97	3.97	0.49	1.98	3.46	3.48
10.	कर्नाटक	59.91	17.38	44.49	25.25	104.40	20.04

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	20.97	9.38	20.07	20.27	41.04	12.72
12.	मध्य प्रदेश	217.32	37.06	81.22	38.44	298.54	37.43
13.	महाराष्ट्र	125.12	23.72	102.87	26.81	227.99	25.02
14.	मणिपुर	6.53	40.04	0.66	7.47	7.19	28.54
15.	मेघालय	7.89	40.04	0.34	7.47	8.23	33.87
16.	मिजोरम	1.40	40.04	0.45	7.47	1.85	19.47
17.	नागालैंड	5.21	40.04	0.28	7.47	5.49	32.67
18.	उड़ीसा	143.69	48.01	25.40	42.83	169.09	47.15
19.	पंजाब	10.20	6.35	4.29	5.75	14.49	6.16
20.	राजस्थान	55.06	13.74	26.78	19.85	81.83	15.28
21.	सिक्किम	2.00	40.04	0.04	7.47	2.05	36.55
22.	तमिलनाडु	80.51	20.55	49.97	22.11	130.48	21.12
23.	त्रिपुरा	12.53	40.04	0.49	7.47	13.02	34.44
24.	उत्तर प्रदेश	412.01	31.22	117.88	30.89	529.89	31.15
25.	पश्चिम बंगाल	180.11	31.85	33.38	14.86	213.49	27.02
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.58	20.55	0.24	22.11	0.82	20.99
27.	चण्डीगढ़	0.05	5.75	0.45	5.75	0.51	5.75
28.	दादरा और नगर हवेली	0.30	17.57	0.03	13.52	0.33	17.14
29.	दमन व दीव	0.01	1.35	0.05	7.52	0.06	4.44
30.	दिल्ली	0.07	0.40	11.42	9.42	11.49	8.23
31.	लक्षद्वीप	0.03	9.38	0.08	20.27	0.11	15.60
32.	पांडिचेरी	0.64	20.55	1.77	22.11	2.41	21.67
	अखिल भारत	1932.43	27.09	670.07	23.62	2602.50	26.10

टिप्पणी :

1. असम के गरीबी अनुपात का सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा के लिए प्रयोग किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा व गोवा के व्यय वितरण का गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
3. हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा व जम्मू और कश्मीर के व्यय वितरण का जम्मू व कश्मीर के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया गया है।
4. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का पांडिचेरी और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रयोग किया गया है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का चण्डीगढ़ के ग्रामीण व शहरी दोनों की गरीबी के लिए प्रयोग किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा व नगर हवेली के व्यय वितरण का दादरा व नागर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया गया है।
7. गोवा के गरीबी अनुपात का दमन व दीव के लिए प्रयोग किया गया है।
8. केरल के गरीबी अनुपात का लक्षद्वीप के लिए प्रयोग किया गया है।
9. राजस्थान के शहरी अनुपात को अनंतिम समझा जाए।

विवरण-II

राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की प्रतिशतता—1993-94

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.02	25.66	43.82	46.68
2.	असम	45.38	41.44	14.34	7.11
3.	बिहार	70.66	69.75	55.16	35.76
4.	गुजरात	32.26	31.20	44.99	35.47
5.	हरियाणा	46.56	41.55	23.58	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	36.89	63.94	18.52	0.00
7.	कर्नाटक	46.46	37.33	61.59	62.05
8.	केरल	36.43	37.34	31.59	1.08
9.	मध्य प्रदेश	45.83	56.69	65.00	65.28
10.	महाराष्ट्र	51.64	50.58	52.56	61.06
11.	उड़ीसा	48.95	71.26	47.45	64.85
12.	पंजाब	22.08	27.00	27.96	0.00
13.	राजस्थान	38.38	46.23	48.63	13.21
14.	तमिलनाडु	44.05	44.37	61.50	30.08
15.	उत्तर प्रदेश	58.99	37.11	58.02	36.89
16.	पश्चिम बंगाल	45.29	61.95	37.73	19.41
17.	अखिल भारत	48.11	51.94	49.48	41.14

टिप्पणी :

1. आकलन, अनुपात आकलन व गरीबों की संख्या पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में उद्धृत कार्यप्रणाली पर आधारित है।
2. सभी जनसंख्या की गरीबी रेखा को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रयोग किया गया है।
3. अखिल भारत गरीबी अनुपात, व्यक्तियों के एन.एस.एस. वितरण तथा (निहित) अखिल भारत गरीबी रेखा के आधार पर तैयार की गई है।

[हिन्दी]

निजी टेलीफोन ऑपरेटर

662. श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने गांवों में निजी कम्पनियों ने टेलीफोन कनेक्शन दिये हैं;

(ख) क्या निजी कम्पनियों ने 25 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ग) किन-किन कम्पनियों ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(घ) क्या इसके कारण निगम को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा; और

(ङ) केन्द्र सरकार की शर्तों का पालन न करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) बुनियादी टेलीफोन सेवा की प्राइवेट ऑपरेटर कम्पनियों द्वारा अब तक कुल 607 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किए गए हैं।

(ख) उनके द्वारा प्रतिबद्ध वीपीटी लक्ष्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इनमें से किसी भी कम्पनी ने अपने प्रतिबद्ध लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जैसी कि लाइसेंस करार में व्यवस्था है, इस संबंध में प्रतिबद्ध निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विलम्ब के लिए उनसे परिसमापित नुकसानी (एलडी) प्रभार वसूल कर लिए गए हैं। इसके अलावा, उनसे दिसम्बर, 2002 तक अपूर्ण प्रतिबद्ध रॉल आऊट दायित्वों को पूरा करने के लिए भी कहा गया है, जिसके लिए अतिरिक्त निष्पादन बैंक गारंटियों तथा गारंटी विलेखों की मांग की गई है।

विवरण

प्राइवेट ऑपरेटर तथा लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र	लाइसेंस प्रभावी होने की तारीख	सेवा शुरू होने का माह	प्रभावी तारीख से पहले तीन वर्षों में प्रतिबद्ध वीपीटी की संख्या*	15.10.01 तक प्रदान किए गए वीपीटी की संख्या**	30.9.2001 की स्थिति के अनुसार सुविधा रहित शेष गांवों की संख्या
भारती टेलीनेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश	30.9.1997	जून, 1998	16500	348	23,309
टाटा टेलीसर्विसिज, आन्ध्र प्रदेश	30.9.1997	मार्च, 1999	9635	10	6,059
हयूजिज टेलीकॉम, महाराष्ट्र	30.9.1997	अक्तूबर, 1998	25760	40	10,926
रिलायन्स टेलीकाम, गुजरात	30.9.1997	मई, 2000	8635	शून्य	4,202
श्याम टेलीलिंक राजस्थान	4.3.1998	जून, 2000	31,834	209	14,791
एचएफसीएल इन्फोटेल, पंजाब	30.9.1997	सितम्बर, 2000	5,442	1	शून्य
कुल			97,806	608	59,287

*आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब के मामले में 30.9.1998 तक और महाराष्ट्र के मामले में 30.9.1999 तक इन वचनबद्धताओं को पूरा किया जाना था। मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए इन्हें क्रमशः 30.9.2000 तथा 4.3.2001 तक पूरा किया जाना था।

**आंकड़े लाइसेंसधारकों द्वारा बताए गए हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक पद के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण के समक्ष दायर किया गया प्रार्थना-पत्र

663. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने निदेश दिया है कि केन्द्र में पुलिस महानिदेशक ग्रेड के पदों का भरा जाना भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा 'कैट' के समक्ष दायर की गई उस अर्जी के परिणाम के अध्यधीन होगा जिसमें वह यह विनती कर रहा है कि उसके नाम पर सी.बी.आई. निदेशक के पद के लिए विचार किया जाए;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की बैंगलूर न्यायपीठ ने, डॉ. आर. विश्वनाथन, भारतीय पुलिस-सेवा (कर्नाटक-66) द्वारा ओ.ए. संख्या 692/2001 में दायर एम.ए. संख्या 243/2001 में दिए अपने दिनांक 26.7.2001 के अन्तरिम आदेश में यह निदेश दिया था कि केन्द्र सरकार में पुलिस महानिदेशक के ग्रेड में पदों का भरा जाना, ओ.ए. संख्या 692/2001 में दिए जाने वाले आदेश के परिणाम के अध्यधीन रहेगा। ओ.ए. संख्या 692/2001 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अपने दिनांक 28.9.2001 के आदेश द्वारा अन्तत: दिए निर्णय में ऐसा कोई भी निदेश नहीं दिया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रमुख पत्तनों से जोड़ा जाना

664. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** 23 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5387 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5ए को उड़ीसा के राजमार्ग संख्या 12 से जोड़कर पारादीप तक संपर्क मार्ग बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी और पारादीप को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग के निर्माण के लिये कितनी राशि जारी की गई है; और

(ग) अन्य मार्गों को बड़े पत्तनों से जोड़ने के लिए अन्य कौन सी परियोजनायें चलाई गई हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 5ए को चार लेन का बनाकर पारादीप पत्तन के लिए सड़क संपर्क के सुधार का प्रस्ताव है।

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत 350 करोड़ रु. है। सिविल कार्य ठेका अभी सौंपा जाना है।

(ग) अन्य महापत्तनों के लिए संपर्क के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पत्तन संपर्क परियोजनाएं

क्र.सं.	पत्तन	संभावित खंड	लंबाई कि.मी.
1	2	3	4
1.	कलकत्ता	रा.रा.-34 (बरसाट बाइपास से कलकत्ता गोदी वाया कमालगाजी और जोगा)	60
2.	हल्दिया	रा.रा.-41 (रा.रा.-6 पर कोलाघाट से हल्दिया)	53
3.	विशाखापत्तनम	राज्यीय सड़क	12

1	2	3	4
4.	चेन्नै और इन्नौर	चेन्नै-इन्नौर एक्सप्रेस मार्ग	6
5.	तूतीकोरिन	रा.रा.-7ए (तूतीकोरिन-तिरवेलल्ली खंड)	51
6.	कोचीन	रा.रा.-47 (5 पुलों सहित 348/382 से 358/300 कि.मी.)	10
7.	नव मंगलूर	रा.रा.-17 (कासरगोडु-मंगलौर-उडुपी खंड और रा.रा. 48 मंगलौर-बंटवाल खंड)	37
8.	मुरगांव	रा.रा.-17बी (पोर्ट से रा.रा.-17 पर वरणा जंक्शन)	18
9.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन	रा.रा.-4बी + रा.रा.-4	29
		राज्यीय राजमार्ग-54	10
		+	
		अमरा मार्ग	6
		+	
		पनवेल क्रीक पुल	
10.	कांडला	रा.रा.-8ए (समखयाली-गांधीधाम)	56

अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प

665. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमरीका पर 11 सितंबर को हुए हमलों के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में पारित किये गये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प का स्वागत किया है;

(ख) यदि हां, तो पारित किये गये संकल्प का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र के संकल्प में भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के विषय में भी विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार संयुक्त राष्ट्र के संकल्प को लागू करने के लिये क्या उपाय कर रही है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) 11 सितम्बर को अमरीका में हुए आतंकवादी हमलों के तत्काल बाद सुरक्षा परिषद ने संकल्प 1363 पारित किये जिसमें हमलों की निंदा की गयी। तत्पश्चात इसने 28 सितम्बर को संकल्प 1373 पारित किया जिसमें आतंकवाद का मुकाबला करने के अनेक उपायों का उल्लेख किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ इस संकल्प में राज्यों से आतंकवाद का वित्त-पोषण रोकने और इससे मुकाबला करने; आतंकवादी संगठनों की परिसंपत्तियों और निधियों को फ्रीज करने; आतंकवादियों की भर्ती; हथियारों की आपूर्ति, सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने सहित उन्हें किसी अन्य प्रकार का समर्थन देने से बचने तथा आतंकवादियों की गतिविधियों के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए घनिष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग करने; सीमा पर नियंत्रण को मजबूत बनाने और अन्य तरीकों से एक-दूसरे के साथ सहयोग करने का आह्वान किया गया है। सभी राज्यों से अपेक्षा की गयी है कि वे नब्बे दिनों के अन्दर संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए उनके द्वारा किये गये उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट सुरक्षा परिषद के समक्ष प्रस्तुत करें।

(ग) और (घ) इस संकल्प में विशेष आतंकवादी संगठनों का उल्लेख नहीं किया गया है अपितु इसका आशय विश्व स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को सुदृढ़ बनाना है। प्रत्येक सदस्य राज्य को यह निर्णय लेना है कि किन आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध उन्हें कार्रवाई करनी है।

(ङ) भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद के संकल्प 1373 का स्वागत किया है और इसे क्रियान्वित करने के लिए कृतसंकल्प हैं। दो दशकों से अधिक की अवधि से आतंकवाद से पीड़ित रहने के कारण हमारे पास आतंकवाद का मुकाबला करने के साधन हैं। हाल के आतंकवाद निरोध अध्यादेश में कई अतिरिक्त उपाय किये गये हैं, विशेषकर वित्तीय पहलुओं के संबंध में। जैसा कि संकल्प में प्रावधान है, भारत भी सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[हिन्दी]

होम्योपैथिक कालेजों को सुदृढ़ करना

666. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में होम्योपैथिक कालेजों को सुदृढ़ बनाने तथा शोध कार्यों के लिये उन्हें सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के कालेजों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाते हैं। 2001-2002 के दौरान महाराष्ट्र में पांच होम्योपैथिक कालेजों को 48.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में नया राष्ट्रीय राजमार्ग

667. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में करीब 100 किलोमीटर लंबी फुलनखरा (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर)-नियाली-मधाब-चारीछक-गोप-कोणार्क-पुरी (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-203 पर) की घोषणा हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो कब और इस पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए यूनेस्को द्वारा कोणार्क को अन्तर्राष्ट्रीय विरासत केन्द्र घोषित किया जा रहा है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार कोणार्क से जोड़ने वाली सड़क को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करेगी और इस सड़क को तेजी से विकसित करने के लिए कदम उठायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (घ) उड़ीसा राज्य सरकार से फुलनखरा-पुरी सड़क के उन्नयन का प्रस्ताव जनवरी, 2001 में प्राप्त हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों के साथ ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

तपेदिक की बढ़ती भयावह दर

668. श्री नरेश पुगलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी दी है कि तपेदिक की बीमारी पूरे विश्व में खतरनाक ढंग से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इसने तपेदिक से निपटने के लिये कुछ उपायों का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) जी, हां। उन्होंने बताया है कि विश्वमारी एच.आई.वी./एड्स से मृतवत जुड़े हुए क्षय रोग तथा इसकी बढ़ती हुई औषध-रोधन क्षमता के कारण क्षय रोग एक आसन्न जन स्वास्थ्य संकट है। अकेले पिछले वर्ष विश्व भर में लगभग दो मिलियन लोगों की मृत्यु हुई।

(ग) और (घ) ये अभिकरण डॉट्स कार्यनीति का देश भर में विस्तार करने का आग्रह कर रहे हैं जिसके अंतर्गत दवाइयां एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सीधी देखरेख में दी जाती हैं जिससे अनुपालन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विकसित और विकासशील दोनों देशों से अपील की है कि क्षय रोग को रोकने के लिए वे अपनी वित्तीय सहायता बढ़ाएं। वे सन् 2005 तक 70 प्रतिशत स्मीयर पॉजीटिव रोगियों का पता लगाने और इन नए रोगियों के 85 प्रतिशत को स्वस्थ करने के क्षय रोग नियंत्रण लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं।

(ङ) सरकार भारत में अपने क्षय रोग नियंत्रण प्रयासों का विस्तार करने को वचनबद्ध है। डॉट्स कार्यनीति को अपनाते हुए संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चरणवार ढंग से चलाया जा रहा है। इसकी कवरेज 1998 के अन्त में लगभग 20 मिलियन से बढ़कर इस समय लगभग 440 मिलियन हो गई है। सन् 2002 तक 500 मिलियन लोगों और 2004 तक 800 मिलियन लोगों को कवर करने का विचार है।

[हिन्दी]

भारत विरोधी प्रचार

669. श्री रामदास आठवले : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों में स्थित पाकिस्तानी दूतावास भारत विरोधी प्रचार में संलिप्त हैं और आतंकवादियों को शरण भी दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आये हैं;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित देशों के साथ मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इन देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) यह सर्वविदित है कि भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण और नकारात्मक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध सीमा-पार आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार का समर्थन करता है। यह भी सर्वविदित है कि राजनयिक व्यवहार के सुस्थापित नियों के विपरीत पाकिस्तान इस उद्देश्य के लिए तीसरे देशों में भी अपने उच्चायोगों और दूतावासों का उपयोग कर रहा है। ऐसे भी उदाहरण हैं कि विदेशों में नियुक्त पाकिस्तानी राजनयिकों को अपने राजनयिक और सरकारी पद के प्रतिकूल गतिविधियों में लिप्त होने के कारण देश छोड़ना पड़ा।

सरकार ने पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद का समर्थन करने से संबंधित तथ्यों को समुचित और प्रभावी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यापक रूप से स्वीकार करता है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है और यह जहां भी है इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

जैविक आतंकवाद से पूरे विश्व को खतरा

670. श्री वाई.वी. राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'जैविक आतंकवाद से पूरे विश्व को खतरा' विषय पर हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों आदि की कोई उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इन निष्कर्षों को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डेंगू, एंथ्रैक्स इत्यादि जैसे जन स्वास्थ्य की महत्ता के हाल ही में उभर रहे रोगों के उपचार (रोग निदान, उपचार, सूचना, शिक्षा व संचार इत्यादि) की समीक्षा करने के लिए डा. सी.पी. ठाकुर, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ दल की दो बैठकें (पहली और 17 अक्तूबर) आयोजित की गई। देश में विभिन्न संगठनों के आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में विख्यात विशेषज्ञ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों के विभिन्न प्रमुखों ने इस बैठक में भाग लिया और वर्तमान वैश्विक स्थिति के पृष्ठपट में जैव-आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं के बारे में विचार-विमर्श किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 29 अक्टूबर, 2001 को नई दिल्ली में जैविक और रासायनिक आतंकवाद के बारे में एक बैठक-सह-कार्यशाला बुला चुका है जिसमें स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव और विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों, देश में विभिन्न संगठनों के आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में विख्यात विशेषज्ञों और दिल्ली के सरकारी और निजी क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों के प्रमुखों ने भाग लिया और विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

राज्य सरकारों के अधिकारियों ने जैव-आतंकवाद का सामना करने के लिए अपनी तैयारियों का संक्षिप्त विवरण दिया। उन सभी ने आश्वासन दिया कि स्थिति का मुकाबला करने के लिए उनके पास सुविज्ञता और औषधियों का पर्याप्त भंडार है।

[हिन्दी]

बिहार में डाकघरों का खोला जाना

671. श्री राजो सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा लक्षित अवधि के भीतर बाकी काम पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) नौवीं योजना अवधि के दौरान बिहार के सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य और इस संबंध में उपलब्धि निम्नानुसार है:-

योजना वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1997-98	41	4	31	4
1998-99	72	2	72	2
1999-2000	53	शून्य	51	शून्य
2000-2001	54	शून्य	71	शून्य
2001-2002	63	2	6	शून्य

(ख) डाकघर खोलना मानदंड आधारित औचित्य होने तथा अपेक्षित नये पदों के लिए सरकार की मंजूरी पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ

672. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान आंध्र प्रदेश में एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ से कुल कितना राजस्व राजस्व प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ पीसीओ प्रतिस्पर्धा के कारण अर्थक्षम नहीं रह गए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में पीसीओ चलाने के लिए प्रोत्साहन में किस प्रकार वृद्धि करने का है;

(घ) क्या पीसीओ मालिकों तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ कोई बातचीत हुई है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(च) उसके क्या परिणाम निकले?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जलमार्गों से नई यातायात प्रणाली

673. श्री रामजीलाल सुमन : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 14,500 कि.मी. लम्बे राष्ट्रीय जलमार्गों से होकर एक नयी परिवहन प्रणाली विकसित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन नदियों में जलमार्ग विकसित किए जाने की संभावना है तथा इनके द्वारा कौन से स्थान जोड़े जाएंगे;

(ग) वे कौन से स्थान हैं, जहां वर्तमान में जलमार्ग सुविधा उपलब्ध है; और

(घ) देश में उपलब्ध जलमार्गों के उपयोग हेतु सरकार की प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) जी हां। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट (1980) में निम्नलिखित 10 जलमार्गों को अभिज्ञात किया गया था जिनको राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित और विकसित करने की संभावनाएं हैं:

(1) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली

(2) ब्रह्मपुत्र

(3) पश्चिम तटीय नहर

(4) सुन्दरवन

(5) गोदावरी

(6) कृष्णा

(7) महानदी

(8) नर्मदा

(9) गोवा में मंडोवी, जुआरी नदियां और कबंरजुआ नहर

(10) तापी

अभी तक निम्नलिखित तीन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है:-

राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1—गंगा-भगीरथी-हुगली-नदी प्रणाली का इलाहाबाद-हल्दिया खंड (1620 कि.मी.)

राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2—ब्रह्मपुत्र नदी का धुबरी-सदिया खंड (891 कि.मी.)

राष्टीय जलमार्ग सं. 3—चम्पाकारा और उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिम तटीय नहर का कोल्लम-कोट्टापुरम खंड (205 कि.मी.)

निम्नलिखित अंतर्देशीय जलमार्गों की संभाव्यता/नौगम्यता का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन किए गए हैं:-

1. हल्दिया से बांग्लादेश सीमा पर रायमंगल नदियों के संगम तक सुन्दरवन
2. लखीपुर से करीमगंज तक बराक नदी
3. वजीराबाद से विजयवाड़ा तथा कृष्णा नदी और भद्राचलम से राजमुन्दरी तक गोदावरी नदी के साथ एकीकृत काकीनाड़ा-मरकऊनम नहर
4. तलचर से पारादीप/धामरा तक ब्राह्मणी नदी के साथ एकीकृत पारादीप से हल्दिया तक पूर्व तटीय नहर
5. दुर्गापुर से त्रिवेणी में कुन्ती नदी के साथ संगम तक डी वी सी नहर
6. राष्ट्रीय जलमार्ग-3 का दक्षिण में कोल्लम तक और उत्तर में कासारगोड तक विस्तार।

उपर्युक्त जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने के बाद में इनका विकास करने पर संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तीन राष्ट्रीय जलमार्गों पर अवसंरचना जैसे कि नौचालनात्मक चैनल, चुनिंदा स्थानों पर टर्मिनल और नौचालन उपकरण के प्रावधान के लिए विभिन्न स्कीमों की योजना बना रहा है और चरणबद्ध रूप में उनका निष्पादन कर रहा है।

अंतर्देशीय जलमार्गों और जलमार्ग अवसंरचना के विकास के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति आधार पर स्कीम की लागत की 50% राशि तक ऋण सहायता देने के लिए भी प्रावधान मौजूद हैं।

अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा अंतर्देशी जल परिवहन अवसंरचना के विकास और अंतर्देशीय जलयानों के स्वामित्व और प्रचालन में निजी क्षेत्र की सहभागिता प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन नीति को अनुमोदन प्रदान किया है जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता और निवेश को आसान बनाने और बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत उपायों और प्रोत्साहनों को शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

विशेष दर्जे वाले राज्य

674. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विशेष दर्जे वाले राज्य के लिए निर्धारित शर्तों में संशोधन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उड़ीसा को विशेष दर्जे वाला राज्य घोषित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो किस तरीके से केन्द्र सरकार का उड़ीसा जैसे अत्यंत गरीब राज्यों को उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाये रखने के लिए विशेष दर्जा वाले राज्यों की तरह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य घोषित करने हेतु निर्धारित शर्तों के संशोधन के मुद्दे की गाडगिल फार्मूले के पुनरीक्षण के संदर्भ में जांच की जानी है, जो कि केन्द्रीय सहायता के अंतर्राज्यीय आबंटन का आधार है। पूर्ण योजना आयोग की दिनांक 27 और 29 जून, 2001 को हुई बैठक में केन्द्रीय सहायता के आबंटन हेतु गाडगिल फार्मूले का पुनरीक्षण और विशेष श्रेणी स्थिति के वर्गीकरण संबंधी मानदंड में परिवर्तन करने पर विचार किया गया था और यह महसूस किया गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विकल्पों पर विचार किए जाने से पूर्व इस पर और चर्चा की जाए तथा मतैक्य बनाया जाए, इसे मान लिया गया। अत: इस कार्यसूची को अलग से उठाया जाएगा, तत्पश्चात्, दिनांक 1 सितम्बर, 2001 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई, जिसमें कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान करने संबंधी मानदंड को जांचने के लिए दिए गए सुझावों को नोट किया गया तथा इस बात पर सहमति हुई कि इनकी जांच की जानी चाहिए।

हज तीर्थयात्रियों को राजसहायता

675. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक हज तीर्थयात्रियों को विमान टिकट पर राजसहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रत्येक विमान टिकट पर कितनी राशि की राजसहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या आगामी वर्षों में इस राजसहायता को बंद करने का निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष में दी गई राजसहायता की राशि गत वर्ष की राशि से कितनी अधिक है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी नहीं। राजसहायता केवल उन तीर्थयात्रियों को दी जाती है जो केन्द्रीय हज समिति के जरिए हज तीर्थयात्रा करते हैं।

(ख) हज तीर्थयात्रा के लिए हज-2001 के दौरान प्रत्येक हवाई टिकट पर राजसहायता की राशि लगभग 21,000 रुपए थी।

(ग) मंत्रिमंडल ने निदेश दिया है कि अगले कुछ वर्षों में राजसहायता को समाप्त करने के लिए इसके समक्ष एक प्रस्ताव लाया जाए।

(घ) यह प्रस्ताव जांचाधीन है और अभी इसे प्रस्तुत किया जाना है।

माफिया सरगना का प्रत्यर्पण

676. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान से माफिया सरगना दाउद इब्राहिम के प्रत्यर्पण हेतु बुश प्रसासन से सहयोग मांगा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजना

677. **श्री रामजी मांझी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि गया, बिहार एक आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है और एमसीसी, रणबीर सेना जैसे समूह इस क्षेत्र में जोर-शोर से सक्रिय हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में गया, बिहार के चहुंमुखी विकास के लिए कितनी निधियां जारी की गई हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री

(श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में नए डाकघरों का खोला जाना

678. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलावार कितने नए डाकघरों को खोले जाने की स्वीकृति दी गई है और उनमें से कितने खोले जा चुके हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां नए डाकघर खोलने के निर्धारित मानदंड पूरे होने के बावजूद भी कोई डाकघर नहीं खोला गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) गुजरात के ग्रामीण इलाकों में 2000-2001 के दौरान 9(नौ) नए डाकघर मंजूर किए गए तथा खोले गए। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) डाकघर मानदंड आधारित औचित्य होने पर खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण

गुजरात के ग्रामीण इलाकों में 2000-2001 के दौरान मंजूर किए गए और खोले गए नए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	मंजूर किए गए और खोले गए डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	बनासकांठा	1
2.	गांधीनगर	1
3.	साबरकांठा	2
4.	दहोद	1
5.	पंचमहल	1
6.	वलसाड	1
7.	नर्मदा	1
8.	सूरत	1
	कुल	9

[हिन्दी]

मानव संसाधनों के महत्व को स्वीकार किया जाना

679. श्री पी.आर. खूंटे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव संसाधनों के महत्व को स्वीकार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण-पत्र यह दर्शाता है कि विकास प्रक्रिया पर दक्षता के संबंध में विचार किया जाना चाहिए जिससे यह अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमताओं का प्रयोग करती है, इच्छित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन, (मात्र भौतिक लाभ ही नहीं) भौतिक और मानव संसाधन दोनों ही इसमें शामिल हैं। इसके लिए, वृद्धि की उच्च दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता का निर्माण नितान्त आवश्यक है, इसके अभाव में हम जनता के लिए उपभोग के प्रसरणशील स्तर उपलब्ध कराने की आशा नहीं कर सकते। तथापि, जबकि यह एक आवश्यक शर्त है परंतु यह पर्याप्त नहीं है। अत: एक विकासात्मक कार्यनीति का पालन करना अनिवार्य हो गया है जो कि नीति निर्माण करती है, आर्थिक विकास, इच्छित सामाजिक लाभों तथा सभी के लिए बढ़ते हुए अवसरों के मध्य समुपयोगी सहक्रियाओं पर ध्यान केन्द्रित करती है।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमा-पार से आतंकवाद

680. श्री साहिब सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत जम्मू और कश्मीर और देश के अन्य भागों में पाकिस्तान द्वारा सीमा-पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद के बारे में विश्व समुदाय को आश्वस्त करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रमुख देशों ने इस पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पूरी जानकारी है कि पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देता है। इसका संकेत इस तथ्य से भी मिलता है कि कुछ देशों द्वारा पाकिस्तान आस्थानी आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्वीकार करता है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है और यह जहां कहीं भी है, इसका उन्मूलन होना चाहिए।

अस्पताल प्रबंधन में सुधार

681. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों की अपर्याप्त क्षमता की जानकारी है;

(ख) क्या प्रत्येक अस्पताल में क्षमता का विस्तार करने और पंजीकरण पटलों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए अस्पतालों की प्रबंधन योजना में सुधार करने की भी आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

स्पीड पोस्ट सेवा

682. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुरिअर सेवाओं से तगड़ी प्रतियोगिता के कारण स्पीड पोस्ट सेवा की वृद्धि धीमी पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस तरह की बाधाएं सामने आई हैं; और

(ग) इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) विभाग द्वारा ग्राहकों को तीव्र और समयबद्ध डाक वितरण सेवा प्रदान करने के लिए 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई थी। स्पीड पोस्ट में निरंतर वृद्धि हुई है और गत तीन वर्षों में स्पीड पोस्ट के राजस्व संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

1998-99	-	91.36 करोड़ रुपए
1999-2000	-	126.17 करोड़ रुपए
2000-2001	-	151.44 करोड़ रुपए

कुरिअर उद्योग एक खुला बाजार है और अत्यंत प्रतियोगी किस्म का है। अत: विभाग ने निजी कुरिअरों की चुनौती का सामना करने के लिए स्पीड पोस्ट सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय भी किये हैं। स्पीड पोस्ट केन्द्रों के नेटवर्क का राष्ट्रीय नेटवर्क में 120 नगरों तक और राज्य स्तरीय नेटवर्क में 500 से अधिक केन्द्रों तक विस्तार किया गया है। बाजार में हिस्सा बढ़ाने के लिए स्पीड पोस्ट की दरों का वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर पुनर्गठन भी किया गया है। ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि के लिए समर्पित डाक वितरण स्टाफ के साथ नोडल कार्यालय बना कर वितरण प्रणाली का पुनर्गठन किया गया है और बाजार के चलन के अनुसार बड़ी संख्या में स्पीड पोस्ट भेजने वाले उपभोक्ताओं को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी 120 स्पीड पोस्ट केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इन्टरनेट के माध्यम से स्पीड पोस्ट पारेषणों का पता लगाने के प्रयोजन से उपभोक्ताओं के लिए ऑन-लाइन ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की गई है। बाजार शेयर में वृद्धि करने के लिए उपभोक्ताओं के परिसरों से नि:शुल्क पिक-अप सेवा सुविधा भी शुरू की गई है।

सिंहस्थ कुम्भ मेला

683. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वर्ष 2003-2004 के दौरान महाराष्ट्र में नासिक और त्रियम्बकेश्वर में होने वाले सिंहस्थ कुम्भ मेले के लिए केन्द्र सरकार से सौ करोड़ रुपए के सहायतानुदान की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार सिद्धान्त रूप से सहायतानुदान प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कब तक सहायतानुदान जारी किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने नासिक और त्रियम्बकेश्वर में वर्ष 2003-2004 के दौरान होने वाले सिंहस्थ कुम्भ मेले के लिए 100 करोड़ रुपए, वर्ष 2001-02 और वर्ष 2002-03 प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया है। वार्षिक योजना 2001-02 को अंतिम रूप देने के लिए, दिनांक 23 अगस्त, 2001 को उपाध्यक्ष, योजना आयोग और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक में नासिक में कुम्भ हेतु नगरीय आधारिक संरचना के सृजन के लिए 50 करोड़ रुपए की एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए सहमति हुई थी। केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार हेतु यह राशि जारी कर दी है।

पल्स पोलियो

684. श्री अरूण कुमार :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अब तक चलाए गए टीकाकरण और पल्स पोलियो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आज की तिथि के अनुसार किन-किन जिलों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने ''पोलियो का एक भी मामला न रहने'' का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ङ) भारत ने सन् 2002 तक देश में पोलियो की घटनाएं शून्य पर लाने के विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य को स्वीकार किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारे देश में 1995 में तीव्रीकृत पल्स पोलियो कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। यह कार्यक्रम लक्ष्य के प्राप्त होने तक जारी रहेगा। पोलियो की घटनाएं 1998 में 1934 से कम होकर 1999 में 1126, 2000 में 265 और 161 (17 नवम्बर, 2001 तक) रह गई है। सन् 2002 तक पोलियो की घटनाएं शून्य पर लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

भारतीय नर्सिंग परिषद

685. श्री पी.सी. थामस : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय नर्सिंग परिषद (नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया) को पर्याप्त सांविधिक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं जैसाकि भारतीय चिकित्सा परिषद के मामले में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) देश में उपचर्या व्यवसाय के विनियमन में सुधार करने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने हेतु भारतीय उपचर्या परिषद से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

आतंकवाद से निपटने में भारत की भूमिका

686. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व शांति का प्रमुख प्रचारक होने के नाते भारत सरकार ने आतंकवाद का समग्र रूप से विरोध करने हेतु गुटनिरपेक्ष के मंच के माध्यम से विश्व के विकासशील देशों को एकजुट करने और इसके साथ-साथ विश्व की महाशक्तियों द्वारा विश्व के किसी भी हिस्से में युद्ध के बढ़ते आसार के कारण तनाव को कम करने की पहल की; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) दो दशकों से अधिक समय से पीड़ित भारत लगातार इस बात पर बल देता रहा है कि आतंकवाद से निपटने के मसले को विश्वव्यापी कार्य सूची में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 11 सितम्बर की दुखद घटना से आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के बारे में अत्यधिक जागरूकता और इसकी आवश्यकता बनी है। परस्पर बातचीत से,

विशेषरूप से विकासशील देशों और गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ, हमने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी संकट है जिसे टुकड़ों में नहीं किया जा सकता है और इसके विरुद्ध संघर्ष और भी आगे जाएगा और यह व्यापक, विश्वव्यापी और सतत होना चाहिए।

भारत ने यह भी कहा है कि आतंकवादी कृत्यों के लिए कोई धार्मिक, जातीय, वैचारिक और अन्य औचित्य नहीं हो सकता। आतंकवाद का सामना करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उपायों में केवल आतंकवादी गतिविधियां चलाने वाले ही नहीं शामिल किए जाने चाहिए बल्कि वे भी जो आतंकवादियों को उकसाते हैं, समर्थन देते हैं, वित्तपोषण करते हैं अथवा उन्हें सुरक्षित शरण प्रदान करते हैं।

भारत ने आतंकवाद का सामना करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का स्वागत किया है जिनमें संयुक्त राष्ट्र में किए गए प्रयास शामिल हैं। इस रूपरेखा के भीतर भारत ने 28 सितम्बर के सुरक्षा परिषद के संकल्प 1373 का स्वागत किया है। भारत, आतंकवाद का सामना करने में विधिक संरचना को मजबूत करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी व्यापक अभिसमय (सीसीआईपी) का मार्गदर्शक भी है। सी.सी.आई.पी. पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा चल रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधान मंत्री ने 10 नवम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान भारत के दृष्टिकोण को मजबूती के साथ रखा जिसमें कि आतंकवाद के सीमा पार पहलुओं पर हमारी चिंता शामिल है।

अनेक देश, जिनके साथ हमारी बातचीत हुई है, भारत के दृष्टिकोण और चिंताओं को समझते हैं।

[हिन्दी]

सामाजिक सेवाओं और शिक्षा पर व्यय

687. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा नौवीं योजना के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सामाजिक सेवाओं के लिए कुल कितना आवंटन किया गया;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सामाजिक सेवाओं पर किए गए कुल व्यय का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को सामाजिक सेवाओं पर अपने कुल प्रशासनिक व्यय में से और अधिक धनराशि व्यय करने की सलाह दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्र सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान सामाजिक क्षेत्रकों नामत: स्वास्थ्य, शिक्षा (युवा मामले व खेल एवं संस्कृति सहित), ग्रामीण विकास (ग्रामीण रोजगार व गरीबी उन्मूलन एवं भूमि संसाधन/बंजर भूमि विकास सहित) सामाजिक न्याय व अधिकारिता महिला एवं बाल विकास तथा जनजातीय मामलों हेतु कुल आबंटन सामान्य अर्थों में 1,03,661 करोड़ रुपये के क्रम में है।

(ख) पिछले दो वर्षों (1999-2000 एवं 2000-2001) के दौरान कुल अनुमानित व्यय की तुलना में केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त सामाजिक क्षेत्रकों के लिए बनाया गया बजट आवंटन 88 प्रतिशत के क्रम में था। स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्रकों के लिए तदनुरूपी आंकड़े क्रमश: 95 प्रतिशत एवं 86 प्रतिशत के क्रम में थे।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार का संबंध राज्य व संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता आवंटन एवं उनके योजना परिव्यय को अंतिम रूप देने से है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के दौरान, राज्यों को मुख्यमंत्रियों के दिनांक 4-5 जुलाई, 1996 के सम्मेलन में हुई सर्वसम्मति की तरफ ध्यान दिलाया गया, "कि सात मूलभूत न्यूनतम सेवाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, आश्रयहीनों के लिए आवास, प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन, गांवों तक सम्पर्क व सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल है। यह भी उल्लेख किया गया कि गहन परिवार कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि कम करने के लिए मुख्य प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे कि सामाजिक व आर्थिक लाभों को अधिकतम किया जा सके। अत: इन सेवाओं को नौवीं योजना प्रस्तावों में सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में समझा गया तथा इन क्षेत्रकों में राज्यों से भी उनका योगदान बढ़ाने की आशा की जाती है।" तदुपरान्त, वर्ष 2000-01 में, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, हमारे लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु आवास एवं ग्रामीण सड़कों जैसे जटिल क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक आधारिक संरचना के सृजन पर बल देते हुए ग्रामीण स्तर पर धारणीय मानव विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई थी।

[अनुवाद]

ई-पोस्ट योजना

688. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ई-पोस्ट योजना आरंभ करने का निर्णय किया है:

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक के कौन-कौन से जिलों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ग) कर्नाटक के सभी जिलों में कब तक यह ई-पोस्ट योजना आरम्भ किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) डाक विभाग ने अगस्त, 2001 में छह महीनों के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में ई-पोस्ट स्कीम शुरू की है। इस प्रायोगिक परियोजना में 5 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, केरल और महाराष्ट्र में 200 डाकघरों के माध्यम से ई-पोस्ट सुविधा शुरू की गई थी। शेष देश में इसका विस्तार प्रायोगिक परियोजना की सफलता पर निर्भर करेगा।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता

689. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री आर.एस. पाटिल :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन से महाविद्यालयों का चयन किया गया है; और

(ग) प्रत्येक महाविद्यालय को राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में चुनिंदा सरकारी मेडिकल कालेजों को नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। उपरोक्त प्रायोगिक परियोजना के तहत इस मंत्रालय को तमिलनाडु, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत राज्यों को अभी कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

डेंगू और मलेरिया

690. श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में बड़ी संख्या में डेंगू और मलेरिया के मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) जी, नहीं। राजधानी में सन् 1997 से मलेरिया की घटनाओं में कमी का रुझान रहा है। पिछले 6 मास के दौरान (मई 10 से नवम्बर, 2001 तक) दिल्ली निवासियों में एडिज मच्छरों द्वारा संचारित एक मौत के साथ डेंगू के 84 मामले सूचित किए गए हैं जबकि पिछले एक वर्ष के दौरान इसी अवधि में एक मौत के साथ 93 मामलों की सूचना मिली थी इसमें ऐसे डेंगू रोगियों की संख्या शामिल नहीं जिनका संबंध अन्य राज्यों से है और उनका उपचार दिल्ली के अस्पतालों में किया गया।

(ग) मलेरिया और डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण हेतु किए जाने वाले उपायों में शामिल हैं:-

मलेरिया—

* रोगी का शुरू में ही पता लगाना और उसका तुरन्त उपचार करना।

* चुनिंदा वेक्टर नियंत्रण।

* व्यक्तिगत सुरक्षा विधियों को बढ़ावा देना।

* महामारी का शुरू में पता लगाना और उसकी रोकथाम करना।

* व्यक्तिगत रोकथाम और सामुदायिक सहभागिता के लिए सूचना, शिक्षा और संप्रेषण।

* संस्थागत एवं प्रबंधन क्षमता निर्माण करना, प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति का विकास करना और प्रभावी प्रबंध सूचना पद्धति बनाना।

* सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी निवारक एवं नियंत्रण उपाय बताते हुए अग्रिम चेतावनी जारी करना।

डेंगू—

* डेंगू/डेंगू रक्तस्रावी बुखार को दिल्ली में अधिसूचनीय रोग बनाया गया है।

* रोग एवं वेक्टर की निगरानी करना।

* खासकर स्रोत को घटाकर वेक्टर नियंत्रण करना।

* अस्पतालों में रोग का शुरू में निदान और रोग उपचार।

* सामुदायिक जागरूकता हेतु सूचना, शिक्षा और संप्रेषण।

* महामारियों के प्रति शुरू में अनुक्रिया करना।

* संबंधित प्राधिकारियों द्वारा डेंगू की स्थिति की नियमित निगरानी और समीक्षा करना।

* वेक्टर की निगरानी, स्रोत को कम करना और सामुदायिक शिक्षा हेतु घरेलू प्रजनन की जांच करने वाले कर्मियों की तैनाती करना।

* दिल्ली नगर निगम द्वारा मच्छरों को पैदा करने वाली परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को जुर्माना करने जैसे कानूनी उपाय शुरू करना।

* राज्यों के लिए डेंगू/डेंगू रक्तस्रावी बुखार की रोकथाम और नियंत्रण तथा इसको फैलने से रोकने हेतु मार्गनिर्देश विकसित करना तथा उन्हें जारी करना।

* डेंगू की स्थिति की नजदीकी निगरानी और डेंगू की घटनाएं सूचित करने वाले राज्यों को तकनीकी मार्गनिर्देश प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम निदेशालय, दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 22 नवम्बर, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 22 नवम्बर, 2001/1 अग्रहायण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.20.3/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।